लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-20 सोमवार, 17 मार्च, 1969/26 फाल्गुन, 1890 (शक)

No. 20—*Monday, March 17, 1969/Phalguna 26, 1890 (Saka)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
512	बिहार में तांबे के निक्षेप — Copper Deposits in Bihar	1-4
516	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गृह-निर्माण सहकारी समितियां — House Building Cooperative Socieites of Central Government Employees — ...	4-5
517	उत्तर बंगाल में पुनर्वास कार्य — Rehabilitation work in North Bengal... ...	6-9
518	सरकारी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग — Utilisation of public Sectors Full capacity ..	9-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र.संख्या/S.Q.Nos.		
511	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में घाटा — Losses in Public Sector Projects	19
513	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड — Hindustan Copper Ltd.	19-20
514	कोलार की सोना खानें — Kolar Gold Fields ...	20-21
515	गुजरात में तांबा — Copper in Gujarat —	21
519	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां — Unauthorised Colonies in Delhi — ...	22
520	राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि का निकाला जाना — Over Drafts by States	23

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd		
521 जीवन बीमा निगम	Life Insurance corporation	23-24
522 भारत में पश्चिमी जर्मनी द्वारा पूंजी लगाना	Investment of West German Capital in India	24
523 सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की मंजूरी	Sanction of pension to retired Government Employees	24-25
524 विदेशी ऋणों के भुगतान संबंधी कार्यक्रम में परिवर्तन	Rescheduling of foreign debts	25
525 भारत और ईरान के बीच संयुक्त सहयोग सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of joint collaboration Machinery between India and Iran ... –	25-26
526 उर्वरक कारखानों में अनुसंधान कार्य	Research work in fertilizer factories	26
527 बम्बई में माल का पकड़ा जाना	Seizure of goods in Bombay	26-27
528 विश्व बैंक मिशन	World Bank Missions	27-29
529 गर्भ निरोधक गोलियां	Contraceptive Pills ...	29-30
530 गुजरात में सूखे की स्थिति	Drought in Gujarat ...	30
531 जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति	Investment policy of LIC	30
532 समृद्धा शुल्क से प्राप्त आय का राज्यों में वितरण	Distribution of Income from Estate duty amongst states – –	31
533 देशी चिकित्सा प्रणालियों का प्रचार	Propagation of Indigenous system of Medicines	31-32
534 भटिंडा में उर्वरक का कारखाना	Fertilizer plant at Bhatinda – ..	32-33
535 खेमकरण जिले में बस्ती का विकास	Development of colony in Khem Karan District – ...	33

ता.प्र.संख्या/S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
536 रुइया बन्धुओं के आयकर तथा धनकर के मामले	Income tax and wealth tax cases of Ruia ...	33-34
537 राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय निधियों का निर्धारित परियोजनाओं से भिन्न कामों के लिये प्रयोग	Diversion of central funds by Rajasthan Government	34-35
538 उर्वरक परियोजना, मंगलौर	Fertilizer project, Mangalore — —	35
539 गोदावरी नदी के जल में मध्य प्रदेश का हिस्सा	Madhya Pradesh Share of Waters from Godavari River — —	35
540 केन्द्रीय सहायता और कलकत्ता का विकास	Central Assistance and Development of Calcutta	35-36
अता.प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.		
3214 पेट्रोलियम के मूल्यों संबंधी शाह समिति का प्रतिवेदन	Report of Shah Committee on Petroleum prices	36
3215 आसाम में तेल के कुएं	Oil bearing wells in Assam	37
3216 खनिज संबंधी सहचारी राजदूत (अटैशे) की नियुक्ति	Appointment of mineral attaches	21-22
3217 विदेशों में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors Abroad	37
3218 प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को किराये पर मकान लेने की रियायत	Concession for renting of houses by Officers	37-38
3219 टाइप 4 और उससे नीचे वाले वर्गों को एक वर्ग कम वाले सरकारी मकानों का आवंटन	Allotment of Government Accommodation one class below type IV and below categories	38-39
3221 दिल्ली की सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to cooperative House Building Societies in Delhi	39

अतां.प्र. सं./U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3222 मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income of Madhya Pradesh ...	39
3223 मध्य प्रदेश का खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey of Madhya Pradesh ...	39-40
3224 मध्य प्रदेश में कोयले पर रायल्टी का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Royalty on coal in Madhya Pradesh	40
3226 तेल निक्षेपों की खोज के लिये मध्य प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey in Madhya Pradesh for Oil Resorces	40
3227 भारत में जड़ी बूटी संग्रहालय	Herbaria in India	40-41
3228 भारतीय चिकित्सा प्रणाली के बारे में भारत सरकार के सलाहकार	Advise to the Government of India on Indigenous system of Medicines	41
3229 सिद्ध प्रणाली में अनुसन्धान योजनाएं	Research schemes in Siddha	42
3230 उद्यमियों से धन की कम मांग	Laok of Demand for Funds from enterpreneours	42-43
3231 भारत में रूस से सहायता प्राप्त सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Soviet aided Public Sector Projects in India ...	43-44
3232 ईरान से आयात	Imports from Iran	44
3233 उपक्रमों के बारे में गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें	Implementation of Gajendragadkar Commission's Recommendations on undertakings ...	44
3234 रूस से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	Soviet aided projects	44-45
3235 जापानी आर्थिक सहायता का उद्योगों के लिये प्रयोग	Use of Japanese Economic Aid in Industries...	45

3236	दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले	Jhuggi Dwellers in Delhi	45–46
3237	भारतीयों के विदेशी बैंकों में खाते	Indian having Bank Accounts Abroad ..	46
3238	छोटा नागापुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Chhota Nagpur	46
3239	बाढ़ नियंत्रण दल की स्थापना	Setting up of flood fighting squads	47
3240	चांदी का तस्कर व्यापार	Smuggling of silver	47
3241	निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया जाना	Extension to class I Officers in Works, Housing and Urban Development Department ..	47–48
3242	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	Hindustan Latex Limited ..	48
3243	हल्दिया–बरौनी पाइप लाइन	Haldia Barauni Pipe Line	49
3244	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Trombay Fertilizer Project ...	49
3245	भूतपूर्व राजाओं के विदेशों में बैंक खाते	Bank Accounts maintained by Exprinces abroad	49–50
3246	उत्तर बम्बई में चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled watches in North Bombay	50
3247	महिलाओं के बन्ध्यीकरण की नई विधि	New Technique for sterlisation of women ...	50–51
3248	वित्तीय नियम	Figancial Rules	51–52

तारांकित प्रश्न संख्या / U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी,	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
3249 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन	Assessment of working of Hindustan Insecticides Ltd.	52
3250 कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में हुई दुर्घटना की जांच	Inquiry into the Accident in fertilizer Factory, Kotah	53
3251 ग्रामीण ऋण पत्र जारी करना	Floating of Rural Debentures	53-54
3252 विदेशों के बैंकों में खाते	Accounts maintained Abroad	54
3253 राज्यों में ग्राम्य गृह-निर्माण योजनाओं के लिये धन का नियतन	allocation for Housing Schemes in Rural Areas in States	54-55
3254 लोक निर्माण विभाग की सड़कों के क्षेत्र में आने वाली भूमि पर गैर कानूनी तौर से मकानों का बनाया जाना	Unauthorised construction of Houses on land which falls within area of PWD Roads ...	55
3255 कालागढ़ परियोजना	Kalagarh Project	55
3256 बैंक खातों से आयकर की राशि वसूल करना	Deduction of Income tax from Bank Accounts	55-56
3257 कांग्रेस दल के संसद सदस्यों तथा संसद में कांग्रेस दल के लोक सम्पर्क अधिकारियों द्वारा फ्रांस की यात्रा	Visit to France by Congress Party M.Ps. and Public Relations officer congress Party in Parliament	56
3258 स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा खाते	Accounts maintained in Swiss Banks	56-57
3259 सरकारी उपक्रमों की पेट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों की मांग	Public Undertakings demand for Petrol and Petroleum products	57

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3260	मिट्टी के तेल की चोर बाजारी — Sale of Kerosene Oil in Black Market ...	57-58
3261	उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में बाढ़ — Floods in Hasanpur Tehsil of District Moradabad ... —	58
3262	उर्वरक कारखाने — Fertilizer Projects	58-59
3263	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हानि — Losses in Oil and Natural Gas Commission ..	59
3264	दिल्ली में क्वार्टरों और भवनों का आवंटन — Allotment of quarters and Building in Delhi...	59
3265	कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बेसिनों में तेल की खोज — Oil Research in Cauvery, Krishna and Godavari Basins ~ ...	59-60
3266	पालम हवाई अड्डे पर जापानी घड़ियों का पकड़ा जाना — Seizure of Japanese watches at Palam Airport	60
3267	कानपुर लूप कारखाना — Kanpur Loop Factory	60
3268	मध्य प्रदेश में उर्वरक उत्पाद — Fertilizer Projects in Madhya Pradesh	61
3269	उत्तर बंगाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता — Relief to Flood affected areas of North Bengal	61
3270	मोंघ्यार गांव (बिहार) में विषाक्त भोजन से हुई मोतों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन — Report on deaths due to food poisoning in a Monghyr Village (Bihar) — ...	61-62
3271	विलिंग्डन अस्पताल में रोगियों का मुफ्त इलाज — Free of cost treatment to patients in Willingdon Hospital	62
3272	बम्बई में रावली पहाड़ी — Rawali Hill in Bombay	62-63
3273	लद्दाख में खनिजों की खुदाई और सर्वेक्षण — Exploration and survey of Minerals in Ladakh	63

3274	केन्द्रीय सहायता से निर्मित बांध	Dams built with Central Assistance	63-64
3275	व्यापार गृहों द्वारा तस्कर व्यापार	Smuggling by big business Houses	64
3276	पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना	Seizure of gold at Palam Airport	65
3277	भारत सेवक समाज से बकाया किराया वसूल करना	Collection of Rent Arrears from Bharat Sewak Samaj	65-66
3278	पूंजी का देश में आगमन और देश से निर्गमन	Inflow and outflow of capital	66-67
3979	रेडियो सेटों की तस्करी	Smuggling of Radios ..	67-68
3280	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता	Assistance from IDA	68-69
3281	भारत एल्युमिनियम कंपनी, लिमिटेड	Bharat Aluminium company, Ltd.	69-70
3282	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा विकसित तथा बेचे गये प्लाट	Plots developed and disposed of by DDA ..	70
3283	उड़ीसा में कृषि मजदूरों के लिये ग्रामीण भवन निर्माण परियोजना	Rural Housing project scheme for Agricultural workers in Orissa	70-71
3284	उड़ीसा के गांव में पानी की सप्लाई की समस्या	Rural water supply problems in Orissa ...	71
3285	गर्भस्त्राव के बारे में कानून बनाना	Legalisation of Abortion	71-72
3286	खेतरी तांबा उद्योग समूह	Khetri Copper complex	72
3287	सेवानगर में सरकारी क्वार्टरों के सामने झुग्गियों के कारण अस्वच्छता	Insanitation due to Jhuggies in Front o Sewanagar Government Quarters	72-73

3288	लोह अयस्क कूटने तथा साफ करने के संयंत्रों की स्थापना	Setting of curshing and screening plants ...	73
3289	हेमावती परियोजना, मैसूर	Hemavathi Project, Mysore ... –	73–74
3290	कर्मचारियों को लाभ	Benefits to Employees	74
3291	ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का कारोबार	LIC Business in Rural Areas	75–76
3292	गैर–सरकारी चिकित्सा व्यवसायी	Private Medical Practitioners	76–77
3293	रवीन्द्र रंगशाला	Rabindra Rangshala	77
3294	खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mines	77
3295	बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में कोयले का उत्पादन	Production of coal in Bihar and West Bengal	77–78
3296	रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की छुट्टियों में कमी	Reduction in Holidays of Reserve Bank Employees	78
3297	बरौनी तेलशोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	78–79
3298	बिक्री कर को उत्पादन शुल्क के साथ मिलाना	Amalgamation of sales tax with excisduties ...	79–80
3299	बृहद कलकत्ता के विकास के लिये मिश्रित पूंजी कम्पनी	Joint Stock company for Development of Greater Calcutta	80
3300	सेंट्रल बैंक के पास स्टेट्समैन के शेयर	Shares held by Central Bank in Statesman -	80–81
3301	कलकत्ता में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था का विकास	Development of post graduate medical Education and Research institute in Calcutta	81

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3302 पश्चिमी बंगाल की पाँचवें वित्त आयोग से धनराशियों की मांग	West Bengal Demand for Funds from Fifth Finance Commission ... –	81-82
3303 भारत सहायता क्लब से ऋण	Loan from Aid India Club ...	82
3304 राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Central Rates of D.A. to State Government Employees ... –	83
3305 कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने	Coal based fertiliser Factories	83-84
3306 दिल्ली विद्युत सम्भरण उपक्रम द्वारा पंजाब को बिजली की सप्लाई	Supply of power to Punjab by Delhi Electricity supply undertaking	84
3307 बैंकों में जमा राशियों की स्थिर ब्याज दरें	Stable deposit interest rates in Banks ...	85
3308 नाइलन धागे की तस्करी	Smuggling of Nylon Yarn	85
3309 रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threatened Strike by Reserve Bank Employees ... –	86
3312 मंगलौर उर्वरक कारखाना	Mangalore Fertilizer Plant ...	86-87
3313 होटलों में प्रदर्शन करने वाले विदेशी कलाकारों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Foreign Artistes for Performances in Hotels	87
3314 महाराष्ट्र में बैंकों द्वारा कृषि ऋण सुविधायें	Farm credit facilities by banks in Maharashtra	87-88
3315 सिंगारेनी कोयला खानें	Singareni Collieries ..	88-89
3316 सरजू परियोजना	Sarjoo Project	89
3317 बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल	Health care of Children	89-90

अता.प्र.संख्या. /U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3318 दक्षिण में नदी परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक के दल का दौरा	Visit of World Bank's Team of River Projects in South	90-91
3319 विदेशों को योग्यता प्राप्त डाक्टरों का बहिर्गमन	Exodus of qualified Doctors to Foreign Countries	91
3320 विदेशी राजनयिकों द्वारा बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाते खोलना	Opening of Foreign currency accounts with Banks by Foreign Diplomats	91-92
3321 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना	Establishment of Audit Board for Public Sector undertakings	92-93
3322 ग्वालियर में सेठ जे० बी० मंघाराम बैंक	Seth J. B. Mangharam Bank in Gwalior ...	93
3323 नवनिर्मित चम्बल नहर के किनारों को हुई क्षति	Damage Developed in Embankments of Newly Built Chambal Canal	93-94
3324 वनस्पति घी में मिलावट	Adulteration in Vanaspati Ghee	94
3325 चतुर्थ योजना में मूल्य स्तर बनाये रखना	Maintaining of price level in Fourth Plan	94
3326 पेट्रो केमिकल्स उद्योग समूह	Petro chemicals industrial complexes... ...	94-95
3327 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों और इंजीनियरों द्वारा की जाने वाली अनियमितताएं	Irregularities Committed by contractors and engineers of C.P.W.D.	95
3328 खम्भात में तेल के लिये ड्रिलिंग	Oil Drilling in Cambay	95-96
3329 राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on family planning programme in States	96

तारा. प्र. संख्या/U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3331 नाइलोन के धागे का उत्पादन	Production of Nylon Yarn	96
3332 दक्षिण कनारा में हलाडी बांध	Halady Dam in South Kanara	99-97
3333 दक्षिण कनारा जिले में बाक्साइट के निक्षेप	Bauxite Deposits in South Kanara Distt ...	97-98
3334 योजना में सिंचाई के लिये चौगुनी वृद्धि	Four Fold increase in Plan for irrigation —	98
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	135-139
जम्मू तथा काश्मीर के बारे में राष्ट्रपति के 1954 के आदेश की अवधि बढ़ाना	Extension of Presidential Order of 1954 in respect of Jammu and Kashmir	135
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	139-143
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	143
अड़सठवां प्रतिवेदन	Sixty-eight Report	143
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit ...	143
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report — ...	143
राज्य विधान सभाओं में घटनाओं के बारे में	Re:-Incidents in State Assemblies — ...	144
लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) संशोधन विधेयक 1969	Public Employment((Requirement as to Residence Amendment Bill, 1969 — ...	144
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	144
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ... —	144
श्री रंगा	Shri Ranga — ...	147

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	152
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	153
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	154
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	156
श्रीमती लक्ष्मीबाई	Shrimati Laxmi Bai	157
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	158
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	159
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	160
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	161
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	162
खण्ड 2,3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	165–166
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	166
श्री जु० रामपथी राव	Shri J. Ramapathi Rao	166
श्री उमानाथ	Shri Umanath	167
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	167
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	167
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	167
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddi	168
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	168
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	168
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	168
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	168
बजट के समय से पूर्व पता लगने के बारे में	Re: Alleged Leadage of Budget	169

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1969-70	Demands for Grants (Railways), 1969		...	169
श्री प्र० न० सोलंकी	Shri P. N Solanki	...	...	243
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan			244
श्री दीवीकन	Shri Deiveekan			245
श्री भालजी भाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	...		246
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	--		247
डा० अ० ग० सोनार	Dr. A. G. Sonar	...	...	248
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	...	--	249
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	..		250
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion	—	...	250
रेल डिब्बा उद्योग	Wagon Industry	..	...	250
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	...	—	250
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	—	...	251

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 17 मार्च, 1969/ 26 फाल्गुन, 1890 (शक)
Monday, March 17, 1969/ Phalguna 26, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री अदिचन–अनुपस्थित

श्री बेदब्रत बरुआ : इस प्रश्न को प्रश्न सख्या 518 के साथ लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अदिचन यहां नहीं है । अतएव यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में तांबे के निक्षेप

+

*512. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राखा क्षेत्र में तांबे के निक्षेपों के विकास हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस बारे में अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इन निक्षेपों का वाणिज्यिक स्तर पर लाभ उठाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने एक सम्भाव्यता रिपोर्ट (पहला दौर) तैयार की है जिसके अनुसार औसतन 1.5 प्रतिशत तांबे वाली तांबा अयस्क के प्रतिदिन 1000 मैट्रिक टन उत्पादन के लिए राखा में एक खान के खोले जाने की योजना है, जिससे प्रतिवर्ष 3000 मैट्रिक टन तांबा धातु की प्राप्ति होगी। योजना की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

Shri K. M. Madhukar : Mr. Speaker, Sir, when there is acute shortage of Copper in the country then may I know whether Government are going to take over the British Copper Company (Rakha Company) or no' even after twenty years of independence ?

Secondly there are much mineral available in northern areas of Orissa and southern areas of Orissa, and Billar. May I know whether the Government are going to survey the areas to find out the quantity of Copper and other minerals there ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि देश में तांबे की बहुत कमी है। प्रत्येक वर्ष हम विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन तांबे का आयात कर रहे हैं। घाटसिला स्थित तांबा निगम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है और इसमें प्रतिवर्ष 9,000 मीट्रिक टन तांबे का उत्पादन हो रहा है और 1973–74 तक इसका उत्पादन 16,000 मीट्रिक टन हो जायेगा। हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड में तांबे के उत्पादन में शीघ्रता लाने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है। बिहार के कई स्थानों में तांबे का निक्षेप पाया गया है और हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि राखा में शीघ्र उत्पादन आरम्भ हो जाये।

Shri K. M. Madhukar : My question has not been answered. I have asked whether the Government was going to take over that British Company or not ?

श्री जगन्नाथ राव : प्रश्न ही नहीं उठता। कम्पनी ठीक कार्य कर रही है।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, Copper is very important for our country, this is a well known fact. Keeping this in view may I know whether the Government have formulated any scheme to develop Rakha and other places where there are Copper deposits ? If so may I know whether there is any hope for the completion of that Scheme in Fourth Five Year Plan or not ?

Secondly, at present this work is in the hands of foreign management. It is a matter of shame that even after twenty two years of independence this work is in the hands of a English Company. I want to know from the Government that whether they have formulated any scheme to hand over Rakha to Indians or to take it over ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा मैंने पहले बताया है घाटसिला स्थित भारतीय तांबा निगम अच्छा काम कर रहा है और इस समय इसे अपने हाथ में ले लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार बिहार स्थित राखा में तांबे के निक्षेप का विकास करने के लिए बहुत उत्सुक है, सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी और काम बहुत शीघ्र आरम्भ हो जायेगा। बिहार में उपलब्ध आकड़े यह बताते हैं कि राखा तांबा प्राप्ति स्थल में, जिसमें राखा, एक सिद्धेश्वर और तामापाहड़ हैं और जिनकी लम्बाई 5.2 किलोमीटर की है, 98 मिलियन मीट्रिक टन तांबा है

जिसका औसत लगभग 1.01 प्रतिशत है और जो 600 फीट की गहराई पर मिलता है। हम देश के लाभ के लिए इस निक्षेप को विकसित करने के लिए उत्सुक हैं।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : प्रश्न संख्या 513 और 515 भी तांबे के सम्बन्ध में हैं। अभी दिए गए इस उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, कि देश में तांबे की कमी है और उन्हें तांबे का आयात करना पड़ता है, क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने गंटूर जिले के अग्निकुंड लाइन में बड़ी मात्रा में तांबे का निक्षेप खोज निकाला है ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बड़ी मात्रा में इस निक्षेप को उपयोग में लाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ताकि देश को प्रतिवर्ष तांबे का अधिक आयात न करना पड़े ?

श्री जगन्नाथ राव : हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आन्ध्र प्रदेश स्थित गंटूर जिले के अग्निकुंड, बंदलामुट्टु और नालगुंडा में बहुत अच्छे किस्म के तांबे के निक्षेप मिले हैं। हम अग्निकुंड में शीघ्र कार्य आरम्भ कर रहे हैं।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम प्रतिवर्ष 50,000 मीट्रिक टन तांबे का आयात कर रहे है और सरकार तांबे के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए हर कदम उठा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गत 20 वर्षों में सरकार ने इस देश में तांबे के निक्षेप का सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या सम्भावनाएं हैं और तांबे के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए क्या राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने सम्पूर्ण देश में खनिज निक्षेप के सर्वेक्षण का कार्य अपने हाथ में लिया है। क्योंकि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इसमें सक्रिय रूचि दिखायी है अतः हम समूचे देश में निक्षेपों का पता लगा सकते हैं। बिहार, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में सरकार यथाशीघ्र इन निक्षेपों का लाभ उठायेगी।

श्री स्वैल : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस देश में तांबे के निक्षेप का अन्तिम अथवा अस्थायी मूल्यांकन किया है ? आपको इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय कर लेना चाहिए था। जब आप कहते हैं कि आप तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या आपने विशिष्ट योजना बनाई है ?

श्री जगन्नाथ राव : गत 20 वर्षों में कुछ नहीं किया गया था। यह तो हाल ही में विमान में बैठकर भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया और विभिन्न राज्यों में अच्छे निक्षेप मिले हैं। हम उनका लाभ उठाने को उत्सुक हैं।

श्री एस० आर० दामानी : 1973-74 में तांबे की मांग प्रतिवर्ष 1.24 लाख मीट्रिक टन पहुँच जायेगी। इस समय हमारा कुल उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा 16,500 मीट्रिक टन और हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड द्वारा 31,000 मीट्रिक टन है। यह अधिष्ठापित क्षमता हैं। मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष और इस वर्ष के दौरान कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है ? तांबा परियोजनाओं के निर्माण के लिए कितने आवेदन अनिर्णित पड़े हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : घाटसिला स्थित भारतीय तांबा निगम केवल 9,000 मीट्रिक टन तांबे का उत्पादन कर रहा है न कि 16,000 मीट्रिक टन का जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। ऐसी आशा की जाती है कि 1973–74 तक उत्पादन 16,000 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया जायेगा। मैं लम्बित लाइसेंसों के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। हम यह सरकारी क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : गत एक वर्ष के दौरान 'आपरेशन हार्ड राक' से विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश आदि में तांबे सहित अलौह धातुओं के काफी निक्षेपों का पता लगाया गया है। क्या मैं भारत सरकार से जान सकता हूँ कि महत्वपूर्ण निष्कर्षों के परिणामस्वरूप वे कौनसा विशिष्ट कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं और दूसरा, चूंकि सरकार अपने विमानों का उपयोग करके 'औपरेशन हार्ड राक' का भारतीयकरण करने के बारे में विचार कर रही है तो जांच के इस पक्ष में कहां तक उन्नति हुई है ?

श्री जगन्नाथ राव : भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिए विमानों के उपयोग से हमें समूचे देश में धातुओं के महत्त्वपूर्ण निक्षेप खोजने में मदद मिली हैं। जो कमियां हैं उनको हमें ठीक करना हैं और मानचित्रों में चित्राकंन करना है। हम इस बात के लिए उत्सुक हैं, कि जो निक्षेप खोज निकाले गये हैं, उनकी गणना की जाए।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इसके दूसरे चरण अर्थात कार्य के भारतीयकरण के बारे में क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ राव : यह बात बाद में आयेगी इस समय नहीं।

Shri Sitaram Kesari : I want to know from the Hon. Minister whether they have worked out the yearly estimate of loss caused by theft and irregularities ? If so, the details thereof ?

श्री जगन्नाथ राव : यह अगले प्रश्न में आयेगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गृह-निर्माण सहकारी समितियां

+

*516. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :** **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न मंत्रालयों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सहकारी गृह निर्माण समितियों को गृह निर्माण के लिये भूमि आवंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहकारी गृह निर्माण समितियों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की, जिन्हें भूमि आवटित की जायेगी, संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से प्रत्येक समिति को कितनी भूमि आवंटित की जायेगी तथा निर्णय के अनुसार ऐसी भूमि कहां-कहां आवंटित की जायेगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने इन सहकारी गृह-निर्माण समितियों से भूमि का मूल्य पहले ही वसूल कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा अब तक कितनी राशि वसूल की गई है; और

(च) इन समितियों को मकानों के निर्माण के लिये भूमि कब तक दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (च) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 366/69**]

Shri Narain Swarup Sharma: A list of 23 House Building Societies have been given in the statement and something has been done in respect of allotment of land for 10 Co-operatives Societies out of them. Although about 2 crores of rupees have been realised from the 13 House Building Societies in the form of Premium, as has been shown in it, but no demarcation of land has taken place. The reason has been given that it is due to stay-order and it will take time. I want to know how much time it will take. If it take five or ten years, then may I know whether efforts will be made to make allotment at some other place immediately ?

Secondly, there is a Tara Co-operative Society. What is going in that regard ? What are the details and whether allotments will be made or not and whether Premium has been received or not ? Will you tell us something in this regard ?

Shri K. K. Shah : I can say this with confidence that the final judgement was received in February 1968. So now the efforts are being made to get evacuated the unathorised occupation. It will not take much time.

I will do something for the Tara Co-operative Society who belong to members of Parliament.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know this fact from the Government that whether it is a fact that you are not alloting land to many Co-operative Societies because there is difference of opinion on the question of development ? The Government want that the land should be alloted after developing it and they are delaying this matter due to money and various other reasons, whereas there are such societies which are prepared to allot after developing it but the Government are not prepared. I want to know whether the Delhi Municipal Corporation has approved this scheme by which the Government allot the land to Society and they will set up colonies themselves after developing it ? May I know whether the Government are prepared to allot the undeveloped land to Co-operative Societies so that they may set up colonies after developing it ?

Shri K K. Shah : In all 231 societies came into existence. Out of them 210 have applied for land. Offers were made after receiving applications and 147 societies deposited the money. Out of 147 those who could not deposit the money in full, are given individual plots duly developed by us. We have no quarrels with those who deposit the money in full and develop it.

उत्तर बंगाल में पुनर्वास कार्य

* 517. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर बंगाल के बाढ़ पीड़ित जिलों में पुनर्वास कार्य के लिये पर्याप्त राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 367/69]

(ग) यह देखना राज्य सरकार का काम है कि राहत और पुनर्वास कार्यों के लिये निर्धारित रकम का उपयोग उचित तरीके से हो । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सहायता के लेखों का अन्तिम रूप से निपटारा, महालेखाकार द्वारा प्रमाणित व्यय के आंकड़ों के आधार पर ही किया जायगा ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या वित्त मन्त्री महोदय को पता है कि जब तक केन्द्रीय सरकार इसमें सावधानी न बरते तब तक इनमें प्रमाणित लेखों से इसका सही चित्र प्रस्तुत नहीं हो सकता । मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति, जिनको राहत कार्य सौंपा गया है तथा जिनके द्वारा धन दिया गया है, धन के दुर्विनियोग से सम्बन्धित हैं । क्या इन व्यक्तियों के विरुद्ध पहले मुकदमें चल रहे थे ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में वित्तीय नियन्त्रण के लिये, केन्द्रीय जांच ब्यूरों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा ताकि भविष्य में और अधिक अभियोग न लगाये जायें ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री म० ला० सोंधी : मेरा प्रश्न स्पष्ट था । क्या इन व्यक्तियों के विरुद्ध पहले कोई अभियोग थे जिनके द्वारा धन दिया गया था । इसका उत्तर संक्षेप में नहीं दिया जा सकता ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : संक्षेप में उत्तर देने का कोई प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य को मुख्य उत्तर में बतला दिया गया था कि यह राज्य सरकार का मामला है और केन्द्रीय सरकार इस मामले में अधीक्षण नहीं कर सकती । यह उनके द्वारा किया जाता है जो धन का वितरण करती हैं । वर्ष के अन्त में अगर हमें पता लगेगा कि कुछ गलती है तो हम इसकी जांच करेंगे, इससे पहले हम इसकी जांच नहीं कर सकते ।

श्री म० ला० सोंधी इस उत्तर को देखते हुये क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या कभी ऐसा समय भी था जब केन्द्रीय सरकार बंगाल में होने वाली घटनाओं के प्रति उत्तरदायी थी और क्या वे उसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं जो उस काल से सम्बन्धित हैं

क्योंकि यह बाढ़ उस समय आई थी तथा उस काल में पुनर्वास अनुदान दिया गया था। कुछ अभियोग लगाये गये थे और मेरे पास यह विश्वास करने के कारण है कि बगाल में राहत कार्य के लिये धन के एक भाग का दुर्विनियोग किया गया था। मैं जान सकता हूँ कि क्या वित्तीय नियन्त्रण के बारे में जांच की गई थी जो उस अवधि के दौरान प्रयोग में लाई गई जब बंगाल के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी थी ?

श्री मोरारजी देसाई : उस अवधि में राज्यपाल उत्तरदायी था और राज्य सरकार वहां कार्य कर रही थी। आप हमेशा यहां से ही प्रशासन नहीं चला सकते हैं। अगर हमें कोई शिकायत मिली होगी तो हमने अवश्य ही उसकी जांच की होगी। हमें कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री उमानाथ : प्रधान मन्त्री महोदय ने बाढ़ के दौरान यह आश्वासन दिया था कि राहत कार्य में धन का प्रश्न बाधक नहीं बनेगा। इस सभा में यह कहा गया था कि यह धन अनुदान के रूप में दिया जायेगा। अब हमें यह पता चला है कि समस्त धन अथवा इसका अधिक भाग जो राहत कार्य के लिये दिया गया था, ऋण के रूप दिया गया समझा जायेगा। वे इसको वापिस करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह अनुत्पादक कार्य में व्यय कर दिया गया था। मैं माननीय उप प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रधान मन्त्री द्वारा इस सदन में दिये गये आश्वासन के बारे में उनके द्वारा की गई गलती में सुधार करेंगे अथवा कम से कम ऋण को अनुदान में बदलने के लिये तैयार होंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य अपने विचारों के अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। सरकार ने शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह आश्वासन राज्यों को इसलिये दिया गया है क्योंकि उनके पास अर्थोपाय के साधन नहीं हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है। हां, कुछ मामलों में हम अनुदान देते हैं परन्तु इसका अधिकांश भाग ऋण के तौर पर दिया जाता है। राज्य सरकारें यह राशि मकान बनाने के लिये ऋणों के रूप में देती है। अतः यह ऋण वसूल करके केन्द्रीय सरकार को लौटाने होते हैं। उन्हें अनुदानों में नहीं बदला जा सकता।

डा० रानेन सेन : बाढ़ों के बाद एस० एन० रान समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि इस क्षेत्र में दोष वहां की सरकार का है। बाद में मालूम हुआ कि सरकारी लापरवाही के कारण लाखों लोग बाढ़ का शिकार हुए। इसे देखते हुये क्या मैं जान सकता हूँ कि बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को इतनी कम सहायता क्यों दी जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान उन परिवारों की संख्या के बारे में दिलाना चाहता हूं जिन्हें कृषि भूमि दी गई थी। आप देखें कि जलपाई गुड़ी जिले दार्जिलिंग जिले के आंकड़े क्रमशः 812 तथा 35 हैं। अन्य स्थानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हजारों लाखों लोगों को कष्ट सहन करने पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि खेतिहर मजदूरों को इतना कम अनुदान अथवा ऋण क्यों दिया गया जबकि चुनाव से पहले भारत सरकार ने वचन दिये थे कि लाखों रुपये व्यय किये जायेंगे। सरकार ने जलपाईगुड़ी तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों के निर्माण की जिम्मेदारी ली थी। इस प्रकार कंजूसी से ऋण अथवा अनुदान देने के क्या कारण हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : राज्य सरकार को धन दिया गया है। उन्होंने 10 मार्च तक 17 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर लिया था। उन्हें पर्याप्त धन दिया गया है। उन्हें जो भी राशि दी गई है, अग्रिम धन के रूप में दी गई है। वर्ष के अन्त तक धन व्यय किये जाने पर वर्गीकरण किया जायेगा। अभी यह कहना कठिन है कि ऋण कितना होगा और अनुदान कितना होगा।

डा० रानेन सेन : मेरा प्रश्न स्पष्ट था। विवरण में दिया गया है कि जिन परिवारों को कृषि भूमि दी गई है उनकी संख्या क्या है। दार्जिलिंग में 35 परिवारों को तथा जलपाई-गुड़ी में 8।2 परिवारों को ही सहायता क्यों दी गई है। कहा गया है अन्य जिलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में लापरवाही क्यों की जा रही है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमें अभी राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

डा० रानेन सेन : उनको समझना चाहिये कि ये उनकी जिम्मेदारी है।

श्री मनुभाई पटेल : मैं समझ सकता हूँ कि कार्यवाही की जा रही है। कई स्थानों में पर्याप्त धन इकट्ठा किया गया है परन्तु विनाश भी बहुत अधिक हुआ है, विशेषकर दक्षिण गुजरात में। पांच, छः फीट उँचा रेत जमा हो गया है। क्या सरकार इस मामले में कुछ नरमी बरतेगी और क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देगी जहां बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है।

श्री मोरारजी देसाई : एक ही पद्धति के अनुसार किया गया है। गुजरात के मामले में कोई अपवाद नहीं किया जा सकता।

Shri Deven Sen : Will the hon. Minister be pleased to state the agency through which distribution of such aid is done ? Is it a fact the whole amount was given to the congress and the distribution was made through them ? I would also like to know the amount of assistance asked for by the Governor and whether any report was sent by the present Government regarding the money required for the purpose ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह राशि राज्य सरकार को दी गई थी और उसी के माध्यम से उसका वितरण हुआ था। यह ठीक है कि कांग्रेस ने भी कुछ सहायता कार्यों का आयोजन किया था।

श्री शशि रंजन : यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि का व्यय राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए समय समय पर कोई कार्यवाही की है कि क्या राशि ठीक तरीके से व्यय की गई है अथवा नहीं और क्या सरकार ने ऐसे कोई निदेश दिये हैं कि इस मामले में स्वयं सेवी संगठनों से सहायता ली जाये।

श्री मोरारजी देसाई : समय समय पर कोई देखरेख नहीं की जाती है।

Shri S. M. Joshi : Does the Statement mean that grants will not be repaid and loans will have to be repaid.

श्री मोरारजी देसाई : इसका अर्थ यही है ।

श्री बदरूदुज्जा : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिये कुल कितनी राशि दी गई है ?

श्री मोरारजी देसाई : 10 मार्च तक लगभग 17 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं ।

श्री नम्बियार : ये एक प्राकृतिक दुर्घटना थी । जब समस्त भारत चिन्तित था तथा प्रधान मन्त्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि सहायता दी जायेगी तो इसके एक भाग को ऋण क्यों माना जा रहा है । क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के पास ऋण का भुगतान करने के लिए धन नहीं है अतः उस राज्य का विकास रूक जायेगा । क्या सरकार इस ऋण को अनुदान मानने के बारे में पुनर्विचार करेगी ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सलाहकार समिति में हमें बताया गया था कि पश्चिमी बंगाल सरकार के पुनर्वास तथा अन्य कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपये की मांग की थी । यदि हां, तो इसे घटाकर 16 करोड़ रुपये क्यों कर दिया गया है ।

श्री मोरारजी देसाई : क्या भारत सरकार से सभी मांगों के स्वीकार करने की आशा की जाती है । उन्हें ध्यान से देखना होता है तथा विचार के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, In the Statement placed on the Table full information has not been given in nor an assurance has been given that the information will be collected and placed on the Table of the House. How can the Members be satisfied thereby.

Shri Jagannath Pahadia : The information will definately be collected and placed before the House.

सरकारी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग

* 518. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी क्षेत्र की पूरी क्षमता का कहां तक उपयोग हो रहा है; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इनसे निर्मित वस्तुओं की पर्याप्त मांग बढ़ जाने की सम्भावना है जिससे सरकारी क्षेत्र के कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कुछ उपक्रमों में, खासकर इस्पात और इंजीनियरी के क्षेत्रों के कुछ उपक्रमों में क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और बिजली, इस्पात और कुछ बुनियादी चीजों के उत्पादन के लक्ष्य अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं किये गये हैं। इसलिये, इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना में, इन उद्योगों द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुओं की मांग इतनी होगी या नहीं जिससे सरकारी क्षेत्र के सभी कारखानों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके।

श्री बेदब्रत बरूआ : मुझे प्रसन्नता है कि पहले प्रश्न संख्या 511 के उत्तर में यह कहा गया है कि क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के कारण इस वर्ष भी कुछ हानि होने की आशा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये। क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, योजना में इस प्रकार परिवर्तन किया जायेगा की जहां भी कर लगाया जाये उसके लिये विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में ही पर्याप्त मांग पैदा की जायेगी। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जहां तक रेलवे आदि की मांग का सम्बन्ध है, क्षमता का कम उपयोग नहीं किया जायेगा।

श्री प्र० चं० सेठी : पूर्ण उपयोग करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जायेंगे और इस सम्बन्ध में जहां तक सम्भव हो सकेगा, हम विविधिकरण का प्रयत्न करेंगे ताकि उत्पादन आवश्यकता अनुसार हो सके।

श्री बेदब्रत बरुआ : इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक तथा कई अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि सरकारी संगठन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में माल खरीदने में इच्छुक नहीं हैं। क्या वित्त मन्त्रालय ऐसे नियम बनायेगा कि बिना कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्रयादेश न देना भ्रष्टाचार के समान होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र से कमीशन मिलने के कारण उन्हें ही क्रयादेश दिये जाते हैं। इस कारण सरकारी क्षेत्र कभी भी नहीं पनप सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार नियम बनाने के बारे में विचार कर रही है कि पहले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ही क्रयादेश दिये जायें।

श्री प्र० चं० सेठी : सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को जिंक के विक्रय के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि जिंक उनके लिये उपयुक्त नहीं है परन्तु अन्त में उनके आयात में कमी कर दी गई थी। तब एक करार के बाद जिंक ले लिया गया। इस बात के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पाद सरकार को बेचे जा सकें।

श्री दिनकर देसाई : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निश्चित रूप से कब शुरू हो जायेगी।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री श्रीकर सूपकार : वास्तविक समस्या यह है कि वर्तमान कारखानों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी नये कारखाने खोले जा रहे हैं । क्या मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब तक वर्तमान कारखानों की क्षमता का कम से कम काफी हद तक प्रयोग न कर लिया जाये, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नये कारखाने नहीं खोले जायेंगे ।

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार का यही उद्देश्य होगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बारे में एक ही समय पर दो विभिन्न प्रकार की स्थितियां होने के बारे में जानकारी है । हिन्दुस्तान स्टील जैसे कुछ कारखाने हैं जहां क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है परन्तु फिर भी, वे कारखाने हानि में चल रहे हैं जबकि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जैसे कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां बेकार क्षमता होने के बावजूद अधिकाधिक एकक स्थापित किये जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिये पृथक पृथक उपाय किये जा रहे हैं । क्या इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो उनमें से कौन सी स्वीकार तथा लागू की गई हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : कुछ इस्पात एकक अब भी निर्माणाधीन हैं, कुछ विस्तार एककों को हाल ही में चालू किया गया हैं । इसलिये, उन्होंने पूरा उत्पादन शुरू नहीं किया है और इस प्रकार क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है । रूरकेला इस्पात कारखाने में चादरें आदि बन रही हैं और क्षमता का अधिक प्रयोग हो रहा है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बारे में मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं परन्तु मैं समझता हूं कि मन्दी के कारण अवश्य ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है :

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : जो कार्यवाही सरकार कर रही है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही एक ज्ञापन परिचालित कर दिया है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार को पता है कि देश में कम कीमत वाले छोटे और मध्यम ट्रैक्टरों की प्रति वर्ष 40,000 की मांग है तथा 50,000 ट्रैक्टरों प्रति वर्ष बनाने की क्षमता वाले ट्रैक्टर कारखाने की कुल लागत 8 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं होगी जबकि वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय किसान चोर बाजारी से ट्रैक्टर खरीदने पर प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टर निर्माताओं ने कृत्रिम कमी पैदा कर रखी है और साथ ही सरकारी क्षेत्र में मशीन बनाने वाले कारखानों की 40 प्रतिशत बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग ऐसा ट्रैक्टर कारखाना कर सकता है ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि भारत की जनता ने छोटी कार खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपये जमा किये हैं तथा 50,000 छोटी कारें बनाने की क्षमता वाली परियोजना मशीन-निर्माण करने की 40 प्रतिशत बेकार पड़ी क्षमता को काम में लगा सकेगी ? यदि सरकार को इन दोनों तथ्यों का पता है तो सरकार बड़े व्यापारियों और धनी लोगों के प्रभाव में क्यों आ रही है तथा सरकारी क्षेत्र में इन दोनों परियोजनाओं को क्यों स्थापित नहीं कर रही ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छा है तथा संक्षिप्त भी है आज पहली बार प्रश्न वक्तव्य के रूप में पूंछे जा रहे हैं तथा इस प्रकार तो हम केवल 2 या 3 प्रश्नों को पूरा कर पायेंगे। मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय को सूचना नहीं मिली होगी। यदि कांग्रेस सचिव इस प्रकार का प्रश्न पूंछेंगे कि क्या सरकार यह कार्य व्यापारियों के प्रभाव में आकर नहीं कर रही है तो मैं नहीं समझता कि क्या परिणाम होगा ?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिलना ही चाहिये अन्यथा देश में इस प्रकार की धारणा फैल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके उत्तर दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे यह प्रश्न रिकार्ड में है।

श्री नम्बियार : क्या 'बड़े लोग' पद में बिड़ला भी सम्मिलित है।

श्री स० मो० बनर्जी : देश में यह भावना फैली हुई है कि सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता नहीं है, किन्तु ईमानदारी है और गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता है किन्तु ईमानदारी नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह भावना सत्य है अथवा असत्य। मैं जानना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का संयुक्त उपयोग कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के उत्पादों का मूल्य अधिक होता है। क्या इन मूल्यों को घटाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है जिससे कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र से प्रतियोगिता कर सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह कहना सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। 67 उपक्रमों में से 39 उपक्रमों में 49 करोड़ रुपयों का शुद्ध लाभ हुआ है। यह भी सच है कि कुछ कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। इस दिशा में यथा सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, ये उत्पादन लागत और विपणन की स्थिति पर आधारित हैं। अतः तत्काल मूल्यों को घटाना सम्भव नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह सच है कि 1968 में इस्पात निर्माण की सरकारी क्षेत्र की 40% क्षमता का उपयोग नहीं किया गया ? यदि नहीं किया गया तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यद्यपि मार्च मास में हमारा निर्यात बहुत अधिक था तथा पूरे विश्व के निर्यात बाजार की स्थिति को देखते हुए हमारा निर्यात व्यापार संतोषजनक था और यदि आप इस बात को मानते हैं तो क्या अधिक उत्पादन करने और उसे विदेश बाजार में बेचने में इस कारण असमर्थ रहे हैं कि हमारे यहां उस संगठन की कमी थी, जिससे विदेशों में माल का उचित विक्रय किया जा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने पहले बताया है, जहां तक चपटी चीजों के उत्पादन का सम्बन्ध था, उनकी उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग में थोड़ी सी कमी थी। दुर्गापुर कारखाने

खाने के बारे में सभी जानते हैं कि इसके उत्पादन में कमी के कई कारण हैं। भिलाई कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग इसलिए नहीं होगा। क्योंकि उसका उत्पादन ढांचा सरकारी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था।

जहां तक निर्यात को बढ़ाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यथा सम्भव प्रयत्न किये गए हैं। गत वर्ष हमारा इस्पात निर्यात काफी बढ़ा है।

Shri Prakash Vir Shastri : During the last session of the Lok Sabha, the hon. Minister of Industrial Development had admitted that one of the major causes of the failure of the Public Sector Undertakings was that in these undertakings retired officers of the rank of Secretary and Joint Secretary of the Government were being posted. The energy and capacity of these officers was exhausted with their retirements and therefore, these undertakings are not gaining profits. I want to know whether the Finance Ministry agree with the Ministry of Industrial Development and, if so, whether the Ministry of Finance and the Ministry of Industrial Development have fanalised any scheme and, if so, the time by which the same will be implemented ?

Shri P. C. Sethi : So far as the managerial talent is concerned, we are really deficit in that but we are constantly making efforts for making proper management at the high level in these undertakings. We are also trying to delegate more powers to the managerial staff of these undertakings by resorting to decentralisation. All these points have been mentioned in the Memorandum circulated along with the Budget.

Shri Prakash Vir Shastri : You think it is the appropriate answer to my question? My question was very simple, whether these industrial concerns were running in loss because some retired I. C. S. and I. A. S. officers were appointed in these concerns. This was admitted by the hon. Minister of Industrial development. Then I asked whether the Finance Ministry agree to his opinion and, if so, what are the reasons for not finalizing any scheme to deal with the problem ?

Shri Morarji Desai : The answer already been given that all these things have been mentioned in the Memorandum inculated along with the budget.

Shri Prem Chand Verma : I want to know from the hon. Minister the percentage of this idle capacity and whether he has got the figures which may indicate the percentage of idle machinery ? Full capacity is not being utilised due to non-availability of work and lack of foreign exchange. I want to know the percentage of that capacity which is not being utilised due to lack of foreign exchange and other reasons.

Is it a fact that attempts are being made to complete the third and fourth stages of the Travancore Fertilizers Factory, while it has not achieved full production of its second stage and, if so, the reasons thereof ? It is also a fact that the hospitals Governed by the Centre or the State Governments do not purchase surgical instruments manufactured by the surgical factory in Hydrabad; they purchage these instruments from the private concerns and as a result this factory has been running in loss ? Will Government try to take necessary steps in this direction ?

Shri P. C. Sethi : If the hon. Member wants to know the percentage of the capacity utilisation of certain undertakings specifically I will definitly collect the information and give to him provided. I am given a separate notice for that.

For his information I want to mention that so far as the utilization of the capacity of Travancore Fertilizers Factory is concerned, it is 39 percent in regard to Ammonium Sulphate, 85 per cent in regard to Superphosphate and 41 per cent in regard to Ammonium Phosphate. The information in connection with the Surgical Factory, Hydrabad can be furnished by me if a separate notice is given by the hon. Member.

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, we repeatedly stand but you do not pay any attention to us who are sitting on back banches and from the begining you have been calling those who are in seated the front seats. Why are we not called ? It is an open in justice to us.

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य बैठकर मेरी बात सुनें । अब तक मैंने जितने माननीय सदस्यों को बुलाया है उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये बुलाया है तथा एक दल से केवल एक ही सदस्य को बुलाया है ।

Shri Sarjoo Pandey : Sir, from the begining the back-banches are desirous to ask questions but non of us could catch your eye and you have been calling only there who are on the front seats.

Shri Shiva Chandra Jha : It is not a question of parties. I have been repeatedly standing to ask questions but you did not give me any chance.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझ से क्या करवाना चाहते हैं ?

Shri Shiv Chandra Jha : I am sorry to mention that by ignoring us you are doing injustice to us and favouring the front banchers.

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक दल से केवल एक सदस्य को बुला रहा हूं । मेरा ध्यान केवल एक दल के एक सदस्य की ओर ही जाता है ।

Shri Shiva Chandra Jha : For putt ng supplementary questions why such restrictions are put ? You have been over-looking us from the very begining.

अध्यक्ष महोदय : चाहे वह हमें अच्छा समझें या बुरा, किन्तु मैंने यही प्रक्रिया अपनाई है । मैं इसके लिए श्री शिव चन्द्र झा पर निर्भर नहीं हूं । मैंने यही प्रक्रिया अपनायी है और यही अपनाऊंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : That is very correct. Last year the hon. Deputy Prime Minister gave an assurance to the effect that it would be carefully observed that none of the defeated and rejected politicians are appointed in these Public Sector Undertakings. I want to know whether he has taken any decision in this connection with the view that such persons are half-hearted interested in the benefits of these Public Sector Projets Their interest in politics does not allow them to remain faithful to these Undertakings and consequently they fail in achieving good results. In the management of Public Sector the labour participation should be encouraged and introduced. You should sell the shares to some persons of labour class of these undertakings and invest that money somewhere else. What do you propose to do in this matter ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में, जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा निवेदन है कि इस का अवश्य ध्यान रखा जाएगा । इस का हमेशा ध्यान रखा गया है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : कब तक ?

श्री मोरारजी देसाई : कभी भी ऐसा कठोर नियम नहीं अपनाया जा सकता कि किसी भी पराजित राजनीतिज्ञ को भर्ती नहीं किया जाएगा। यदि वह किसी कार्य के लिए उपयुक्त है और अपना कार्य ठीक तरह से कर सकता है तो उसे अवश्य नियुक्त किया जाएगा। अत: मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसे नियम को कार्यान्वित किया जाएगा किन्तु हम सदा इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी नीयत बुरी न हो तथा उसका कार्य ठीक हो। हम यही प्रयत्न कर रहे हैं तथा करेंगे कि इन नियमों का हित साधन होता रहे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : हमें मन्त्री महोदय से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजकीय क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के उपाय जुटाए जा रहे हैं। परन्तु हमारा दुःखद अनुभव है कि हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन जैसे एक निगम में, जिसमें 200 करोड़ रुपए की लागत लगी है कुल वार्षिक उत्पादन 5 करोड़ रुपया का होता है।

मन्त्री महोदय कृपया बताएं कि :

(1) क्या वह जनता से लागत पूंजी लेने को तैयार हैं कि जिससे राजकीय क्षेत्र वास्तविक रूप से जन-क्षेत्र बन सके जिस पर कि जनता अपनी दृष्टि रख सके ?

(2) क्या ऐसी निश्चित नीति निर्धारित की जाएगी कि राजकीय क्षेत्र एकक, राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होकर आर्थिक एकक बन सकें ?

श्री मोरारजी देसाई : हम चाहते हैं कि ये निगम लाभ दें न कि हानि।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : उन पर उचित नियंत्रण नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : उन पर संसद् का नियन्त्रण है। माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि राजकीय क्षेत्र एककों को जो हानियां हो रही हैं उसका कारण उनकी क्षमता का पूर्ण• उपयोग न होना तथा/अथवा प्रशासन की अदक्षता तथा कुप्रबन्ध ही हैं ? क्या यह भी तथ्य है कि स्थिति, राजनीति से अलग किए गये व्यक्तियों, यथा के० डी० मालवीय के राजकीय क्षेत्र में आगमन से, और बिगड़ी है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार राजकीय क्षेत्र के कुछ निकायों की न्यूनताओं की व्यापक जांच करवा रही है तथा उनका विचार श्री मालवीय को पुनः नियुक्त करने का है, जिससे कि वह अपनी कार्पोरेशन को बल दे सकें ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रश्न सम्बद्ध मंत्रालय को सम्बोधन करना चाहिए। इस समय किन बातों पर विचार किया जाता है ये मुझे ज्ञात नहीं। मैं केवल सामान्य उत्तर दे सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : उनके क्या विचार हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे विचार सरकार के विचार हैं, न कि व्यक्तिगत ।

Shri Onkarlal Bohra : Crores of rupees have been invested in public undertakings which are running in loss of lakhs of rupees per year. What steps the Government has taken to check the losses ? I want to draw the attention of the hon. Minister to the fact that these industries are mostly run under the inexperienced officials and Engineers and the work is going on there in a wrong way and as a result of which these are suffering losses amounting to crores of rupees. Has the hon. Minister enquired whether they have engaged more staff and officers in excess of their requirement why these are not yielding profits although the amount invested in them is more than what was needed ? Why are these constantly running in loss and what effective steps has the Government taken to improve the situation ?

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने गलत स्थान को चुना रांची ।

Shri Morarji Desai : As many fruitless discussions take place here, similarly some unfruitful ventures are there. It has been repeatedly told as to why this happens and enquires too are held. There is a Parliamentary committee and there is also a Bureau of Public Undertakings which is now going into it and finding out as to what are the reasons in order to remove them ? With that in view steps have been taken, decision have been taken and I have circulated a memorandum as to what steps are being taken. If any suggestions are made instead of repeating the same old things now, we shall be very grateful.

Shri Onkarlal Bohra : Why are not these put into practice ?

Shri Jharkhande Rai : As has been indicated by the Government the Public Undertakings have yielded a profit of 49 crores of rupees. There are various Public Sector Undertakings which are constantly running in loss and the loss is ever on the increase. There are Public Sector Undertakings of the State Governments as well which are running in loss and the loss is increasing. Will the Finance Minister please indicate if the Government has any plan to appoint a High powered commission, which may have members of this house, to enquire throughly and repent as to why these losses occur and are on the increase ?

Shri Morarji Desai : A reply to this has just been given.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्षमता से न्यून उत्पादन का एक कारण तो इस सम्बन्ध में अदेशों का अभाव है तथा दूसरा उत्पादन में अनेकता लाने की क्षमता का अभाव है। क्या सरकार उत्पादन में अनेकता लाकर इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन्स में अन्य वस्तुएं तथा मोटर कारें ट्रेक्टर आदि के निर्माण द्वारा पूरी क्षमता भर उत्पादन प्राप्त करना चाहती है ?

श्री मोरारजी देसाई : दोनों ही पग उठाए जा रहे हैं ।

श्री रा० की० अमीन : मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री भली प्रकार जानते हैं। हमारे राजकीय क्षेत्र निकाओं की तीन प्रमुख कमियां हैं। एक स्थान के बारे में जो आर्थिक कारणों से निर्णित न होकर अन्य कारणों से नियत किया जाता है। दूसरे, इनका विस्तार हमारी आवश्यकताओं अधिक किया गया है जिससे पूरे उत्पादन का उपयोग नहीं हो पाता।

यहां तक इनके उपयोगों का सम्बन्ध है वे उन उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा जिनके लिए कि ये आभीष्ट हैं। उदाहरणार्थ सीमेंट का उत्पादन योजना की अवधि में चार गुणा बढ़ गया है परन्तु उसका उपयोग कुएं बनाने के लिए नहीं होता अपितु मुख्यतः बहुमज्जले भवनों के निर्माण में होता है। इस बारे में मंत्री महोदय क्या आश्वासन देते हैं कि स्थान आर्थिक कारणों से नियत किए जाएंगे, आवश्यकता से अधिक विस्तार नहीं किए जाएगें और उत्पादनों का उपयोग उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं आशा करता हूँ कि माननीय प्रोफेसर विचार करेंगे कि सीमेंट का उत्पादन केवल कुएं बनाने के लिए ही नहीं किया जाता अपितु बहुमंजले भवन और सड़कों आदि के निर्माण के लिए भी होता है। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि अन्य उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं होता तो मैं यही कह सकता हूं कि उनके पुनः प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

श्री रा० की० अमीन : स्थान के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री मोरारजी देसाई : स्थान का ध्यान इस दृष्टि से रखा जाता कि उस क्षेत्र में वह कार्पोरेशन अधिकतर लाभदायक ढंग से संचालित हो।

Shri Achal Singh : Will the hon. Minister please state as to what arrangements are being made to check the losses of these factories which have been running in loss ?

Shri P. C. Sethi : The information asked for by Shri Achal Singh has already been given.

Shri Gunanand Thakur : Will the hon. Minister give an assurance that the equipments manufactured by the Public Sector Undertakings would be given priority over those manufactured by the Private Section Undertakings ? Secondly, may I know whether the demands and the backwardness of the people of the areas where public sector undertakings are established are given due considerations ? Thirdly, do the Government admit their failure in arresting the heavy losses incurred by these Public undertakings and are they arranging for the appointment of an enquiry commission to prevent the recurrence of such losses ?

Shri P. C. Sethi : A reply in this matter has already been given that priority is given to the local people in employment in class III and class IV posts. Consideration is given in the appointment of local people to non-technical posts. The Dy. Prime Minister has just told as to what efforts were made in respect of the undertakings running in loss.

Shri Shashi Bhushan : Will the hon. Minister please state whether the Government intends to issue licences to three distillries ? In this connection I want to know why liquor cannot be manufactured at so big a drug factory as Rishikesh (U.P.) and thereby save huge expenditure. Why cannot the Government nationalise liquor industry instead of issuing licences to factories so that profiteering may be reduced ?

Shri Morarji Desai : What importance does the nationalisation of liquor industry has when we are wedded to prohibition ?

श्री लोबो प्रभु : यह सभी मानते हैं कि जिस उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं होता उससे मूल्य बढ़ते हैं। यह गम्भीर समस्या है क्योंकि जितनी कीमतें बढ़ती हैं उतनी मांग घटती हैं। उसके कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है जिन्हें मै अभी नहीं लेता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जिन तीन उपायों को उन्होंने अपनाया है क्या उनका साधरणीकरण किया जा सकता है। पहला है, आर्थिक सहायता। आप खादी और हाथ करघा के लिए सहायता देते हैं। क्या आप उसे कुछ और चुनी हुई वस्तुओं के लिए नहीं दे सकते, जिनका चलन कम है और उनकी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। दूसरे, कुछ वस्तुओं पर सरकार द्वारा खाली क्षमता पर कर छूट दी जाती है और कुल सम्बन्धित रुपया केवल एक करोड़ रुपए हैं। क्या सभी ऐसी वस्तुओं पर जिनकी क्षमता का पर्याप्त भाग उपयोग में नहीं आता को कर छूट नहीं दी जा सकती ? हिन्दुस्तान मशीन टूलस ने कुछ वस्तुओं के लिए किराया-खरीद पद्धति की व्यवस्था की है। क्या सरकार किराया-खरीद पद्धति के साधारणीकरण पर विचार करेगी जिससे न केवल राजकीय क्षेत्र की अपितु निजी-क्षेत्र की खाली क्षमता का भी उपयोग हो सके ?

श्री मोरारजी देसाई : यह विचार के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मंत्री महोदय ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइसिज के तकनीकी एवं वित्तीय विभागों के विस्तार का विचार करेंगे जिससे कि प्राप्त विवरणों का अधिक गहरा विश्लेषण किया जा सके तथा तकनीकी समस्याओं पर सविस्तार विचार किया जा सके तथा न्यूनताओं को जानकर उन्हें दूर किया जा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : ब्यूरों का आपेक्षित विस्तार किया जा चुका है।

Shri B N Bhargava : The underutilisation of capacity and inefficiency are mainly responsible for the losses in public enterprises. Apart from them the wide gap in the wages of the labourers and those of the officers can not create the sense of belonging to these enterprises. Will the Government consider to reduce the so big a gap in the wages ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह बात इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखती।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह प्रश्न असंगत है।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विवरण कंपा देने वाला है कि राजकीय संस्थानों को गत दो वर्षों में 140 करोड़ रुपए की हानि हुई है। मैं मंत्री महोदय से दो बातें जानना चाहता हूँ। प्रथम, क्या उन्होने राजकीय संस्थानों पर प्रशासन सुधार समिति की रिपोर्ट देखी है ? उन्होने कहा है कि सरकार तथा दूसरे व्यक्ति जिन्हें इन संस्थानों को चलाने को कहा जाता है, उड़ते हुए पक्षियों के समान हैं और उनकी इनमें कोई रूचि नहीं। यदि ऐसा है तो सरकार स्थिति को सुधारने के लिए क्या पग उठा रही हैं ? हमें बताया गया है कि क्योंकि कुछ कम्पनीएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती। परन्तु अभी भी विस्तार कार्यक्रम जारी है। इन दो विरोधाभासों का क्या समाधान है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यहां तक प्रश्न के बाद के भाग का सम्बन्ध है कुछ संस्थानों का विस्तार कार्यक्रम पहले से प्रारम्भ हो चुका था, इसलिए उन्हें इस स्थिति में छोड़ना उचित नहीं। उन्हें पूरा करना ही उचित है। यहां तक प्रबन्ध व्यवस्था का स बन्ध है उसके लिए व्यक्ति औद्योगिक प्रबन्ध-पूल तथा अन्य स्थानों से लिए जाते हैं। प्रबन्ध कांडर को सुप्रवाहित करने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में घाटा

***511. श्री अदिचन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उन परि-योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में उनके कार्य को देखते हुए घाटा होने की सम्भावना है;

(ख) चालू वर्ष में उनमें से प्रत्येक को कितना घाटा होने की सम्भावना है तथा पहले के दो वर्षों में इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन एककों के नाम क्या हैं जिनके इस वर्ष आत्मनिर्भर हो जाने की सम्भावना है अथवा इस वर्ष जिनके द्वारा पहली बार लाभ कमाये जाने की सम्भावना है तथा उनके इस वर्ष के तथा इससे पहले दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के सब उपक्रमों द्वारा इस वर्ष कुल कितना लाभ कमाये जाने की आशा है तथा इससे पहले के दो वर्षों में इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 368/69]

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

***513. डा० सुशीला नैयर :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को इसकी स्थापना के समय से लेकर आज तक वर्ष-वार इसमें हुई अनियमितताओं, चोरियों तथा सामान कम हो जाने आदि के कारण हुई हानि के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया हैं;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) त्रुटियों का पता लगाने तथा इसके कार्यसंचालन को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के नियमों के अनुसार, हानियों के सब मामलों की जांच की जाती है और जहां पर हानि की राशि 2000/- रुपयों से अधिक हो उस मामले की एक समिति द्वारा जांच की जाती है, जिसकी स्थापना इन उद्देश्यों से की गई है ।

विवरण

(क) और (ख) : हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को अनियमितताओं, चोरियों, स्टाक की कमियों आदि के कारण से होने वाली हानियां नीचे बताई गई हैं :—

1968 (जनवरी-मार्च)	खेतड़ी तांबा प्रायोजना	4,360 रुपये
1968-69 (जनवरी 1969 तक)	-यथोपरि-	9,607 रुपये
1968-69 (जनवरी 1969 तक)	अग्निगुन्डला तांबा-सीसा प्रायोजना	300 रुपये

इनके अतिरिक्त, 12 जुलाई, 1968 को अत्यधिक और अभूतपूर्व वर्षा के कारण (5-6 घटों में 7 इंचों से ऊपर) खरखारा, चौनरा और कन्तली (राजस्थान) नदियों में पानी किनारों के स्तर से ऊपर उठ गया जिस से सम्पत्ति को हानि पहुँची तथा खानों, इलैक्ट्रीकल, सिविल कार्य विभागों तथा कोलिहान कापर खान के कार्य में बाधा पहुंची । इस कारण से होने वाली कुल हानि का अनुमान 67,246/- रुपये हैं ।

परिवहन के दौरान माल की कमी तथा टूट-फूट के कारण होने वाली हानियों को हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा पूरी तरह जांचें की गई थीं और उन्हें सक्षम प्राधिकारियों की सहमति से बट्टे खाते डाला गया तथा भविष्य में इस प्रकार की हानियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उपचारी उपाय उठाये गये हैं । चोरी के मामले पुलिस में दर्ज कर लिये गये हैं ।

कोलार की सोना खानें

*514. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मैसूर में कोलार सोना खानों का उत्पादन और मुनाफा बढ़ाने हेतु खनन कार्य में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) खनन कार्य में सुधार करने से यह उपक्रम किस सीमा तक मुनाफा कमाने योग्य हो जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : कोलार स्वर्ण खनन उपक्रमों की खानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। इनमें नन्दीयुग खान के उत्पादन को 20,000 मैट्रिक टन प्रति मास से बढ़ाकर 25,000 मैट्रिक टन प्रतिमास करने की योजना और चेम्पियन रीफ खान की उत्तरी परत को, जहां अधिक मात्रा में धातु है और जो चट्टान के फटने से बन्द करदी गयी थी, फिर से खोलने की योजना की मंजूरी शामिल है। कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में नयी खानों की खोज का काम भी जारी है। खान में उतरने के पहले और दूसरे रास्तों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास का काम किया जा रहा है क्योंकि वहां काफी मात्रा में सोना मिलने की सम्भावना प्रकट हुई है। चैम्पियन रीफ की दक्षिणी परत में फिर से खुदाई का काम शुरू करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) चूंकि कोलार स्वर्ण खनन उपक्रमों द्वारा निकाला गया सोना सरकारी स्टाक में जमा किया जाता है और उसका मूल्य बाजार मूल्य के अनुसार नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मूल्य के अनुसार, अर्थात् 1934 में निश्चित की गयी 35 डालर प्रति औंस की दर के अनुसार निर्धारित किया जाता है, इसलिये उपक्रम को घाटा दिखाना पड़ता है। फिर भी, यह आशा है कि उपर्युक्त कार्रवाई से सोने के उत्पादन की लागत में कमी होगी।

गुजरात में तांबा

*515. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के साबरकंठा जिले में तांबे की खुदाई आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में तांबा पिघलाने का संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ओर (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) निक्षेप का भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। खनन प्रारम्भ करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है यदि इन अन्वेषणों से उसका औचित्य सिद्ध हो।

खनिज सम्बन्धी सहचारी राजदूत (अटैशे) की नियुक्ति

3316. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, रूस, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, जापान और इंग्लैंड के भारतीय दूतावासों में कितने 'खनिज सम्बन्धी सहचारी राजदूतों को नियुक्त करने का विचार है;

(ख) उन्हें किस प्रकार का कार्य दिया जायेगा और उन्हें नियुक्त करने में सरकार को कितनी धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी;

(ग) खनिज सम्बन्धी सहचारी राजदूतों की क्या अर्हताएं होनी चाहियें और उनका चयन किस प्रकार किया जायेगा;

(घ) अब तक चयन किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनकी सेवा शर्तें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इन प्रत्येक देशों में एक खनिज सम्बन्धी सहकारी राजदूत को नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) खनिज सम्बन्धी सहचारी राजदूत को इन इन विषयों पर जानकारी इकट्ठी करनी होगी । खनिज संसाधनों का मूल्यांकन और विकास, खनिजों के उपयोग का तरीका, खनिजों के तैयार करने का तरीका, खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास-कार्यक्रम, खनिज विकास तथा आयात सम्बन्धी पत्तन सुविधाएं, खनिजों की निर्यात तथा आयात पद्धति जिसका देश के खनिज उद्योग के विकास से सम्बन्ध है ।

व्यय लगभग 2.50 लाख रु० प्रति वर्ष होगा ।

(ग) ये मामले विचाराधीन हैं ।

(घ) और (ङ) : कोई चयन नहीं किया गया है क्योंकि प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

*519. **श्री क० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 20 दिसम्बर, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'अन-ऑथोराइज्ड कालोनीज़ पोज़ बिग प्राबलम टू कारपोरेशन आफ दिल्ली' नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है जिसमें लिखा था कि राजधानी में लगभग 200 अनधिकृत बस्तियां हैं जिन्हें मानवीय कारणों से नहीं गिराया जा सकता और धन के अभाव के कारण उनका विकास भी नहीं किया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बस्तियों के नियमानुकूलन (रेगुलराइजेशन) के लिये और उनके विकास के लिये दिल्ली नगर निगम को कोई वित्तीय सहायता देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि का निकाला जाना

*520. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री ओंकार सिंह :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा भारत के रिजर्व बैंक से निर्धारित राशि से कितनी अधिक राशि निकाली गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार अधिक राशि को निकालने पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार तथा इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों ने, इस समय रिजर्व बैंक में अपने नाम जमा रकमों से अनधिकृत रूप से अधिक रकमें निकाली हैं। जमा रकम से अधिक निकाली गयी रकमों का ब्यौरा 10 मार्च, 1969 को इस प्रकार था :—

आन्ध्र प्रदेश	70 लाख रुपये
असम	847 ,, ,,
बिहार	739 ,, ,,
केरल	643 ,, ,,
मैसूर	1037 ,, ,,
नागालैण्ड	150 ,, ,,
उड़ीसा	1037 ,, ,,
राजस्थान	2456 ,, ,,
तमिलनाडु	2368 ,, ,,

(ख) और (ग) : भारत सरकार को हमेशा इस बात की चिन्ता रहती है और वह यह चाहती है कि राज्य सरकारें रिजर्व बैंक में अपने नाम जमा रकमों से, अनधिकृत रूप से अधिक रकमें न निकालें। पांचवें वित्त आयोग का ध्यान भी इस ओर दिलाया गया था और अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में आयोग ने इस समस्या पर विस्तृत सुझाव दिये हैं। राज्य सरकारों को आयोग की सिफारिशें सूचित कर दी गयी हैं और जिन राज्य सरकारों ने इस समय जमा से अधिक रकम निकाली हैं उनसे यह भी पूछा गया है कि वे रिजर्व बैंक से जमा से अधिक निकाली गयी रकमों को वापस करने के लिये क्या उपाय कर रही हैं।

जीवन बीमा निगम

*521. श्री ए० श्रीधरन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम, बम्बई की उसकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी; और

(ख) पिछले तीन वर्ष का कार्य परिणाम क्या रहा और सरकार को किन अनियमितताओं का पता लगा है और प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपयों की पूंजी से जीवन बीमा निगम शुरू किया गया था और इस रकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 29 के उपबन्धों के अनुसरण में निगम के काम-काज पर वार्षिक रिपोर्ट संसद में हर साल पेश की जाती है । विधि-विहित लेखा-परीक्षकों ने अपनी रिपोर्टों में किसी भी वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र नहीं किया है और इसलिये कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी ।

Investment of West German Capital in India

*522. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that West Germany has announced certain tax concessions on investment of capital in India through a legislation ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government to benefit from the concessions offered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) : According to Press reports it is learnt that a bill has been introduced in the German Parliament providing for (i) exemption from income tax and corporate tax a part of the amounts invested abroad and tax free reserves up to 50% of the capital investment, and (ii) reduction in trade taxes to facilitate larger investments of private capital in developing countries. The bill is still pending before German Parliament. Full details of the measure are not yet available.

(c) Does not arise.

Sanction of Pension to Retired Government Employees

*523. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Government servants whose pension has not been sanctioned for more than one year ;

(b) whether a Bureau is proposed to be set up to pay special attention to the difficulties experienced by the pensioners in regard to the matter and to remove them expeditiously ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Pensions are sanctioned by the authorities exercising the powers of local Governments, Heads of Departments or other authorities competent to fill the posts vacated by the retiring Government servants. Up-to-date information is not therefore readily available centrally. However, according to the information which was collected some time back, 2328 pension cases were pending finalisation for more than one year as on 31st May, 1968.

(b) and (c): There is no such proposal but the question of removal of procedural and other difficulties in the way of sanctioning pensions is constantly under review and improvements have been and are being carried out from time to time.

विदेशी ऋणों के भुगतान सम्बन्धी कार्यक्रम में परिवर्तन

*524. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सी० जनार्दनन :
डा० रानेन सेन :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री कृ० म० कौशिक :
श्री धी० ना० देव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या विदेशी ऋणों के भुगतान कार्यक्रम में परिवर्तन किये जाने की भारत की प्रार्थना पर 'एड इंडिया कन्सोरशियम' के देशों ने और आगे विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) सरकार द्वारा अब तैयार किये गये भुगतान कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : मई, 1968 में भारत सहायता संघ की एक बैठक हुई थी जिसमें ऋण-शोधन सम्बन्धी सहायता के बारे में बातचीत की गयी थी । संघ के सदस्य, 1968-69 में ऋण शोधन सम्बन्धी सहायता के रूप में लगभग 10 करोड़ डालर की रकम देने के लिये तथा इसके बाद के दो वर्षों में इसी रूप में इतनी ही रकमें देने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये सहमत हो गये थे । भारत सहायता संघ ने इस मामले में अभी ओर विचार नहीं किया है ।

1968-69 में ऋण शोधन सम्बन्धी सहायता के रूप में अब तक 10.141 करोड़ डालर देने के वचन दिये गये हैं । सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है, जिसमें ऋण शोधन सम्बन्धी सहायता में संघ के सदस्यों का हिस्सा, सहायता का स्वरूप तथा उसकी वापसी की शर्तें दी गयी हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 369/69]

भारत और ईरान के बीच संयुक्त सहयोग सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*525. श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारत यात्रा के समय ईरान के शाह के साथ हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप स्थापित की गई संयुक्त सहयोग सम्बन्धी समिति ने वस्तुविनिमय व्यापार की व्यवस्था की सम्भावना के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसके अनुसार इन्जीनियरी वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात के बदले में भारत ईरान से तरल एमोनिया, गंधक आदि का आयात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : अर्थ-व्यवस्था, व्यापार और तकनीकी सहयोग के लिये जनवरी, 1969 में स्थापित भारत-ईरान सयुक्त आयोग ने सहयोग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बारे में उप-समितियां नियुक्त की थी । यह प्रस्तावित है कि उप-समितियों के अध्ययन पूरा करने के बाद आयोग यथाशीघ्र बैठक बुलायेगा ।

Research Work in Fertilizer Factories

***526. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the reasons for not achieving self sufficiency in research work in respect of fertilizer factories ;

(b) whether it is a fact that Govt do not earmark any amount separately for the Research Divisions out of the Budget of Indian Fertilizer Corporation ; and

(c) if so, the measures contemplated to revive the deficiency in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) It is not clear what is meant by self sufficiency in research work. Research Fertilizer Technology or for that matter in any branch of Technology is a continuouseffort all over the world and it is necessary and desirable for a country to keep in close touch with the developments in other countries and draw upon their experience in a suitable manner. Accordingly every effort is being made to develop and acquire know-how for the design and engineering of fertilizer plants.

(b) The Planning & Development Division is a part of the Fertilizer Corporation of India and no separate allocation of funds for the activities of this Division is made by Government. In its yearly budget, the Fertilizer Corporation of India Ltd., provides funds to the Planning & Development Division according to the needs and priorities and commensurate with the Corporation's resources.

(c) Does nat arise.

बम्बई में माल का पकड़ा जाना

***527. श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 3 जनवरी, 1969 को बम्बई में भारत के पहले परिभ्रमण करने वाले जलयान 'होवर क्राफ्ट' की सहायता से 20 लाख रुपये की कीमत का माल पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस बारे में कुछ विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उन देशों को विरोध पत्र भेजा गया है जिन देशों के वे नागरिक हैं ; और

(घ) क्या इस अभ्यास की सफलता के कारण सरकार का विचार और परिभ्रमण करने वाले जलयान प्राप्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 2 जनवरी, 1969 की रात को उड़न जल नौका की सहायता से सीमा शुल्क अधिकारियों ने मनोरी बन्दरगाह से परे, एक अरब नौका से 103 पैकेज पकड़े, जिनमें विदेश में बने हुए कमीजों और सूटों का नाइलेक्स कपड़ा तथा चमकदार धागे थे, जिनका मूल्य लगभग 11 लाख 21 हजार रुपये होता है ।

(ख) जी हां । जो दो अरब-निवासी तथा अन्य भारतीय नागरिक नौका पर थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था । आगे जांच-पड़ताल जारी हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अभी उड़न-जल नौका की भारत में उपयोगिता का पता करने के लिये परीक्षण किये जा रहे हैं । मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही, उड़न-जल-नौकाओं की खरीद के बारे में निर्णय किया जायगा।

विश्व बैंक मिशन

*528. **श्री रा० बरुआ :** **श्री प० गोपालन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री उमानाथ :**
श्री गणेश घोष : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत को सूचना दी है कि विश्व बैंक भारत में धन लगाये जाने के लिये उपयुक्त परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए शिष्टमण्डल भेज रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका विश्व बैंक ने अध्ययन करने और वर्ष 1969 में सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ग) वर्ष 1969 में विश्व बैंक भारत को सम्भवतः कुल कितनी सहायता देगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । अभी तक यह संकेत नहीं मिला है कि विश्व बैंक समूह से किस विशेष प्रायोजन के लिए सहायता मिलेगी ।

विवरण

विश्व बैंक के प्रतिनिधि मण्डलों की यात्राएं

(1) दूर संचार प्रायोजना मूल्यांकन प्रतिनिधि-मंडल

यह प्रतिनिधि-मण्डल, जो जनवरी, 1969 के मध्य से फरवरी, 1969 के मध्य तक, लगभग चार सप्ताह भारत में था, विश्व बैंक समूह से प्राप्त होने वाली सहायता के लिये पहले से ही चुनी जा चुकी, तीसरी दूर-संचार प्रायोजना के मूल्यांकन के लिये आया था।

(2) रेलवे मूल्यांकन प्रतिनिधि-मण्डल

यह प्रतिनिधि-मण्डल फरवरी, 1969 के तीसरे सप्ताह में भारत आया था विश्व बैंक समूह से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए पहले से चुनी जा चुकी दसवीं रेल प्रायोजना के मूल्यांकन का काम कर रहा है।

(3) मोर्मुगाओ बन्दरगाह प्रायोजना प्रतिनिधि-मंडल

यदि प्रतिनिधि-मण्डल, जो वापस जा चुका है, मौर्मुगाओं बन्दरगाह प्रायोजना के सम्बन्ध में, जो इस समय विश्व बैंक समूह के विचाराधीन है, मूल्यांकन से पहले सामान्य बातचीत करने आया था।

(4) बम्बई की जलपूर्ति और जल निकासी की योजनाओं के सम्बन्ध में प्रतिनिधि-मण्डल

यह प्रतिनिधि-मण्डल फरवरी, 1969 में बम्बई की जल-पूर्ति और जल-निकासी की योजनाओं के लिए प्रायोजना तैयार करने आया था। यह प्रायोजना विश्व बैंक समूह से मिलने वाली सहायता के लिए अभी चुनी नहीं गयी है क्योंकि तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में कुछ ब्यौरा अभी अनिश्चित है।

(5) प्रारम्भिक जांच प्रतिनिधि-मण्डल :

(i) सिंचाई प्रायोजनाओं की प्रारम्भिक जांच करने वाला प्रतिनिधि-मण्डल :

सिंचाई सम्बन्धी प्रारम्भिक जांच करने वाला प्रतिनिधि-मण्डल जनवरी-फरवरी, 1969 में कुछ ऐसी सिंचाई प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सूचना इकट्ठी करने भारत आया था, जिन्हें भारत विश्व बैंक संस्था समूह से मिलने वाली सहायता के लिए चुन सकता है। प्रतिनिधी-मण्डल के सदस्य, कोलेरू झील क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश की पोचमपड तथा नागार्जुन सागर प्रायोजनाएं महाराष्ट्र की जायकवाड़ी प्रायोजना, तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा, प्रायोजना, मैसूर की अपर कृष्णा प्रायोजना, गुजरात की कडना प्रायोजना तथा मध्य प्रदेश की तावा प्रायोजना देखने गये।

इस प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत सरकार के सामने अभी कोई रिपोर्ट या प्रस्ताव पेश नहीं किया है। जब भारत सरकार विश्व बैंक समूह से मिलने वाली सहायता के लिए अन्तिम रूप से प्रायोजनाओं का चुनाव कर लेगी तब विश्व बैंक से आगे बातचीत की जायगी।

(ii) **राष्ट्रीय राजपथ प्रायोजना :**

यह प्रतिनिधि-मण्डल राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की नयी प्रायोजना बनाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए भारत आया हुआ है ।

(iii) **मीन क्षेत्र विकास :**

कुछ समय पूर्व खाद्य और कृषि संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक दल की सहायता से मीनक्षेत्र के विकास की एक प्रायोजना-रिपोर्ट तैयार की गयी थी । एक प्रतिनिधि-मण्डल इसी विषय में आगे बातचीत करने के लिए हाल में आया था । प्रस्तावित प्रायोजना के ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) भारत को 1969 में विश्व बैंक समूह से कितनी सहायता मिलेगी, इसका भी कोई संकेत अभी नहीं मिला ।

गर्भ निरोधक गोलियां

*529. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन्तति निग्रह गोलियों और 'निरोध' को बाजार में बिक्री के लिये दिये जाने के बाद से अन्य गर्भ निरोधक उपकरणों की तुलना में इनकी मांग और इनका प्रयोग कितना बढ़ा है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डाक्टर राबर्ट डब्ल किस्टनर के लेडीज होम जनरल, पत्रिका के दिसम्बर अंक में प्रकाशित विचारों तथा अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों की ओर दिलाया गया है कि सन्तति निग्रह के लिये स्त्रियों द्वारा ली गई गोलियों का उनके पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है और कुछ नपुंसक हो गये हैं और उन्हें अन्य बिमारियां भी हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) गोलियों के उक्त प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां कहां तक स्वीकार्य और कारगर हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शी परियोजनाओं में अभी प्रयोग तथा प्रदर्शन चल रहे है । ये गोलियां, जो बाजार में डाक्टर के नुस्खे पर बेची जाती है, परिवार नियोजन कार्यक्रम में सामान्य प्रयोग के लिये अभी तक स्वीकार नहीं की गई हैं ।

निरोध के मुफ्त वितरण के अतिरिक्त इसका व्यावसायिक स्रोतों द्वारा भी वितरण किया जा रहा है । इसकी मांग और लोकप्रियता सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है ।

(ख) जी हां। यह लेख 'लेडीज होम जनरल' के जनवरी, 1969 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

(ग) और (घ): वर्तमान में चलाई जा रहीं खाने वाले गर्भ निरोधक गोली के मार्गदर्शी परियोजनाओं के वैज्ञानिक परिणामों पर ही भारत सरकार अपनी कार्यवाही निश्चित करेगी।

गुजरात में सूखे की स्थिति

*530. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने चालू वर्ष में राज्य में सूखे की वर्तमान स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 1968 में राज्य में समान रूप से वर्षा न होने या बहुत कम वर्षा होने के कारण राज्य के कई जिलों में अनाज की कमी होने की सूचना दी है। राज्य सरकार ने 5760 गांवों को अनाज की कमी वाले गांव घोषित किया है और वहां आवश्यक सहायता कार्य शुरू कर दिये हैं।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये सूखे की स्थिति का जायजा लेने और सहायता कार्यों के लिए धन की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए, राज्य सरकार के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के एक दल ने फरवरी, 1969 में गुजरात का दौरा किया था। राज्य सरकार को धन देने के लिये आवश्यक कार्रवाई, दल की रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी।

जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति

*531 **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश के सम्बन्ध में इस समय अपनाई जा रही नीति में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) और (ख) : भारतीय जीवन बीमा निगम की निवेश नीति का विनियमन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27-क के उपबन्धों के अनुसार किया जाना हैं जो उस पर लागू किये गये है। उनमें निवेश-सम्बन्धी जो नीति निर्धारित की गयी है उसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नही है।

Distribution of Income from Estate Duty amongst States

*531. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Governor of Uttar Pradesh in his address on the Fifth Finance Commission on the 8th August, 1968 giving the views of the State Government of Estate Duty on properties other than agricultural lands stated that population should be the only criterion in deciding the distribution of net incomes from moveable and immoveable property amongst the States ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) It is understood that the Governor of Uttar Pradesh had suggested to the Fifth Finances Commission that population should be the sole criterion for determining the distribution amongst the States of the net proceeds of Estate Duty on moveable as well as immoveable property other than agricultural land.

(b) The Fifth Finance Commission's recommendations provide for the distribution of the net proceeds of Estate Duty (other than those attributable to agricultural land and Union territories), as follows :

(i) In respect of immoveable property in proportion to the g oss value of the immoveable property located in each State and brought in to assessment ; and

(ii) In respect of other property, in proportion to the population of each State.

The Commission's recommendations have been accepted by Government. The Report together with an Explanatory Memorandum as to the action taken thereon was laid before the Lok Sabha on the 15th November, 1968.

Propagation of Indigenous System of Medicines

*533. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government during the last three years for the propagation of Allopathic Ayurvedic Homoeopathic and Unani systems of medicines, respectively:

(b) whether it is a fact that indigenous systems of medicines are not getting due encouragement as compared to Allopathic system of medicine ;

(c) whether Government have prepared any scheme for giving encouragement to Ayurvedic system during the Fourth Plan ; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The expenditure incurred by the Central Government under the head "Medical" during the last 3 years is as given below:

Allopathy

1965-66 (Actuals)	1966-67 (Actuals)	1967-68 (R. E.)
64191677	69925871	89015000

Ayurveda including Homoeopathic and Unani systems of medicine

1965-66 (Actuals)	1966-67 (Actuals)	1967-68 (R. E.)
3375710	3139.45	3647000

(b) No Sir, Government have introduced a number of schemes during the successive Five Year Plans to promote the development of the Indian Systems of Medicine.

(c) Yes, Sir.

(d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Subject to the concurrence of the Planning Commission the following schemes have been proposed for inclusion in the Fourth Plan :

Purely Central Sector

(1) Post-graduate education.

Upgrading of departments for post-graduate training and expansion of the existing post-graduate Institutes

(2) Refresher Course for teachers.

(3) Literary Research.

(4) Composite Drug Research.

(5) Pharmacopeeial Standardisation.

(6) Development of the Jawaharlal Nehru Medicinal Plants Garden, Poona.

(7) Drug Control Organisation.

(8) Pharmacopoeial Laboratory, Ghaziabad.

(9) Orientation training for Drug Inspectors.

(10) Pharmacopoeial Committees on I. S. M

(11) Clinical Researches at selected centres.

(12) Survey of Medicinal Plants.

(13) Central Council of Indian Medicine.

(14) Stipends and scholarships to trainees in teaching institutions.

(15) Grant-in-aid to Voluntary Organisations for upgrading of under-graduate colleges.

Centrally sponsored

(1) Upgrading of post-graduate departments in Government Colleges for post-graduate training.

(2) Pharmacopoeial Standardisation in State Government Institutions.

(3) Other Researches in State Government Institutions.

भटिंडा में उर्वरक का कारखाना

*534 श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खेमकरण जिले में बस्ती का विकास

*535. **श्री गाडलिंगन गौड** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए खेमकरण जिले में बस्ती के विकास के लिए 35 लाख रुपये नियत किये गये थे ; और

(ख) 1968 के अन्त तक उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इस काम में कितनी प्रगति हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) खेम करन में 35 लाख की अनुमानित लागत से एक सार्वजनिक भवन समूह तथा एक रिहायशी बस्ती भी बनाने की योजना भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है ।

(ख) सितम्बर, 1968 के अन्त तक राज्य सरकार ने सार्वजनिक भवन समूह के निर्माण पर 12,42,695 रुपये की राशि व्यय की है । राज्य सरकार आशा करती है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जायेगा ।

रुइया बन्धुओं के आयकर तथा धनकर के मामले

*536. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको राधाकृष्ण रुइया तथा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध धनकर तथा आयकर के मामलों के बारे में एक संसद सदस्य को उनके द्वारा लिखे गये विस्तृत पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संसद सदस्य अपने प्रत्युत्तर में किन बातों का उल्लेख किया है ;

(ग) क्या रुइया बन्धुओं के विरुद्ध आपराधिक अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई अदालती कार्यवाही की गई है, जिसकी मांग सदस्य द्वारा की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) पत्र में उठाये गये मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं:-

(I) क्या तलाशी के समय पकड़े गये जवाहरात का मूल्यांकन उचित रूप से किया गया था और उसके अभिग्रहण का उचित स्पष्टीकरण दिया गया था ;

(II) क्या धन-कर निर्धारण के निमित्त, लिमिटेड कम्पनियों के हिस्सों का मूल्यांकन उचित रूप से किया गया था ;

(III) क्या मैसर्स राम नारायण एण्ड सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में वायदे के सौदों में हुई हानि की रकमों को उचित कारणों से मुजरे किया गया था ;

(IV) यदि छिपाई गयी आय एक लाख रुपये से अधिक है तो क्या कर-निर्धारण वर्ष 1946-47 से आगे के वर्षों के कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से चालू की जा सकती है ; और

(V) क्या सरकार रुइयाओं के खिलाफ मुकदमा चलायेगी ।

(ग) और (घ) : छापे के कारण, धन-कर निर्धारण के सम्बन्ध में फौजदारी मुकदमा दायर करने का प्रस्ताव था क्योंकि यह पाया गया था कि जिन जवाहरात को धन कर विवरणी में घोषित नहीं किया गया था उनका मूल्य 1,05,411 रुपये तक होता था लेकिन घोषित धन तथा छिपाये गये धन पर विचार करने पर लगा कि 1,05,411 रुपये की रकम का इरादतन छिपाना साबित करना सम्भव नहीं हो सके । इसलिये 2,12,000 रुपये का समझौता शुल्क की अदायगी पर अपराध माफ कर दिया गया । यह रकम प्रकट नहीं किये गये जवाहरात के मूल्य के 200 प्रतिशत के बराबर थी और जितना धन-कर टालने का प्रयास था, उसके कोई 80 गुने के बराबर थी । आय छिपाने के मामले में दण्ड की आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है । धन छिपाने के कारण दण्ड लगाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक वायदे के सौदों के कारण मैसर्स राम नारायण एण्ड सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड को हुए झूठे नुकसानों का सम्बन्ध है, पहले यह मामला समझौते से तय हुआ था और नुकसानों का सम्बन्ध वर्ष 1952-53 से पहले के कर-निर्धारण वर्षों से होने से अब 16 साल गुजर जाने के बाद उन कर-निर्धारणों में से किसी में भी पुनर्निर्धारण की कार्यवाही कानून के अनुसार सम्भव नहीं हैं । लेकिन एक अन्य मामले में न्यायाधीकरण के निष्कर्ष को देखते हुए वर्ष 1949-50 के सम्बन्ध में कर-निर्धारण फिर से किया जा रहा है । इस निर्णय के कारण ही विभाग 16 साल की मियाद खतम हो चुकने पर भी कार्यवाही कर सक रहा है । अन्य वर्षों में से किसी भी वर्ष के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के ऐसे निष्कर्ष नहीं हैं ।

राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय निधियों का निर्धारित परियोजनाओं से भिन्न कामों के लिए प्रयोग

*537. **श्री मीठालाल मीना :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के लिए राजस्थान में पेयजल की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि को कुछ अन्य परियोजनाओं पर व्यय करने का राजस्थान सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पेय जल योजना के लिये निर्धारित राशि को अन्य परियोजनाओं पर खर्च करने के लिये सरकार की अनुमति प्राप्त की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

उर्वरक परियोजना, मंगलौर

*538. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री स० कुण्डू :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर, मैसूर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई हैं ; और

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : अनुज्ञप्ति धारी (लाइसेन्स धारी) ने पुनरीक्षत वित्तीय व्यवस्था और विदेशी सहयोग प्रस्ताव भेजे हैं, जो विचाराधीन हैं ।

Madhya Pradesh's Share of Waters From Godavari River

* 539. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the distance covered by Godavari river and its tributaries in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have demanded its share in the waters of Godavari river and have represented to the Tribunal appointed by the Central Government to settle the Krishna-Godavari water dispute between Maharashtra, Mysore and Andhra Pradesh; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See. No. LT-370/69]

(b) and (c): A statement setting out the case of Madhya Pradesh for the utilisation of Godavari waters has been received.It is proposed to remit it to the Godavari Water Disputes Tribunal.

केन्द्रीय सहायता और कलकत्ता का विकास

*540. **श्री समर गुह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कलकत्ता के प्रमुख व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के हाल ही में कई सम्मेलन हुए थे और उन्होंने पर्याप्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होने पर सी० एम० पी० ओ० परियोजना के लिए सहायता देने की पेशकश की थी;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1968 में अपने कलकत्ता के दौरे के दौरान यहां की जनता तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कलकत्ता के विकास की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था;

(ग) उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार कलकत्ता के विकास के प्रश्न को अत्यावश्यक राष्ट्रीय समस्या समझती है जिसके हल न होने पर पूर्वी भारत के आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन को खतरे की सम्भावना हो सकती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु नगर के विकास में कलकत्ता महानगर प्राधिकरण के साथ सहयोग देने में उद्योगपतियों की सहमति की खबर समाचारपत्रों में देखी गयी।

(ख) और (ग) : 23 दिसम्बर, 1968 को कलकत्ता में प्रधान मंत्री से कुछ उद्योगपतियों ने भेंट की थी। भेंट के दौरान विचार विनिमय कलकत्ता और उसके विकास की समस्या के आस-पास केन्द्रित रहा। विचार-विनिमय सामान्य प्रकार था तथा कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया।

(घ) जी हां। कलकत्ता के विकास से सम्बन्धित समस्यायें कुछ समय से केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित किये हुए हैं। जहां तक संभव है भारत सरकार राज्य सरकार को सहायता दे रही है।

पैट्रोलियम के मूल्यों सम्बन्धी शाह समिति का प्रतिवेदन

3214. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम मूल्य सम्बन्धी शाह समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट लगभग सितम्बर, 1969 तक प्रस्तुत कर देगी।

आसाम में तेल के कुएं

3215. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में तेल के कितने कुओं ने कार्य नहीं किया ; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आसाम में तेल युक्त 21 कुओं में से तेल उत्पादित नहीं किया गया ।

(ख) आवश्यक स्तहीय प्रतिष्ठापन कार्य पूरे नहीं हुए थे और कच्चे तेल के परिवहन के बारे में सुविधाओं के लिए बातचीत भी जारी थी ।

विदेशों में भारतीय डाक्टर

3217. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 को अमरीकी अस्पतालों तथा ब्रिटेन और अन्य देशों में कार्य कर रहे भारतीय डाक्टरों की सख्या कितनी थी;

(ख) क्या विदेशों में नौकरियों की तलाश करने वाले भारतीय डाक्टरों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो वृद्धि की दर क्या है तथा उनके अमरीका में काम तलाश करने के ठीक क्या कारण हैं;

(ग) कितने डाक्टर अमरीका अथवा ब्रिटिश नागरिक बन गये हैं और कितने वहां के स्थायी निवासी बन गये हैं; और

(घ) इस प्रति वर्ष के 'प्रतिभा प्रवास' को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को किराये पर मकान लेने की रियायत

3218. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारी 400–500 रुपये में मकान किराये पर ले सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को क्यों नहीं दी जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रक्षा मंत्रालय के असैनिक अधिकारी केवल उन नियमों के अन्तर्गत मकान किराये पर ले सकते हैं, जो सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं तथा उन नियमों के अधीन जितना मकान किराया भत्ता पाने के वे अधिकारी हैं उतनी ही सीमा तक मकान किराये की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

सशस्त्र सेनाओं के जो सैनिक अधिकारी सरकार से रहने का मकान पाने के हकदार हैं, उनको यदि सरकार द्वारा आवास नहीं दिया जाता है तो वे वाजिब किराये पर मकान भाड़े पर ले सकते हैं । किराये के सम्बन्ध में अधिकारी की सामान्य जिम्मेदारी से ऊपर की रकम की प्रतिपूर्ति मांगी जा सकती है । दिल्ली/नई दिल्ली में रहने का मकान किराये पर लेने के लिये किराये की निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं :–

(i) कप्तान तथा निम्न–पदीय अधिकारी — 350 रु० प्रति माह

(ii) मेजर से ब्रिगेडियर तक — 500 रु० प्रति माह

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता ।

टाइप 4 और उससे नीचे वाले वर्गों को एक वर्ग कम वाले सरकारी मकानों का आवंटन

3219. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइप 5 तथा उससे ऊपर वाली टाइपों के आवास के अधिकारी व्यक्ति एक वर्ग कम वाले मकान भी ले सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो टाइप चार तथा उससे नीचे वाली टाइपों के अधिकारी व्यक्तियों को वैसी ही रियायतें अथवा विशेषाधिकार न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जो कि टाइप (III) तथा (II) के पात्र हैं उनसे मकानों के लिए मांग की परितुष्टि का प्रतिशत अपेक्षाकृत बहुत कम है और 'अगली निचली श्रेणी के नियम' (नैक्स्ट बिलो रूल) को अपनाने से दोनों श्रेणियों में वास के पात्र लोगों के लिए स्थिति और अधिक कठिन बन जाती । इसके अतिरिक्त टाइप IV और इससे नीचे के टाइप के लिए पात्र स्टाफ की काफी संख्या दिल्ली की है, जबकि राज्य सरकारों और अन्य काडरों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अन्य स्टाफ की पर्याप्त संख्या अनुपाततः ऐसी स्थिति में नहीं है, जब तक कुछ विशेष

प्रबन्ध उपलब्ध न हों, परवर्ती लोगों को दिल्ली में उनकी पदावधि के दौरान सरकारी वास प्राप्त करने के अवसर कम रहेंगे ।

दिल्ली की सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन

3221. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पहले से ही पंजीकृत सभी सहकारी गृह-निर्माण समितियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भूमि दे दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और भूमि कब तक आवंटित की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : 147 सोसाइटियों में से केवल 60 को जिन्होंने आवंटन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, भूमि आवंटित की जा चुकी है । 36 मामले प्रायः पूरे होने को हैं । शेष मामलों में अर्जन की कार्यवाई पूरी हो जाने तथा सोसाइटियों के द्वारा अन्य औपचारिकतायें पूरी होने, जिनमें पूरा प्रीमियम अदा करना भी शामिल है, के बाद भूमि आवंटित कर दी जायेगी ।

Per Capita Income of Madhya Pradesh

3222. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the per capita income in Madhya Pradesh is much lower than in other States even now;

(b) if so, whether any scheme is being prepared to bring it at par with other States; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The per capita income in Madhya Pradesh, according to the latest available estimates (1964-65) is Rs. 373.00. This is lower than that of 11 States (Punjab, Maharashtra, Gujarat, Haryana, W. Bengal, Assam, A. Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Kerala & Uttar Pradesh) and higher than in 4 States (Rajasthan, Orissa, J & K and Bihar).

(b) and (c) : Per capita income can be raised through economic development of the region, which is being attempted through the development plans.

Mineral Survey of Madhya Pradesh

3223. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether any mineral survey has been conducted in Madhya Pradesh during the last five years and any estimate of the mineral deposits has been prepared in a planned manner;

(b) if so, when it was prepared and the quantity of various minerals located, separately, in different parts of this State as a result of the aforesaid survey; and

(c) if no survey has been conducted, the reasons therefor ?

The Minister in State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c) : Yes, Sir. Reserves of minerals estimated during the last 5 years are given in a statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-371/69].

Non-Payment of Royalty on Coal in Madhya Pradesh

3224. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the name of the coal mines and the employers who have not paid royalty on coal to the Madhya Pradesh Government for the years 1965 to 1968;

(b) the amount of money due from each coal mine; and

(c) the action taken to recover the same ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c) : The requisite information is being collected and will be laid on the table of the House.

Geological Survey in Madhya Pradesh for Oil Resources

3226. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether any geological survey has been conducted in any area of Madhya Pradesh to explore oil reserves;

(b) if so, the result thereof;

(c) the estimated quantity of oil reserves; and

(d) whether Government propose to set up an oil refinery in this area provided oil is struck in sufficient quantity ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir, over an area of about 1800 sq. kms.

(b) From the work done so far, no encouraging results have been obtained.

(c) and (d) : Do not arise.

भारत में जडी बूटी संग्रहालय

3227. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषधियों के विकास के लिये कितने जड़ी बूटी संग्रहालय स्थापित किये गये हैं और वे कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में तमिलनाडु की विधान सभा तथा परिषद् के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ग) ज्ञापन में क्या-क्या बातें दर्ज हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारतीय जड़ी बूटियों के चार जड़ी बूटी संग्रहालय स्थापित किये गये हैं । ये हरिद्वार, रानीखेत, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर में है । जवाहर लाल नेहरू स्वदेशी औषधि-पादप संग्रहालय कोथरुड (पूना) में एक अन्य जड़ी बूटी संग्रहालय का विकास किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के बारे में भारत सरकार के सलाहकार

3228. **श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के बारे में सलाह देने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय में भारतीय चिकित्सा के सलाहकार की अर्हता क्या है;

(ख) भारतीय चिकित्सा तथा सिद्ध प्रणाली के सलाहकार की सहायता के लिये भारतीय चिकित्सा विभाग के तकनीकी कर्मचारी अनुभाग में अनुसंधान अधिकारी आदि न रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई सिद्ध भेषज संग्रह समिति नियुक्त की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के सलाहकार की अर्हताऐं निम्नलिखित हैं:-

(1) भूतपूर्व ट्रावनकोर राज्य के संस्कृत शास्त्री (6 वर्षीय पाठ्यक्रम)

(2) भूतपूर्व ट्रावनकोर सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, त्रिवेन्द्रम के वैद्य कलानिधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)

(3) आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर से आयुर्वेद में उच्चतर प्रवीणता (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

(ख) स्वास्थ्य विभाग की सिद्ध भेषज संहिता उपसमिति में अनुसंधान अधिकारी, (सिद्ध) के एक पद का सर्जन किया गया है ।

(ग) आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति ने सिद्ध भेषज संहिता तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित की है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिद्ध प्रणाली में अनुसंधान योजनाएं

3229. **श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंजूर की गई सिद्ध अनुसंधान सम्बन्धी चार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस अनुसंधान योजना के प्रभारी व्यक्तियों के लिये क्या अर्हताएं हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सिद्ध अनुसंधान की तीन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) तन्जोर स्थित साहित्यिक अनुसंधान एकक के सिद्ध अनुभाग में सिद्ध सम्बन्धी दुर्लभ पाण्डुलिपियों के सर्वेक्षण, संकलन, सम्पादन तथा प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है।

(2) सिद्ध औषधियों का मानकीकरण करना कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति अनुसंधान संस्थान अड्यार, मद्रास के कार्यक्रम का एक भाग है।

(3) त्वचा तथा अस्थमा आदि रोग सम्बन्धी नैदानिक कार्य गुजरात आयुर्वेदिक विश्व-विद्यालय जामनगर के सिद्ध अनुसंधान केन्द्र में प्रगति पर है।

किल्पोक स्थित किल्पॉक मेडिकल कालेज से सम्बद्ध एकक ने काम करना बन्द कर दिया है क्योंकि एक संशोधित योजना विचाराधीन है।

(ख) सिद्ध प्रणाली के लिए पृथक से कोई धन राशि नियत नहीं की जाती है। किन्तु सम्बन्धित संस्थानों को दिये जाने वाले अनुदानों में इस का खर्च भी सम्मिलित किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उद्यमियों से धन की कम मांग

3230. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश में उद्यमियों से धन की मांग कम आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्यमियों के आकर्षण के लिये क्या ऐहतियाती उपाय करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को सरकार सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती। लेकिन नये कारखानों की स्थापना और विद्यमान कारखानों के विस्तार। आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में उद्यम-कर्ताओं की वित्तीय सहायता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक जैसी तथा राज्यीय स्तर पर, सम्बद्ध राज्य सरकारों की मारफत, राज्य वित्त निगमों जैसी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है। उसी उद्देश्य से सरकार ने, "भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड" की भी स्थापना की है। पिछले करीब दो साल से, इन वित्तीय संस्थाओं से उद्यम-कर्ताओं ने धन की अपेक्षाकृत कम मांग की है। सम्भव है कि 1965-66 तथा 1966-67 में जो सूखा पड़ा उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति मन्द हो जाने के कारण, पूंजी के निवेश के स्तर पर पड़ने वाले असर से ही मुख्य रूप से यह स्थिति पैदा हुई हो।

(ग) उद्योग-क्षेत्र में निवेश सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिये जो उपाय किये गये हैं या जिन्हें करने का विचार है, उनका उल्लेख "आर्थिक-समीक्षा" तथा संसद के सामने पेश किये गये "बजट-प्रस्तावों" में कर दिया गया है। जहां तक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, शीर्ष संस्था के रूप में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने और ज्यादा विभिन्न प्रकार के आवेदन-पत्रों पर अनुकूल दृष्टि से विचार करना शुरू कर दिया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी, और ज्यादा व्यापक रूप में तथा सस्ती दरों पर पुनर्वित तथा हुंडियों को फिर से भुनाने की सुविधाएं देने के लिये कई कदम उठाये, ताकि उद्योग-धन्धों में लगाये जाने वाले धन की मात्रा में वृद्धि हो। यह बैंक दूसरे बैंकों के कार्यालयों तथा राज्य वित्तीय निगमों के साथ अनेक तरीकों से और ज्यादा सम्पर्क कायम करता जा रहा है ताकि वह विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोजनाओं को कायम करने के सम्बन्ध में और सक्रिय सहायता दे सके और खास तौर से दरमियाने दर्जे और छोटे पैमाने के उद्योगों को और मदद दे सके। आशा है कि निकट भविष्य में यह बैंक देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं स्थापित कर देगा। यह बैंक इस बात पर भी विचार कर रहा है कि उन छोटे दर्जे के उद्यम-कर्ताओं के लिये शुरू शुरू में छोटे पैमाने पर, उद्योग-विद्या प्रबन्ध तथा विपणन के सम्बन्ध में, परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करे, जो इन पहलुओं के संबन्ध में हमेशा पर्याप्त ध्यान नहीं रख सकते। अभी हाल ही में, बैंक ने मशीनों से संबन्धित बिलों के फिर से भुनाये जाने की अपनी योजना को, जो अब तक गैर सरकारी क्षेत्र के खरीदार-उपभोक्ताओं पर ही लागू होती थी, सरकारी क्षेत्र के खरीदार-उपभोक्ताओं अर्थात् बिजली प्रतिष्ठानों, परिवहन निगमों तथा सरकारी औद्योगिक कम्पनियों जैसे स्वायत्त निकायों, पर भी लागू कर दिया। इस योजना के अधीन, स्वीकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली बट्टे की अधिकतम दरों में 1 प्रतिशत की कमी करके ऋण संबंधी खर्च में भी कुछ कमी की गयी है।

भारत में रूस से सहायता प्राप्त सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

3231. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें रूस से सहायता मिली है उनमें रूस ने रुपयों में कितनी पूंजी लगाई है तथा इस ऋण पर कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ता है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : उन प्रायोजनाओं का विवरण संलग्न है जिनकी वित्त-व्यवस्था रूस से प्राप्त ऋणों से की गयी है या जिनकी वित्त-व्यवस्था रूपी ऋणों से किये जाने का प्रस्ताव है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या

एल० टी० 372/69] इन प्रायोजनाओं में सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ ने कोई पूंजी नहीं लगायी है, लेकिन 1968 के अन्त तक इन प्रायोजनाओं के लिए, रूसी ऋणों के अन्तर्गत कुल 569.98 करोड़ रुपये की रकम ली गयी थी। बकाया ऋणों पर 2½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायगा।

ईरान से आयात

3232. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान भारत को भारती मात्रा में तरल एमोनिया तथा तांबे और गन्धक के सम्भरण के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ईरान से एमोनिया के आयात से टाटा उर्वरक परियोजना की संभावनायें बढ़ गई हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : भारत और ईरान के बीच आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग का प्रश्न, इस समय, संयुक्त भारतीय-ईरानी आयोग के, जिसका गठन ईरान के शाहंशाह और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप हुआ था, विचाराधीन है। ईरान से अमोनिया का आयात उन बातों में से एक है जिन पर आयोग विचार करेगा।

उपक्रमों के बारे में गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें

3233. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें पूर्णतः अथवा अंशतः क्रियान्वित नहीं की हैं,

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन उपक्रमों में इन सिफारिशों की क्रियान्वित के लिय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग)। सम्भवतः माननीय सदस्य, श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय श्रम आयोग की ओर संकेत कर रहे हैं। इस आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

रूस से सहायता प्राप्त परियोजनाए

3234. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने उसकी सहायता से संचालित परियोजनाओं में विविधता लाने के लिये ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ऋण की राशि क्या है और किस प्रकार की विविधता लाने का सुझाव दिया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी नहीं। सरकार ने रूसी सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं में विविधता लाने के लिये सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के अधिकारियों से ऋण के लिये बातचीत नहीं की है। किन्तु, इन प्रायोजनाओं की समस्याओं और उनकी आर्थिक लाभकारिता को बढ़ाने के लिये आवश्यक समझे गये उपायों के बारे में नवम्बर-दिसम्बर, 1968 में रूसी प्रतिनिधि-मण्डल से बातचीत की गयी थी। रूसी प्रतिनिधि-मण्डल से की गयी बातचीत के बारे में 19 दिसम्बर, 1968 को लोकसभा में औद्योगिक विकास और समवाय मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 373/69]**

जापानी आर्थिक सहायता का उद्योगों के लिये प्रयोग

3235. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के विदेश मन्त्रालय द्वारा हाल ही में इस बात का अध्ययन करने के लिये एक दल भारत भेजा गया था अथवा भेजने का विचार है कि जापानी आर्थिक सहायता का कारखानों, फार्मों तथा अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या इस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जापान सरकार द्वारा भेजे गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण मिशन ने इस बात की जांच करने के लिए फरवरी, 1969 में भारत का दौरा किया था कि जापान द्वारा भारत को दिये गये ऋण कितने उपयोगी सिद्ध हुए हैं और वे भारत के आर्थिक विकास में किस हदतक सहायक हुए हैं। मिशन ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ बातचीत की और जापान की सहायता से स्थापित की गयी प्रायोजनाओं में से कुछ प्रायोजनाओं का मुआयना किया। मिशन जापान लौट गया है और वह जापान सरकार को अपनी रिपोर्ट देने वाला है।

Jhuggi Dwellers in Delhi

3236. **Shri Kanwar Lal Gupta** :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ranjit Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of Jhuggi dwellers in Delhi proposed to be rehabilitated by Government during the next year;

(b) the jhuggi dwellers of which areas will be rehabilitated; and

(c) the expenditure involved in this regard and the facilities to be provided to them ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) About 8000.

(b) A list of the areas likely to be covered is given in the Annexure. [Placed in Library. See No. LT-374/69].

(c) the expenditure is estimated at Rs. 80 lakhs. Necessary civic amenities, such as drinking water, sanitation, roads, street lighting etc. will be provided to the extent possible.

भारतीयों के विदेशी बैंकों में खाते

3237. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 तक कुल कितने व्यक्तियों पर बिना रिजर्व बैंकों की अनुमति के विदेशों में खाते खोलने के लिये जुर्माना किया गया तथा जिन व्यक्तियों और फर्मों पर जुर्माना किया गया उनके नाम क्या है;

(ख) जुर्माने की कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) क्या दोषियों के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : भारत के रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिये बिना विदेशों में बैंक खाते रखने के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त हुए तीन वर्षों में जिन पार्टियों पर दण्ड लगाये, उनकी संख्या एवं उनके नाम तथा दण्ड की वसूल की गयी रकम तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संबंधित पार्टियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

छोटा नागपुर में उर्वरक कारखाना

3238. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटा नागपुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की व्यावहारिकता के बारे में प्रतिवेदन तैयार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) बिहार में बरौनी नामक स्थान पर 229,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता का एक उर्वरक कारखाना निर्माणाधीन है । बिहार में सिन्दरी नामक स्थान पर 117,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता का एक दूसरा कारखाना पहले से ही विद्यमान है । ये उस क्षेत्र की उर्वरकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होनी चाहिऐ ।

बाढ़ नियंत्रण दल क स्थापना

3239. **श्री समर गुह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बाढ़-प्रकोपों के अनुभव के बाद सरकार का विचार बाढ़ की सम्भावना वाले क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की भांति बाढ़ नियंत्रण दल स्थापित करने की योजना आरंभ करने की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : फायर ब्रिगेड यूनिटों सदृश बाढ़ प्रतिरोधक दलों को स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में बाढ़ नियन्त्रण के मुख्य साधन, तटबन्धों के उचित अनुरक्षण का कितना महत्व है, इस बारे में राज्य सरकारों को बता दिया गया है। इस सम्बन्ध में उनको यह सलाह दी गई है कि वे हर वर्षा ऋतु के पूर्व कार्यों के ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर विशेष ध्यान दें और यदि तटबन्धों पर बाढ़ का आक्रमण होता है तो उनको बनाए रखने के लिए अपेक्षित पेटोलिंग, आपत्कालीन उपकरण के स्टाक और मजदूरों की भर्ती का पर्याप्त प्रबन्ध करें।

चांदी का तस्कर व्यापार

3240. **श्री रा० की० अमीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 दिसम्बर, 1968 को बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने 17 लाख रुपये की चांदी पकड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : 11 दिसम्बर, 1968 को बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने डांडा के पास समुद्र में एक मछली पकड़ने वाले जलयान से, कोई 16 लाख रुपये मूल्य के चांदी के 93 डले पकड़े थे। जलयान पर बैठे हुए 11 व्यक्तियों को चांदी के तस्कर निर्यात करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर इस्तगासे की कार्यवाही की जा रही है।

निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया जाना

3241. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया है अथवा उन्हें नियुक्त किया गया है जिन्होंने वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना था;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनका सेवाकाल बढ़ाये जाने अथवा उनकी नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक ।

(ख) श्री पी० राजरत्नम ।

(ग) अन्यत्र छपाई के लिए, "दरों की अनुसूची" के कार्य के संबंध में जिसे कि बहुत पहिले ही कर लेना चाहिए था, इस विभाग के सेवानिवृत्त अवर सचिव, श्री राजरत्नम को मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखनसामग्री कार्यालय में 24 अगस्त, 1968 से पहिले छः महीनों के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में पुनः नौकरी पर लगाया गया था । इस कार्य के लिए एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता थी जिसके पास सरकारी स्टोर के खरीद की प्रक्रिया की तथा सरकारी संविदाओं को क्रियान्वित करने की पूरी जानकारी हो तथा छपाई की संविदाओं का व्यावहारिक ज्ञान हो । इन अधिकारी के पास ये अनुभव थे ।

क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ है, अतएव इन अधिकारी की पुनः नौकरी की अवधि को छः महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

3242. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स के कार्यकरण का सामान्य मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसके कार्यकरण में कमियों का पता लगाने तथा कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) त्रिवेन्द्रम में जापान के विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के निरोध कारखाने का उत्पादन अभी परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है । इसलिए इसके कार्यकरण के सामान्य मूल्यांकन का कार्य किसी विशेषज्ञ को इतनी जल्दी नहीं सौंपा जा सकता है ।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन

3243. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया के तेल शोधक कारखाने तक अशोधित तेल पहुंचाने के लिए बरौनी हल्दिया के बीच एक पाइप लाइन बिछाई गई है;

(ख) यदि हां, तो यह पाइप लाइन कितनी लम्बी है और उसकी तेल ले जाने की क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या भविष्य में वहां ऐसी ही दूसरी पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : बरौनी और हल्दिया के बीच उत्पाद पाइप लाइन, जो 524 किलो मीटर लम्बी है, बिछाई गई है तथा कार्य कर रही है। बरौनी से हल्दिया तक इस पाइप लाइन द्वारा कच्चे तेल के परिवहन का विचार नहीं है क्योंकि हल्दिया शोधनशाला आयातित कच्चे तेल पर आयोजित है ।

Expansion of Trombay Fertilizer Project

3244. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the time by which the programme of expansion of Trombay Fertilizer Factory will be completed and what will be its production capacity;

(b) whether fertilizers would be supplied to other States also after meeting the requirements of Maharashtra States; and

(c) if so, the type of fertilizer, its quantity and the States to which it will be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The expansion of the Trombay fertilizer factory is likely to be completed by the year 1972-73.

(b) and (c) : The factory will sell fertilizers as far as possible in its economic marketing areas in Maharashtra and the neighbouring States. It is difficult to anticipate the types and quantities of fertilizers that would be sold in each State.

भूतपूर्व राजाओं के विदेशों में बैंक खाते

3245 **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ग० च० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री क० लक्प्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 38 भूतपूर्व राजाओं तथा रजवाड़ों के 11 सदस्यों द्वारा 31 मार्च, 1968 तक विदेशी बैंकों में जमा की गयी कुल राशि के बारे में अब जानकारी प्राप्त कर ली गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार कब तक यह जानकारी प्राप्त कर लेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : हर साल दिसम्बर के अन्त में जितनी रकमें जमा थीं उनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के खातों में 31 दिसम्बर, 1968 को जो रकमें जमा थीं उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और वह तैयार होते ही सभा की मेज पर रख दिया जायगा। 31 मार्च, 1968 को जो रकमें जमा थीं उनके संबंध में सूचना इकट्ठी करने में जो परिश्रम करना पड़ेगा वह उसके फल को देखते हुए बहुत ज्यादा होगा।

उत्तर बम्बई में चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना

3246. **श्री रा० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने 7 जनवरी, 1969 को उत्तर बम्बई में सेवरी में एक औद्योगिक बस्ती में गोदाम से 6 लाख रुपये के मूल्य की चोरी छिपे लाई गई 5455 कलाई की घड़ियां पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, बम्बई के अधिकारियों ने 7 जनवरी, 1969 को शिवड़ी की एक औद्योगिक बस्ती में स्थित एक गोदाम पर छापा मारा तथा लगभग 10,000 रुपये कीमत की एक एम्बेसेडर कार के अलावा, लगभग 6 लाख रुपये कीमत की 5455 घड़ियां पकड़ीं। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

महिलाओं के बन्ध्योकरण की नई विधि

3247. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "महिलाओं के बन्ध्यीकरण की नई विधि का प्रदर्शन" शीर्षक के अन्तर्गत 12 दिसम्बर, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी के प्रोफेसर को परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत भारत में ऐसे आपरेशन करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : इस नई विधि का पूर्ण ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। तकनीकी ब्यौरा आदि प्राप्त होने के बाद भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की नसबन्दी के लिए इस नई विधि को अपनाने के प्रश्न और अन्य सम्बन्धित मामलों की जांच-पड़ताल की जाएगी।

वित्तीय नियम

3248 **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री 1 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5974 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायकों/स्टेनोग्राफरों/अनुवादकों का जो 210-425 रुपये के वेतनमान में श्रेणी 3 (निःसंवर्ग) पद पर थे और जिन्हें बाद में सहायकों/स्टेनोग्राफरों के अधिक वेतनमान 210-530 रुपये वाले श्रेणी 2 के पदों पर पदोन्नत किया गया था वेतन निर्धारित करने के बारे में क्या सहायकों/स्टेनोग्राफरों को एफ० आर० 22-सी का लाभ देने के बाद वित्तीय नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय नियमों में किस तारीख से यह परिवर्तन किया गया है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह निर्णय सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को कब भेजा गया था; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'ना' में हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अब एफ० आर० 22-सी का लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि लेखा परीक्षा अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को, जो श्रेणी 3 (निःसंवर्ग) पद से अधिक वेतनमान वाले श्रेणी 2 के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं, एफ० आर० 22-सी का लाभ देने की सहमति देकर ऐसे मामलों को निपटा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : 1-4-1961 से प्रवर्तन में आये मूल नियम 22-ग के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ, दोनों पदों की जिम्मेदारियों की सापेक्ष मात्रा को ध्यान में रखकर दिया जाता है, उनके श्रेणी iii, श्रेणी ii आदि में वर्गीकरण के अनुसार नहीं। सचिवालय में 210-10-290-15-320-दक्षतारोध-15-425 रुपये के वेतनमान में काम कर रहे आशुलिपिक की 210-10-270-15-300-दक्षतारोध-15-450-दक्षतारोध-20-530 रुपये के वेतनमान में सहायक के पद पर पदोन्नति के मामले में मूल नियम 22-ग का लाभ इस लिये दिया जाता है, कि उसमें उच्चतर कर्तव्य और दायित्व सन्निहित हैं। परन्तु 210-425 रुपये के वेतनमान में स्थित सहायकों/अनुवादकों/आशुलिपिकों के पदों को, उनसे सम्बन्ध कर्तव्यों और दायित्वों के मान से 210-530 रुपये के वेतनमान में स्थित सहायकों/आशुलिपिकों के पदों के समकक्ष माना जाता है। विगत समय में कुछ मामलों में मंत्रालयों/विभागों ने अपने कर्मचारियों की श्रेणी iii सहायक से श्रेणी ii सहायक के पदों और श्रेणी iii आशुलिपिक से श्रेणी ii आशुलिपिक के पदों पर नियुक्ति पर उनको मूल नियम 22-ग के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ दे दिया था। भविष्य में इस प्रकार के अनभिप्रेत लाभ नहीं दिये जाये, इस बात का इतमिनान करने के लिये स्पष्टीकारक आदेश शीघ्र ही जारी किये जाने की आशा है।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन

3249. **श्री क० लकप्पा :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गयी है;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कमियों का पता लगाने तथा इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये किन्हीं विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कार्यकरण पर, अन्य सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों की तरह, नियत कालिक रिपोर्टों, निदेशकों के बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों तथा इन के अतिरिक्त कम्पनी के लेखा-परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की तैयार की गई रिपोर्टों द्वारा कड़ी निगहरानी रखती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कार्यकरण में कोई गंभीर अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में हुई दुर्घटना की जांच

3250. **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में हुई दुर्घटना की जांच के बारे में 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में 5 सितम्बर, 1968 की दुर्घटना के बारे में जांच आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : यह मालूम नहीं है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित जांच आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और वह सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

ग्रामीण ऋण पत्र जारी करना

3251. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण ऋण पत्र जारी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कब लागू किया जायेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने राज्य सरकारों को चौथी आयोजना के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों से साधन जुटाने के एक उपाय के रूप में ऋण-पत्र जारी करने का सुझाव दिया है । अन्तिम सिफारिशें चौथी आयोजना के प्रलेख में बतायी जायगी जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) और (घ) : इन मामलों में राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और अपने साधनों का विचार करके निश्चय करेंगी ।

विदेशों के बैंकों में खाते

3252. **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों तथा परिवारों के नाम क्या है जिनके विदेशी बैंकों में 5 करोड़ रुपये से अधिक के खाते है;

(ख) भारतीय नागरिकों तथा परिवारों की विदेशी बैंकों में जमा इस राशि को देश के लाभ के लिये इस्तेमाल में लाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई विनियम या प्रतिबन्ध सोचे जा रहे हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशी बैंकों में, किसी भी भारतीय का ऐसा खाता नहीं है जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा हो । "परिवारों" के आधार पर सूचना नहीं रखी जाती ।

(ख) और (ग) : विदेशों में, इस प्रकार के खाते, केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से और उसकी निगरानी में खोले और रखे जा सकते हैं । 500 पौंड से ऊपर की रकम भारत भेजनी पड़ती है, जबतक कि ऐसा न करने के लिये विशेष रूप से या सामान्य रूप से इजाजत न दी जाय ।

Allocation for Housing Schemes in Rural areas in States

3253. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 166 on the 11th November, 1968, and state :

(a) the reasons for not allocating funds for the housing schemes in rural areas for Haryana, Jammu and Kashmir, Nagaland, Uttar Pradesh, West Bengal during 1967-68 and for Haryana, Jammu and Kashmir and Nagaland during 1968-69 ; and

(b) the funds likely to be allocated for the Social Housing Scheme and Rural Housing Scheme during the Fourth Plan and the time when these schemes will be finalised ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : The Village Housing Projects Scheme is a Centrally-aided scheme and forms part of the respective State Plans. Its implementation has, therefore, to be left to the discretion of the State Governments in the light of their own priorities and requirements. Apparently, these State Governments have not found it possible to give priority for allocation of funds to this programme during these years.

(b) All the social housing schemes of this Ministry, including the Village Housing Projects Scheme, are continuing schemes. During the Fourth Plan period, beginning from the 1st April, 1969, Central assistance to the States for all Centrally-aided schemes will be in the form of 'block' loans and block grants' and will not be tied to individual heads of development. The States will have complete freedom to allocate funds to various programmes in the State-Sector (including housing) according to their own priorities. The total funds likely to be provided by the States for housing schemes for the fourth plan period have not yet been finalised.

Unauthorised Construction of Houses on land which falls within area of P. W. D Roads

3254. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.3815 on the 9th December, 1968 and state :

(a) whether information regarding the construction of houses illegally on the areas which fall within the areas of P. W. D. roads has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : Yes, Sir. There have been about 30 encroachments in the Khajni Bazar portion which lies at mile 12 of Gorakhpur Gola Bazar Road. The encroachers have been served with notices under Section 441 of I. P. C. and cases under Section 447 of I.P.C. are being filed.

(c) Does not arise.

Kalagarh Project

3255. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the further progress made in the completion of Kalagarh Project ;

(b) whether it is a fact that due to the Hilly region in this area being soft, the estimated expenditure has increased ; and

(c) the time by which the project is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) After completion of Diversion Tunnel-1, the river was diverted through it in November, 1968, Work in Tunnel-2 and also work in connection with the permanent diversion of the river for Main dam are in progress. Stripping of Saddle Dam foundation is almost complete and dam fill is in progress. About 34% of earthwork in excavation of the feeder channel has been done. Construction of two Main pick-up Barrages at Hareoli and Kho is in full swing. About 600 miles of new Irrigation Channels have been constructed and remodelling of about 730 miles of existing channels has been done so far.

(b) No, Sir.

(c) June 1973.

Deduction of Income-Tax from Bank Accounts

3256. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the extent to which the scheme of deducting Income-tax from Bank Accounts has been successful;

(b) the amount earned by Government during the last year from this scheme ; and

(c) whether Government are considering some other similar measure to recover income-tax in future ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : There is no scheme of deducting Income-tax from Bank Accounts There is however a scheme which came into force with effect from 1st October, 1967. Under this scheme tax is deducted by a bank/other specified persons responsible for paying/crediting to a resident any income by way of interest exceeding Rs. 400/- at any one time.

Though this scheme has been in force for a short period, it can be said that it has proved to be successful. The collection under this scheme from 1st October, 1967 to 31st March, 1968 was Rs. 1.22 crores only whereas the collection from 1st April, 1968 to 31st January, 1969 has gone upto Rs. 6.19 crores, (figures provisional).

(c) No. Sir.

कांग्रेस दल के संसद सदस्यों तथा संसद में कांग्रेस दल के लोक सम्पर्क अधिकारियों द्वारा फ्रांस की यात्रा

3257. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वित्त मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4087 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस अवधि में जब कि संसद में कांग्रेस दल के लोक सम्पर्क अधिकारी रेनाल्ट कारपोरेशन, फ्रांस के निमंत्रण पर फ्रांस गये थे, कांग्रेस दल के कौन-कौन से संसद् सदस्यों ने फ्रांस की यात्रा की थी ;

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी ; और

(ग) कांग्रेस संसदीय दल के कर्मचारी को 'पी' फार्म देने के क्या कारण थे और इस बारे में वर्तमान नियम क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जिस समय रेनाल्ट कारपोरेशन के निमंत्रण पर संसद के कांग्रेसी दल के लोक-सम्पर्क अधिकारी फ्रांस में गये हुए थे, उस समय संसद के कांग्रेस दल के किन सदस्यों ने फ्रांस की यात्रा की ।

(ग) संसदीय कांग्रेस दल के लोक-सम्पर्क अधिकारी को 'पी' फार्म संबंधी अनुमति इसीलिये दी गयी थी कि उनके फ्रांस में रहने का खर्च और उनका मार्ग-व्यय रेनाल्ट कारपोरेशन द्वारा दिया जाने वाला था । वर्तमान नीति के अनुसार इस प्रकार की संस्था से प्राप्त आतिथ्य के आधार पर यात्राओं की अनुमति दी जा सकती है ।

स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा खाते

3258. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वित्त मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 754 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में इस बीच कोई जांच की है कि स्विटजरलैंड की सरकार ने अमरीकी सरकार को स्विटजरलैंड के बैंकों में तथा कथित कोड नम्बरों का पता लगाने का अधिकार दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में स्विटजरलैंड की सरकार से बातचीत की है ताकि उन्हें भी वे सुविधाएं प्राप्त हो सकें जो अमरीकी सरकार को दी गई हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : हमें सूचित किया गया है कि स्विट्जरलैंड के बैंक और स्विट्जरलैंड की सरकार ऐसे मामलों में अब भी पूरी गोपनीयता बरतती है और किसी विदेशी सरकार को यह ब्यौरा बताने के लिए तैयार नहीं है ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

सरकारी उपक्रमों की पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों की मांग

3259. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी उपक्रमों की पेट्रो तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी करने के लिये भारतीय तेल निगम ने उनके साथ बात चीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा किये गये लगातार प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सरकारी व्यापार में इसकी विपणन साझेदारी 1962 में 19.0 प्रतिशत से उत्तरोत्तर 1968 में लगभग 85.1 प्रतिशत तक बढ़ी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिट्टी के तेल की चोर बाजारी

3260. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) मिट्टी के तेल की चोर बाजारी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : जी नहीं।

(ख) उपयुक्त (क) भाग में दिये गये उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऐसे मामले को निपटाने का पूर्ण अधिकार है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में बाढ़

3261. श्री ए० श्री धरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 2 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 465 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में बाढ़ों के बारे में सर्वेक्षण तथा अध्ययन प्रतिवेदन अब सरकार को मिल गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सर्वेक्षण कार्य के, जिस के अन्तर्गत लगभग 500 वर्ग मील क्षेत्र आता है, जून 1969 तक पूरा हो जाने की संभावना इस के बाद आंकड़ों का संकलन कर रुड़की में एक वृहत् माडल बनाया जाना है। प्रारूप प्रयोगों के अक्टूबर, 1969 में आरम्भ होने की सम्भावना है जब कि इन परीक्षणों के लिए साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा और आशा है कि इसके कुछ महीने बाद इन परीक्षणों के परिणामों पर आधारित प्रस्ताव उपलब्ध हो जाएंगे।

उर्वरक कारखाने

3262. श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री उर्वरक कारखाने के बारे में 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अनेक कारखानों की स्थापना तथा उत्पादन माध्यम के प्रश्न पर सरकार ने अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) और (ख) : प्रस्ताव अभी भी परीक्षण धीन है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की हानि

3263. श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी स्थापना से अब तक अनियमितताओं, चोरियों तथा स्टाक की कमी के कारण वर्ष-वार कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इन त्रुटियों का पता लगाने तथा इसके कार्य-करण में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग): तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

Allotment of Quarters and Buildings in Delhi

3264. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) the number of such Government quarters and buildings in Delhi which are at present ready for allotment but are lying vacant;

(b) the reasons for their lying vacant; and

(c) the number of quarters and residential flats under construction and when they are likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No office/residential accommodation in the general pool in Delhi/New Delhi, which has been completed recently is lying vacant.

(b) Does not arise.

(c) In Delhi/New Delhi, at present, 952 residential units in the general pool in types II-IV, are under construction. The construction of these units has been taken up in a phased programme and the last set of 96 units is likely to be completed by January, 1971.

कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बेसिनों में तेल की खोज

3265 श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के क्षेत्र में हाल में पाये गये तेल से वहां काफी मात्रा में तेल मिलने की संभावना उत्पन्न हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में तेल के कितने बड़े निक्षेप होने का अनुमान है और इन निक्षेपों से और अधिक तेल निकालने के लिये यदि कोई योजनाएं बनाई गई हैं, तो उनका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Seizure of Japanese Watches at Palam Airport

3266. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that customs officers had seized Japanese watches in large number at the Palam Airport in November, 1968 as reported to in the Hindustan Times of the 5th November, 1968;

(b) if so, the number of the watches seized and the value thereof; and

(c) the action taken against persons involved ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c): On 3rd November, 1968 400 wrist watches of Japanese make valued at about Rs. 1.25 lakhs together with 126 Ties and 10 horns were recovered from an unclaimed suit-case unloaded from Air France Flight which originated from Tokyo. Further investigations are in progress.

Kanpur Loop Factory

3267. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) the number of the persons working at present in the Kanpur Loop Factory;

(b) the number of women and men workers amongst them, separately; and

(c) the amount of expenditure Government have to incur every year in the from of salaries and dearness allowances on them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : The Factory is run by the Government of Uttar Pradesh According to the information obtained, the position is as follows:-

(a) Thirty four.

(b) Men - 31
Women - 3
Total - 34

(c) About Rs. 82,000/

मध्य प्रदेश में उर्वरक उत्पाद

3268. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कितनी और कहा कहां उर्वरक परियोजनायें स्थित हैं तथा उनमें प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है;

(ख) निकट भविष्य में वहां पर कितनी उर्वरक परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है, उनमें प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होने की आशा है और वे कहां-कहां स्थित है; और

(ग) पहले उर्वरक कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है और वह कहां स्थित है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में कोई नाइट्रोजनी उर्वरक कारखाना स्थित नहीं है। परन्तु मध्यप्रदेश के रायपुर जिले में कुम्हारी नामक स्थान पर एक सुपर-फास्फेट कारखाना है जिसकी स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 75,000 मीटरी टन सुपर-फास्फेट है। 1968 में इसका सुपरफास्फेट का उत्पादन 41,171 मी० टन था।

(ख) और (ग): कोरबा में कोयले पर आधारित एक नये कारखाने की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। अतः इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि वह उत्पादन करना कब शुरु करेगा।

उत्तर बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता

3269. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली बाढ़ के पश्चात मिदनापुर तथा जलपाईगुड़ी जिलों में अनुग्रहिक सहायता, भवन-निर्माण अनुदान और ऋण, व्यापार तथा कारोबार अनुदान ऋण, कृषि अनुदान और ऋण तथा शिक्षा सम्बन्धी लाभों के रूप में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को सरकारी सहायता की आवश्यकता थी;

(ख) सरकार से कितने व्यक्तियों ने उक्त लाभों के लिये आवेदन किया तथा कितने को ये लाभ मिले और उनको कितना लाभ पहुंचाया गया; और

(ग) उत्तर बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा किये गये सहायता तथा पुर्नवास कार्य के बारे में नवीनतम आंकड़े तथा जानकारी क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

मोंघ्यार गांव (बिहार) में विषाक्त भोजन से हुई मौतों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

3270. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में मोंध्यार में विषाक्त भोजन से हुई मोतों के बारे में पुलिस की जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख): आरम्भ में जो मामला मोहम्मद इक्रामुल हक के स्थान पर दर्ज किया गया था उसे झूठा करार देकर बन्द कर दिया गया है। शिकायतकर्त्ता तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक नया मामला दर्ज किया गया है जिसकी अभी जांच पड़ताल हो रही है।

बिलिंग्डन अस्पताल में रोगियों का मुफ्त इलाज

3271. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में इलाज कराने वाले सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य रोगियों को पांच रुपये तक की कीमत की सभी औषधियां मुफ्त देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का प्रतिवर्ष ऐसे कितने रोगियों को लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) यह योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सामान्य वार्डों में अतरंग रोगियों को सभी औषधियां पहले से ही निःशुल्क जाती है चाहे उनकी कीमत कितनी ही हो। वहिरंग रोगियों के मामले में दवाइयाँ एक सूची, जिसे इस प्रयोजन के लिए रखा जाता है, में अंकित औषधियों में से ही दी जाती हैं। इससे वहिरंग विभाग में आने वाले रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है।

(ख) और (ग): ये प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई में रावली पहाड़ी

3272. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से बम्बई नगर में रावली पहाड़ी पर ज्वालामुखी-राख की खाईयों और गहरी तथा ऊबड़-खाबड़ दरारों के पता लगने के परिणामस्वरूप सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और इस बारे में सरकार की सम्बन्धित एजेंसियों ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या ज्वालामुखी-राख के पता लगने के फलस्वरुप बृहत् बम्बई में मिट्टी की दिशाओं का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख): अक्टूबर 1968 के उत्तर पक्ष में बम्बई नगर निगम ने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था से बम्बई की रावली पहाड़ी में प्रस्तावित जलाशय की नींव के संबंध में सहायता के लिये प्रार्थना की। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने निगम अधिकारियों को स्थापना-स्थल के नक्शे तथा अन्य सम्बद्ध आधार सामग्री भेजने की प्रार्थना की। लेकिन, यह बताया गया है कि 11 नवम्बर, 1968, को निगम अधिकारियों ने यह कह कर अपनी प्रार्थना वापिस ले ली कि यदि आवश्यकता हुई तो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था की सलाह भविष्य में मांगी जायेगी।

(ग) और (घ) : क्योंकि यह बताया गया है कि इस क्षेत्र में इन राखों का पाया जाना आम है और हाल ही के किसी ज्वालामुखी घटन के कारण यह गरम है, अतः भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा बम्बई नगर में भूतलीय परिस्थितियों के अध्ययन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

Exploration and Survey of Minerals in Ladakh

3273. Shri Kushak Bakula : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether Ladakh, famous for valuable mineral wealth in the past and famous for gold, silver, diamonds and bauxite etc. in the recent past, will be included in the present programme of exploration and survey of minerals and aerial survey being undertaken throughout the country; and

(b) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b) Ladakh has been known for occurrence of precious stones, borax and gold. In recent years the Geological Survey of India has sent several expeditions to the Ladakh area to explore its geology and mineral resources. Detailed work has also been carried out where mineral occurrences of potential value were reported. During the field season programme for 1968-69, the Geological Survey of India proposes to undertake investigation of sulphide and gold between Zanskar and Indus valley, sulphur and borax in Puga valley and phosphorite in the Indus valley. There is no proposal to undertake aerial mineral survey of Ladakh at present.

केन्द्रीय सहायता से निर्मित बांध

3274 : **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन योजनावधियों में तथा उसके पश्चात केन्द्रीय सहायता से कितने बांधों का निर्माण किया गया और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ बांधों में दरारें पड़ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में किस प्रकार की खराबी है;

(घ) कितने बांध बन कर तैयार हो गये हैं और कितनों को अभी चालू किया जाना है;

(ङ) यदि कोई भी बांध नहीं बना है तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे बांधों पर कुल कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (च) : विगत तीन योजना वर्षियों में देश में बने लगभग सभी बांधों को विविध विकास ऋणों आदि के जरिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी है। विगत तीन योजनाओं के दौरान हाथ में ली गई बृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजना का ब्यौरा 'इण्डिया इरिगेशन एण्ड पावर प्रोजेक्ट्स (फाईव यीअर प्लैन्स)' नामक प्रकाशन में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में पड़ी हुई हैं।

चम्बल नदी के ऊपर राणाप्रताप सागर और महाराष्ट्र में कोयना बांध में दरारें देखी गई थीं। यह देखा गया कि राणाप्रताप सागर में आई दरारों का कारण था– खराब गाज के कारण पतली भराई का अधिक दबाव। कोयना में आई दरारों का कारण भूकम्प था। इन दोनों परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है और राणाप्रताप सागर पर 12 करोड़ रुपये तथा कोयना बांध पर 13 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

व्यापार-गृहों द्वारा तस्कर व्यापार

3275. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री उमानाथ :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री प० गोपालन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आसूचना अभिकरणों ने सूचना दी है कि वित्त मंत्रालय के बड़े उच्च स्तर के अधिकारी की सांठगांठ से कई बड़े-बड़े व्यापार गृह बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के उस अधिकारी का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की हैं ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ): ये सवाल नहीं उठते।

पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

3276. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 जनवरी, 1969 को प्रशुल्क विभाग के अधिकारियों ने पालम हवाई अड्डे पर एक ब्रिटिश राष्ट्रिक से 5 लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा था;

(ख) क्या उसके विरुद्ध न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया है;

(ग) क्या यह मालूम हुआ है कि इस बारे में उसका कुछ भारतीयों के साथ सम्पर्क था; और

(घ) यदि हां, तो इन भारतीयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 16 जनवरी, 1969 को पालम पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने एक ब्रिटिश राष्ट्रिक को पकड़ा और उसके पास से सोने की दस दस तोले वजन की 270 छड़ें बरामद की जिनका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य लगभग 2.65 लाख रुपये होता है।

(ख) न्यायालय में शिकायत दायर कर दी गई है।

(ग) और (घ): अब तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि उस विदेशी राष्ट्रिक के नई दिल्ली के एक होटल में पहुंचने पर एक अपरिचित भारतीय आकर उसको मिलने वाला था। सीमाशल्क अधिकारियों द्वारा विदेशी को पकड़ लिये जाने के कारण उसका भारतीय सहयोगी उससे नहीं मिला। भारतीय सहयोगी का अभी तक पता नहीं चल सका है, इसलिये उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठ पाया है।

भारत सेवक समाज से बकाया किराया वसूल करना

3277. **श्री एम० एम० जोशी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 12 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4283 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सेवक समाज की दिल्ली राज्य शाखा के केन्द्रीय कार्यालय से किराया वसूल करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) भारत सेवक समाज के केन्द्रीय और दिल्ली राज्य कार्यालयों के नाम किराये की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) ऐसी संस्थाओं जिन्होंने सरकार को किराये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया अथवा जिनके विरुद्ध अदालतों में किराये की वसूली के लिये अभियोग चल रहे हैं, को सरकारी भवन देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) और (ख): संलग्न विवरण के अनुसार। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 375/69]

(ग) ऐसी संस्थाओं को वास आवंटित न किया जाये।

पूंजी का देश में आगमन और देश से निर्गमन

3278. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई उद्योग संस्था द्वारा हाल में प्रकाशित उस दस्तावेज की ओर दिलाया गया है जिसमें पूंजी के देश में आगमन और देश से निर्गमन के विस्तार पूर्वक आंकड़े दिये गये हैं;

(ख) क्या इस दस्तावेज में उस विदेशी फर्मों की सूची दी गई है जो नियमित रूप से लाभ आदि विदेशों को भेजा है;

(ग) क्या इस दस्तावेज के अनुसार विदेशी फर्मों द्वारा भारत में लगाई गई प्रति रुपये की पूंजी दर दो रुपये कमा कर अपने अपने देशों को भेजते हैं;

(घ) यदि हां, तो बम्बई उद्योग संस्था ने ये आंकड़े किस स्रोत से एकत्रित किये तथा क्या ये आंकड़े प्रमाणिक हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पूंजी के देश में आगमन और देश से निर्गमन के (लाभ आदि विदेशों को भेजने वाली विदेशी फर्मों की सूची सहित) बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य, भारत में विदेशियों के सहयोग से चलाये जाने वाले उपक्रमों की कार्य सम्बन्धी उस रिपोर्ट की ओर संकेत कर रहे हैं जो अखिल भारतीय उद्योग संघ, बम्बई द्वारा, फरवरी, 1968 में प्रकाशित की गयी थी। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 18 पर दिये गये अनुबन्ध में, 1961 से लेकर 1970 तक के प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया पड़ी हुई अनुमानित विदेशी पूंजी, प्रत्येक वर्ष में भारत में लगायी गयी वास्तविक अनुमानित गैर-सरकारी विदेशी पूंजी और प्रत्येक वर्ष लाभों, लाभांशों और अधिकार-शुल्कों की भेजी गयी अनुमानित रकमों के आंकड़े दिये गये हैं। विदेशी पूजी की बकाया रकमों और भारत में आयी हुई तथा भारत से बाहर भेजी गयी विदेशी पूंजी के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन के जनवरी 1967 के अंक में प्रकाशित "भारत की 1963-64 और 1964-65 की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश सम्बन्धी स्थिति" नामक रिजर्व बैंक के लेख की सारणी 3 और 4 में दिखाये गये आंकड़ों से बहुत भिन्न हैं।

(ख) उक्त संघ की रिपोर्ट के अनुबन्ध VII में, पूंजी निर्गम नियंत्रण सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर, 1956 से 1963 तक की अवधि में पंजीकृत ऐसी 249 कम्पनियों की सूची दी गयी है जिनमें विदेशियों ने पूंजी लगायी थी। इस सूची में, इन वर्षों में पूंजी के केवल प्रारम्भिक नये निर्गमों के लिये दी गयी स्वीकृतियों की सूचना दी गई है। जो विदेशी कम्पनियां

नियमित रूप से अपने देश में लाभांश आदि की रकमें भेजती हैं उनका पूरा ब्यौरा इस सूची या रिपोर्ट में नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ): ऐसा प्रतीत होता है कि संघ ने अपनी रिपोर्ट में 1948 से 1960 तक की अवधि के लिये माइर्कल किडरन द्वारा "विदेशियों द्वारा लगाई गयी पूंजी" के सम्बन्ध में लिखी गयी पुस्तक के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं । संघ की रिपोर्ट के पृष्ठ 4 पर पैरा 15 में यह बताया गया है कि पिछले दो दर्शकों में, जिसमें विदेशियों द्वारा लगायी जाने वाली पूंजी दुगुनी से ज्यादा हो गयी थी, विदेशी निवेशकों ने प्रत्यक्ष रूप से जितनी पूंजी लगाई थी उससे कुल मिलाकर लगभग, दुगुनी से ज्यादा रकम भारत की विदेशी मुद्रा की राशि से निकाल कर अपने देश में भेजी । दूसरे शब्दों में, बाहर भेजी गयी रकम, औसतन देश में आयी हुई रकम से दुगुनी है । इस प्रकार संघ की रिपोर्ट में, लम्बी अवधि में, विदेशी पूंजी के रूप में भारत में आयी हुई रकमों के आंकड़े, भारत से विदेशों में भेजी गयी बकाया पूंजी की रकमों के आंकड़ों के साथ साथ यह सिद्ध करने के लिये दिखाये गये हैं कि भारत में लगायी जाने वाली विदेशी पूंजी बहुत मंहगी पड़ती है । इस प्रश्न का उत्तर लोक–सभा के 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2272 के उत्तर में दिया गया है ।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी पूंजी की भारत में आने वाली और भारत से बाहर जाने वाली रकमों के आंकड़े समय समय पर प्रकाशित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन के जनवरी, 1967 के अंक में प्रकाशित किये गये "भारत की 1963–64 और 1964-65 की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश सम्बन्धी स्थिति" नामक रिजर्व बैंक के लेख में विदेशी पूंजी की मार्च, 1965 तक भारत में आयी हुई और भारत से बाहर भेजी गयी रकमों के आंकड़े दिये गये हैं । आशा है कि और अधिक हाल के आंकड़े शीघ्र ही उपलब्ध होंगे । यह सूचना गोपनीय समझी जाती है कि प्रत्येक कम्पनी ने कितनी रकमें बाहर भेजी हैं, इसलिए उसे प्रकट करना लोक–हित में नहीं होगा ।

रेडियो सेटों की तस्करी

3279. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन तथा जापान में बने रेडियो सैट भारी संख्या में चोरी छिपे भारत में लाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन रेडियो–सेटों को जाली लाइसेंसों की मदद से नियमित बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यदि इस अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, तो वह क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जर्मनी में बने ट्रांजिस्टर रेडियो का चोरी छिपे भारत में आयात देखने में नहीं आया है । हां, जापान में बने ट्रांजिस्टर रेडियो जरूर पकड़े गये हैं ।

(ख) इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) पिछले कुछ वर्षों में, तस्कर आयात निर्यात निरोधी उपाय, सुदृढ़ बना दिये गये हैं तथा चोरी छिपे लाये गये रेडियो तथा कुछ अन्य वस्तुओं का पता लगाने के काम की सुविधा के लिए हाल ही में सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1969 जारी किया गया है।

Assistance from I. D. A.

3280. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the details of the assistance received by India from the International Development Association during the lass three years;

(b) the terms and conditions relating to the repayment of the amount of assistance and relating to other matters; and

(c) the details of purposes, Plan and non-plan, for which the amount of this assistance was utilized ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The International Development Association has given five Development Credits to India during the last three years. The details are as under :

S. No	Credit	Date of Agreement	Amount in US $ million
1.	Ninth Railway Project.	29.6.1966	68.00
2.	Beas Equipment Project.	29.6.1966	23.00
3.	Third Industrial Imports Project.	19.8.1966	150.00
4.	Fourth Industrial Imports Project.	23.12.1966	65.00
5.	Fifth Industrial Imports Project.	22.1.1969	125.00
		Total:	431.00

(b) The Credits given by the International Development Association are repayable in semi-annual instalments within a period of 50 years including a grace period of ten years. They do not carry any interest charge but only a service charge of ¾ of 1 per cent per annum.

(c) The details are as under :

(1) Ninth Railway Project:

The Credit, which is already closed, was utilized for meeting the foreign exchance cost of imported goods required for Railways, programme for the modernization, expansion and increase in the carrying capacity and effective utilisation of the Railways. It is Plan expenditure.

(2) Beas Equipment Project:

As envisaged in The Indus Water Treaty dated Sept. 19, 1960 (between the Governments of India and Pakistan, and the World Bank) governing the use of waters on the Indus system of rivers, the International Development Association, an affiliate of the World Bank, gave a credit of US $ 23 million to India, in June 1966, for meeting part of the foreign exchange cost of imported equipment and services required to develop

hydroelectric power from the River Beas, to extend irrigation in the Punjab and the Rajasthan and for associated construction. It is Plan expenditure.

(3) Third, Fourth and Fifth Industrial Imports Projects:

These are non-project credits and are utilized for meeting the foreign exchange requirements of imported raw materials, components, spare parts and balancing equipment for the industries engaged in the manufacture of the following goods :-

Commercial vehicles for civilian market.
Agricultural tractors.
Automotive components.
Machine tools and accessories.
Cutting and small tools.
Electrical equipment.
Cables and wires.
Industrial and mining machinery.
Ball and roller bearings.
Fertilizers and pesticides.
Basic non-ferrou metals.
Synthetic rubber.
Castings and forgings.
Metallurgical powders.
Industrial fasteners.
Abrasive grains.
Petrol/Kerosene engines.
Mathematical and scientific instruments.

भारत एल्युमिनियम कम्पनी, लिमिटेड

3281. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने कोयना में स्थापित होने वाले संयंत्र के परियोजना डिजाइन के तैयार करने का काम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को दे दिया है;

(ख) मशीनों के पुर्जे आदि मंगाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने कितनी राशि के लिए गारंटी दी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) विदेशी तकनीकी परामर्शदाताओं के साथ प्रस्तावित करार के अनुसार भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड परियोजना इन्जीनियरिंग कार्य जिसमें विस्तृत परियोजना डिजाइन भी सम्मिलित है राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को देना चाहती है, जोकि तकनीकी परामर्शदाताओं का निर्देशन तथा उनका पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा ।

(ख) मशीनों और सामान के आयात करने पर आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्राक्कलन परामर्श-दाताओं से विस्तृत परियोजना डिजाइन मिलने पर ज्ञात हो सकेगा ।

(ग) विस्तृत परियोजना डिजाइन और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के द्वारा निष्पादन के सम्बन्ध में दृढ़ता । परिशुद्धता की गारन्टी भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त कर ली है ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा विकसित तथा बेचे गये प्लाट

3282. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा दिल्ली में विकसित किये गये तथा बेचे गये प्लाटों की संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त दो वर्षों में निर्मित किये गये तथा बेचे गये मकानों की संख्या कितनी थी;

(ग) विभिन्न आय वर्गों को बिक्री के लिये कितने विकसित प्लाट उपलब्ध किये गये;

(घ) कितने निर्मित मकान बिक्री के लिये तैयार हैं और उन्हें कब तक बेच दिया जायेगा; और

(ङ) आगामी वर्ष में कितने प्लाटों का विकास करने तथा कितने मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) दिल्ली में 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटान योजना के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा 5546 प्लाटों का विकास किया गया था । इन वर्षों के दौरान निपटान किये गये प्लाटों की संख्या 3865 है ।

(ख) अभी तक 1154 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनमें से 766 का निपटान कर दिया गया है ।

(ग) 1931 ।

(घ) 388 फ्लैट । आशा की जाती है कि लगभग दो महीने के भीतर आवंटन पूरा हो जायेगा ।

(ङ) अगले वर्ष में 7168 फ्लैटों के बनाने तथा 4643 प्लाटों का विकास करने का प्रस्ताव है ।

उड़ीसा में कृषि मजदूरों के लिये ग्रामीण भवन निर्माण परियोजना

3283. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में कृषि-मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये ग्रामीण भवन-निर्माण परियोजना आरम्भ की है;

(ख) क्या कोई ऐसी योजना 1966-67 तथा 1967-68 में आरम्भ की गई थी और अब 1968-69 में भी आरम्भ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कहां; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है तथा अपनी-अपनी राज्य योजनाओं (रेसपैक्टिव स्टेट प्लान्स) का अंग होती हैं । अतएव इनकी क्रियान्विति, उनकी अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों पर निर्भर करती है । ज़ाहिरी तौर पर इस कार्यक्रम को उड़ीसा सरकार प्राथमिकता नहीं दे सकी ।

उड़ीसा के गांव में पानी की सप्लाई की समस्या

3284. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई की समस्याओं के बारे में ग्रामीण जल सप्लाई के विशेष जांच डिवीजन ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) उड़ीसा की समस्या के बारे में विशेष जांच डिवीजन की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के०के० शाह): (क) तथा (ख) : विशेष जांच डिवीजन ने एक ग्रामों के नामों, जन-संख्या वर्तमान जल-स्रोत तथा हर ग्राम के लिये प्रस्तावित जल पूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक सूची तैयार कर ली है । समूचे राज्य के लिये मोटे तौर पर कुल लगभग 41.63 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान हैं । उड़ीसा के मुख्य अभियन्ता लोक-स्वास्थ्य से राज्य की ग्राम जलपूर्ति की समस्या का सही मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया है ।

Legalisation of Abortion

3285. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to legalise the abortion as one of the methods for family planning;

(b) whether all the doctors (Government and private) in the country would be allowed to carry out abortion;

(c) the hurdles and difficulties which are likely to come before Government in taking such a step and the reaction of Government thereto; and

(d) how far the abortion is considered to be useful from health point of view and the opinion of famous medical practitioners in the country in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) At present abortion is legally permissible when the health of the mother is in danger as a result of the pregnancy. It is proposed to introduce a Bill in the Parliament to liberalise the existing conditions for termination of pregnancies.

(b) This matter will be appropriately taken care of in finalising the Bill.

(c) The question that will arise after liberalisation of abortion is regarding the arrangements for providing facilities for performing the abortion. Since such cases will be performed in recognised hospitals, no serious hurdless and difficulties are foreseen. All necessary arrangements will have to be made regarding the physical facilities and trained personnel to undertake such abortion.

(d) Abortion undertaken by efficient and trained medical personnel will have little health hazard for the mother. As a matter of fact such termination's of pregnancies will prevent, to a large extent, danger to the life and health of the mother seeking clandestine abortions through untrained dais and quacks etc. Most of the eminent gynaecologists (medical practitioners) are of the same view.

Khetri Copper Complex

3286. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the Fertilizer-cum-Acid plant which is being set up Khetri Copper Complex (Rajasthan) in collaboration with the Fertilizers Corporation of India; and

(b) whether the requisite machinery for the production of both has been imported, and the name of the supplying country and when the production is likely to commence ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The Fertilizer-cum-Acid Plant is not being set up in collaboration with the Fertilizers Corporation of India. Instead, M/s. F. A. C. T. Engineering and Design Organisation—a Division of the Fertilizers and Chemicals, Travancore Ltd., a public sector Co,, have been commissioned by the Hindustan Copper Limited to prepare the detailed project report which is expected by June, 1969.

(b) No machinery has so far been imported. Procurement action would be taken after the detailed project Report is available. Production is likely to commence in 1971-72.

Insanitation Due to Jhuggies in Front of Sewanagar Government Quarters

3287. **Shri Arjun Singh Bhadoria** :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of allottees of Government quarters in Sewa Nagar and Kasturba Nagar, New Delhi have constructed Jhuggis in front of their quarters as a result of which insanitary conditions prevail there;

(b) if so, whether Government propose to demolish those Jhuggies shortly; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Necessary action in the matter is being initiated.

लोह अयस्क कूटने तथा साफ करने के संयंत्रों की स्थापना

3288. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साईजड लोह अयस्क के निर्यात के लिये कूटने तथा साफ करने के संयंत्र स्थापित करने के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) क्या यह प्रक्रिया भारत के इस्पात संयंत्रों को सम्भरण करने के लिये भी लाभप्रद होगी;

(ग) उससे क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे और उस पर क्या लागत आयेगी;

(घ) क्या मशीनरी भारत में बनाई जायेगी अथवा आयात की जायेगी; और

(ङ) यह संयंत्र कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ङ) :— खनिजों (कोयले तथा तेल के अतिरिक्त) विषयक आयोजना दल के लोह अयस्क विषयक उप-दल ने बड़ाजामदा, हल्दिया, बेल्लारी-हास्पेट और गोआ क्षेत्र में, उन क्षेत्रों की गैर-सरकारी खानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, सेन्ट्रल क्रशिंग तथा स्क्रीनिंग प्लांटों की स्थापना के लिये सिफारिश की है। प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इस के लिये सम्भाव्यता अध्ययन तैयार करना होगा, जिस में खान से निश्चित आधार पर अयस्क की उपलब्धता, हिस्सा लेने वाली खानों की संख्या, अयस्क की श्रेणी आदि पर विचार किया जाना है। पूंजीगत और परिचालन लागतों के विषय में कच्चे अनुमान लगाना इस प्रकार के केन्द्रीय संयंत्रों की स्थापना की सम्भाव्यता की जांच कर लेने के पश्चात ही सम्भव हो सकेगा।

हेमावती परियोजना, मैसूर

3289. **श्री क० लकप्पा** :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हेमावती परियोजना को अभी तक तकनीकी रूप से स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के लिये सहायता स्थगित कर दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य की अन्य सिंचाई परियोजनाओं को समाप्त करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। स्कीम को अभी योजना में शामिल करने के लिये स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्कीम के अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर निर्णय लेने के पश्चात ही स्कीम को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है।

कर्मचारियों को लाभ

3290. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1968 के पश्चात से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्या रियायतें दी गई तथा क्या लाभ पहुंचाया गया;

(ख) इन पर कितना अतिरिक्त व्यय हुआ; और

(ग) इनसे 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल करने से पहले कर्मचारियों द्वारा रखी गई मांगे किस सीमा तक पूरी हो जायेंगी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये दो मुख्य आम रियायतें दी गई हैं :—

(I) 1 दिसम्बर, 1968 से महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में मानना;

(II) 1 सितम्बर, 1968 से महंगाई भत्ते में वृद्धि।

(ख) इन रियायतों के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की सही रकम का अनुमान लगाना कठिन है। मोटे तौर पर अनुमान है कि महगाई भत्ते के एक अंश को महगाई वेतन के रूप में मानने के कारण प्रतिवर्ष 17.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा तथा पेंशन में होने वाले खर्च के कारण इस व्यय में प्रतिवर्ष 1.02 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी तथा यह वृद्धि कहीं दस बीस साल में जाकर स्थिर हो सकेगी। अनुमान है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महगाई भत्ते में दी गई वृद्धियों के कारण पूरे वर्ष में लगभग 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित दो रियायतों में से (i) में बतायी गयी रियायत, में कर्मचारियों द्वारा 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल करने से पूर्व पेश की गई मांगों में शामिल थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का कारोबार

3291. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारोबार के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने का जीवन बीमा निगम का वर्तमान प्रबन्धक क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण लोगों तथा कृषक समुदाय में जीवन बीमा को बढावा देने के लिये कोई योजनायें विचाराधीन है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कुल कारोबार का कितने प्रतिशत कारोबार ग्रामीण क्षेत्र में हुआ ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) देहाती इलाकों में, अपने कारोबार के विस्तार के लिये जीवन बीमा निगम ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

संगठन : (I) निगम ने देहाती इलाकों में शाखायें, उप कार्यालय तथा विकास केन्द्र खोले हैं। 31 मार्च, 1968 को देहाती इलाकों में स्थित कार्यालयों की संख्या 31-12-1968 की तुलना में ढाई गुनी थी।

(II) देहाती इलाकों में कारोबार का व्यवस्थित ढग से विकास करने के लिये क्षेत्र को धीरे धीरे सुविधापूर्ण हलकों में बांटा जा रहा है और एक एक हलके की एक एक कार्यकर्ता के अधीन रखा जा रहा है।

(III) देहाती इलाकों में एजेंसियां लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम एजेंटों के लिये व्यापार की न्यूनतम गारन्टी 20,000 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है जबकि शहरी क्षेत्रों के एजेंटो के लिये यह गारण्टी 40,000 रुपये वार्षिक होती है।

(IV) बिना डाक्टरी परीक्षा के बीमा कराने की (सामान्य) योजना के अन्तर्गत मौजूदा सीमा 4,000 रुपये है और इससे देहाती इलाकों में कारोबार के विकास में विशेष सहायता मिलती है। देहाती इलाकों में डाक्टरी परीक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिये निर्धारित योग्यतायें अपेक्षाकृत नीची रखी गई हैं।

कार्य पद्धतियों को सरल बनाना :

(V) निरक्षरता तथा अन्य कारणों से, शुरु शुरु में सही उम्र दर्ज कराने में निगम को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा और सही उम्र का दर्ज होना सभी पालीसीदारों के मामले में आवश्यक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंच, सरपच आदि द्वारा प्रमाणित आयु-घोषणा-पत्र को आयु का प्रमाण मान लेने का निर्णय किया गया।

(VI) जिन स्थानों में बैंक-सुविधा मौजूद नहीं हैं, वहां बीमा किश्तों की अदायगी लेने के लिये खास खास स्थानों में डाकघरों में विशेष व्यवस्था की गई है।

(VII) बीमा अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित बीमा नियमों को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि सहकारी समितियां तथा पंचायतें, निगम के एजेंट के तौर पर काम कर सकें।

प्रचार-कार्य (VIII) देहाती जनता में प्रचार के लिये, उपयुक्त फिल्मों तथा प्रचार सामग्री की बहुत सी प्रचार गाडियां देहाती इलाकों में जाती ही रहती हैं।

(IX) देहाती इलाकों में विकास कर्मचारियों के काम के लिये बहुत सी जीपों की व्यवस्था की गई है।

सामान्य : (X) एजेंटों, विकास अधिकारियों तथा शाखाओं के कर्मचारियों के सभी सम्मेलनों तथा विचार गोष्ठियों में देहाती इलाकों में कारोबार का विकास करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(ख) जी. नहीं।

(ग)

वर्ष	कुल कारोबार की तुलना में देहाती इलाकों में किये गये कारोबार का प्रतिशत अनुपात
1965–66	28.0
1966–67	28.7
1967–68	28.2

Private Medical Practitioners

3292. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the details regarding the memorandum submitted to Government by a delegation of Private Medical Practitioners in India which met him recently;

(b) whether it is a fact that many of the said Medical Practitioners possess experience of 10 to 15 years and they have been serving villages for a long time; and

(c) if so, the reaction of Government in regard to the demands of the said Medical Practitioners and facilities proposed to be provided to them by Government ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) In the memorandum submitted by a delegation of Private Medical Practitioners' Association, the following submissions were made :—

(i) That the unqualified medical practitioners be registered instead of being enlisted as the enlistment takes away many of the rights normally enjoyed by regular qualified medical practitioners.

(ii) That only five years' experience in the profession be taken as sufficient for the purpose of enlistment instead of 10 years' experience, as proposed.

(iii) That all restrictive clauses regarding educational qualification, etc. be removed and they be allowed registration only on the basis of experience in the profession.

(b) Yes, Sir.

(c) The question of permitting unqualified medical practitioners to carry on practice and the conditions attaching to it is still under consideration in consultation with State Governments.

रवीन्द्र रंगशाला

3293. **श्री भगवान दास :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अव्यवसायी/व्यवसायी नाटक मण्डलियों को उनके मंच के लिये विदेशों में निर्मित प्रकाश तथा ध्वनि उपकरणों का आयात करने के हेतु विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे देना सरकार की सामान्य प्रथा है, और

(ख) यदि नहीं, तो रवीन्द्र रंगशाला के लिये इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा मंजूर करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) : अ-व्यवसायी/पेशेतर नाटकर मण्डलियों अथवा अन्य के लिये उपकरणों तथा मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा देने के सम्बन्ध में सामान्य सरकारी नीति निम्नांकित शर्तों के अधीन है :—

(i) मांग की अत्यावश्यकता तथा अनिवार्यता, तथा
(ii) देश में उपलब्ध न होना ।

रवीन्द्र रंगशाला के मामले में आयात की अनुमति देने से पूर्व इन शर्तों के सम्बन्ध में सन्तुष्टि प्राप्त कर ली गयी थी ।

Nationalisation of Mines

3294. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of all types of mines nationalised during the last five years; and
(b) the details of income therefrom before and after their nationalisation ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में कोयले का उत्पादन

3295. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री स० कुण्डू :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले पर स्वामित्व लगाने के मामले पर बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की कोयला खानों में उत्पादन का काम पूर्णतया बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे किस प्रकार की हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ कोयले पर स्वामित्व के बकाया की वसूली में अन्तर्ग्रस्त विषयों पर विचार करने के लिए एक प्रारम्भिक बैठक 19-12-68 को की गई थी । इस विषय में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की छुट्टियों में कमी

3296. श्री ल० लकप्पा :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री स० कुण्डू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की छुट्टियों में कमी में कारण उनमें बहुत असन्तोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन छुट्टियों में कमी करने से पहले सरकार ने कर्मचारी संघ से सलाह की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सभी बैंकिंग संस्थाओं की तरह रिजर्व बैंक भी, परक्राम्य संलेख अधिनियम, (नेगोशियेबुल इंस्ट्रूमेण्ट्स ऐक्ट) 1881 के अन्तर्गत सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा घोषित सभी छुट्टियों के दिन बन्द रहता है ।

ऐसा समझा जाता है कि बम्बई के मजदूर-संघों ने, जिनमें रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ सम्मिलित हैं, कलेंडर वर्ष 1969 के लिये छुट्टियों की संख्या में कमी किये जाने के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास अभ्यावेदन दिये हैं ।

बरौनी तेलशोधक कारखाना

3297. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेलशोधक कारखाने का आरम्भ से प्रतिवर्ष मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से कितना उत्पादन रहा है;

(ख) बरौनी तेलशोधक कारखाने के उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इससे कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई; और

(ग) तेलशोधक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कारखाने ने अपने उत्पादन लक्ष्यों को कहां तक पूरा किया है अथवा कहां तक पूरा नहीं किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सज्जित उत्पादों का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	मात्रा (मीटरी टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1964–65	1,72,611	237.480
1965–66	6,27,745	804.740
1966-67	9,76,053	1588.510
1967–68	14,61,916	2341.810
1968-69 (दिसम्बर 1968 तक)	11,07,473	1703.230

(ख) अब तक बरौनी शोधनशाला के उत्पादों के निर्यात से अर्जित की गई और बचाई गई मुद्रा निम्न प्रकार है:—

कच्चे पेट्रोलियम कोक के निर्यात से अर्जित मुद्रा	लगभग 36.00 लाख रुपये
बचत	6675.77 लाख रुपये

(ग) शोधनशाला कई चरणों में चालू की गई है । लूब आयल ब्लाक यूनिटों के चालन में देरी, कोकिंग यूनिट के चालन में विलम्ब, बिटुमेन आदि के उत्पादन में कठिनाइयों जैसे विभिन्न तथ्यों के कारण, स्थापित क्षमता की तुलना में थ्रूपुट (throughput) के लक्ष्य कम रखे गये । परन्तु 1968–69 के दौरान थ्रूपुट के लक्ष्य से बढ़ जाने की सम्भावना है ।

बिक्री कर को उत्पादन शुल्क के साथ मिलाना

3298. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अदिचन :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि बिक्रीकर को उत्पादन शुल्क के साथ मिला दिया जाये अथवा पहले प्रक्रम पर एक बार ही कर वसूली की व्यवस्था लागू की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) । (क) जी, हां ।

(ख) संविधान के अन्तर्गत, बिक्री कर लगाना सामान्यतः राज्य सरकारों के अधिकार का विषय होने से, केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले चरण में एक बारगी बिक्री कर लगाये जाने की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य सरकारें सामान्यतः इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं कि जिन तीन वस्तुओं अर्थात चीनी (शर्करा), तम्बाकू तथा रेशमी वस्त्रों से भिन्न वस्त्रों पर बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जा चुका है, उनके अलावा अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाय। वर्तमान योजना को इसी रूप में अथवा संशोधनों के साथ जारी रखने के प्रश्न को तथा साथ ही अन्य वस्तुओं पर भी इस योजना को लागू करने के प्रश्न को वित्त आयोग को सौंपा गया है और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

बृहद् कलकत्ता के विकास के लिये मिश्रित पूंजी कम्पनी

3299. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि पश्चिमी बंगाल सरकार बृहद कलकत्ता के विकास हेतु प्रमुख व्यापारिक कम्पनियों की एक मिश्रित पूंजी कम्पनी बनाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है; और

(ग) बृहद कलकत्ता के विकास के लिये वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के दायित्वों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने ऊपर न लेने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पश्चिमी बगाल से अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु कुछ इस विषय में प्रेस रिपोर्ट देखी गयी है।

(ख) सरकारी तथा पर्याप्त ब्यौरे के अभाव में सरकार के लिए इस मामले में कोई निर्णय लेना असामयिक होगा।

(ग) कलकत्ते के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल का है। भारत सरकार कलकत्ता महानगर क्षेत्र में विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देती रही है। पश्चिमी बगाल सरकार को तृतीय योजना अवधि में 420.46 लाख रुपये तक तथा 1966-67 के दौरान 125 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी गयी थी। चालू वर्ष के दौरान 2.30 करोड़ रुपए का तदर्थ नियतन भी किया गया है।

सेंट्रल बैंक के पास "स्टेट्समैन" के शेयर

3300. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को समाचारपत्रों के शेयर खरीदने की अनुमति है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दैनिक "स्टेट्समैन" के 7 प्रतिशत शेयर खरीद रखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 में निर्धारित कुछ सामान्य प्रतिबन्धों को छोड़कर, किसी बैंक के लिये, किसी कम्पनी के शेयर खरीदने की मनाही नहीं है। इस अधिनियम की उप-धारओं 19(2) और 19(3) के अनुसार बैंक गिरवीदार या बन्धक-ग्राही के रूप में या पूर्ण स्वामित्व के आधार पर अपने पास किसी कम्पनी के उतनी रकम के शेयर रख सकते हैं जो उस कम्पनी की चुकता हिस्सा पूंजी के 30 प्रतिशत भाग और उसकी अपनी चुकता हिस्सा पूंजी तथा प्रारक्षित निधि के जोड़ के 30 प्रतिशत भाग दोनों में जो कम हो, उससे ज्यादा न हो। लेकिन बैंकों को किसी ऐसी कम्पनी के शेयर खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती जिसके प्रबन्ध में, बैंक के किसी प्रबन्ध-निदेशक या प्रबन्धक का किसी प्रकार का सम्बन्ध या स्वार्थ हो।

कलकत्ता में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था का विकास

3301. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा दिये गये हाल के इस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्र से अनुरोध किया गया है कि वह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, कलकत्ता के विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भाषण के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : राज्यपाल का भाषण भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है तथापि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान कलकत्ता को भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने के सम्बन्ध में पहले मिले एक प्रस्ताव को सरकार ने नहीं माना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का किसी भी राज्य में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान को अपने हाथ में लेने अथवा स्थापित करने का विचार नहीं है।

पश्चिमी बंगाल की पाँचवें वित्त आयोग से धनराशियों की मांग

3302. **श्री बदरूद्दुजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) पहले, (2) दूसरे, (3) तीसरे और (4) चौथे वित्त आयोग ने केन्द्रीय निधियों के राज्यों में नियत हेतु क्या सूत्र अपनाये थे;

(ख) पहले, दूसरे, तीसरे, और चौथे वित्त आयोगों के द्वारा बनाये गये सूत्रों के आधार पर प्रत्येक राज्य को कैसे केन्द्रीय कर और केन्द्रीय अनुदानों को दिया गया;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पांचवें वित्त आयोग को एक व्यापक ज्ञापन भेजा है जिससे राज्य के लिये अधिक नियतन के दावे को प्रमाणित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या बातें दर्ज हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : तीन विवरण साथ लगाये गये हैं जिनमें आवश्यक सूचना दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 376/69]**

(ग) मालूम हुआ है कि पांचवें वित्त आयोग को पश्चिम बंगाल सरकार से 13 मार्च, 1969 को एक विस्तृत ज्ञापन मिला है जिस पर आयोग को अभी विचार करना है।

(घ) जिन विषयों पर पांचवें वित्त आयोग को रिपोर्ट देनी है उन के संबंध में आयोग को प्राप्त होने वाले पत्र, आयोग द्वारा अपनाये गये प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार गोपनीय समझे जाते हैं।

भारत सहायता क्लब से ऋण

3303. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडु :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 1969–70 के लिए भारत सहायता क्लब से 90 करोड़ डालर ऋण की मांग की है;

(ख) उस पर भारत सहायता क्लब की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किन–किन परियोजनाओं के लिये ऋण मांगा गया है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने चालू वर्ष के लिए भी इतनी ही राशि की सिफारिश की है परन्तु उसमें से केवल 64 करोड़ रुपये 50 लाख डालर प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रयत्न किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) और (ङ) : भारत सहायता संघ की 23 और 24 मई, 1968 को हुई बैठक में विश्व बैंक का यह अनुमान स्वीकार कर लिया गया है कि भारत को 1968–69 में प्रायोजना–सहायता से भिन्न 10000 लाख डालर की सहायता की आवश्यकता होगी जिसमें लगभग 1000 लाख डालर की ऋण–परिशोध–सम्बन्धी सहायता शामिल है। इसके आधार पर, अब तक प्रायोजना-सहायता से भिन्न 6420 लाख डालर की सहायता के वचन प्राप्त हुए हैं जिसमें 1014.1 लाख डालर की ऋण–परिशोध–सम्बन्धी सहायता शामिल है।

Payment of Central Rates of D. A. To State Government Employees

3304. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of States which have started paying or have decided to pay Dearness Allowance at the Central rates to their non-gazetted employees ;

(b) whether this allowance is paid to the employees in cash in full or a part thereof is deposited in their Provident Fund;

(c) the names of States which have not so far started paying Dearness Allowance at the Central rates and the reasons therefor;

(d) whether the Government of India propose to give special financial assistance to those State to enable them to do so; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) As per information readily available, it appears that the following States are paying or have decided to pay Dearness Allowance at Central rates :

1. Haryana
2. Punjab
3. Rajasthan
4. Madhya Pradesh
5. Mysore
6. Andhra Pradesh
7. Tamil Nadu

In the case of the last two States, and possibly Mysore also, while the rates are the same, there is a slight difference in one of the pay slabs.

(b) In Andhra Pradesh, part of Dearness Allowance is paid in cash and part deposited in Provident Fund.

(c) The States not mentioned above are not paying Dearness Allowance at Central rates. The reasons therefor can be given by them only.

(d) No, Sir,

(e) The cost of State administration has to be paid for by the State Government themselves.

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने

3305. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री घि० न० देव :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान देश में कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखाने खोलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों की स्थापना के लिये स्थानों की प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : देश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना के बारे में अभी कोई दृढ़ निर्णय नहीं किया गया है।

दिल्ली विद्युत सम्भरण उपक्रम द्वारा पंजाब को बिजली की सप्लाई

3306 : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत सम्भरण उपक्रम ने पंजाब में बिजली की कमी पूरा करने के लिये पंजाब सरकार को बिजली सप्लाई करने का निर्णय किया हैं;

(ख) यदि हां, तो पंजाब राज्य की मांग क्या है और इस अतिरिक्त सप्लाई से वह कहां तक पूरी होने की आशा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब की बिजली की मांग पूरा करने के लिए राज्य के अपने बिजली उत्पादन के संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया था; और

(घ) यदि हां, तो राज्य को बिजली के सम्भरण के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है और वह राज्य कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) भाखड़ा नांगल प्रणाली से मिलने वाली अपनी बिजली में कटौती कर के दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम इस समय 40 मैगावाट बिजली दे रहा है ताकि पंजाब उस बिजली को अपने लिए प्रयोग में ला सके।

(ग) और (घ) : यह निर्णय किया गया है कि बिजली के लिये आयोजन अलग अलग राज्यों के आधार पर न करके क्षेत्रीय आधार पर किया जाए। 1200 मैगावाट भाखड़ा नंगल परियोजना, जो कि अब काम कर रही है और निर्माणाधीन 240 मैगावाट पोंग बांध परियोजना तथा 660 मैगावाट ब्यास-सतलज सम्पर्क से अपने शेयरों के अतिरिक्त उपयोगार्थ उपलब्ध शक्यता केवल 200 मैगावाट (लगभग) है।

बहाहाल हिमाचल प्रदेश और जम्मू व काश्मीर में उपलब्ध पन-बिजली शक्यता के संदर्भ में यह राज्य बहुत अनुकूल स्थिति में है। अतः पंजाब में बिजली की भावी मांगों को, पंजाब राज्य की सीमा के बाहर उत्तर क्षेत्र में ही कार्यान्वित की गई परियोजनाओं से पूरा किया जाएगा। इस बीच, इस क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, उत्तर प्रदेश के राज्य और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ के संघीय प्रदेश शामिल हैं, की बिजली प्रणालियों को आपस में जोड़ा जा रहा हैं, ताकि प्रणालियों का समेकित प्रचालन हो सके, जिस से क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। उत्तरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता संबंधी प्रस्तावों पर, चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के संबंध में विचार हो रहा है।

बैंकों में जमा राशियों की स्थिर ब्याज दरें

3307. **श्री क० मि० मधुकर :**
डा० रानेन सेन :
श्री जनार्दनन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंक संघ ने बैंकों में जमा राशियों की स्थिर ब्याज दरों के लिये राष्ट्रीय ऋण परिषद् को अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नाइलन धागे की तस्करी

3308. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1969 के कलकत्ता के "स्ट्रेसमैन" में भारत में नाइलन धागे के निर्माताओं द्वारा दिये गये इस आशय के विज्ञापन की ओर दिलाया गया है कि देश में प्रतिदिन जो नाइलन धागा चोरी छिपे लाया जा रहा है वह देश में नाइलन धागे के दैनिक उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कथन में कोई सार है;

(ग) क्या सरकार देश में नाइलन धागे की इस तस्करी को रोकने में असमर्थ रही है; और

(घ) क्या चोरी छिपे लाए जाने वाले नाइलन धागे के भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रयोग को रोकना सरकार के लिए संभव नहीं है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि नाइलन धागे का कुछ तस्कर-आयात होता है, तथापि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह लगे कि देश में प्रतिदिन चोरी-छिपे लाये गये नाइलोन धागे की मात्रा, भारत में नाइलोन धागे के प्रतिदिन के उत्पादन के 50 प्रतिशत के बराबर है।

(ग) नाइलोन धागे सहित सभी विदेशी माल का भारत में चोरी छिपे आयात को रोकने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे है। नाइलोन धागे तथा अन्य वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने के प्रयोजन से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में अतिरिक्त उपबन्ध जोड़ते हुए हाल ही में सीमाशुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1969, जारी किया गया है।

(घ) उद्योग में, चोरी छिपे लाये गये नाइलोन धागे के प्रयोग को रोकने की दृष्टि से ही, इस धागे को (भी) सीमाशुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1969 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। चोरी छिपे आयात किये गये धागे को काम में लेने से रोकने में अध्यादेश के उपबन्ध समर्थ हो सकेंगे।

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

3309. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रमानी :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया को हड़ताल करने को नोटिस दिया है,

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के कब आरम्भ होने की संभावना है;

(ग) किन मांगों और शिकायतों के कारण हड़ताल का नोटिस दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने विवाद को समाप्त करने और हड़ताल को न होने देने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई के रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने, जो मान्यता-प्राप्त संघ नहीं है 29 जनवरी, 1969 को रिजर्व बैंक को नोटिस देकर यह सूचित किया था कि 12 फरवरी, 1969 से या उस के बाद किसी भी दिन से, हड़ताल करने का उसका विचार है।

(ख) प्रस्तावित हड़ताल अब तक नहीं की गयी है।

(ग) जुलाई से सितम्बर, 1968 तक की अवधि के लिए अधिक अदा की गयी महंगाई भत्ते की रकम की वसूली और चिकित्सा-सहायता तथा चिकित्सा-सम्बन्धी खर्च के बारे में दिये गये पंच-फैसले की व्यवस्थाओं के तथाकथित अपालन के विरोध में हड़ताल का नोटिस दिया गया था।

(घ) समझौता कराने के उद्देश्य से बम्बई के सहायक श्रम-आयुक्त ने 12 फरवरी, 1969 को बैंक संघ के प्रतिनिधियों से इस मामले पर अलग,अलग बातचीत की थी। चूंकि कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए आयुक्त ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12(4) के उपबन्धों के अनुसार यह लिख दिया कि समझौते की बातचीत सफल नहीं हुई।

मंगलौर उर्वरक कारखाना

3312 **श्री लोबो प्रभु** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर उर्वरक कारखाने के लिये लाइसेंस दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ख) विलम्ब के कारण कारखाने की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) उर्वरक कारखाने के लिये कितनी भूमि अर्जित की गई और इसे कैसे प्रयोग में लाया जा रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मंगलौर में उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये मैसर्स मालबार कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० को 8-12-1968 को एक लाइसेंस दिया था। कम्पनी ने उत्पाद मिश्रण के बारे में लाइसेंस में संशोधन करने के लिये हाल ही में सरकार को लिखा है। कम्पनी ने सहयोग, वित्त व्यवस्था तथा प्रबन्ध की एक नई स्कीम का भी प्रस्ताव दिया है। इन पर सावधानी से जांच की जानी है क्योंकि ये मूलरूप में अनुमोदित स्कीम से बिल्कुल भिन्न है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी ने 310 एकड़ भूमि अर्जित कर ली है और स्थल का प्रारम्भिक विकास कार्य अप्रैल। मई, 1969 से हाथ में ले लिया जायेगा।

Foreign Exchange to Foreign Artistes for Performances in Hotels

3313. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 771 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the "Arirang Dance troupe" of South Korean Cabaret dancers which came to Delhi recently presented many dance performances in 1968 in many big cities in India including at the Metro Hotel, New Delhi;

(b) whether permission was accorded to foreign dancers for presenting Cabaret dance shows at Hotels 'Imperial', 'Vikram', 'Ambassador' etc. in New Delhi and also in other big cities during the last three years; and

(c) if so, the total foreign exchange taken away by all such foreign artistes including the 'Arirang Troupe' ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. The Arirang Dance Troupe gave performances only in New Delhi. The Troupe came here for a cultural performance at their Chancery and for subsequent stay as tourists. When they started giving other dance performances, steps were taken to terminate their stay in India. No foreign exchange remittance facilities were allowed.

(b) During the last three years no visas were granted to foreign artistes to come to India for giving Cabaret performances on commercial basis. However, requests for permission to perform received from some foreigners who were permanent or old residents of India were considered on merits and granted subject to the condition that no remittance abroad would be involved.

(c) Does not arise.

महाराष्ट्र में बैंकों द्वारा कृषि ऋण सुविधायें

3314. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में बैंकों ने कृषि ऋण सुविधाएं देने का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से किसान कहां तक लाभान्वित होंगे;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी प्रणाली को लागू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : राष्ट्रीय ऋण परिषद ने इस बात पर जोर दिया है कि सब वाणिज्यिक बैंक कृषि के वित्त-प्रबन्ध में अधिक योगदान दें। तदनुसार यह आशा है कि कृषि सम्बन्धी ऋणों के क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकलाप में महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अन्य सभी राज्यों में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश मे भी किसानों को ऋण देने के लिये बैंकों ने योजनाएं बनायी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय विकास की कुछ योजनाएं तैयार की हैं और उन योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं—नलकूपों का निर्माण और उन्हें बिजली से चलाने की व्यवस्था करना, पम्प सैट-लगाना, सिंचाई के छोटे कार्य और अधिक उपज देने वाले बीजों के कार्यक्रम का विकास। आशा है कि वाणिज्यिक बैंक इन योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था करने में सरकार को अपना योगदान देंगे।

सिंगारेनी कोयला खानें

3315. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 फरवरी, 1969 को श्रमिक सिंगारेनी कोयला खानों की कुछ खानों में कार्य पर नहीं आये;

(ख) क्या श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ-राव) : (क) से (ग) : आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में तेलंगाना-सुरक्षा के प्रश्न पर हुए दंगों के दौरान, पुलिस को बाधित हो कर 31 जनवरी, 1969, को गोदावरी खनि (रामगुन्दम प्रभाग) में और 4 फरवरी, 1969 को रामकृष्णापुर में हिंसात्मक भीड़ पर, जिस में अधिकतर कर्मचारी थे, गोली चलानी पड़ी। गोदावरी, खनि (रामगुन्दम) में उपद्रवी भीड़ ने आंध्र क्षेत्र के लोगों पर आक्रमण किये और आगें लगाई तथा लूटमार की। आंध्र क्षेत्र से आये हुए कर्मचारियों के घरों को लूटा गया तथा उन कर्मचारियों को अपने परिवारों सहित वह स्थान छोड़ने की धमकी दी गई। रामकृष्णापुर में एक भीड़ ने कालोनी क्षेत्र पर आक्रमण किया तथा कंपनी की कालोनी में एक अंडर-मैनेजर के मकान को लूटा। अंडर-मैनेजर के मकान पर हुए हमले के दौरान, जब मकान के लोगों की जानें खतरे में थी तब पुलिस को जिसकी संख्या भीड़ की तुलना में बहुत कम थी, गोली चलानी पड़ी।

इन दंगों के परिणामस्वरूप गोदावरी खनि (रामगुन्दम) में 31 जनवरी, 1969 को दूसरी तथा तीसरी पारियों में तथा रामकुष्णापुर में 6 फरवरी, 1969, को पहली पारी में कर्मचारी अपने कार्य से गैर-हाजिर हुए।

सरजू परियोजना

3316. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सरजू परियोजना को पूरा करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसमें कोई विलम्ब हुआ है; और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल

3317. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एक तिहाई बच्चे पांच वर्ष की आयु के होने से पहले ही मर जाते हैं और प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार के लिये जाने वालों में 55 प्रतिशत बच्चे होते हैं;

(ख) क्या इस समस्या की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और बच्चों के स्वास्थ्य की अच्छी तरह देखभाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) 20 से 25 प्रतिशत तक बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य के आँकड़ों से पता चलता है कि बहिरंग रोगियों में 50 से 55 प्रतिशत तक बच्चे चिकित्सा के लिए आते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) पांच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु की जांच से पता चलता है कि यह कारण दो मुख्य वर्गों में आते हैं। (1) समय से पूर्व जन्म, जन्म के समय कम वजन होना, श्वासावरोध,

और जन्मजात दोष। (2) छूत की बीमारियां, पेट की बीमारियां, और श्वास रोग तथा कुपोषण ।

बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए किए गए उपाय

(1) माताओं और बच्चों के लिए संस्थानिक और गृह संबन्धी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

(2) संचारी रोगों का नियंत्रण ।

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(ख) डिप्थेरिया, कुकर खांसी, पोलियो और टेटनस जैसे रोगों से बच्चों के बचाव के लिए वेक्सीनों का स्थानीय उत्पादन ।

(3) माताओं और बच्चों के पोषण में सुधार ।

(4) स्वच्छ जल की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था में सुधार ।

(5) चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

दक्षिण में नदी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के दल का दौरा

3318. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री नीति राज सिंह चौधरी :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में विश्व बैंक का एक दल दक्षिण में कुछ नदी परियोजनायें देखने गया था;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी, विश्व बैंक का यह दल किस प्रयोजन से उन्हें देखने गया था; और

(ग) जिन कुछ नदी परियोजनाओं को उस दल ने देखा था क्या उनके लिये दी गई विश्व बैंक की सहायता के उपयोग के बारे में दल संतुष्ट था ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) (1) तमिलनाडु में क्रावेरी डेल्टा ।

(2) आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं में जल निकास और भूवर्ती जल की स्कीमें ।

(3) आंध्र प्रदेश में प्रोचम्पाद परियोजना ।

(4) मैसूर में उपरली कृष्णा परियोजना। इस दल के दौरे का उद्देश्य मोटे तौर पर यह था : (i) चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में भारत सरकार के जल संसाधन विकास कार्यक्रम का पुनरवलोकन, (ii) विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता लेने के लिये जो बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाएं संभवतः बहुत उपयुक्त हों उनका चयन करना, और (iii) इस प्रकार चुनी गई परियोजनाओं को के लिये अपेक्षित परियोजना के आकार, प्रकार और उसको तैयार करने से सम्बद्ध अन्य कार्य के प्राव-स्थाभाजन का पता लगाना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस दल ने ऐसी किसी परियोजना का दौरा नहीं किया है जिस के लिये विश्व बैंक से सहायता मिल चुकी हो।

विदेशों को योग्यता-प्राप्त डाक्टरों का बहिर्गमन

3319. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो देश में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की आवश्यकता प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है किन्तु दूसरी ओर योग्यता-प्राप्त डाक्टरों का विदेश-गमन बढ़ता जा रहा है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी; और

(ग) योग्य डाक्टरों के विदेश गमन की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए डाक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए दो डाक्टरों के हिसाब से 10,500 डाक्टरों की जरूरत होगी। इस समय 4474 डाक्टर काम कर रहे हैं और इस हिसाब से 6026 और डाक्टरों की आवश्यकता होगी।

(ग) 1500 वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले दस नये मेडिकल कालेजों की स्थापना करने का विचार है। वर्तमान वार्षिक प्रवेश क्षमता 11,500 है। भारतीय डाक्टरों की विदेश में रोज-गार तलाश करने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए सरकार ने भारत में एजूकेशन काउन्सिल फार फारेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की परीक्षा लेना बन्द कर दिया है।

विदेशी राजनयिकों द्वारा बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाते खोलना

3320. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के 'स्टेट बैंक'' से कहा गया है कि भारत में विदेशी राजनयिकों को बैंक में विदेशी मुद्रा के खाते खोलने की सुविधाएं दी जायें;

(ख) योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा की कितनी और आय होगी और क्या विदेशी राजनयिकों ने यह योजना पसन्द की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : राजनयिक मिशनों तथा राजनयिकों द्वारा महसूस की गयी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उन्हें इस शर्त पर विदेशी मुद्रा के खाते खोलने तथा चलाने की विशेष सुविधा दी है कि ये खाते भारतीय राज्य बैंक के नयी दिल्ली, पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित कार्यालय में खोले जायं। विदेशी मुद्रा के ये खाते विदेशों से विदेशी मुद्रा की रकमों के भेजे जाने पर ही खोले जा सकेंगे। इसके अलावा यदि खाते में जमा विदेशी मुद्रा की रकम के किसी भाग को एक बार रुपयों में परिवर्तित कर दिया जायगा तो उस रकम को विदेशी मुद्रा के खाते में वापस डालने की इजाजत नहीं होगी। यदि राजनयिक मिशन विदेशों से इकट्ठी रकमें प्राप्त करें तथा उनके लिए अपने हक में भारतीय राज्य बैंक में विदेशी मुद्रा के खाते में सीधे रकमें मंगाना संभव न हो तो भारत में रकमें प्राप्त करने वाले बैंक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह, प्राप्त रकमों का वह भाग विदेशी मुद्रा में ही भारतीय राज्य बैंक में सीधे अन्तरित कर दें, जो विदेशी मुद्रा के खाते के लिए भेजा गया हो। जब तक विदेशी मुद्रा के रूप में सीधे रकमें प्राप्त न हों तब तक इन खातों में रकमें जमा करने पर प्रतिबन्ध होगा लेकिन इन खातों से विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

चूंकि विदेशी मुद्रा के खातों में जमा सभी रकमें अबाध रूप से बाहर भेजी जा सकती हैं, इसलिए हो सकता है कि देश की विदेशी मुद्रा की आय में प्रत्यक्ष रूप से कोई वृद्धि न हो। अभी तक राजनयिकों की किसी विपरीत प्रतिक्रिया का पता नहीं चला है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना

3321. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारश के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की छानबीन हेतु लेखा परीक्षा बोर्ड स्थापित करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड सभी उपक्रमों के लेखों की एक ही समय पर छानबीन करेगा अथवा यह बारी बारी से किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो 1969-70 के दौरान कितने उपक्रमों की लेखापरीक्षा की जायेगी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। पहली अप्रैल, 1969 से लेखा-परीक्षा बोर्ड स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

(ख) बोर्ड सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की व्यापक जांच और उनका मूल्यांकन एक साथ नहीं करेगा, बल्कि हर साल, कुछ चुने हुए उपक्रमों की व्यापक जांच और मूल्यांकन करेगा।

(ग) लेखा-परीक्षा बोर्ड की स्थापना होने के बाद उपक्रमों का आवश्यक चुनाव किया जायगा। 1969-70 में, जांच और मूल्यांकन के लिए सम्भवतः 8-10 उपक्रमों का चुनाव किया जायगा।

Seth J. B. Mangharam Bank in Gwalior

3322. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Seth J. B. Mangharam and Company have opened a bank in Gwalior in which people have deposited big amounts;

(b) whether it is also a fact that the said bank has stopped payments to the persons who opened their accounts there, thereby causing great concern among the public;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the action taken to save the public from any loss as a result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

Damage Developed in Embankments of newly built Chambal Canal

3323. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the embankments of newly built Chambal Canal in Madhya Pradesh have given way at many places and if so, the details thereof;

(b) when the repair work would be completed and the estimated expenditure involved thereon; and

(c) the persons responsible for such losses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) : The right main canal upper of the Chambal Canal in Madhya Pradesh breached in a length of 60 ft. at mile 96 on the 24th October, 1968. After temporary repairs, water was let down on the 6th December, 1968. A second breach occured at mile 12 of right lower main canal in a length of about 20 ft. on the 5th January, 1969. This has also been temporarily repaired and water was allowed to run from the 3rd February, 1969. The State Government propose to constitute a high powered Committee to enquire into the circumstances and causes leading to the breaches of the canal, apportion responsibility, recommend adequate remedial measures and to suggest necessary precautions to prevent

such happenings in future. The State Government have stated that pending submission of the report and examination of the recommendations of the Committee, no indication regarding the probable date of completion of the major repair work or the estimated expenditure involved therein can be given at this stage.

वनस्पति घी में मिलावट

3324. **श्री हेमराज :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति घी में बढ़ती हुई मिलावट के मामलों की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चतुर्थ योजना में मूल्य स्तर बनाये रखना

3325. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मूल्य स्तर बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी, मूल्यों की स्थिरता कई बातों पर निर्भर रहेगी, जिनमें कृषि-उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में आवश्यक बृद्धि करना, अत्यावश्यक कृषि-पदार्थों के, संकट के समय काम आने वाले भण्डार बनाना और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी लगाने के कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाने के लिए साधन जुटाना शामिल हैं ।

पेट्रो-केमिकल्स उद्योग समूह

3326. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में बिहार में बरौनी तेलशोधक कारखाने और केरल में कोचीन तेलशोधक कारखाने में पैट्रो-केमीकल्स उद्योग समूह स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना का पूंजीगत परिव्यय कितना है ; और

(ग) पैट्रोल से बने उत्पादों और उत्पाद जो तेल क्षेत्रों के इन तेलशोधक कारखानों में बरबाद हो रहे हैं पैट्रो-कैमिकल्स उद्योग समूह योजना के अन्तर्गत कहां तक उपयोग किया जायेगा और चौथी योजना के अन्त तक ऐसे कितने उत्पादन तथा उपोत्पाद का उपयोग शेष रह जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) बैनजीन, आर्थो- जाइलीन । नेफथालीन तथा पी-जाइलीन आदि का कई चरणों में निर्माण करने के लिये बिहार में बरौनी नामक स्थान पर एक एरोमैटिक्स सन्यन्त्र लगाने का प्रस्ताव है। इस समय निर्माणाधीन उर्वरक कारखाने के अलावा कोचीन शोधनशाला के निकट पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना करने की कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) योजनाओं के ब्यौरे तथा प्रत्येक योजना के पूंजीगत परिव्यय का आंकन किया जा रहा है । चौथी योजना में बरौनी समूह के लिये अस्थाई तौर पर 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि पैट्रोलियम उत्पादों तथा उपोत्पादों को शोधन-शालाओं पर अब अपव्यय किया जा रहा है। चौथी योजना के प्रोग्राम का लक्ष्य सम्बन्ध उत्पादों का पूरी तरह तथा श्रेष्टतर आयोग करना है ।

Irregularities Committed by Contractors and Engineers of C. P. W. D.

3327. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the cases of irregularities committed by the contractors and engineers in the contracts for various construction works of national importance under taken by C. P. W. D. have come to the notice of Government from time to time ; and

(b) whether Government propose to appoint a Committee consisting of Members of Parliament to look into such matters ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. In 1962, a committee consisting of some Members of Parliament and others, presided over by Shri K. Santhanam, was appointed to consider and suggest steps for checking corruption in Government Departments. This Committee had also examined the extent, scope and modes of corruption in the Central P. W. D. and made recommendations for the eradication of corruption in that Department.

खम्भात में तेल के लिए ड्रिलिंग

3328. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात में तेल के लिए ड्रिलिंग करने का काम विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस काम के लिये भारतीय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख): जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Expenditure on Family Planning Programme in States

3330. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount spent in each State under the Family Planning Programme during the period from the 1st April, 1968 to 31st December, 1968 ; and

(b) the amount spent on publicity, travelling allowance of employees and other items, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

नाइलोन के धागे का उत्पादन

3331. **श्री चिति बाबू** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायर की डोरी को छोड़ कर भारत में वर्ष 1968 में नायलोन के धागे का कुल उत्पादन कितना था ;

(ख) क्या चौथी योजना की अवधि में सरकार का विचार उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी योजना क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) 5,227 मीटरी टन।

(ख) और (ग) : चौथी योजना में प्रतिवर्ष 15000 मीटरी टन नाइलोन धागे की कुल क्षमता की स्थापना प्रस्तावित है।

दक्षिण कनारा में हलाडी बांध

3332. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में हलाडी बांध पर कितना खर्च होने का अनुमान है और इससे कितनी भूमि की सिंचाई होगी ;

(ख) परियोजना को समाप्त करने के लिये जो गणना की गई है क्या उसको चुनौती दी गई है ;

(ग) क्या बालकूर और अंगाली बांधों में हलाडी नदी के लिये नदी संरक्षण योजना के बारे में योजना और अनुमान पूरे हो गये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने हलाडी बांध योजना के साथ-साथ नदी संरक्षण योजना की जांच की है ;

(ङ) क्या बालकूर और अंगाली में बाढ़ की जो नवीनतम सूचनाएं मिली है वे हलाडी योजना से सम्बन्धित हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (च): इस संबंध में जानकारी मैसूर सरकार से प्रतीक्षित है और इसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

दक्षिण कनारा जिले में बाक्साइट के निक्षेप

3333. **श्री लोबो प्रभु :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले के पुदुवेरे गांव में बाक्साइट के निक्षेपों के लिये किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पाये गये बाक्साइट की किस्म केवल शेवरोज में पाये गये बाक्साइट से ही गिरी हुई है अन्य स्थानों के बाक्साइट से नहीं ;

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में निक्षेपों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या बाद में स्थापित किये गये एल्यूमीनियम कारखानों का अच्छी किस्म के बाक्साइट या अन्य स्थानीय संसाधनों पर निर्भर कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) पुदुवेरे बाक्साइट का मैसूर सरकार के खान तथा भूविज्ञान विभाग तथा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अन्वेषण किया गया है । अनुमानित उपलभ्य राशियां औसतन 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत ए 12०3 और ऊंची लोह-आक्साइड मात्रा के साथ 66 लाख मैट्रिक टन के स्तर की है ।

(ख) पुदुवेरे के बाक्साइट में शेवरांय तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाक्साइट निक्षेपों की तुलना में एल्यूमिना की मात्रा कम तथा लोह-आक्साइड की मात्रा ऊंची है ।

(ग) ऐसा मालूम हुआ है कि मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी अब अपने खनन कार्यों को तामिलनाडु में अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करने के अतिरिक्त, मैत्तूर (मद्रास) स्थिति अपने वर्तमान एल्यूमिनियम प्रद्रावक के विस्तार के लिये बाक्साइट की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के विचार से, मैसूर राज्य के उत्तर तथा दक्षिण कनारा जिलों में बाक्साइट निक्षेपों का पूर्वेक्षण कर रही है ।

(घ) बेलगाम (मैसूर। में एक नये प्रद्रावक की स्थापना का कार्य प्रगति पर है । यह प्रद्रावक महाराष्ट्र राज्य के साथ लगने वाले क्षेत्रों के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित है, जो कि पुदुवेरे और शेवराय के बाक्साइट की तुलना में उच्च श्रेणी के हैं ।

योजना में सिचाई के लिये चौगुनी वृद्धि

3334. **श्री लोबो प्रभु :** क्या सिचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष के एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि ऋण या अन्य खर्च को कम करके योजना में सिचाई के लिये निर्धारित की गई धनराशि में चौगुनी वृद्धि की जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : समाचारपत्र की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष ने काग्रेस कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत एक नोट में सिचाई व बिजली परियोजनाओं के लिए अत्यधिक प्राथमिकता पर जोर दिया है । इस विषय पर औपचारिक रूप से कोई पत्र नहीं आया है ।

उद्योगों के लिए गंधक का आयात

3336. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में प्रत्येक उद्योग को चलाने के लिये कितनी मात्रा में गंधक की आवश्यकता हुई तथा वर्ष 1969-70 के लिये कितनी आवश्यकता का अनुमान है ;

(ख) कितनी मात्रा में गंधक का आयात करने की आवश्यकता होगी ;

(ग) गन्धक की मांग को कम करने के लिये गन्धक पर आधारित उद्योगों के स्थान पर प्रति वर्ष पाइराइट पर आधारित उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है तथा प्रत्येक उद्योग के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) गन्धक के आयात को कम करने के लिये चौथी योजना में क्या कार्यवाही की जायेगी तथा योजना की अवधि की समाप्ति तक यह उद्योग किस सीमा तक गन्धक के आयात पर निर्भर नहीं करेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) 1967-68। 1968-69 तथा 1969-70 के लिये उर्वरक उद्योग के लिए अपेक्षित गन्धक की मात्रा का अनुमान निम्न प्रकार है :-

1967-68	1,95,000	मीटरी टन
1968-69	2,00,000	" "
1969-70	3,68,000	" "

अन्य उद्योगों के बारे में सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) क्योंकि देश में तत्वीय गंधक का कोई साधन नहीं है, इस की सभी आवश्यकताएं आयात की जाती हैं।

(ग) पाइराइट पर आधारित सल्फ्यूरिक एसिड सन्यन्त्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रस्ताओं को कार्यान्वित किया जा रहा है :

	परियोजना	प्रगति
(1)	सिन्दरी में प्रतिदिन 400 मीटरी टन का सलफ्यूरिक एसिड प्लान्ट	सन्यन्त्र के शीघ्र ही उत्पादन करने की आशा है। परीक्षण चालन प्रगति पर है।
(2)	सिन्दरी युक्तिकरण (रेशनलाईजेशन) स्कीम के अन्तर्गत सिन्दरी में प्रतिदिन 880 मी० टन का सलफ्यूरिक एसिड प्लान्ट	प्लान्ट, उपकरण आदि के लिए ठेके किये गये हैं। 1971 के मध्य तक प्लान्ट के चालू होने की सम्भावना है।
(3)	मैसर्स कोमिनको बिनानी जिंक लि० द्वारा अल्वाये में आयातित जिंक पाइराइट्स सान्द्रणों पर आधारित - प्रतिदिन 100 मी० टन का सलफ्यूरिक एसिड प्लान्ट	1967 में उत्पादन शुरु हुआ।
(4)	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि०द्वारा उदयपुर के पास देबरी नामक स्थान पर देशीय जिंक पाइराइट्स पर आधारित प्रतिदिन 80 मी० टन का सलफ्यूरिक एसिड प्लान्ट	1967 में उत्पादन शुरु हुआ।
(5)	हिन्दुस्तान कापर कारपोरेशन लि० द्वारा खेतरी में देशीय तांबा पाइराइट्स पर आधारित प्रतिदिन 600 मी० टन का सलफ्यूरिक एसिड प्लान्ट	जून 1972 में चालू होने की आशा है।
(6)	मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन लि० द्वारा बिहार में घाटसिला पर देशीय तांबा पाइराइट्स पर आधारित प्रतिदिन 120 मी० टन का सलफ्यूरिक एसिड प्लान्ट	1970-71 में चालू होने की सम्भावना है।

(घ) चौथी योजना के प्रस्ताव अभी तक तैयार हो रहे हैं। तथापि इलैक्ट्रो थर्मल फोसफोरस, नाइट्रिक अमल, हाइड्रोक्लोरिक अमल, आयातित फोसफोरिक अमल आदि के इस्तेमाल से फोसफोरिक उर्वरकों के निर्माण के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव कार्यान्वित किये जाते हैं तो 1973-74 तक गंधक की आवश्यकताएं लगभग 1.05 मिलियन मीटरी टन तक कम होने की सम्भावना है।

लोकतक परियोजना

3337. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में लोकतक परियोजना का कार्य आरम्भ न किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लोकतक पनबिजली परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयनार्थ हाथ में लेने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण और बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार्य माना है।

बोरक परियोजना

3338. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोरक परियोजना के लिये तकनीक सम्बन्धी मंजूरी प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के क्या परिणाम निकलेंगे और यदि मनीपुर के जिदीवाम सब-डिवीजन पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा तो क्या ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Bhu poli Scheme in Varanasi, U. P.

3339. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the time likely to be taken for completing the Bhupoli Scheme in Varanasi District in U. P.; and

(b) the area likely to be irrigated thereby and the total expenditure involved thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The scheme is likely to be completed in 1969-70.

(b) The area likely to be irrigated is 60,000 acres and the total estimated cost of the project is Rs. 106 lakhs.

करारोपण जांच समिति के बारे में केरल सरकार का प्रतिवेदन

3340. **श्री अविचन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने, डा० जे० के० थेयाराज की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी करारोपण जांच समिति के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है या प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त संसाधनों के बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का और प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

विशाखापटनम में जीवन बीमा निगम का एकक

3341. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम देश में कुछ विकास एकक कार्यालय (जीवन विभाग) बन्द करने पर विचार कर रहा है और क्या विशाखापटनम एकक जो 1962 से कार्य कर रहा है उसके बन्द किये जाने का विचार है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पहले 1962 में विशाखापटनम में डिवीजनल मुख्य-कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव था परन्तु बाद में केवल एक विकास एकक को स्थायी बनाया गया;

(ग) क्या 400 मील का लम्बा फासला और छः जिलों के लिये केवल एक डिवीजनल कार्यालय होने के कारण सरकार जीवन बीमा निगम को यह परामर्श देगी कि यदि इस विकास एकक का स्तर डिविज़नल कार्यालय तक नहीं बढ़ाया जाता तो कम से कम उसे वर्तमान एकक के रूप में बनाये रखा जाये; और

(घ) इसके बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रस्ताव क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्तमान विकास एककों के कम खर्च से कार्य करने के सामान्य प्रश्न की निगम द्वारा जांच की जा रही है तथा समीक्षा पूरी हो जाने पर विशाखापत्तनम् कार्यालय तथा अन्य एकक कार्यालयों के बारे में निर्णय किया जायगा।

(ख) 1962 में विशाखपत्तनम् में बिक्री की जिम्मेदारी लेने वाला तथा विकास कार्यालय ही स्थापित करने का प्रस्ताव था।

(ग) विशाखपत्तनम् कार्यालय का कार्यक्षेत्र कितने इलाके में हो निगम द्वारा इस प्रश्न की जांच, उस कार्यालय की लागत के पहलू के साथ ही की जा रही है।

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग ने जीवन बीमा प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश भी की है कि प्रत्येक जिला के मुख्य कार्यालय के स्थान में जीवन बीमा निगम का एक शाखा कार्यालय होना चाहिए, जो सब प्रकार की सेवा देने वाले तथा विकास कार्यालय के रूप में काम करे।

बेलाडिला लौह अयस्क खानों में हड़ताल

3342. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मजदूर संघ द्वारा नियन्त्रित संयुक्त खदान मजदूर संघ ने बस्तर में बेलाडिला लोहा खानों में हड़ताल करने का आह्वान किया था,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनकी मांगे क्या है और हड़ताल को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नियन्त्रित संयुक्त खदान मजदूर संघ ने दिनांक 23 जनवरी, 1969, के अपने पत्र में बेलाडिला प्रायोजना प्रबन्धकों को सूचित किया कि यदि अधिक से अधिक 25 जनवरी, 1969, तक प्रबन्धकों ने यूनियन के साथ 6 नवम्बर, 1968, को किये गये समझौते को क्रियान्वित न किया तो वे 26 जनवरी, 1969, को 24 घन्टे के लिये भूख हड़ताल करेंगे। तत्पश्चात् दिनांक 1 फरवरी, 1969, और 4 फरवरी, 1969, के अपने पत्रों और 10 फरवरी, 1969, की एक पुस्तिका के द्वारा यूनियन ने प्रत्यन कार्यवाही की धमकी दी, जिसके अनुसार यदि 6 नवम्बर, 1969, को उनके साथ हुए समझौते को क्रियान्वित न किया गया तो 16 फरवरी, 1969, के पश्चात् क्रमिक रूप से सारा काम बन्द कर दिया जायेगा।

यूनियन की मांगें निम्न प्रकार से थी :

(1) प्रायोजना भत्ते की अदायगी;

(2) 100 नालिकाकार घरों तथा 100 नये घरों का निर्माण;

(3) मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करना;

(4) बाहर से भर्ती को रोकना;

(5) वर्तमान अमानक पदों को युक्तियुक्त वेतन मानों में लाना;

(6) मस्टर रोल कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा की सुविधाएं;

(7) डम्पर आपरेटर मामलों को नियमित करना;

(8) 1 अप्रैल, 1968, से मकान भत्ता की कटौती न करना; और

(9) बेलाडिला लोह-अयस्क निक्षेप 14 और निक्षेप 15 में कर्मचारियों की सामूहिक प्रवरता को न मानना अपितु निक्षेप संख्या 5 को एक अलग एकक घोषित करने के लिए कदम उठाना।

3—प्रादेशिक श्रम आयुक्त, जबलपुर, द्वारा 19 फरवरी, 1969, को रायपुर स्थान पर की गई समझौता कार्यवाही में एक समझौता किया गया था जिस के परिणाम स्वरूप यूनियन ने भूख हड़ताल और प्रत्यक्ष कार्यवाही को समाप्त करना मान लिया।

Income Tax Payees

3343. **Shri S. M. Joshi:** Will the Minister of Finance be pleased to state the number of persons including the persons working in the Government, semi-Government and private institutions who pay income-tax and whose pay exceeds (i) Rs. 500 to 1000 (ii) Rs. 1000 to 2000, (iii) Rs. 2000 to 3000, and (iv) Rs. 3000 and above per month ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : According to available information the number of regular Central Government employees holding civilian posts in the various salary ranges as on 31-3-1966 was as under:-

Salary range	No. of employees.
Rs. 500 to 999 per month.	28,783
Rs. 1000 to 1999 per month.	6,362
Rs. 2000 to 2999 per month.	611
Rs. 3000 and above per month.	170

All these persons are liable to pay Income-tax.

The information regarding the non-civilian employees of the Central Government and of employees of semi-Government and private institutions is not available. However, according to the latest available All India Revenue statistics the total number of assessments completed during the financial year 1964-65 was 1,77,167 for Government employees and 4,61,020 for others. The information according to salary ranges is not available.

आयकर विभाग में कार्य प्रणाली

3344. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में चल रही अमरीकन प्रणाली जिसे कार्य करण प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है के परिणामों और क्षमता से सरकार संतुष्ट है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य का ब्यौरा क्या है और यह प्रणाली किस सीमा तक सफल रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। आम तौर पर ऐसा ही है।

(ख) पहले प्रत्येक आयकर अफसर, अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों के सम्बन्ध में सभी कार्य अर्थात् (I) प्रशासन (II) कर-निर्धारण (III) कर की वसूली करता था। काम के बंटवारे की जो नई प्रणाली 'कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन योजना' के नाम से जानी जाती है, वह अब 83 कार्यालयों में चालू है, जिसमें आयकर के कार्यकारी अफसरों की कुल संख्या का लगभग 47 प्रतिशत भाग आ जाता है जिनके कार्य अलग अलग कर दिये गये हैं। कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन के एक एकक में अब एक प्रशासन का कार्यभारी आयकर अफसर होता है, एक वसूली का कार्यभारी आयकर अफसर होता है तथा कई कर-निर्धारण करने वाले कार्यकारी आयकर अफसर होते हैं। इस पद्धति से (I) कर-निर्धारण कार्य (II) कर वसूली कार्य (III) विविध कार्य विशेषतया निर्धारितियों से पूछताछ आदि के काम की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।

उसी प्रकार कार्यालय में काम के विभिन्न पहलुओं जैसे कर का हिसाब, अपील के प्रभाव, नजरसानी, परिशोधन, वापसियां, लेखा परीक्षा आपत्तियां आदि को भी कर्त्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। इससे काम के सभी पहलुओं पर तुरन्त ध्यान देने में मदद मिलती है।

कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन एककों द्वारा, पिछले वर्ष की तुलना में, कर-निर्धारण के 43 प्रतिशत अधिक मामले निपटाये गये हैं, जबकि तत्-भिन्न प्रणाली से काम करने वाले एककों के काम में केवल 34 प्रतिशत की प्रगति हुई है।

कर वसूलियों के मामलों में (स्रोत पर काटे गये कर के कारण हुई वसूलियों को छोड़ कर) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन वाले बहुत सारे एककों ने पिछले वर्ष की तुलना में 13.7 प्रतिशत प्रगति दिखायी है जबकि तत्-प्रणाली-भिन्न एककों के काम में 7.8 प्रतिशत की प्रगति हुई है।

भारत में चल रहे नोट

3345 श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950-51, 1960-61, 1966-67 तथा 1967-68 और 31 दिसम्बर, 1968 को भारत में कितने मूल्य के नोट चल रहे थे;

(ख) क्या उसमें कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश की अर्थ व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के अन्त में जितने नोट चलन में थे उनका मूल्य इस प्रकार था :

अन्तिम शुक्रवार	(करोड़ रुपयों में)
1950–51	1238.60
1960–61	1941.57
1966–67	2976.60
1967–68	3150.79
दिसम्बर, 1968	3177.99

(ख) जी, हां ।

(ग) नोटों के चलन में जो वृद्धि हुई वह मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि के अंग के रूप में थी । मुद्रा उपलब्धि में यह वृद्धि होने का मुख्य कारण यह था कि राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि और अर्थ-व्यवस्था के मुद्रीकरण क्षेत्र के विस्तार के परिणाम-स्वरूप मुद्रा की बढ़ी हुई मांग पूरी करना जरूरी था । जहां तक अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले इस वृद्धि के प्रभाव का सम्बन्ध है, इसका अनुमान अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली अन्य बातों से इसे अलग कराके नहीं लगाया जा सकता ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योगों तथा बिजली के अन्य उपभोक्ताओं को बिजली की कम सप्लाई

3346. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगों तथा बिजली के अन्य उपभोक्ताओं को बिजली (पावर) की सप्लाई कम कर दी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में औद्योगिक उत्पादन और कर्मचारियों की आय पर 'पावर' की इस कटौती के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करके महाराष्ट्र में 'पावर' की कमी को दूर करने के विचार से तुरन्त कोई अल्पकालीन उपाय करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने 4 नवम्बर, 1968 से टाटा-कोयला-रेलवे ग्रिड के सप्लाई क्षेत्र में स्थित औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई में 16% कटौती की है ।

(ख) और (ग) : बिजली की कटौती का महाराष्ट्र में औद्योगिक उपज पर और कर्मकों की कमाई पर कितना असर पड़ा है, इस संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) महाराष्ट्र में बिजली की कमी को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:-

(1) राज्य के सभी तापीय बिजली घरों को उन की अधिकतम क्षमता पर चलाया जा रहा है और आपाती क्षमता अल्पयुक्त नहीं रखी गई है ।

(2) महाराष्ट्र में भूसावल और मध्य प्रदेश में चांदनी के बीच एक 132 के० वी० पारेषण पथ पूरा हो गया है, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से प्रतिदिन 2.5 लाख यूनिट बिजली ले सकता है । इसके अतिरिक्त 4.5 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन पारस भूसावल ग्रिड प्रणाली से ली जा रही है ।

(3) महाराष्ट्र में कोलहापुर और मैसूर में बेलगांव के बीच एक 220 के० वी० पारेषण पथ को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जा रहा है । जून 1969 के अन्त तक इस पथ के पूरा हो जाने से महाराष्ट्र मैसूर की शरावती बिजली प्रणाली से प्रतिदिन 4.5 करोड़ अतिरिक्त बिजली लेने में समर्थ हो जाएगा ।

इसी दौरान, बोरीविली के रास्ते तारापुर से कालवा तक 220 के० वी० पारेषण लाइन पूरी कर ली गई है और तारापुर परमाणु बिजली घर द्वारा उत्पन्न बिजली को लेने के लिये इसे तैयार रखा गया है । उम्मीद है कि मई/जून, 1969 तक लगभग 5 करोड़ यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध हो जाएगी ।

मनीपुर में आयकर की वसूली

3347. **श्री एम० मेघचन्द :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर राज्य के भारत में विलय से पूर्व वहां भारतीय आयकर अधिनियम लागू था;

(ख) यदि हां, तो यह वहां कैसे लागू था;

(ग) क्या आयकर विभाग मनीपुर सिन्डीकेट जो मनीपुर राज्य के भारत में विलय से पूर्व ही समाप्त हो गया था से आयकर की बकाया धनराशि वसूल करने का प्रयास कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आयकर अधिनियम के किस विशेष उपबन्ध के अन्तर्गत यह वसूली की जानी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में तदर्थ नियुक्तियां

3348. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में विभिन्न वर्गों के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) शिक्षण तथा अस्पताल के काम के लिए कुछ ऐसे पदों पर जिन्हें नियमित आधार पर चयन करने तक खाली नहीं रखा जा सकता था। तदर्थ आधार पर नियुक्तियां करदी गई हैं।

(ख) तदर्थ नियुक्तियां करते हुए निम्नलिखित मानदण्ड तथा सिद्धांत दृष्टिगत रखे गए:-

(1) इस पद को तुरन्त भरना परमावश्यक था।

(2) उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यतायें थी; और

(3) जबतक नियमित चयन के बाद किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है। यह नियुक्ति तभी तक के लिए थी।

उड़ीसा में भूकम्प सर्वेक्षण

3349. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय क्षेत्र तथा चिलका झील से अथागड़ भद्रक चांदबाले और राजनगर तक के क्षेत्र के बीच में भूकम्प सर्वेक्षण कब करने का विचार है; और

(ख) इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में यथा शीघ्र भूकम्प सर्वेक्षणों को शुरू करने के यत्न किये जायेंगे :

(ख) भूकम्प सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित भूकम्प एककों की कमी के कारण उक्त क्षेत्र में भूकम्प सर्वेक्षणों को नहीं किया गया है।

आपरेशन हार्ड रॉक

3350. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओपरेशन हार्ड रॉक की स्थिति इस समय क्या है;

(ख) राजस्थान में विशेष रूप से बुनियादी धातुओं के सल्फाइड निक्षेप कितने हैं;

(ग) इस प्रक्रिया में कितने भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस प्रक्रिया से उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार-पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में हवाई भूभौतिक सर्वेक्षणों

के पूरा कर लिये जाने के पश्चात् भूभौतिक विषमताओं के भूमि अनुपरीक्षण मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। राजस्थान में अजितसागर क्षेत्र में व्यधन भी प्रारम्भ हो गया है।

(ख) राजस्थान क्षेत्र में हवाई भूभौतिक सर्वेक्षणों ने काफी संख्या में विद्युत-चुम्बकीय चुम्बकीय और रेडियोधर्मी विषमताएं प्रकट की हैं। राजस्थान में खनिजायन की प्रकृति और विस्तार को सिद्ध करने के लिये इस समय हीरक व्यधन द्वारा और जांच कार्य किया जा रहा है। तथापि, सल्फाइड निक्षेपों के विस्तार का मूल्यांकन और आगे अन्वेषण पूरे कर लिये जाने के उपरान्त ही किया जा सकता है।

(ग) हवाई-विषमताओं की संवाहकता-विशिष्टताओं के भूआकृतिमूलक अध्ययनों के साथ पुनरावलोकन से उन क्षेत्रों को अंकित किया जा सकता है जो भूमिगत जल के हेतु समन्वेषण के लिये आशाजनक हो सकते हैं।

(घ) आंध्र प्रदेश के इस प्रकार के भूमिगत जल के लिये समन्वेषण के सम्भावित क्षेत्रों को दिखाने वाला एक नक्शा तैयार किया गया है और यह राज्य सरकार को, उनके भूमिगत जल के समन्वेषण कार्यक्रम में उन्हें सहायता देने के लिये, भेजा गया है। राजस्थान तथा बिहार-पश्चिम बंगाल में परिचालन क्षेत्रों में इसी प्रकार के अध्ययन प्रगति पर हैं।

हवाई भूभौतिक सामग्री का मूल्यांकन कर लिया गया है और इस मूल्यांकन के आधार पर अलौह-धातुओं के लिये एकीकृत भूमि सर्वेक्षणों के लिये तथा बाद में, जहां आवश्यक हो, हीरक व्यधन करने के विचार से, लक्ष्य स्थानों की सूचियां तैयार की गई हैं। रेडियोमितीय आधार सामग्री के संबंध में सूचना समय समय पर आण्विक खनिज विभाव को दी जा रही है।

मनीपुर में मिट्टी के तेल की कमी

3351. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ महीनों में मनीपुर में मिट्टी के तेल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां पर मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ाने और कमी को समाप्त करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1968 में लदान कठिनाइयों के कारण मनीपुर प्रशासन ने दिसम्बर, 1968 में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में रिपोर्ट की थी।

(ग) कमी को पूरा करने के लिए तत्काल कार्यवाही की गई। इसके बाद कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

Interest on foreign Loans

3352. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount in foreign exchange and in Indian currency, separately, paid by Government to foreign Governments during the last three years as interest in the foreign loans; and

(b) the amount of interest to be paid in foreign exchange and in India currency, separately, during the financial year 1968–69 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-377/69]**

Complaints against Central Government Employees regarding Residential Quarters

3353. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the complaints regarding residential quarters received against Class IV employees out number those received against Class II and Class III employees;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the complaints against Class IV employees mainly relate to their quarrels over the use of public bath-rooms, lavatories, courtyards and galleries; and

(b) if so, the action being taken by Government to solve this problem ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : The complaints regarding subletting of general pool quarters allotted to Class IV employees are more than the complaints in respect of residential units allotted to Class II and Class III employees. Generally Class IV employees live alone in Delhi and their families stay behind at native places. In the case of Class II and Class III employees they mostly stay at the place of their duty with their families.

(c) and (d) : The complaints regarding quarrel among neighbours are looked into by the Chief Welfare Officer and on his suggestion the Government servants concerned are shifted to other areas. There are not many complaints regarding quarrel for the use of bath-rooms, lavatories etc. In the existing double roomed type I quarters a provision has been made for separate lavatories etc. It has also been decided that in type I quarters to be constructed hereinafter, separate bath-room and lavatory will be provided for each unit

हिमाचल प्रदेश में सुरमे के निक्षेप

3354. **श्री हेम राज :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पिती जिलों में सुरमे के निक्षेप विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और उसका किस प्रकार से वाणिज्यिक प्रयोग किया जा सकता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) खनिजायन बड़ा सिगरा हिमनद के निकट एक खड़ी चट्टान के अग्रभाग पर लम्बाई में 1 किलोमीटर तथा अनुलम्ब रेज में 450 मीटर के क्षेत्र पर प्रकट हुआ है। एंटीमोनी का उपयोग अलौह-धातु मिश्रणों, ड्राई बेटरियों, रसायनों के तैयार करने में तथा केबल और इलेक्ट्रानिक उद्योगों में होता है।

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला नगर प्रतिकर भत्ता

3356. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री निहाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला नगर प्रतिकर भत्ता निर्धारित करते समय किन-किन बातों और मदों तथा वस्तुओं के मूल्यों और किन-किन सुविधाओं को ध्यान में रखा गया था;

(ख) गत बार जब सरकारी कर्मचारियों के लिए नगर प्रतिकर भत्ता निश्चित किया गया था; उस समय से दिल्ली और नई दिल्ली में इन मदों, वस्तुओं और सुविधाओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इन वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इन भत्तों की दरों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया है अथवा विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण अथवा निर्णय क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता दिये जाने के मामले में द्वितीय वेतन आयोग ने नगरों का वर्गीकरण करने के लिए जनसंख्या को आधार मानने की सिफारिश की। आयोग ने प्रत्येक वर्ग के नगरों के लिए प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की निश्चित दरों की भी सिफारिश की थी। आयोग ने यह सिफारिश नहीं की थी कि यदि मूल्य-स्तर में वृद्धि हो तो इन दरों में भी वृद्धि की जाय। वर्गीकरण के आधार की 1963 में समीक्षा की गई थी, और फिर भी यही निर्णय किया गया कि द्वितीय वेतन आयोग ने जैसी सिफारिश की है, उसी अनुसार, जनसंख्या को ही आधार मानते रहना चाहिए। अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1949 = 100) की 12 महीनों की औसत में प्रतिबिम्बित मूल्य वृद्धियों की प्रतिपूर्ति महंगाई भत्ते में वृद्धि कर के अलग से की जाती है। अतः प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की समीक्षा अथवा उसमें संशोधन के प्रश्न पर विचार, सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर समग्र रूप से विचार करते समय ही किया जा सकता है।

रामकृष्णपुरम में एलोपैथिक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय खोला जाना

3357. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय किस आधार पर खोले जाते हैं;

(ख) क्या उनका ध्यान रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, के सैक्टर 8, 9 और 12 के निवासियों की भावनाओं की ओर दिलाया गया है कि इन सेक्टरों में से किसी एक में एक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालय खोला जाना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सामान्य मानदण्ड के अनुसार एक क्षेत्र/क्षेत्रों में 2,000–2,500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के होने पर ही एक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय खुल सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) रामकृष्णपुरम में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के मौजूदा औषधालय (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक) फिलहाल पर्याप्त हैं।

'होटल ओबराय इण्टरकान्टिनेंटल' समूह द्वारा कर अपवंचन

3358. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'होटल ओबराय इण्टरकान्टिनेंटल' समूह द्वारा कर अपवंचन के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना के दौरान बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था

3359. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना की अवधि के दौरान बिहार में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) प्रत्येक योजना के लिये अलग-अलग कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : इस समय इसका प्रश्न नहीं उठता।

Deaths Due to Mysterious Fever in India

3360. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan Times of the 23rd February, 1969 that some mysterious fever has caused the death of many persons and it is gradually spreading;

(b) if so, the precautionary measures proposed to be adopted by Government to check the spreading of its infection in the country;

(c) whether Government propose to consult some specialists in this regard and foreward the public about its evil effects;

(d) if so, the measures being adopted in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K Shah) : (a) Yes, Sir. The news-item relates to Mali (West Africa) and Kathmandu (Nepal). In Mali, the 'mystery fever' was Cerebrospinal Meningitis whereas in Nepal it turned out to be Influenza. In India, there was an outbreak of a mystery fever at Kanpur in September-October, 1968. On investigation, it appeared to be due to an Abro virus belonging to the Dengue group of fevers. There is no epidemic of this virus infection. Cerebrospinal Meningitis has also not appeared in any part of this country in an epidemic form.

(b) Facilities for treatment and the technology for the control of Cerebrospinal Meningitis are available all over the country

(c) to (e) : Do not arise.

ट्राम्बे में उर्वरक कारखाना

3361. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1625 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा ट्राम्बे में उर्वरक कारखाने के एमोनिया, यूरिया और सल्फेट सन्यन्त्रों के निर्माण के लिए मान्यता-प्राप्त बोली देने वालों की सूची तैयार करली गई है और उसे सयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता संस्था के पास, उनकी प्रारम्भिक सहमति प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन बोली देने वालों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) इस स्थिति में नामों को बताना जन-हित में नहीं है।

ट्राम्बे विस्तार संयंत्र

3362. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के प्रस्तावित ट्राम्बे विस्तार संयंत्र की देख-भाल के लिये पूर्ण-कालिक महाप्रबन्धक नियुक्त किया है और यदि हां, तो उसकी नियुक्ति कब की गई थी और उसके निदेश-पद क्या हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक के आदेशानुसार भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट का जनरल मैनेजर जो एक अलग कार्यकारी है, इस समय विस्तार कार्य के प्रभारी महाप्रबन्धक की उपेक्षा कर ट्राम्बे विस्तार सम्बन्धी सब कार्य कर रहा है और विस्तार कार्य के प्रभारी महाप्रबन्धक का विस्तार कार्य में कोई हाथ नहीं है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। ट्राम्बे विस्तार परियोजना की देख-भाल के लिए एक पूर्ण-कालिक महाप्रबन्धक 19-6-1968 से नियुक्त किया गया था।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक पूर्व-अर्हता स्थिति पर अमरीकी पार्टियों के साथ बात-चीत के लिए ट्राम्बे के महा-प्रबन्धक की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि पश्चादुक्त को इसकी भूमिका का ज्ञान है। परन्तु ट्राम्बे विस्तार का महा-प्रबन्धक ही इस परियोजना का समस्त कार्यभारी होगा।

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

3363. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक वर्ष पूर्व भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन पर विचार हेतु टेनेसी घाटी प्राधिकार के एक विशेषज्ञ दल को आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल ने कब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) टेनेसी घाटी प्राधिकार द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके द्वारा की गयी एक सिफारिश यह भी थी कि पूरे समय काम करने वाले कई कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की जाये; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) टेनेसी घाटी प्राधिकार के चार विशेषज्ञ, सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक निगमों के संगठन, संरचना आदि का अध्ययन करने और उन उपायों का निर्धारण करने के लिये जिनके अपनाने से निगम देश में तेजी से बढ़ रही उर्वरकों की जरुरतों के फलस्वरुप होने वाली कठिनाईयों तथा चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने के योग्य हो सकें, अक्तूबर, 1967 में नियुक्त 10 विशेषज्ञों के दल में शामिल किये गये थे।

(ख) दल ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1967 में, प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 378/69]

(ग) दल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 378/69]

(घ) जी हां।

(ङ) सिफारिश कार्यान्वित की जा रही है।

निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

3364. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रम निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को केवल एक राज्य के लिये ही नियत कर दिया गया है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रम स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते :

गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा नदी के जल का वितरण

3365. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नर्मदा नदी के जल के वितरण सम्बन्धी विवाद को हल करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से किसी भी समय सीधे बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने 23 मई और 22 जून, 1967 के क्रमशः पंचमढ़ी और नई दिल्ली में आपस में बैठकें कीं। कोई फैसला न हो सका।

निजी व्यवसाय करने वाले लोगों और सरकारी कर्मचारियों के बीच आयकर के मामले में भेदभाव

3366. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर का भुगतान करने के मामले में निजी व्यवसाय करने वाले लोगों की आय से मकान का किराया, घर से कार्यस्थल तक जाने का सवारी व्यय और चिकित्सा सम्बन्धी खर्च को न घटाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपरोक्त सब लाभ प्राप्त हैं और इन पर उन्हें आय-कर नहीं देना पड़ता;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी व्यवसाय करने वाले लोगों और सरकारी कर्मचारियों के बीच के इस भेदभाव को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर लगने योग्य, किसी भी स्रोत से प्राप्त, आय की हिसाब लगाने में करदाता के वैयक्तिक खर्चों के लिए कोई घटौती नहीं दी जाती है। "वेतनों" से आय में किसी भी रूप के रोजगार से प्राप्त सारा पारिश्रमिक आ जाता है जिसमें परिलब्धियां शामिल हैं, लेकिन (मनोरंजन भत्ते को छोड़कर) अन्य कोई विशेष भत्ता शामिल नहीं माना जाता जो कर्मचारी द्वारा, सम्पूर्णतः अनिवार्यतः तथा अनन्यतः अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष तौर पर मंजूर किया गया हो। सरकारी कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान ही, अपने मालिक से प्राप्त उस मकान-किराया-भत्ता के सम्बन्ध में, कुछ सीमाओं के अधीन रहते हुए कर से छूट पाने का हक है, जो उनको उस खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता है जो उन्होंने अपने आवास-स्थान के लिए अपने वेतन के 10 प्रतिशत से ऊपर किया हो। जिन मामलों में मालिक ने कर्मचारी को बिना किराये का अथवा रियायती किराये का आवास-स्थान दिया हो तो इस प्रकार के आवास का परिलब्धि मूल्य, कर्मचारी को आय के रूप में, कर लगने योग्य होता है।

जिस कर्मचारी के पास अपनी सवारी हो और जो मालिक से कोई सवारी भत्ता नहीं पाता हो, उसे अपनी कर लगने योग्य आय की संगणना में उस निर्दिष्ट रकम की निश्चित घटौती पाने का हक है, जो उसकी अपनी नौकरी के सिलसिले में सवारी के इस्तेमाल में खर्च की गयी रकम से सम्बन्धित होती है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं, वेतन श्रेणियों के अनुसार कुछ निश्चित दरों पर इस निमित्त रुपया वसूल करके दी जाती है, वे निःशुल्क नहीं हैं। जिन स्थानों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उनको कुछ प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है।

स्वयं नियोजित व्यक्ति, अपनी आमदनी कमाने के निमित्त उसके द्वारा किये गये सभी खर्चों तथा मोटर गाड़ी अथवा अन्य सवारी पर उक्त निमित्त से होने वाले खर्चे को, एवं व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए प्रयुक्त अपने आवास के किसी भाग के किराये को भी अपनी आय में से घटा देने का हक है। इस दृष्टि से, वेतनभोगी कर्मचारी (चाहे वह सरकार के अधीन अथवा अन्यथा नौकर हो) और स्वयं नियोजित व्यक्ति के बीच, कर लगने के मामले में कोई अन्तर नहीं है।

(ख) तथा (ग) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, ये सवाल नहीं उठते।

Production of Diamond Mines in Madhya Pradesh

3367. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the out-put of the diamond mines in Madhya Pradesh has exceeded the target fixed therefor ; and

(b) whether some measures are being contemplated to step up the out-put of emerald mines in Rajasthan also ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) : The Ramkheria and Majhgawan Mines at Panna in Madhya Pradesh have been planned for the production of 11,250 carats and 12,000 carats per annum respectively. The taragetted production is expected to be achieved by 1969-70.

(b) The production of emerald in Rajasthan has gone down from 10 kg in 1964 to 4.6 kg. in 1968. The lessees are presently working with very little equipment and labour. The Government of Rajasthan have determined four leases out of a total of six, but have not been able to take possession of the property on account of Stay Orders from the Court. The National Mineral Development Corporation has applied for Prospecting Licences for emerald which is under consideration of the State Government.

Letter to Chief Minister of Rajasthan re : Zinc Smelter Plant

3368. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether he had written a letter to the Chief Minister of Rajasthan to the effect that a Zinc Smelter Plant would be set up at Visakhapatnam inspite of the latter's opposition thereto ; and

(b) whether Government propose to lay a copy of that letter on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) (a) : A letter was written by the former Minister of Steel, Mines and Metals explaining the need for setting up smelter based on imported concentrates in addition to taking steps for maximum exploitation of indigenous deposits in the context of demand and supply projections of zinc metal.

(b) As the substance of the letter has already been given in the House on the 18th February, 1969 in reply to Unstarred Question No. 74, it is not proposed to lay a copy of that letter on the Table.

Production of Copper

3369. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the mine-wise break-up of figures of production of copper in 1967 as shown in the Annual Report of his Ministry for the year 1967-68 ;

(b) whether there is any difference in the production of copper in 1968 ; and

(c) if so, the reasons for increase or fall in the production of copper in the case of each mine ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) (a) and (b): There are three mines producing copper ore belonging to M/s. Indian ccpper Corporation and are located in the Singhbhum District, Bihar. The provisional production figure of copper ore during 1967 as given in the Ministry's report was 448,000 tonnes This figure has been revised finally by the Indian Bureau of Mines to 459,000 tonnes. The provisional figure of 448,000 tonnes published in the annual report of the Ministry for 1967-68 was estimated on the basis of 10 months data then available for 1967. The mine-wise break up for 448,000 tonnes (estimated figures) is given below :—

Mosaboni	-	423,206 tonnes
Surda	-	18,142 tonnes
Patharghora	-	6,985 tonnes

The revised final production figures for 1967 and 1968 are available now and the mine-wise production for the years 1967 and 1968 is detailed below :—

Name of Mine	1967	1968
Mosaboni	430,973	437,295
Surda	21,503	29,502
Patharghora	6,505	8,947
Total	458,981	475,744

(c) The increase in the production of copper ore during 1968 over 1967 was only 3.6% which is only marginal.

Development of Copper Mines in Rajasthan

3370. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the names of the places where new copper mines are likely to be located apart from the old mines at Khetri-Kolhan, Khoh and Dariba as a result of the aerial survey conducted recently in Rajasthan ;

(b) whether the old mines have also been included in the said survey and whether more copper is likely to be extracted from these mines ;

(c) the amount spent on the said survey ; and

(d) whether this expenditure would be borne by the Hindustan Copper Ltd. or by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) (a) : The ground follow-up checking of anomalies revealed

by Airborne Geophysical Survey in Rajasthan, is still continuing. The question of developing new copper mines will be considered only after the results of the survey are known.

(b) The old mines area which have been covered during this survey are the Khetri belt extending from Khetri to Udaipur-Shakawati, Ajmer and Rajpura Dariba. The anoma lies revealed in these areas are also being checked up.

(c) Out of the sanctioned cost of Rs. 4.5 crores for the entire project covering selected areas in Rajasthan. Andhra Pradesh and Bihar, an amount of Rs. 2.32 crores has been spent upto 28.2.1969.

(d) This expenditure is being borne by the Govt. of India.

Production of Transformer Oil

3371. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the total production capacity likely in 1970 in respect of transformer oil being manufactured in the private sector and the extent thereof at the end of the Fourth Plan ; and

(b) the annual requirements indicated by the Ministry of Irrigation and Power as at the end of Fourth Plan in respect of such oil ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) (a) and (b) : The licensed capacity of transformer oil production by 1970 would be of the order of 30,000 tonnes per annum in the private sector. Ministry of Irrigation and Power have estimated the annual requirements of transformer oil to be about 40,400 tonnes annually by 1973-74 based on a final installed generating capacity of 22.0 million KW. The two plants already licensed can meet the increased requirements, if necessary, by making marginal adjustments.

Production of Potash Fertilizer

3372. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the percentage of potash in the fertilizer manufactured from common salt by private sector industries as also the selling price thereof ;

(b) the reasons for not setting up a potash fertilizer factory in public sector ; and

(c) whether the production of potash fertilizer in private sector would start in the Fifth Plan in view of the consumption target of this kind of fertilizers during Fourth Plan being 11 lakh tons as a against its production target being nil ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) (a) : At present, only one plant for manufacture of potassium chloride is in operation in the private sector. The potash content is 58-60% K 20. The market price of potassium chloride is about Rs. 500 per tonne.

(b) The production of potassic fertilizers in India is associated which salt industry in which there are public sector units only at two places, namely, Sambhar Lake (Rajasthan) and Kharaghoda (Gujarat). The brine of Sambhar lake does not contain potassium in the waste liquor of the salt works. At Kharaghoda a pilot plant has already been established. Thus, efforts are being made to find out whether it would be possible to set up a potassic fertilizer plant in the public sector.

(c) As mentioned above, a potassium chloride plant has already been setup in the private sector. It has been estimated that about 25,000 tonnes of K 20 can be produced if all the salt works in the country can be utilised for the purpose and if other related problems such as transport are solved satisfactorily. The question of stepping up the production of Potash from salt works in the Fifth plan will be considered at the appropriate time.

बरौनी उर्वरक कारखाना

3373. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी उर्वरक कारखाने के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए कुल कितने श्रमिकों की आवश्यकता है ;

(ख) 31 जनवरी, 1969 को उक्त कारखाने के निर्माण-कार्य में कुल कितने श्रमिक लगे थे ; और

(ग) कुल श्रमिकों में कितने प्रतिशत श्रमिक स्थानीय रूप से भर्ती किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दा० रा० चव्हाण) (क) : परियोजना चरणों में 800 से 900 तक

(ख) 334

(ग) 60 प्रतिशत ।

बिहार में बाढ़ और भूक्षरण से प्रभावित गांव

3374. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में बिहार में गंगा नदी में आई बाढ़ और भूक्षरण के कारण कुल कितने गांव प्रभावित हुए थे ;

(ख) क्या इन गांवों को बाढ़ और भूक्षरण से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार के परामर्श से कोई योजना तैयार करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तैयार की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) 1968 में गंगा की बाढ़ों तथा उस के कटाव से बिहार के 21 गांवों पर प्रभाव पड़ा था ।

(ख) से (घ): बिहार में गंगा के साथ-साथ बने तटबंध, रेलपटरियां और सड़कें अपने पश्चवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करती है । बिहार सरकार के पास नदी के खादिर क्षेत्र में स्थित गांवों के बचाव के कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मैंगनीज अयस्क का उत्पादन

3375. **श्री स० कुन्दू :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन इसकी आवश्यकता से अधिक है और उसका निर्यात गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मैंगनीज अयस्क से क्या-क्या मुख्य वस्तुएं बनाई जा रही हैं और भारत में, वस्तुवार कितने उद्योग चल रहे हैं ;

(घ) वाणिज्यिक महत्व के मैंगनीज अयस्क की किन-किन वस्तुओं का विदेशों से अभी भी आयात किया जा रहा है ;

(ङ) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अनुसार मैंगनीज पर आधारित लघु उद्योगों और मध्यम स्तर के उद्योगों में स्वदेशी मैंगनीज अयस्क का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जा सके ; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जी हां ।

(ख) निर्यात में गिरावट अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस की अतिरिक्त उपलब्धता के कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग की कमी तथा मूल्यों में गिरावट है । इसके अतिरिक्त, 1967 के दौरान, स्वदेशी इस्पात तथा फेरो-मैंगनीज उद्योग में इस अयस्क का न्यून उपभोग हुआ है । मैंगनीज अयस्क के निर्यात में निरोधक अन्य कारण यह हैं -(1) स्वेज नहर संकट, और (2) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में ऊंची एफ. ओ. बी. टी. लागत ।

(ग) से (च): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क कलक्टरेट (दिल्ली) के कर्मचारियों की गुप्त रिपोर्ट

3376. **श्री लताफत अली खां :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 1969 को सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलक्टरेट, दिल्ली में कुल कितने कर्मचारी थे ;

(ख) ऐसे कर्मचारी कितने हैं, जिन्हें एक बार अथवा एक से अधिक बार उत्कृष्ट गुप्त रिपोर्टें मिली हैं तथा क्या उनकी गुप्त रिपोर्टों में सम्बन्धित अवधि में उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य का ब्यौरा उनमें दिया गया है ; और

(ग) ऐसे कर्मचारी कितने हैं जो उत्कृष्ट गुप्त रिपोर्ट प्राप्त करने वालों से अन्यथा वरिष्ठ थे परन्तु उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को उत्कृष्ट गुप्त रिपोर्ट मिलने के कारण पदोन्नति के प्रयोजन के लिये कनिष्ठ बन गये हैं और उनके हक की उपेक्षा कर दी गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (ग) : गोपनीय रिपोर्टें गोपनीय रखने के लिए ही होती हैं, इसलिये ऐसी रिपोर्टों के संबंध में, अथवा ऐसी रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नति करने अथवा नहीं करने के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देना वांछनीय नहीं है ।

केन्द्रीय-उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क कलक्टरेट, दिल्ली के कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती के आदेश

3377. **श्री लतीफ अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क कलक्टरेट, दिल्ली में कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा तैनात के आदेश जारी करने, और बाद में उन्हें रद्द करने अथवा कुछ अवधि के लिये स्थगित रखने अथवा उनमें कुछ संशोधन करने की प्रथा है ;

(ख) केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क तथा सीमा–शुल्क कलक्टरेट, दिल्ली में, 1 जनवरी, 1965 से 31 जनवरी, 1969 तक ऐसे कुल कितने आदेश जारी किये गये तथा ऐसे स्थानान्तरण तथा तैनाती के आदेशों से प्रभावित अथवा उनसे सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) स्थानान्तरण तथा तैनाती के बारे में क्या नीति अपनाई गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड

3378. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड की क्रियान्विति के बारे में सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो कितना लाभ अथवा हानि हुई और हानि के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) उक्त समवाय की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को प्रदत्त पूंजी कितनी थी ; और

(ग) समवाय द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितना ब्याज दिया गया और उसने केन्द्रीय सरकार तथा अन्य साधनों से कितना ऋण लिया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) : लाभ अथवा हानि का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) कम्पनी की चुकता पूंजी 31 मार्च, 1967 को 8,50,02,402 रुपये तथा 31-3-1968 को 12,87,50,433 रुपये थी।

(ग) आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	अदा किया गया	लिया गया ऋण	
		भारत सरकार से रुपये	अन्य पार्टियों से रुपये
1965-66	शून्य	शून्य	शून्य
1966-67	शून्य	शून्य	शून्य
1967-68	रुपये 31,82,246 85	5 करोड़ रुपये	11.16 करोड़ रुपये

Fertilizer Factory in Sriganganagar District, Rajasthan

3379. **Shri P. L Barupal** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the reasons for postponement of the construction of a fertilizer factory in Sriganganagar District of Bikaner division which is a well-known agricultural area in Rajasthan; and

(b) whether it is possible to meet the demand of fertilizers of that division without setting up such a factory there ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) There is no proposal under consideration for a fertilizer factory in Sriganganagar District, Rajasthan.

(b) Yes Sir; The requirements of this Division will be met by the Kota Fertilizer Project in Rajasthan and by other fertilizer factories in the neighbouring States.

केरल के गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थानों को अनुदान

3380. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थानों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदान मंजूर करने का आधार क्या है; और

(ग) केरल के गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थानों को कितना अनुदान दिया गया है और गत वर्ष में किस-किस संस्थान को तथा कितना कितना अनुदान दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क) जी हां। बशर्ते कि वे कतिपय निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) सामान्यतया संस्थान के उद्देश्यों तथा उसकी कार्यकुशलता के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 379/69]

M. P., s. Correspondence With Ministers and High Officials

3381. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of letters sent by Members of Parliament to him, the Deputy Minister and Secretary during the period from July, 1968 to January, 1969 and the number of letters to which replies were sent and not sent, respectively;

(b) the reasons for not sending replies to Members of Parliament;

(c) whether it is a fact that replies to Members are sent only after repeated reminders are sent by them;

(d) whether Government would arrange to send replies to letters sent by Members of Parliament within fifteen days of their receipt; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The required information from July, 1968 to January, 1969 excluding the Directorate of Estates and the Department of Health, from whom it has not been received, is as follow :

Number of letters received from M. P , s. by the Minister, the Deputy Minister and the Secretary 181

Number of letters for which reply was sent 116

Number of letters yet to be replied out of 65 letters, 24 did not call for any reply. 65

(b) and (c) : The delay replying is due to non-availability of materials and the fact that the matter has to be considered and decision taken before a reply could be sent. However, wherever possible interim replies are sent.

(d) and (e) : It is not possible to adhere to this time limit because very often information has to be collected from field offices located all over India.

दिल्ली के बाजारों में 25 पैसे के जाली सिक्के

3382. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बाजारों में इस समय 25 पैसे के जाली सिक्के बड़ी संख्या में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) देश में जाली सिक्कों के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : दिल्ली पुलिस को 25 पैसे के जाली सिक्कों के किसी मामले की जानकारी नहीं है ।

(ग) जाली सिक्के चलाना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध हैं, और तदनुसार कार्रवाई की जाती है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि देश में बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों के चलन का पता नहीं चला है।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

3383. **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20-2-69 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए यू० एन० आई० के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत और श्रीलंका में भयानक रूप से मलेरिया फैलने का खतरा हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रशासनिक परिषद् के अनुसार इस रोग को फैलाने वाले "एनीफलीज" मच्छरों पर कीटनाशक दवाइयों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता;

(ख) यदि हां, तो भारत की जनता को मलेरिया से बचाने के लिए यदि कोई निवारक उपाय अपनाये गये हैं अथवा अपनाये जाने का विचार है, तो वे क्या हैं;

(ग) चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना जुलाई, 1969 से पहले तैयार नहीं होगी, इसलिये क्या भारत और श्रीलंका द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संयुक्त कार्यवाही की जाने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र और गुजरात के कतिपय स्थानीकृत निवासों में एनीफेलीज मच्छरों को डी० डी० टी० सहिष्णु होने की बात ध्यान में आई है। ऐसे निवासों में मालाथिआन जैसे वैकल्पिक कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। फिर भी श्रीलंका से वायु अथवा जल मार्गों से आने वाले यात्रियों की भारत में अपने गन्तव्य स्थान में पहुंचने से पूर्व विमान पत्तन और पोतपत्तनों पर स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। देश में मलेरिया के संक्रमण की संभाव्यता को रोकने के लिए रोग रोधी उपाय बरते जाते हैं।

सरकारी उपक्रमों के लिये प्रबन्धक-पुंज का निर्माण

3384. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उच्च पदों पर नियुक्त करने हेतु प्रबन्धक-पुंज बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुंज के लिये व्यक्तियों की भर्ती हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जिन उच्च पदों के लिये सरकार द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, उन्हें भरने के संबंध में सरकार की नीति यह है कि सभी स्त्रोतों से, जिनमें सरकारी सेवाए, सरकारी उद्यम तथा गैर-सरकारी क्षेत्र शामिल हैं, उपलब्ध होने वाले अधिक से अधिक योग्य व्यक्ति प्राप्त किये जाय। सभी स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सूचियां तैयार की जाती है जिनका इस्तेमाल प्रायः ऐसी नियुक्तियां करने के लिये किया जायेगा। ये सूचियां औद्योगिक प्रबन्ध निकाय (पूल) के अलावा हैं, जिसका गठन सरकारी उद्यमों में प्रबन्ध संबंधी वरिष्ठ पदों (अर्थात् उच्च और मध्यम स्तर के पदों) को भरने के लिये 1957 में किया गया था।

सरकारी उपक्रमों संबंधी विभाग

3385. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी विभाग के दर्जे, कार्य क्षेत्र तथा कार्यों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी उद्यमों के लिए समन्वय, सेवा और मूल्यांकन अभिकरण के तौर पर काम करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने "सरकारी उद्यमों" से सम्बद्ध अपनी रिपोर्ट में सरकारी उद्यम कार्यालय के कार्य क्षेत्र और उसके कार्यों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 380/69] प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय किये हैं, उस दिशा में सरकारी उद्यम कार्यालय के कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए कारवाई की जा रही है।

स्थायी वित्त आयोग की नियुक्ति

3386. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री ई० के० नायनार :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच के वित्तीय सम्बन्धों पर समय-समय पर पुनर्विचार करने के लिये एक स्थायी वित्त आयोग नियुक्त करने के लिये केरल सरकार ने सुझाव दिया है;

(ख) क्या पांचवे वित्त आयोग ने भी इस आशय की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केरल सरकार ने, (i) 1967 के अपने बजट भाषण में और (ii) दिसम्बर, 1967 में हुई राष्ट्रीय परिषद् की बैठक से कुछ समय पूर्व परिचालित ज्ञापन में जिसका उद्देश्य बात-चीत के लिये आधार प्रस्तुत करना था, संघ तथा राज्यों के बीच के वित्तीय लेन-देनों की समीक्षा करने तथा राज्यों को दी जाने वाली सहायता की कुल रकम निर्धारित करने के लिए एक स्थायी वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था ।

(ख) पांचवे वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

(ग) वित्त आयोग की सिफारिशों में आयोजना से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों की आवश्यकताएं शामिल हैं । योजना-गत आयोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, योजना आयोग हर साल राज्यों के परामर्श से तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, राज्यों के लिए साधनों का निर्धारण करता है । इस व्यवस्था में परिवर्तन की कुछ गुंजाइश रहती है, जो ऐसे मामलों में आवश्यक है । इसलिए स्थायी वित्त आयोग की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा गया । फिर भी, सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है जो सभी दृष्टि-कोणों से केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों पर विचार कर रही है ।

भारतीय चिकित्सा शिक्षा के बारे में ब्रिटिश समाचारपत्रों में छपी टिप्पणियां

3387. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चिकित्सा शिक्षा के स्तर के बारे में ब्रिटिश समाचार पत्रों में हाल में छपी कटु आलोचनाओ की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : भारत में चिकित्सा के स्तर तथा ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय डाक्टरों की कार्य कुशलता के बारे में ब्रिटिश प्रेस के कतिपय समाचार पत्रों में छपी कटु आलोचना सम्बन्धी समाचार जैसे कि भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, सरकार के ध्यान में आये हैं । इस समाचार से भारत सरकार को संतोष हुआ है कि ब्रिटेन के समाज सेवा मन्त्री ने भारतीय डाक्टरों का समर्थन किया है और यह विचार व्यक्त किया है कि उनमें से अधिकांश डाक्टरों का काम उच्च कोटि का है ।

दिल्ली में पत्रकारों के लिए निवास स्थान

3388. श्री देवेन सेन : श्री किंकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस वर्ष अब तक कितने पत्रकारों को निवास स्थान दिया गया है;

(ख) सरकार को पत्रकारों से सरकारी आवास के लिये अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उनमें मान्यता प्राप्त पत्रकार कितने हैं तथा अन्य पत्रकार कितने हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1969 के दौरान पत्रकारों को सामान्य पूल से कोई नया आवंटन नहीं किया गया है।

तथापि, एक पत्रकार को सामान्य पूल से समान परिसर के साथ समाचार-पत्र संवाददाता पूल (प्रेस कारेसपोन्डेन्ट पूल) के परिसर को बदलने की अनुमति दी गयी थी।

(ख) समाचार-पत्र संवाददाता पूल से वास के आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं न कि संपदा निदेशालय के द्वारा। बाजार दर किराये की अदायगी पर एक सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है।

(ग) मान्यताप्राप्त — कोई नहीं
अमान्यताप्राप्त — एक।

Rehabilitation of Chambal Project Area, Villages

3389. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the steps taken so far to rehabilitate the people of the villages affected by Chambal Project in Rajasthan and the number of families or villages to whom compensation, land and other facilities are yet to be provided; and

(b) whether it is a fact that he had given an assurance to give priority in providing land, electricity and water to the local people when he went on a tour of Rawat Bhata recently and if so, the steps taken so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Compensation to farmers whose land and property have been acquired has already been paid. They have also been given free land in new colonies or in adjacent villages. Displaced persons of affected villages have been resettled in 45 new colonies. 31 Schools, 42 chaupals, 14 approach roads, 6 dispensaries, 47 wells, one pucca ghat, 7 store sheds, 2 bunds and one link road have been provided in New Colonies. Compensation has not been received by 47 families.

(b) Yes Sir, The scheme is under consideration.

Mineral Development in Rajasthan

3390. Shri **Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the steps taken so far by the Government for the development of minerals and mineral based industries in Rajasthan;

(b) whether it is a fact that the production of zinc and lead in the Hindustan Zinc Ltd., Udiapur being run by the Central Government is on the decrease;

(c) if so, whether Government propose to appoint an enquiry Committee to look into the causes of deterioration in the said national industry so that it could be saved; and

(d) the extent of profit or loss so far to Government from the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) A statement giving steps taken so far by the Government of India for development of minerals and mineral based industries in Rajasthan is attached. **[Placed in Library. See No. LT-381/69].**

(b) The Zinc Smelter of the Hindustan Zinc Limited went into regular production from 1.1.1968 at its full rated capacity practically from the very start of its production. The production was, however, temporarily suspended from 26.7.1968 to 15.9.1968 mainly due to the accumulation of stock of single superphosphate, produced in the factory, upto the storage capacity, as the demand for this product during the off-season was considerably less. The single superphosphate is produced as a by-product from sulphuric acid which inevitably arises in the process of zinc smelting The Smelter is being presently operated at 70% of its capacity and efforts are being continued by the Company to increase the disposal of the superphosphates and resume production of zinc metal at normal full capacity.

As regards lead metal, production from the Lead Smelter of the Company at Tundoo (Bihar) has, however, decreased due to fall of lead content in the ore mined from Zawar Mines. Efforts are being made to increase the production of lead metal by importing the lead concentrates.

(c) The Government has no proposal to appoint any enquiry Committee to look into the matter.

(d) the final account of the Company are not yet ready for the reason that the issue of compensation for the acquisition of the Undertaking has not been settled with the Metal Corporation of India Limited. The Company is now engaged in preparing the annual accounts based on their own valuation assets and liabilities as on the day of acquisition. The Company has provisionally estimated a profit of Rs. 2.50 lakhs for the year 1966-67 and a loss of about one lakh for the year 1967-68.

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की क्रय-शक्ति

3391. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बार रुपये के अवमूल्यन के बाद अब तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा आन्तरिक बाजार में क्रय शक्ति के रूप में रुपये का मूल्य वस्तुतः कितना कम हुआ है;

(ख) क्या सरकार को अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की विद्यमानता का पता है; और

(ग) यदि हां, तो अनौपचारिक बाजार में डालर तथा पौंड की तुलना में रुपये का वर्तमान विनिमय मूल्य सरकार की जानकारी अनुसार क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत के विदेशी लेन-देन सरकारी तौर पर निश्चित विनिमय दर के अनुसार किये जाते हैं। यह विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का जो मूल्य होना है उसकी द्योतक होती है और यह विनिमय दर अवमूल्यन के समय से लेकर स्वभावतः अपरिवर्तित रही है। रुपये की आन्तरिक क्रय-शक्ति स्थूल रूप से अर्थ-व्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में प्रतिबिम्बित होती है। 4 जून, 1966 से 22 फरवरी, 1969 तक की अवधि में थोक मूल्यों के सूचक अंक से लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि का पता चला है।

(ख) और (ग) : सरकार यह बात जानती है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय विनिमय नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन करके विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुछ लेन-देन किये जाते हैं। इन लेन-देनों के मामूली और छिटपुट होने के अलावा इन्हें डालरों और पौण्डों के रूप में रुपये के प्रचलित विनिमय-मूल्य का सूचक नहीं माना जा सकता।

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक वेतन-वृद्धियां

3392. **श्री अदिचन :**
श्री निहाल सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने-अपने वेतनमानों में वार्षिक वृद्धि के रूप में वेतन का कितने प्रतिशत भाग दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणियों के कर्मचारियों के मामले में यह प्रतिशतता बहुत ही कम है और यदि हां, तो दूसरी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन की विभिन्न अवस्थाओं पर मिलने वाले वेतन वृद्धि की प्रतिशतता की तुलना में यह प्रतिशतता कैसी है;

(ग) चौथी तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में इतनी कम प्रतिशतता होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन दोनों वर्गों के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है और इन को बढ़ाया जा रहा है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सभी वर्गों के बारे में सूचना देना संभव नहीं है। केन्द्रीय

सचिवालय में जो पद हैं उनके कुछ सामान्य वर्गों के बारे में सूचना संलग्न अनुबन्ध 'क' में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 382/69]

(ग) वेतन-वृद्धियों की दरें वेतन-मान के न्यूनतम, अधिकतम तथा उनके विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। चतुर्थ श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन-वृद्धि की दर का प्रतिशत अनुपात कम पड़ता है क्योंकि उनके वेतन-मान अपेक्षाकृत कम हैं।

(घ) जी, नहीं। कारण ये हैं :-

(i) चालू वेतन-मान और वेतन-वृद्धि की दरें 1-7-59 से निर्धारित की गयी थीं और उनका सामान्य संशोधन तो जब कभी अगला वेतन आयोग नियुक्त होगा तब उसी के द्वारा ब्यौरे वार जांच किये जाने पर हो सकेगा।

(ii) रहन-सहन के खर्च में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर मंहगाई भत्ते में समुचित समायोजना करके पूर्ति की जाती है।

(iii) प्रशासनिक व्यय में किफायत करने की दृष्टि से इस समय सभी स्तरों पर वेतन-मानों के संशोधन पर, रोक लगी हुई है।

वेतन आयोग की नियुक्ति के लिये परिस्थितियां

3393 **श्री अदिचन :** क्या वित्त मत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 879 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन आयोग की स्थापना किन परिस्थितियों में की जाती है; और

(ख) क्या ये परिस्थितियां इस समय उत्पन्न हो चुकी हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : वेतन आयोग, सामान्यतः, तब नियुक्त किया जाता है जब सरकार की राय में यह महसूस हो कि उसके कर्मचारियों की स्थायी वेतन प्रणाली में तथा सेवा की अन्य शर्तों में व्यापक परिशोधन करने की परिस्थितियां परिपक्व हैं। इस निमित्त कोई सुनिश्चित परिस्थितियों और शर्तों की परिभाषा नहीं की गई हैं। सरकार इस समय नया वेतन आयोग नियुक्त करना समयोचित नहीं समझती।

Allotment of Quarters on Medical Grounds

3394. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of employees, Ministry-wise, who have submitted applications in 1967-68 and 1968-69 so far for the allotment of quarters on medical grounds;

(b) the number of applications out of them sent through the Member of Parliament and the number thereof sent direct; and

(c) the number of quarters allotted so far, Ministry-wise, and the time by which allotment thereof would be made to the remaining applicants ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) : A Statement containing information about (a),(b) and part of (c) is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See. No. L.T. 383/69]**

Keeping in view the number of cases where sanctions for out-of-turn allotments on medical grounds have already been issued, it has recently been decided that every 8th vacancy should be allotted to this category. The time by which the allotments in all such cases can be made, depends on the availability of vacancies in the existing houses and construction of new residential units.

तमिलनाडु के गांवों में पेय जल योजनाएं

3395 **श्री किरूतिनन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के रामनाथपुरम के हनुमंन्तकुडी और देवीपट्टनम नामक गांवों के लिये पेय जल की योजनाओं की रूपरेखा और उनके प्राक्कलन तैयार करके उन्हें केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गांव में पेय जल की व्यवस्था करने की योजनाओं के लिये राशि मंजूर नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारत सरकार को तकनीकी समाशोधन के लिये ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) : अपने बजट प्लान-सीलिंग के अन्तर्गत ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए धन की आवश्यक व्यवस्था करना और योजना की क्रियान्विति शुरु करने के बाद 50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध करना तमिलनाडु सरकार का काम है ।

नाइलोन बनाने वाले कारखाने

3396 **श्री लोबो प्रभु :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइलोन का धागा बनाने वाले कारखानों की क्षमता बेकार पड़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान कारखानों ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रार्थी फर्मों ने विदेशी मुद्रा की आवश्यकता लगभग समस्त 16 करोड़ रुपये सूचित की है ।

देवनगर और आराम बाग क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में छत का एक और पंखा लगाना

3397. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनय नगर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में 'ई' टाइप के पुराने दो कमरों वाले क्वार्टरों में दो पंखे लगे हुए हैं (प्रत्येक कमरे में एक एक पंखा) :

(ख) क्या यह भी सच है कि देवनगर तथा आराम बाग क्षेत्रों के 'ई' टाइप के पुराने दो कमरों वाले सरकारी क्वाटरों में केवल एक कमरे में ही एक पंखा लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) देवनगर तथा आराम बाग के इन 'ई' टाइप के सरकारी क्वार्टरों के दूसरे कमरे में भी अतिरिक्त पंखा कब तक लगाये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) देवनगर तथा आरामबाग में ये दो कमरे वाले क्वार्टर पुराने आवास हैं तथा इन मकानों में बनाते समय केवल एक कमरे में एक छत के पंखे की व्यवस्था की गयी थी ।

(घ) मामला परीक्षाधीन है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक उर्वरकों संबंधी योजना

3398. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में वाणिज्यिक उर्वरकों को उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है क्योंकि वाणिज्यिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए बहुत थोडी पूंजी की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या किसी जापानी अध्ययन दल ने भी इसी आधार पर काम करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य महोदय की वाणिज्यिक उर्वरकों से क्या तात्पर्य है। रसायन उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए सरकार को कुछ राज्य सरकार संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार को ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेतरी तांबा परियोजना में लगाई गई पूंजी

3399. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांबा परियोजना में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) इस परियोजना में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उन पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है; और

(ग) निकट भविष्य में इससे कितना अयस्क प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कोलिहाग सहित खेतड़ी तांबा प्रायोजना पर जनवरी, 1969 के अन्त तक लगभग 15 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है।

(ख) 31 जनवरी, 1969, के दिन प्रायोजना में सिब्बंदी की संख्या 3843 थी। 1968–69 के दौरान (31 जनवरी, 1969, तक) सिब्बंदी पर 65.06 लाख रुपये का खर्चा हुआ था।

(ग) जहां विस्तृत समन्वेषण किया गया है वहां 1.17 प्रतिशत सी. यू. मात्रा वाली 211 लाख मैट्रिक टन की उपलभ्य राशियों के अनुमान हैं। यह क्षेत्र कुल निक्षेप का लगभग छटा भाग है। इसी प्रकार, कोलिहान खान में, जहां पर विस्तृत समन्वेषण किया गया है, वहां 2.4 प्रतिशत सी. यू. मात्रा वाली लगभग 123 लाख मैट्रिक टन की अनुमानित उपलभ्य राशियां हैं। अयस्क के उपरोक्त परिमाणों के, समय के विचार से, जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

हिन्दुस्तान ट्रस्ट (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली द्वारा निर्मित औषधि की बोतल में मक्खी का पाया जाना

3400. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के औषधि बनाने वाले एक समवाय दि हिन्दुस्तान ट्रस्ट (प्रा०) लिमिटेड द्वारा बनाई गई औषधि की एक बन्द बोतल में एक मक्खी पाई गई है;

(ख) क्या औषधि निर्माताओं की ऐसी लापरवाही के विरुद्ध सरकार पहले ही कानून बना चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समवाय के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 21-2-1969 को संसद सदस्य श्री अर्जुन सिंह भदोरिया से मैसर्स प्युअर प्रोडक्ट्स, किशनगंज, दिल्ली (मैनेजिंग प्रोप्राइटर, मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रस्ट प्राइवेट लि०) द्वारा निर्मित मोरप अरण्टी वी० पी० लेबल वाली एक बन्द बोतल प्राप्त हुई जिसमें मक्खी से मिलती-जुलती कोई वस्तु पड़ी हुई थी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : जांच पड़ताल कार्य प्रगति पर है।

Barrages on Gomati and Orsai Rivers in Uttar Pradesh

3401. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the steps taken so far to adequately utilise the water of Gomati and Orsai rivers of Uttar Pradesh which have perennial flow of water;

(b) whether any scheme to construct barrages over them is under consideration; and

(c) when and where such barrages would be built and the manner in which these would be utilised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Waters of Gomati and Sai rivers are being utilised through lift canals. The State Government has reported that schemes tapping 200 cusecs of water from Gomati and 100 cusecs from the Sai have either been completed or are under construction. Schemes to utilise the rest of the water are reported to be under their consideration.

(b) No scheme for barrage on the Gomati and Sai rivers is under consideration of the Government of Uttar Pradesh.

(c) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा काश्मीर के बारे में राष्ट्रपति के 1954 के आदेश की अवधि बढाना

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

"urgent need to restore the Fundamental Rights to the people of Jammu and Kashmir by not further extending the life of the Presidential Order of 1954 in so far as it relates to the saving of the Preventive Detention Act of Jammu and Kashmir from being declared void as it is inconsistent with the provisions of Part III of the Constitution."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): समय समय पर संशोधित रूप में संविधान(जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करना) आदेश, 1954 के अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 35, उस राज्य पर कुछ रूपान्तरों के साथ लागू होते हैं। सार रूप में रूपान्तर यह हैं कि उस आदेश के लागू होने से 15 वर्षों तक, उक्त धाराओं से प्रदत्त अधिकारों पर, जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रोक लगाई जा सकती है और इस रोक का औचित्य वही समझा जायेगा जो राज्य की विधान सभा उचित समझे। वह समयावधि 14 मई, 1969 को समाप्त होने वाली है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि राज्य की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जोकि राज्य की सुरक्षा को निरन्तर चुनौती दें रही है, वहां की सरकार अनुभव करती है कि वर्तमान रूपान्तर पांच वर्ष के लिए और बने रहें। उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Article 22 of the constitution provides for the making of preventive detention laws but it also provides that no person should be detained for more than three months and in case it has to be done the matter should be brought before and Advisory Board and the aggrieved person should be infamed of the made reasons. But the amended laws of Jammu and Kashmir have given a go bye to all these traditions. Politicians, State and Central Government employees were detained and are still being detained under these laws. The Minister has asserted that the modifications are valid for 15 years but the original Presidential Order provides for only 5 years:

"No law with respect to preventive detention made by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir, whether before or after the commencement of the constitution (Application to Jammu & Kashmir) Order 1954, shall be valid on the ground that it is inconsistent with any of the provisions of this part, but any such law shall, to the extent of such inconsistency, cease to have effect on the expiration of five years from the commencement of the said order, except as respect things done or omitted to be done before the expiration thereof."

The original order was for five years which was extended for two terms of five years each. The matter was referred to the Supreme Court and the last part of the judgement is as follows:

'The object of subsequent orders of 1959 and 1964 was to extend the period of protection to the prevention detention law and not to infringe on abridge the fundamental

rights though the result of the extention is that a detenu cannot, during the period of protection, challenge the law on the ground of it's being inconsistent with Article 22. Such extension is justified prima facie by the exceptional state of affairs which continue to exist as before."

When emergency was proclaimed the Defence of India Act came into force and the checks and restraints under article 22 came to an end.

Will the hon.Minister please state the main provisions of the law made by the Government of Jammu & Kashmir and the extent to which these differ from the Indian laws and also the number of political and other persons who have been held ? The hon. Minister also stated that the suggestion of Kashmir Government that exceptional conditions still continue in the state has been acceded to and the time limit is to be extended by 5 years. It were better if views of the Members of different political parties of this house were heard before arriving at such a decision. Why is it that even after a lapse of 22 years since the accession took place we are not in a position to provide the same rights to the people of Jammu & Kashmir as are being enjoyed by the rest of the people.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य की प्राथमिक टिप्पणी को लेता हूँ जिसमें कहा गया है कि मैंने तथ्यों को चतुराई से प्रस्तुत करने का यत्न किया है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have earlier Stated that the Amendment was for the period of five years.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पहले यह पांच वर्ष के लिए था । परन्तु राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे 5 से 10 और फिर 10 से 15 वर्ष तक के लिये बढ़ा दिया गया था और अब इसे 15 से 20 वर्ष तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय अधिनियम और जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अधिनियम में अन्तर है । यह अन्तर दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है । पहला अन्तर, यह है कि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिक से अधिक 12 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है जब कि काश्मीर अधिनियम के अन्तर्गत यह अवधि दो वर्ष की है । दूसरा सलाहकार समिति की अवधि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत 30दिन है और काश्मीर अधिनियम के अन्तर्गत यह अवधि 6 महीने की है । यह दो प्रमुख अन्तर हैं । एक प्रश्न यह भी पूछा गया है कि केन्द्रीय अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर पर क्यों नहीं लागू होता, परन्तु यह निर्णय लेना जम्मू तथा काश्मीर विधान मंडल का कार्य है कि कौनसा प्रतिबन्ध अधिक ठीक रहेगा ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Why has this Presidential Order been issued ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह प्रस्ताव जम्मू तथा काश्मीर सरकार से आया था ।

Shri Madhu Limaye : How many persons have been detained ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे मिली सूचना के अनुसार इस समय 169 व्यक्ति नजरबन्द हैं । इनमें से 49 व्यक्ति या तो पाकिस्तानी नागरिक है या पाक अधिकृत काश्मीर के निवासी हैं । शेष भारतीय नागरिक हैं । लगभग सभी पर जासूसी तथा तोड़-फोड़ के आरोप हैं । हमसे पूछा जाता है कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा

रहे हैं परन्तु जब हम कोई कदम उठाते हैं तो फिर पूछा जाता है कि आप इस अधिनियम की अवधि को क्यों बढ़ा रहे हैं ?

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम सरकार को हर सम्भव मदद देने के लिए तैयार हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसे विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। परन्तु क्या सरकार के लिए यह उचित नहीं था कि वह अधिनियम की अवधि बढ़ाने से पूर्व हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती ? क्या यह उचित है कि इस अवधि को इस प्रकार समय-समय पर बढ़ाया जाये ? सरकार समान राजनीतिक विचार-धारा वाले अन्य दलों का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं करती है जिससे हमें इस प्रकार के विधान को लाने की आवश्यकता न रहे ? अभी यह कहा गया है कि उनको तोड़-फोड़ तथा जासूसी करने पर बन्दी बनाया गया है, क्या उन पर मुकदमें नहीं चलाये जा सकते हैं ? जब वे हमारी सरकार तथा देश के विरुद्ध ऐसी घृणित कार्यवाहियां कर रहे हैं तो उनको इस तरह का विशेष दर्जा क्यों दिया जा रहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अभी माननीय सदस्य ने पूछा है कि काश्मीर में स्थिति पर नियन्त्रण रखने के और भी कई रास्ते हैं। मैंने बताया है कि वास्तव में कई रास्ते हैं और यह उनमें से एक है। अगर हम इस अवधि को नहीं बढ़ायेंगे तो और भी कई समस्यायें पैदा हो जायेंगी। जासूसी और तोड़फोड के मामले में अपराधियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाना प्रायः आसान नहीं होता है इसलिए जम्मू तथा काश्मीर का इसकी अवधि बढ़ाने का अनुरोध वास्तविकता पर आधारित है। दूसरा यह पूछा गया है कि इस प्रश्न पर यहां चर्चा क्यों नहीं की गई, मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। केवल इतना ही कहूंगा कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस अवधि को दस वर्ष तक और बढ़ाना चाहती थी परन्तु हम इस पर सहमत नहीं थे और हमने इसे केवल 5 वर्ष और अधिक बढ़ाने का निश्चय किया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : हमारे मौलिक अधिकारों की सीमायें हैं परन्तु फिर भी इन मौलिक अधिकारों को समाप्त करना एक गम्भीर मामला है। सैनिक शासन लागू करते समय ऐसी कार्यवाही करने की बात मेरी समझ में आ सकती है परन्तु यह काश्मीर समस्या तो वर्षों से चली आ रही है। वे हमें कई बार कहते रहे हैं कि अगर जनता के साथ मनमुटाव वाली बात होती है तो हमें इसे राजनीतिक रूप से सुलझाना चाहिये। आज काश्मीर में अजीब स्थिति है जहां जनता मूलभूत अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकती। इस का परिणाम यह होता है कि वहां के लोगों के मन में हमारे प्रति शिकायत की भावना है जिससे स्थिति और भी विकट होती जा रही है। आप दूसरा द्वारा मार्ग क्यों नहीं अपनाते, जब भी कभी कोई गम्भीर मामला उठता है तो आप कोई विशेष कदम उठाकर इसको सुलझा सकते हैं परन्तु इस प्रकार का प्रावधान बनाना, जिसके अन्तर्गत लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जाये, एक बहुत गलत बात है, इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस विधान की अवधि में 5 वर्ष की और वृद्धि करने वाले जम्मू और काश्मीर सरकार के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस वृद्धि के उचित आधार है। यह नजरबन्दी अधिनियम कोई ठीक बात नहीं है। हमारे पास केन्द्रीय विधान है जिसके अन्तर्गत विशेष स्थितियों का

सामना किया जा सकता है। परन्तु जम्मू और काश्मीर का स्थिति बहुत विकट है। अगर वहां की सरकार समझती हैं कि इन विकट स्थितियों का सामना करने के लिए अधिक अधिकारों की आवश्यकता है तो इस सम्बन्ध में उनका अनुरोध बिल्कुल उचित ही है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अभी गृह मंत्री महोदय ने बताया कि जम्मू और काश्मीर राज्य में स्थिति विकट हैं। ऐसी ही स्थिति नागालैंड व नेफा के इलाकों में भी व्याप्त है। और वहां भी इस स्थिति का सामना करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता है, परन्तु बाकी सब राज्यों को छोड़कर केवल इसी राज्य के साथ ऐसा विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? संविधान के अनुच्छेद 370 में जो उपबन्ध है वह भेदभावपूर्ण है। इन शक्तियों का उपयोग तो राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। अगर इन्हें उन लोगों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो इसके अन्तर्गत सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को ही गिरफ्तार किया जाना चाहिये था। यह विधेयक जम्मू व काश्मीर के प्रति भेदभावपूर्ण नीति का परिचायक है। क्या माननीय मंत्री जी अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बारे में सोचेंगे जिससे ऐसी स्थिति दुबारा उत्पन्न न हो ? क्या आप विधि-विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम को जम्मू व काश्मीर राज्य पर भी लागू करेंगे ? क्या आप देशद्रोह का कानून बनाएंगे ताकि ऐसे सब व्यक्तियों पर कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सके।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने वही प्रश्न दूसरे रूप में उठाया है कि जम्मू व काश्मीर में केन्द्रीय अधिनियम न होकर दूसरा अधिनियम क्यों हैं, परन्तु जम्मू और काश्मीर राज्य की जो संवैधानिक स्थिति है वह शेष भारत से भिन्न है।

श्री बलराज मधोक : हमने जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम को पारित किया है इसको जम्मू और काश्मीर में क्यों लागू नहीं किया जाता ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम एक विधेयक इस सभा में लाये हैं जिसके अन्तर्गत उस कानून को जम्मू और काश्मीर में लागू किया जा सकेगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : ऐसा लगता है कि काश्मीर समस्या का रूप ऐसा ही बना रहेगा और देश की सुरक्षा को भी खतरा बना रहेगा। क्या जब तक खतरा बना रहेगा तब तक उनको इन अधिकारों से वंचित रखा जायेगा ?

काश्मीर को एक प्रकार से बिल्कुल अलग ही समझा जाता है। अगर आपको वहां की सुरक्षा की चिन्ता है तो काश्मीरियों के मन में यह भावना आनी चाहिए कि वे द्वितीय श्रेणी के भारतीय नहीं है। आज भारत के प्रति उनका ठीक दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि उसको मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, अगर उनके मन में विद्रोह की कोई भावना है तो वह भारत के प्रति नहीं है परन्तु उसका कारण यह है कि उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि वहां सुरक्षा की समस्या बनी हुई है, हम क्या हमेशा के लिए उनको मूलभूत अधिकारों से वंचित रखेंगे। क्या हम काश्मीरियों के मन में यह सुरक्षा की भावना नहीं डाल सकते हैं कि भारत हमारा है और हम समस्त मूलभूत अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं।

इस बात को देखते हुए क्या काश्मीरियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जायेगा ? एक व्यक्ति के हित तथा सुरक्षा को राज्य के साथ जोडा जाता है, परन्तु ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र-विरोधी कार्यों में लगता है तो उससे निबटारा करने के लिए देश का कानून पर्याप्त अधिकार देता है। इन सब बातों का मैं मंत्री महोदय से उत्तर चाहता हूं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि काश्मीर को भारत का भाग नहीं समझा जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : आप काश्मीर को भारत का भाग नहीं समझते हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह भारत का भाग है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां नजरबंदी कानून लागू है जो कि केन्द्रीय अधिनियम से अधिक कठोर हैं। यह वहां जम्मू व काश्मीर विधान मंडल द्वारा लागू किया गया है। यह केन्द्रीय विधान द्वारा लागू नहीं किया गया है, जहां तक इसकी अवधि का प्रश्न है यह 5 वर्ष तक की है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड के कार्य-सम्बन्धी पत्र और हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 358/69**]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मासियोटिकल्स लिमिटेड के कार्य-सम्बन्धी पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) (क) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मसियोटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1967–68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मसियोटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी 359/69**]

(दो) (क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रासायनी के वर्ष 1967–68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्ष ।

(ख) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रासायनी का 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी ०359/69**]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) संशोधन आदेश 1969 जो दिनांक 3 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 759 में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 360/69**]

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या एस० ओ० 766 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 361/69**]

सीमा शुल्क के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ

(एक) जी० एस० आर० 491 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) जी० एस० आर० 492 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण) ।

(तीन) जी० एस० आर० 493 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण) ।

(चार) जी० एस० आर० 494 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(पांच) जी० एस० आर० 495 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(छः) जी० एस० आर० 496 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण)।

(सात) जी० एस० आर० 497 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण)।

(आठ) जी० एस० आर० 498 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी संस्करण)।

(नौ) यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 499 में प्रकाशित हुये थे।

(दस) जी० एस० आर० 507 जो दिनांक 26 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 508 जो दिनांक 26 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) जी० एस० आर० 509 जो दिनांक 25 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) जी० एस० आर० 510 जो दिनांक 26 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) जी० एस० आर० 511 जो दिनांक 26 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 512 जो दिनांक 26 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) जी० एस० आर० 513 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 514 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 26 फरवरी 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) जी० एस० आर० 572 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 587 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(अठारह) जी० एस० आर० 573 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 588 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 574 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 589 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(बीस) जी० एस० आर० 575 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 590 (हिन्दी सस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(इक्कीस) जी० एस० आर० 576 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 591 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(बाईस) जी० एस० आर० 577 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 592 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(तेईस) जी० एस० आर० 578 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 593 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(चौबीस) जी० एस० आर० 579 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 594 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 580 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 595 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 581 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 596 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(सत्ताईस) जी० एस० आर० 582 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 597 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(अट्ठाईस) जी० एस० आर० 583 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 598 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(उन्तीस) जी० एस० आर० 584 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 599 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(तीस) जी० एस० आर० 585 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 600 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(इकतीस) जी० एस० आर० 586 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 601 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 362/69]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

अड़सठवां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय-कोसी परियोजना के बारे में प्राक्कलन समिति का 68 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

चौथा प्रतिवेदन

श्री राणे (बुलडाना) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राज्य विधान सभाओं में घटनाओं के बारे में
RE. INCIDENTS IN STATE ASSEMBLIES

अध्यक्ष महोदय मेरे पास इस समय कुछ मामले उठाने के अनुरोध आये हैं जैसे मैसूर विधान सभा में विधायकों द्वारा धरना और बंगाल में विधान सभा से उठकर बाहर चले जाने की कुछ घटनायें आदि । सौभाग्यवश सभी राज्यों में विधान सभा कार्य कर रही है और कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं है । जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि विधान सभा का कार्य चला रहे हैं अतएव वहां कोई बात उठती है तो उसको निपटाने का मौका उन्हीं को ही मिलना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कुछ सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया है और ऐसा मालूम होता है कि उनकी दशा चिन्ताजनक हैं, हम इस बारे में जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को उठाने का मंच वहां की विधान सभा ही है । अगर हम वहां के मामलों को यहां उठायेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी । कुछ राज्यों में कांग्रेसी और कुछ में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, उनको अपना काम करते रहने दो । केन्द्रीय सरकार या संसद का इन मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः इन मामलों को यहां नहीं उठाया जाना चाहिए ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा निवेदन है कि राज्य मंत्रियों ने यह वक्तव्य दिया है कि कुछ लोगों को हथियार दिये जायें, क्या यह मामला केन्द्र के क्षेत्राधिकार में नहीं आता ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस का केन्द्र या संसद पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो मैं इस पर विचार करूंगा कि संसद को किस प्रकार इस मामले में पड़ना चाहिए ।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) संशोधन विधेयक, 1969
PUBLIC EMPLOYMENT (REQUIREMENT AS TO RESIDENCE) AMENDMENT BILL, 1969

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) अधिनियम, 1957, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

यह प्रस्ताव लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) अधिनियम 1957 में दूसरी बार संशोधन करने के लिए लाया गया है । सभा को याद होगा कि भाषाई राज्यों के बंटवारे के समय आंध्र और तेलंगाना के नेताओं में समझौता हुआ था । उस समय कहा गया था कि आंध्र प्रदेश के तेलंगना क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हुआ है और वहां के लोग पर्याप्त शिक्षा के

अभाव में नये राज्य आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ प्रतिस्पद्धा नहीं कर सकते हैं। उक्त समझौते के अनुसार, 1957 में एक विधेयक लाया गया था।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अधिनियम की धारा 3 अवैध हैं। बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर विचार किया और पहले वाले निर्णय को रद्द करके वर्तमान अधिनियम के उपबन्ध को वैध बताया इस के बाद हमने इस उपबन्ध को जारी रखने का निश्चय किया तथा इसे भलि-भांति लागू करने के लिए और संशोधन किया। मैं यह बताऊँगा कि खण्ड 2 क्या है। इस खण्ड 2 के अनुसार खण्ड (ग) के उपधारा (1) में "स्थानीय प्राधिकार" के स्थान पर 'स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकार" रखा जायेगा, यह संशोधन आंध्र प्रदेश के उच्च-न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख कर किया गया है। दूसरा संशोधन हिमाचल प्रदेश की सीमा में हुए उस परिवर्तन के बारे में है जो पंजाब के पुनर्गठन के फलस्वरूप हुआ है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मन्त्री महोदय बिजली बोर्ड के सम्बध में दिये गए निर्णय के बारे में कह रहे हैं। परंतु मैं उनका ध्यान "मुल्की" तथा "गैर-मुल्की" मामले की वैधता पर हाल के निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पर आपत्ति की गई और उच्चतम न्यायालय ने निषेधाज्ञा दे दी है। मन्त्री महोदय ने मुल्की तथा गैर मुल्की की वैधता पर आपति करने वाले इस निर्णय की ओर ध्यान नहीं दिया है। मुझे लगता है कि वह इस विचार में है कि यह केवल राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से संबधित है। अतएव मैं उनका ध्यान उक्त बात की ओर दिलाना चाहता हूं जो राज्य सभा में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के बाद हुई।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने इस मामले पर पहले ही विचार कर लिया है। इस सभा के समक्ष दो प्रश्न हैं। पहला यह कि इस विधेयक में मूल अधिनियम को पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए कहा गया है, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक का उच्चतम न्यायालय के समक्ष आए हुए मामले से कोई सम्बन्ध है? मेरे विचार में यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। हो सकता है कि किसी विशेष उपबन्ध की वैधता को चुनौती दी गई हो और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने उसे ठीक न माना हो। उसके बाद कुछ लोगों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की होगी परन्तु हम तो यहां इस अधिनियम की अवधि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। न तो उच्चतम न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय में इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है ... .

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इसको चुनौती दी गई है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : न तो उच्च न्यायालय और न ही डिवीजन बेंच ने इसे अवैध बताया है। इस अधिनियम को चुनौती कभी नहीं दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : उच्च न्यायालय के पास क्या मामला है और क्या उच्चतम न्याया-लय ने किस मामले पर निषेधाज्ञा दी है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं कह रहा था कि यह विशेष मामला मूल विधेयक की धारा 3 से सम्बन्धित है जिसकी अवधि हम बढ़ाना चाहते हैं। न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था कि धारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकार ही आता है और बिजली बोर्ड तथा राज्य परिवहन उपक्रम नहीं आते। हो सकता है कि न्यायाधीश ने इस निर्णय की पुष्टि के लिए विभिन्न तर्क दिए हों। परन्तु यह सारा मामला धारा 3 से और स्थानीय निकायों के अलावा अन्य निकायों में रोजगार के अवसरों से सम्बन्धित है, अतएव हमने 'स्थानीय" के बाद 'और अन्य प्राधिकार' जोड़ दिया है। राज्य सभा में यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया था, आंध्र प्रदेश के एक उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच में इस मामले पर पुनर्विचार किया गया और अकेले न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय के डिवीजन बैंच के निर्णय के विरुद्ध अपील की। मुझे किसी और मामले अथवा निर्णय के बारे में मालूम नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यहां दो न्यायाधीशों ने दो निर्णय दिये हैं, एक निर्णय तो तेलंगाना के कर्मचारियों के अपील के सम्बध में है जिसमें कहा गया है कि बिजली बोर्ड में उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है और कि 2 : 1 के अनुपात का अनुसरण नहीं किया गया है। न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था कि अधिनियम में प्राधिकार का वर्णन नहीं किया गया है अतएव यह अपील रद्द कर दी गई। दूसरी अपील एक अन्य न्यायाधीश के पास दायर की गई जिसमें मुल्की की वैधता को चुनौती दी गई है, न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि राज्य में नौकरी के मामलें में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस पर डिवीजन बैंच को अपील की गई। डिवीजन बैंच ने यह निर्णय दिया कि तेलंगाना के फालतू कर्मचारियों को वापिस आंध्र प्रदेश में न भेजा जाये और अधिक संख्या में नए पद बना कर उन्हें वहीं समाविष्ट किया जाये, जब ये बातें हो रही थी तो उच्चतम न्यायालय में निषेधाज्ञा के लिए अपील की गई और उस ने यह निषेधाज्ञा दे दी है। इन दो निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्थानीय अधिकार के अन्तर्गत कोई भी अधिकार आ सकता है जिसमें बिजली बोर्ड भी शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया इस को स्पष्ट करें। अगर उच्चतम न्यायालय ने भेदभाव के आधार पर कोई निषेधाज्ञा दी है, तो मेरे विचार में अगर सभा इस पर विचार करती है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि यह सभा उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट न किए गए विषय पर विचार कर रही है, यदि यह मामला न्यायाधीन है तो मेरे लिए इस पर अग्रेतर चर्चा करने की अनुमति देना सभव नहीं है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मूल अधिनियम की धारा 3 को अकेले न्यायाधीश ने अवैध ठहराया था। उसके बाद डिवीजन बैंच ने उसे वैध करार दिया, उसके बाद अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए एक लिखित याचिका प्रस्तुत की गई। जिसके फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने निषेधाज्ञा दे दी है। परन्तु इसका इस विशेष अधिनियम की वैधता से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह निषेधाज्ञा राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश को ध्यान में रख कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आदेश क्या है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : धारा 3 के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने कोई आदेश अवश्य जारी किया होगा. उच्चतम न्यायालय ने जो निषेधाज्ञा दी है वह राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अनुसरण में जारी किए गये उसी आदेश से सम्बन्धित है और इसका सभा के समक्ष प्रस्तुत विधान से कोई सम्बन्ध नहीं है। निषेधाज्ञा उस अधिनियम से सम्बन्धित होती जो कि हमारे समक्ष है तो उनकी यह बात बंध होती। परन्तु ऐसा नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय कहता कि इस विशेष अधिनियम की धारा 3 पर और कोई कार्यवाही न की जाए, तो हम यहां उस पर चर्चा नहीं करते परन्तु यह निषेधाज्ञा राज्य सरकार के आदेश से संबधित है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : अगर यह मान लिया जाये कि उन्होंने धारा 3 को प्रत्यक्ष चुनौती नहीं दी है परन्तु प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने धारा 3 के अनुसरण में कार्यवाही की है, उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए जब अपील की गई तो उच्चतम न्यायालय ने यह दे दी। अगर न्यायालय राज्य सरकार का कार्यकारी आदेश रद्द कर देता है तो धारा 3 स्वतः रद्द हो जाएगी।

मैं मत्री महोदय को इस बात के लिए सावधान करना चाहता हूं कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने तक और कोई कार्यवाही न करें। हमें ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि उच्चतम न्यायालय की उपेक्षा की जा रही है। अगर हमने इस विधेयक पर अभी चर्चा की तो इससे विभिन्न प्रतिक्रियां उत्पन्न होंगी क्योंकि यह अभी न्यायाधीन है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : न केवल वह आदेश परन्तु धारा 3 भी अवैध है जिसके अन्तर्गत यह आदेश जारी किया गया है। क्योंकि देश में एक ही तरह के मूलभूत अधिकार हो सकते है न कि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मूलभूत अधिकार होने चाहिये। और जनता को किसी भी राज्य में जाकर रोजगार करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। रोजगार के मामले में निवास-स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिये। इस आधार पर भेद-भाव नहीं करना चाहिये कि वह अन्य राज्य से सम्बन्धित है। आंध्र प्रदेश के विधान मडल द्वारा पारित अधिनियम भी असवैधानिक है। सर्वप्रथम एक न्यायाधीश ने इसके विरुद्ध की गई याचिका को सविधान अनुकूल ठहराया। इसलिए उन्होंने उस आदेश को रद्द कर दिया और धारा तथा अधिनियम की वैधता को चुनौती दी। तब यह मामला डिवीजन बेंच के पास गया उसने स्थानीय विधान का समर्थन किया, यह मामला फिर उच्चतम न्यायालय के पास गया जिसने एक पक्षीय अन्तरिम व्यादेश जारी कर दिया क्योंकि सरकार उसके विरुद्ध कुछ न कह सकी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों को वहां भेजा। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि पहले निषेधाज्ञा को स्थायी माना जाये तब फिर वे वास्तविक मामले पर चर्चा करेंगे कि क्या यह अधिनियम संविधान के अनुसार है, अथवा नहीं। जहां तक मुझे पता है, उच्चतम न्यायालयों ने अपने अधिकारियों को कहा है कि वे इस मामले को इस महीने के अन्त तक उनके सामने अन्तिम सुनवाई के लिए रखें। वे इस पर निर्णय देंगे कि क्या यह आन्ध्र प्रदेश सरकार का अधिनियम संविधान के अनुकूल है या नहीं।

अगर संसद इस समय मामले पर चर्चा करती है तो आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को उच्चतम न्यायालय में यह कहने का मौका मिल जायेगा कि यह अधिनियम संविधान के अनुकूल है क्योंकि संसद में इस पर चर्चा की जा रही है। इस प्रकार यह तर्क आन्ध्र प्रदेश सरकार के पक्ष में जाता है।

दूसरा, अगर उच्चतम न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित यह अधिनियम अवैध और असंवैधानिक है तो इस विधेयक का, जिस पर संसद में विचार किया जा रहा है, क्या होगा ? ऐसा करने से सबको यह कहने का अवसर मिलेगा कि संसद ने उच्चतम न्यायालय का आदर नहीं किया है, अतएव मेरा अनुरोध है कि जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे देता तब तक इस मामले पर विचार न किया जाये।

श्री को० सुर्यनारायण (एल्लूरु) : उच्चतम न्यायालय में इस मामले को आज उठाया है और दोनों पक्षों के वकील आ गए है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस मामले पर विचार करना स्थागित कर दिया जाये ताकि न्यायालय के कार्य में कोई विघ्न न पड़े, हम इसका विरोध नहीं कर रहें हैं परन्तु हम इतना ही चाहते है कि इस पर विचार कानूनी ढंग से हो।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक पेचीदा मामला है। धारा 3 के अन्तर्गत जो आदेश जारी किया गया है उसको चुनौती देने का अर्थ है कि धारा को भी चुनौती दी जा रही हैं। यही एक मुख्य विरोध है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं यह बता देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था कि धारा 3 वैध नहीं है। डिवीजन बैंच ने उस न्यायाधीश के निर्णय को अस्वीकार करके इसको वैध बताया। परन्तु यह निषेधाज्ञा उस कार्यकारी आदेश से सम्बन्धित है जो राज्य सरकार ने दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला ऐसा है कि स्थानीय सरकार ने अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत यह आदेश जारी किया था। जब इस आदेश को चुनौती दी जा रही है तो यह बहुत सम्भव है कि वह धारा भी इससे प्रभावित होती है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि कार्यकारी आदेशों के विरुद्ध निषेधाज्ञा दी गयी है, परन्तु कार्यकारी आदेश को चुनौती देते समय यह प्रश्न उठता है कि क्या इससे धारा प्रभावित होती है या नहीं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अगर उच्चतम न्यायालय की निषेधाज्ञा इस अधिनियम की धारा 3 से सम्बन्धित होती। तो इस बात का कोई औचित्य होता परन्तु यह निषेधाज्ञा अधिनियम की धारा 3 से सम्बन्धित ही नहीं हैं।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : एक तरह से कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दी गई है अतएव यह अधिनियम अवैध है। अब प्रश्न यह है कि यह विधेयक केवल अवधि बढ़ाने के लिये लाया गया है। अगर उच्चतम न्यायालय इस अधिनियम को अवैध घोषित कर देगी तो यह इस अधिनियम की अवधि में वृद्धि करने वाला संशोधन भी अवैध हो जायेगा।

इस समय आंध्र प्रदेश में उत्तेजना फैली हुई है अगर कोई भी कदम उठाया गया तो इसका वहां प्रभाव पड़ेगा, मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार कर लिया जाये। यदि उच्चतम न्यायालय का निर्णय इसके विरुद्ध हुआ, तो इस विधेयक को समाप्त कर दिया जायेगा।

Shri S. M. Joshi (Poona) : This case is quite clear. They have not considered the Section 3 as invalid. According to the agreement the proportion of the services should have been 2 : 1 between Mulki and Non mulki respectively. But this did not happen and they got lees chances in the services. Now an agreement was reached that the employees who do not belong to Telegana may be considered as supernumerary. The judge, however, observed that it would not be proper to send them back The supernumeraries also want to stay in Telegana. The order of the Government of Andhra Pradesh has now been challenged in the Supreme Court. There is nothing wrong if we take up this bill now because if we do not extend the Act that there will be disturbances there, If, later on, the judgement of the Supreme Court goes against the Act itself, this will also become void.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is a matter concerned with the rights of the House. If the Supreme Court has given stay order in a certain case, it does not mean that this House cannot extend the Act.

Just as the Supreme Court is independent in taking decision so This House has also got the same power We do not want to interfere in the affairs of the Supreme but at the same time we expect that they should also not interfere in our affairs.

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक-सभा 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past fourteen hours of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) संशोधन विधेयक, 1969—जारी

PUBLIC EMPLOYMENT REQUIREMENT AS TO RESIDENCE AMENDMENT-BILL 1969 CONTD.

श्री रा० हो० भंडारे (बम्बई मध्य) : व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ :

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों का पता लगा लिया है। वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में यह मान्य नहीं है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम चाहते हैं कि दोनों प्रदेशों में रहने वाले लोग शान्ति से रहे और उनमें कोई विवाद तथा ईर्ष्या आदि उत्पन्न न हो, यहां जो सदस्य वक्तव्य दे रहे हैं उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई ऐसी बात न कही जाये जिससे किसी भी पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचे यही मेरा सबसे अनुरोध है।

श्री रणा : मुझे प्रसन्नता है कि गृह कार्य मन्त्री महोदय ने उचित बात कही है। उन्होंने कहा हैं कि यह एक नाजुक मामला है। मुझे इस अधिनियम को और आगे 5 वर्ष तक बढ़ा देने में कोई आपत्ति नही हैं। परन्तु जो कुछ इस समय आंध्र प्रदेश में हो रहा है वह भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के लिए गौरव की बात नहीं है। वहां की घटनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। उन घटनाओं के होने के कई कारण हैं। जब आंध्र राज्य बनाया गया था तब तेलंगाना की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि नौकरियों आदि के मामले में उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। यह कहना गलत है कि इन आश्वासनों को पूरा करना केवल राज्य सरकार को ही जिम्मेवारी है। उस समय तेलगानावासी एक अलग राज्य चाहते थे कि परन्तु केन्द्रीय नेता नहीं चाहते थे कि एक ही भाषा को जानने वाले दो राज्य हों अगर एक ही भाषा के दो राज्य बन जाते तो कोई आसमान थोड़े ही गिर जाता। अब हिन्दी जानने वाले 6 या 7 राज्य हैं तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। जब आंध्र प्रदेश बनाया गया और तेलंगानावासियों को विश्वास दिलाने के लिये उन्होंने समझौता स्वीकार किया तब वहां की विधान सभा में कांग्रेस बहुसख्यक दल के रूप में थी। अब अचानक उनके मन में यह विचार कैसे आया है कि उन्होंने तेलगानावासियों को न्याय नहीं दिया है और दूसरे क्षेत्रों के हजारों व्यक्ति तेलगाना में सभी पदों पर नियुक्त हो गए हैं। उस समय कांग्रेसी सदस्यों को इस बात का क्यों नहीं आभास हुआ। इन सबके लिए कौन उत्तरदायी है ? इसके लिए कांग्रेस दल कांग्रेसी मन्त्री, कांग्रेसी जिला परिषद के अध्यक्ष आदि उत्तरदायी हैं। इनके बेचारे पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों की गलती थोड़े ही थी जो रोजगार की तलाश में थे। ये कोई भिक्षा थोड़े ही मांग रहे थे। इनको गैर तेलगाना क्षेत्र में नियुक्त करने के बदले तेलगाना क्षेत्र में विभिन्न पदों पर नियुक्त कर दिया गया था। के वहां गत दस से चौदह वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब अचानक ही उनको नोटिस दिया गया है कि उनका यहां कोई काम नहीं है और वे वापिस चले जायें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में गए हैं। अतएव कोई उन्हें इस बात के लिए दोषी नहीं बता सकता है। उनकी कोई गलती नहीं थी। यह कैसे हो सकता है कि ज्यों ही दगे फिसाद शुरु हुए त्यों ही मुख्य मन्त्री ने कांग्रेसी दल तथा विरोधी दलों के नेताओं को बुलाया और यह पाया कि जो कार्य वे कर रहे थे, वह गलत था, क्या उन्हें पहले से मालूम नहीं था कि यह कार्य गल्त हो रहा था ? इस प्रकार तेलंगाना क्षेत्र में दो गुटों में प्रतिस्पद्धा आरम्भ हो गई और वे एक दूसरे को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे। अब तक मुख्य मन्त्री इनको चतुराई से सम्भालते रहें परन्तु अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम देश को इस प्रकार विभाजित करना चाहते है कि एक राज्य के निवासी को दूसरे राज्य में नौकरी न मिल सके, इसी प्रकार की बातें आसाम में भी हुई है। यह मामला विदर्भ की जनता और महाराष्ट्र सरकार के मध्य जैसा ही है। विदर्भ की जनता भी अलग राज्य चाहती थी। परन्तु वहां पर मुख्य मन्त्रियों ने ऐसा होने नहीं दिया।

श्री एस० एम० जोशी : हमने समझौते को पूरी तरह से लागू किया था जबकि आंध्र प्रदेश में इसका उल्लघन किया गया था ।

श्री रंगा : आंध्र क्षेत्र से हमारे बहुत से किसान तेलंगाना गए थे । वहां उन्होंने भूमि खरीदी और कृषि का सुधार किया । वे अब वहां प्रगतिशील किसान बन गए हैं । उनके साथ अब भेदभाव किया जा रहा है यहां से कई लोगों ने वहां जाकर तेलंगाना के विभिन्न भागों में व्यापार आरम्भ किया तथा कई अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं। जब यह सब हो रहा था तो उस समय केन्द्रीय मन्त्री और आंध्र प्रदेश के अन्य मन्त्री क्या कर रहे थे ?

वहां पुलिस भी किसी भी प्रकार का सरक्षण देने को तैयार नहीं थी. महिलाओं की इज्जत को लूटा गया और बहुत से परिवारों को वहां से भाग जाना पड़ा मानो कि पाकिस्तान या अन्य देशों से भाग रहे हों । मैं इसके बारे में कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ । मुझे वहां के लोगों से इसके बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं तथा वे मेरे पास आए भी थे । उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । इन सबके लिए कौन दोषी है ? सरकार, मुख्य मन्त्री, असफल रहे हैं, इसका कारण यह था कि उन्होंने दिए हुए आश्वासनों को पूरा नहीं किया था । अगर इस दुस्सह स्थिति पर काबू पाने के लिए कुछ न किया गया तो कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखना कठिन हो जायेगा । इन लोगों को कुछ आश्वासन अवश्य मिलने चाहिये ।

यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति को वहां का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिए । यह सुझाव व्यर्थ है क्योंकि ऐसा करने से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है ।

यह सुझाव दिया गया है वर्तमान मुख्य मन्त्री को त्याग पत्र देने को कहा जाना चाहिए । हो सकता है इस से कोई लाभ हो जाये । वहां कांग्रेसी लोग आपस में लड़ रहे हैं तथा यह संभव है कि अन्य कांग्रेसी नेता, जो मुख्य मन्त्री बनेगा, इस विवाद को समाप्त करा सके और शान्ति स्थापित कर सके । भारत सरकार, गृह मन्त्री तथा कांग्रेस दल का यह कर्तव्य है कि शीघ्रातिशीघ्र दलीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कदम उठाये जिनके परिणामस्वरूप मन्त्रीमडल का इस प्रकार पुनर्गठन हो कि तेलगाना के लोगों और आंध्र के जिले के लोगों को यह आश्वासन दिया जा सके कि कानून को तुरन्त निष्पक्षतापूर्ण दक्षतापूर्ण और प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा । वहां इस समय कानून को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । यदि कलकत्ता में घेराव आदि की घटनायें होती हैं, तो उनका दोष साम्यवादियों पर लगाया जाता है, परन्तु तेलगाना में घेराव की जो घटनायें हो रही हैं, उनका दोषी कौन है ? हमने विभिन्न स्थानों पर एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों पर अत्याचार करते सुना हैं, परन्तु वहां एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक दूसरे को हानि पहुँचाने की अनुमति दी जा रही है । यदि सरकार तेलगाना राज्य बनाना चाहती है तो बनाये. हमें इसमें आपत्ति नहीं हैं । हम इसकी राजनीति में नहीं पड़ते हैं । हम तो केवल यह चाहते हैं कि लोगों को दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिये । उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जा रहा है और स्वय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है ।

अब मैं इस मामले के वित्तीय पहलू पर कुछ कहना चाहता हूं। उच्च न्यायालय की बेंच ने निर्णय दिया है कि सभी फालतू अधिकारियों को तेलगाना से आन्ध्र नहीं भेजा जाना चाहिये बल्कि उन्हें वहां बहुसंख्यक लोगों के रूप में रहने दिया जाना चाहिये। इस से धन की बर्बादी होगी और प्रति वर्ष 1 करोड़ से अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। उन अधिकारियों पर प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। उन्हें न केवल तेलगाना के लोगों अपितु आंध्र के लोगों के साथ भी सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिये। सरकार की असफलता के कारण ही यह सब हो रहा है। सरकार को यह देखना चाहिये कि पुलिस लोगों के साथ उचित बर्ताव करे और नागरिक स्वतन्त्रता, कानून तथा व्यवस्था कायम रहें। चूंकि पुलिस का बर्ताव उचित नहीं है, इसीलिये वहां लोगों का जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है और लोग शान्ति से नहीं रह सकते है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे व्यवस्थित ढग से काम करना चाहिये ताकि आन्ध्र प्रदेश सरकार भी समुचित ढग से काम करे और सारे भारत की बदनामी न हो।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं तेलगाना क्षेत्र का हूं और इसीलिये तथ्यों के आधार पर बात कहूंगा। श्री रगा ने भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार की आलोचना की है तथा सारा दोष उन पर ही लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि श्री रंगा भी इसके लिये जिम्मेवार हैं, क्योंकि वह भी उस समय कांग्रेस के सदस्य थे। चूंकि अब वह विपक्ष में है, इस लिए ऐसी बातें कह रहें है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार अथवा आंध्र प्रदेश सरकार पर दोष लगाना ठीक नहीं है। यह मामला तीन क्षेत्रों अर्थात् रायलसीमा, तेलंगाना और तटवर्ती आंध्र के लोगों से सम्बन्धित है और ये सभी क्षेत्र एक ही राज्य में हैं। इन लोगों के बीच आज जो भेद-भाव हैं, उन्हें भाईचारे की भावना को दूर किया जाना चाहिये।

यह कहा गया है कि विधायक चुप्पी साधे रहे और उन्होंने सेवाओं के मामले में तेलंगाना के लोगों के साथ हो रहे अन्याय की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया। मैंने वर्ष 1961 में भारत सरकार को एक पत्र लिख कर यह शिकायत कि थी कि तेलगान के लोगों को पदोन्नति सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। इस के बाद वर्ष 1962 में एक शिष्टमंडल जिस में मेरे अतिरिक्त श्री कृष्णहरो श्री अकबर अली खां तथा श्री मुथियाल राव शामिल थे, भारत सरकार से मिला था और हमने शिकायत कि थी की तेलगाना में क्या है तथा हमने निवेदन किया था कि स्थिति को ठीक किया जाना चाहिये। हमने वर्ष 1963 और 1964 में भी इस ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया था। अतः यह दोष केवल आंध्र प्रदेश सरकार का नहीं है, अपितु इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर भी है क्योंकि बार बार ध्यान दिलाये जाने पर भी अधिनियम को समुचित ढग से लागू करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अब तेलंगाना में अशांति फैल गई है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यदि इस विधेयक को 25 तारीख से पहले पारित नहीं किया गया तो और अशान्ति फैल जायेगी। मुझे खुशी है कि अब इस विधेयक को लिया गया है। मैंने आज 1 बजकर 30 मिनट म० प० पर एक संशोधन दिया था और अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया था कि उसे प्रस्तुत करने की

अनुमति दी जाये । मेरा संशोधन यह है कि "और अन्य" शब्दों के बाद 'भूतलक्षी प्रभाव से" शब्द जोड दिये जायें । तेलगाना तथा आन्ध्र एक सरकार के अन्तर्गत आते है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जो विभाग बाद में खोले गये हैं, वे अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इसलिये यदि "भूतलक्षी प्रभाव से" शब्द नहीं जोड़े गये, तो इसका लाभ तेलगाना के व्यक्तियों को नहीं होगा । अत: मैं आशा करता हूं कि सभा मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

तेलगाना में अब शान्ति है और वह अशांति नौकरियों के बारे में है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक तेलंगाना के लोगों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । हमें आंध्र के लोगों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है । वे अच्छे व्यक्ति है । परन्तु सरकारी कर्मचारियों में कुछ असन्तोष है । वे समझते हैं कि उन्होंने हम पर विजय प्राप्त कर ली है । सरकारी कर्मचारियों का यह दृष्टिकोण ही लोगों में गड़बड़ी का कारण है । यह दुख की बात है कि 19 जनवरी को हुए समझौते के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार ने भी इस अधिनियम को लागू करने में सख्ती से काम नहीं लिया है । तेलंगाना के लोगों को अपने पक्ष में न्याय लेने के लिये उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में क्यों जाना पड़े ? फिर आप आन्ध्र के लोगों को न्यायालय में जाने को कहेंगे । इसमे और विलम्ब हो जायेगा । मैं यह नहीं चाहता कि केवल तेलगाना के लोगों के साथ ही न्याय किया जाये, परन्तु मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के साथ न्याय किया जाये । यदि तटवर्ती के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूं । मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये । हम सब एक हैं । भारत एक है । यह आंध्र और तेलंगाना का प्रश्न नहीं है । यह न्याय का प्रश्न है । हर एक के साथ न्याय होना चाहिये ।

इस समय मैं यह कहना चाहूंगा कि भाषा ही एकता लाने वाली एक मात्र शक्ति नहीं है । इसे तिलांजलि दी जा चुकी है । भाषा की ओर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और रोजगार क्षमता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । अत: मेरा निवेदन है कि सरकारी सेवाओं में तेलगाना कर्मचारियों के प्रति न्याय करने और उन का आर्थिक विकास करने के प्रश्न पर तुरन्त ध्यान दिया जाये । भारत सरकार को इस बारे में बहुत कठोर कार्यवाही करनी चाहिये । इसी आशा से मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं आशा करता हूं उसे स्वीकार किया जायेगा ।

Shri Ranjit Singh (Khalilabad): Generally there should be no need for any special protection to any area or class of people at this juncture when twenty three years have already elasped since we got independence. But certain areas which are said to be backward areas still require special protection. This shows that the Government has been working for its own interests in utter disregard to the public interests. All the organs of administration have been utilised for achieving party ends and not for the welfare of the people.

Twelve years ago, when this Bill was passed, it was thought that the situation would completely change after five years and there would be no need for any special protection after that. That was why the Act had been made effective for five years only.

If the Government had acted firmly and efficiently, the situation would have been different altogether. But we had seen how Government had worked. Regional imbalances have increased due to maladministration and wrong policies persued by the Government. There are different regions and different classes of people in our country which are still backward. So under these circumstances we are compelled to support the bill, not because there is any pressure on us but because the present circumstances are such under which it has become necessary to extend the life of this measure for five years more.

I support this Bill. I would, however, like to point out to the Government that instead of bringing forward such measures for the development of certain areas, they should clean their administration and improve its functioning. I would also like to say that the areas which have been mentioned in this Act are not the only backward areas in our country. There are certain areas in Madhya Pradesh, Eastern U.P. and Bihar which are even more backward than those referred to in this Act. The Government's policy had been such that those areas could not make any progress-economically, educationaly or industrially. It appears that the Government have been knowingly keeping those areas backward. If any area is backward, the people there are poor, they can be easily explioted by Government during elections. That is what is actually happening. My appeal to the Government is this that they should realise the magnitude of this problem in its true perspective. Himachal Pradesh, Telengana Manipur and Tripura are not the only backward areas in our country, but there are other areas also the condition of which is even worse. So Government should search their hearts to ascertain whether they had been working for their party's interests or for the interests of the public. The fact is that the Government had been working for the party's interests. They want to keep certain areas backward in order to achieve their own ends. That is why people are losing faith in democracy and the signs of armed revolt are visible What has happened in Telengana and Rayalaseema in an indication, as to how people are thinking about this Government and how an armed revolt is in offing. So I appeal to the Government to improve the situation.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० मेलकोटे द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था। वह संशोधन समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुआ था।

डा० मेलकोटे : इसीलिये तो मैंने आप से अपील की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु साथ ही यह कहना चाहता हूं कि इस सारे झगड़े का मूल कारण काश्मीर के बारे में अपनाई गई सरकार की गलत नीति है। सबसे पहले काश्मीर को कुछ विशेषाधिकार दिये गये थे और अन्य क्षेत्रों के लोगों को वहां जाने से रोका गया था। जब काश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार दिये गये तो अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भी वे विशेषाधिकार मांगने आरम्भ कर दिया। सर्वत्र हर व्यक्ति विशेष अधिकारों की मांग करने लगा।

तेलंगाना के बारे में मैं स्वीकार करता हूं कि रायलसीमा की तरह यहां के लोग भी पिछड़े हुए हैं और उन्हें कुछ संरक्षण दिये जाने चाहियें। परन्तु कब तक ? जब तेलंगाना को मिलाकर आन्ध्र प्रदेश बनाया गया था, उस समय एक मद्र करार के अनुसार तेलंगाना के

व्यक्तियों को 5 वर्षों तक विशेषाधिकार दिये गये थे। परन्तु उस अवधि को बाद में फिर बढ़ा दिया गया। गत 12 वर्षों से उन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं और इसे 5 वर्षों के लिये और बढ़ाया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। यदि आप इसी तरह समय-समय पर अवधि को बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा यह होगा कि आप सीधे ही कह दीजिये कि जब तक आन्ध्र प्रदेश रहेगा, तेलगाना के लोगों को संरक्षण प्राप्त रहेगा। इसे बार-बार बढ़ाने का क्या लाभ है? ब्रिटिश सरकार ने हमें जातियों में बांटा था और यह सरकार हमें क्षेत्रों में बांट रही है। यह ठीक नहीं है। यदि आप उन्हें संरक्षण देना चाहते है, तो हमेशा के लिये दे दीजिये, परन्तु इस तरह केवल पांच वर्ष के लिये बढ़ाना और अशांति पैदा करना ठीक नहीं है।

{ श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao *in the Chair* }

तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या उन विशेषाधिकारों को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं? उनका कहना है कि उन विशेषाधिकारों का पालन नहीं किया गया है तथा आन्ध्र के 4000 व्यक्तियों को तेलगाना में नियुक्त किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे 4000 व्यक्ति कौन हैं और उनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी किस पर है। उन 4000 व्यक्तियों में से 2500 अध्यापक हैं, जिन्हें जिला परिषदों के प्रधानों द्वारा नियुक्त किया गया है। ये प्रधान तेलगाना का विकास करना चाहते थे और अधिक स्कूल तथा कालेज खोलना चाहते थे। उन्होंने आन्ध्र के जिला परिषदों के प्रधानों को अनुरोध किया था कि उन्हें अध्यापकों की आवश्यकता है। इसलिये ये व्यक्ति तेलंगाना भेजे गये थे। यदि ये व्यक्ति तेलगाना न जाते, तो उसका विकास न होता, वहां शिक्षा का प्रसार न होता और अधिक स्कूल न खोले जाते। अतः ये व्यक्ति तेलगाना वालों के अनुरोध पर ही वहां गये थे और उन्होंने वहां जाने के लिये तेलगाना वालों से भीख नहीं मांगी थी। इसी प्रकार 800 नर्सें हैं, जिनमें से आन्ध्र की तो केवल 350 हैं और शेष मैसूर तथा केरल इत्यादि की हैं। ये भी इसीलिये आई थी, क्योंकि केरल तथा मैसूर आदि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे। अब चूंकि उनकी आवश्यकता नहीं है इसलिये उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मैं मानता हूं कि पर्यवेक्षक लेखा परीक्षकों, टाइपिस्टों तथा अवर श्रेणी के लेखकों की नियुक्तियों में अनियमितता हुई है और उन्हें आन्ध्र वापस भेजा जाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि तेलंगाना के लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिये और तेलगाना में सब पदों पर तेलगाना के लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिये। परन्तु यह सिद्धान्त आन्ध्र पर भी लागू होना चाहिये। जब आप आन्ध्र के लोगों को तेलगाना में नियुक्त नहीं करना चाहते तो आन्ध्र में भी तेलगाना के लोगों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि तेलगाना के बहुत से लोगों को आन्ध्र में नियुक्त किया गया है। यह उचित नहीं है। हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है और वहां सचिवालय है। नियम के अनुसार सचिवालय की दो-तिहाई नियुक्तियां आन्ध्र के लोगों को और एक तिहाई नियुक्तियां तेलंगाना के लोगों को मिलनी चाहिये। परन्तु एक जुलाई 1968 को सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित अराजपत्रित असैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या

में आन्ध्र तथा तेलंगाना के क्रमशः 1376 और 1459 कर्मचारी थे । क्या यह दो-तिहाई और एक तिहाई है ? इसलिये हम चाहते हैं कि तेलंगाना के लोगों की तरह आन्ध्र क्षेत्र के लोगों का भी संरक्षण किया जाये ।

जहां तक विकास का सम्बन्ध है यह कहना ठीक नहीं है कि तेलंगाना का विकास नहीं हुआ है । वहां पहले 111 अस्पताल थे, परन्तु अब अस्पतालों की संख्या 327 हो गई है । तेलंगाना में पहले केवल 149 डाक्टर थे, परन्तु अब वहा डाक्टरों की संख्या 557 है । प्राथमिक स्कूलों की संख्या भी 6651 से बढ़कर 9515 हो गई है । अतः यह कहना गलत है कि विकास के मामले में तेलंगाना की उपेक्षा की गई है । केवल तीन बातों में अर्थात आरक्षित पदों पर उनकी नियुक्तियों, पोचमपद परियोजना तथा नागार्जुसागर के बारे में उन्हें दिये गये आश्वासनों को पूर्णतया पूरा नहीं किया गया है । मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को इन्हें पूरा करने के लिये कहे ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके पश्चात इस अधिनियम की अवधि में और वृद्धि नहीं की जायेगी ।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Mr. Chairman, Sir, we support this Bill, because we feel that it will help in creating a feeling of oneness amongst the Telgu speaking people The basic question is as to how this bitterness has been created amongst the Telgu speaking people, who were once the pioneers of linguisticunity. We have not yet forgotten the days when they showed unprecedented unity for the creation of the linguistic States in our country. Now the question is how those very people are fighting among themselves. The answer is that the assurances given to the backward people of Teleangana at the time of creation of Vishal Andhra State have not been fulfilled Had those assurances been fulfilled there would have not been the ugly situation which we find to-day. The Congress had been in power both at the Centre as well as in the State and as such it was responsibility of the Congress Government in that State to implement the assurances mentioned in that gentlemans' agreement. But it has not been done. It is a matter of great satisfaction that now the people of Andhra Pradesh in an all party meeting here decided that justice should be done to the backward people of Telengana and the safeguards given to them should be implemented. I hope this Bill will help in implementing those assurances.

Now I would like to draw your attention to a question of very great importance. It has been shown in the Budget Estimates of 1968-69 that out of a surplus of Rs. 45.20 crores, Rs. 31.55 were utilised in Andhra region. Now the question is as to why there is surplus in Telangana and why there is no surplus in Andhra region. It is because of the fact that there is no prohibition in Telengana, whereas there is prohibition in Andhra region. The result is that there is much loss of revenues to the Andhra Pradesh Government from that region. The object of prohibition has also been not fulfilled, because the people there have not given up drinking. So there is no use of prohibition and it should be done away with. It is not proper to utilise the surplus of Telengana in Andhra region, because Telengana itself is a backward area.

The people of Telangana have always been neglected. It was agreed in the gent'eman's agreement that if the Chief Minister was from Andhra region, the Deputy Chief

Minister would be from Telengana region or if the Chief Minister was from Telengana region the Deputy Chief Minister would be from Andhra region. But this agreement had never been implemented. The Chief Minister had always been from the Andhra region and no body from Telegana was ever allowed even to be Deputy Chief Minister. The Chief Secretary has also always been from the Andhra region. This policy of discrimination has led to this present crisis.

The problem of regional imbalance is not limited to Andhra Pradesh only, but it is there all over the country. If we want to maintain the unity and integrity of the country then our principle should be to give safeguards to the backward areas and to the weaker sections of the population. If that is not done our unity will be in danger. So I suggest that a high power Commission should be appointed to go into the whole question of regional imbalances and to suggest guidelines to remove them. There should be proper safeguards for the backward areas and weaker sections of the population.

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : Telengana comprises of the areas of the former State of Nizam of Hyderabad. It has been under the Nizam's rule for five hundred to six hundred years. As you all know the people of Telengana were explioted by the Nizam for such a long time and as such they are poor and backward. Telengana is a hilly area and there is no arrangement of water. The people these are poor, but they are good atleast. when the State of Andhra Pradesh was formed, certain were given to those people, but those safeguards have not been implemented. The people of Telengana have passed through difficult times throughout. Formerly there was Nizam rule and they had to suffer, then there was Police action of Hyderabad and they had to suffer, then there was communist uprising and then they have to suffer and now they have to face critical draught conditions for the last three consective years. It is all the more a matter of great regret that an amount of Rs. 40 or 50 crores which was allocated for Telengana area had not been spent there The main reason of the present crisis and unrest in Telengana is that the people there had not been given these due. Their demand is that the amount of Rs. 40 or 50 crores which was meant for Telengana should be spent there.

The other main problem of the Telengana people is the wide-spread unemployment. Nearly 30 to 40 thousand students get through their Matriculation Examination and a few thousand students complete their College education every year. But there are no jobs for them. There is no safeguard for them and that is the main reason for the whole trouble. I want to ask the Central Government as to when they will interfer in the matter and get the safeguards given to the Telengana people implemented.

It has been said that these safeguards should be provided for a period of five years. But I do not subscribe to this view. I think these safeguards should be provided till such time, be it ten years or 15 years, these areas come equal to other areas in all respects and be it Telengana, Royalaseema or North Bihar, these safe guards should be provided to all. Suppose there are five brothers in a family- one is ill, the other is strong and the third one is not so intelligent as the second, the first one will require the assistance and help of the second one till he is completely cured and is able to do his work. Likewise the people of Telengana who are weak, poor and illiterate than their Andhra brothers require the assistance of their Andhra brothers unless they become so intelligent, strong and educated as their Andhra brothers are. So the residents of Andhra region should help them open heartedly.

We should give more powers to the regional Committees. At the same time we should pay special attention to the needs of younger generation. We should help them

to be good citizens tomorrow. Special attention should be paid to the needs of the students there and we should try to solve their problems. Our aim should be to help the unemployed and the weak. It is only by this way that we can solve the problem

I support this Bill.

Shri S. M. Joshi : Mr. Chairman, Sir, I support this Bill I have an occasion to go there only two days back. I am quite sure that this agitation is not being backed by any political party. Generally it is alleged that such agitations are launched by opposition parties. But in this case, I can say that this agitation is not being supported by any political party. I had a meeting with my partymen there and tried my utmost to make them understand that in case Telengana is made a separate State, their problem of unemployment will not be solved. But I was surprised to hear their answer. They told me that it was recommended by the States Re-organisation Commission that Telengana should be a separate State, because that was a backward area and special attention is required to be paid towards its development. But the leaders of Andhra and Telengana did not agree to that proposal and they were of the opinion that it would be possible to make rapid progress if all Telgu speaking people would remain together. After that a gentleman's agreement was reached between the leaders of Andhra and Telengana regions and some special safeguards were provided for the people of Telengana. But that agreement was never implemented. I do not want to repeat whatever has already been said but it is a fact that the surplus of Telengana, which comes to nearly Rs. 40 crores had not been spent there. The people of Telengana had been neglected in the matter of services. They were not given the full representation in services. So there had been discrimination and this discrimination led to present uprising. We want national unity and keeping this in view we have formed National Integration Council. I want to know whether national unity can be maintained under such circumstances ?

At the time of nationalisation of Nizam Railway an amount of about Rs. 50 crores was paid as compensation. That amount has been deposited in the Railways. If you want to do justice to the people of Telengana, that amount should be spent for the development of Railways there. When an amount is received from backward area that amount should be utilised there.

As the hon. Lady Member who has just spoken has said it is not a question of five years, but we should give them safeguards and facilities as long as they are backward. I feel the present bill is not sufficient. The regional Committees should be given more powers and they should be given a statutory status, so that if any wrong is done, they may go in a court of law. There is wide resentment among the people of Telengana that justice has not been done to them and they had been treated as second rate citizens and that is why they are now demanding for a separate State of Telengana.

I would like to point out that if the people of Telengana had wanted, Telengana would have been a separate State, because it had been recommended by the States Reorganisation Commission that Telengana should be made a separate State. But the then top leaders of the country made the people understand that it was better for the country to have one State of Telgu speaking people. The people had agreed to this. But the people of Telengana are now thinking that they had done a wrong thing by agreeing to the suggestion of those top leaders of having one State of Telgu speaking people. If this impression was allowed to stay it will be very bad for the country. It will have wide spread repercussions and the country wide reactions. The chain of linguistic States was started

from Andhra Pradesh and this chain of bifurcation of a State having one language will also be started from there. The people of Vidharba will ask for Vishal Vidharda and so on. So my submission is that the people of Telengana and Andhra should be made to agree that it is in their common interest to have a single State of Telgu speaking people. At the same time the reasons which has led to this present resentment should be removed. The people of Telengana should be given just treatment and steps should be taken for their advancement.

श्री वें० वेंकटासुब्बया : आन्ध्र प्रदेश में जो घटनायें हुई हैं, उन पर हमें शर्म आती है। अब समय आ गया है जबकि हमें इस समूचे प्रश्न की पूर्ण रूप से जांच करनी है और यह देखना है कि विकास के मामले में उपेक्षा के बारे में उन लोगों की शिकायतें कहां तक ठीक है।

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सिद्धान्त सर्वप्रथम आन्ध्र में माना गया था तथा इसी आधार पर सर्वप्रथम आन्ध्र प्रदेश बनाया गया था। परन्तु हम विगत बातों को देखें तो हम अनुभव करते हैं कि हम कितने गिर गये हैं। आज भाई-भाई से लड़ रहा है। समाचार पत्रों में पर्याप्त सूचनायें प्रकाशित नहीं हुई है तथा वहां स्थिति इतनी गम्भीर है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं।

आपको याद होगा कि वर्ष 1953 में जब आन्ध्र राज्य बना था तो रायलसीमा के लोगों के मन में कुछ संघ सन्देह और शिकायतें थी। उस समय मैं मद्रास विधान सभा का सदस्य था तथा मैंने विधान सभा में कहा था कि हम आन्ध्र में न मिलकर मद्रास के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि हमारी संस्थायें मद्रास विश्वविद्यालय के अधीन है और हमारे वाणिज्यिक सम्बन्ध मद्रास के साथ हैं। उस समय हमारे दिमाग में सबसे बड़ा भय यह था कि हम पर डेल्टा क्षेत्र के व्यक्ति काबू पा लेगें, जोकि हमसे अधिक समृद्ध हैं, अधिक शिक्षित हैं तथा राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरुक हैं। परन्तु जब स्थिति सामने आई तो हमारे नेताओं की बैठकें हुई और हमारे मानसिक भय को दूर किया गया। जब आन्ध्र प्रदेश बना तो राजनैतिक नेतृत्व हमारे हाथ में आ गया, क्योंकि श्री सजीव रेड्डी मुख्य मंत्री बने और राजधानी भी रायलसीमा क्षेत्र में बनाई गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रायलसीमा के लोगों को एक मानसिक संतोष प्राप्त हुआ, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पहलुओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पहलू भी बहुत जरुरी होता है। कुछ लोग रायलसीमा के लोगों को अपने से भिन्न समझते थे, परन्तु हमने कभी ऐसा नहीं सोचा।

फजल अली समिति ने स्पष्ट कहा था कि तेलंगाना एक पृथक राज्य होना चाहिये, क्योंकि वहां के निवासी पिछड़े हुए एवं गरीब हैं। उनके विकास की ओर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। परन्तु उस समय राजनीतिक सूझबूझ से काम लिया गया और लोगों को बताया गया कि एक भाषा बोलने वालों को एक राज्य में रहना चाहिये। तेलंगाना के लोगों के भय को दूर करने के लिये एक मद्र करार किया गया और उन्हें कुछ संरक्षण दिये गये। परन्तु खेद की बात यह है कि उस समझौते को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस से लोगों में असंतोष पैदा हो गया है, जो कि वर्तमान संकट का एक मुख्य कारण है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे इस बारे में बहुत सतर्कता से काम लेना चाहिये। सरकार को स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिये और विभिन्न तरीकों से उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं नहीं समझता कि केवल प्रस्तुत विधेयक से ही आन्ध्र प्रदेश की सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। ऐसा समझना गलत होगा। ऐसे अनेक कारण हैं, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास, जिनकी जांच करनी होगी। सभी पचवर्षीय योजनाओं में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये था कि क्षेत्रीय असतुलन को दूर किया जाये, जिससे असंतोष न बढ़े और एकदम विस्फोट न हो। हमें यह कहने में गर्व नहीं है कि हम आन्ध्र के है अथवा तेलगाना के, हमें तो यह कहने में गर्व है कि हम आन्ध्र प्रदेश के हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि भावात्मक एकता और अधिक अच्छे सम्बन्ध कायम करने के लिये पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये और तेलगाना के लोगों के सदेह तथा आशकाओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इन आशकाओं को दूर करने में सक्रिय भाग लेना चाहिये ताकि आन्ध्र प्रदेश पुनः राष्ट्रीय राजनीति में उत्कृष्ट तथा उपयोगी भाग ले सके और राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता लाने में सहयोग दे सके।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : महोदय, वर्तमान विधेयक में तेलंगाना के लोगों को दिये गये संरक्षणों को और पांच वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था है। तेलगाना में अभी भी छात्रों का तथा जनता का आन्दोलन जारी है। तेलगाना के कालेजों के छात्रों ने कुछ महीने पहले आन्दोलन आरम्भ किया था, जो कि अभी भी जारी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना के लोगों को सतुष्ट करने की बजाय सख्ती से काम लिया है और आन्दोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई है। लोक नियोजन (आवास विषयक अपेक्षा) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत रोजगार आदि के बारे में तेलंगाना के लोगों को जो संरक्षण दिये गये थे, उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जो क्षेत्रीय समितियां बनाई गई थी, वे प्रायः निष्क्रिय रही हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है।

गत 12 वर्षों में सरकार ने तेलंगाना के लोगों की मांगों पर गम्भीर रूप से विचार नहीं किया है। गत 12 वर्षों के दौरान, विशाल आन्ध्र के निर्माण के बाद सरकार तेलगाना के विकास के लिये किये गये संरक्षणों को क्रियान्वित करने में विफल रही है। यह भी एक तथ्य है जिसका कि राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि तेलगाना निधि से 34 करोड़ रुपये आन्ध्र क्षेत्र में खर्च किये गये हैं। 4000 व्यक्तियों को गलत तरीके से तेलंगाना क्षेत्र में तैनात किये जाने का उल्लेख भी अन्य सदस्यों द्वारा सभा में किया गया है। तेलगाना के लोगों की गलत धारणाओं तथा उनके आन्दोलनों की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस दल तथा इसकी सरकार पर है। सत्ताधारी वर्ग की नीतियां ऐसी रही हैं जिनके कारण प्रादेशिक विषमता कम होने की बजाय बढ़ी है।

आरम्भ से ही सत्ताधारी दल कांग्रेस का एक वर्ग आन्ध्र राज्य बनाये जाने के विरुद्ध था। यही कारण था कि श्री श्रीरामूलू को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा। कांग्रेस दल का एक वर्ग पृथक तेलगाना राज्य की मांग करता रहा है। उन्होने बम्बई में शिव सेना और आसाम में लचित सेना को सहयोग दिया है। कांग्रेस दल में एक वर्ग ऐसा है जो विघटनकारी शक्तियों

को प्रोत्साहन देता रहा है। अत: आज तेलगाना में जो अलग तेलंगाना का जो नारा लगाया जा रहा है, उसका एक शक्तिशाली कांग्रेस गुट समर्थन कर रहा है। कांग्रेस का एक दल तेलगाना के लोगों को गुमराह कर रहा है। सत्ताधारी कांग्रेस दल के लोगों ने तेलंगाना के लोगों को ही धोखा नहीं दिया है बल्कि इसने देश भर में श्रमिकों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को धोखा दिया है।

तेलंगाना जैसा क्षेत्रीय आन्दोलन हमारे प्रजातंत्र के लिये घातक हैं। चूंकि तेलंगाना तथा आन्ध्र के सब राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ।

सदस्य (श्री जे० एच० पटेल) की गिरफ्तारी के बारे में

Re : Arrest of Member (Shri J H. Patel)

श्री उमा नाथ (पुट्टुकोटे) : महोदय, आज प्रातः बंगलौर में एक माननीय सदस्य श्री जे० एच० पटेल को गिरफ्तार किया गया है। इस समय 4 बजे हैं, परन्तु अभी तक लोक सभा सचिवालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैसूर पुलिस द्वारा लोक सभा के विशेषाधिकार का गम्भीर अवमान किया गया है। नियमों के अनुसार इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया जाना चाहिये था। अतः मेरा निवेदन है कि आप गृह मन्त्री को इस बारे में एक वक्तव्य देने को कहें।

सभापति महोदय : क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह सूचना राज्य सरकार द्वारा सीधी अध्यक्ष महोदय के पास भेजी जाती है तथा गृह मन्त्रालय के पास नहीं भेजी जाती।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय अथवा उपाध्यक्ष महोदय को आने दीजिए, तब इस मामले पर विचार किया जायेगा।

लोक नियोजन (निवास विषयक उपेक्षा) संशोधन विधेयक, 1969 — जारी

PUBLIC EMPLOYMENT (REQUIREMENT AS TO RESIDENCE) AMENDMENT BILL, 1969-CONTD.

Shri Hem Raj (Kangra) : Mr. Chairman. Sir, I have full sympathy with my Telengana friends and I sincerely desire that there should be some safeguards for them. At the same time I want to draw your attention to a problem of greater magnitude Himachal Pradesh, Manipur and Tripura are Union Territories. The centre is directly responsi-

ble for these areas. Being backward areas the Central Government has given certain safeguards to these areas. But those safeguards are not sufficient. For example according to the rule the requirement as the residence has been fixed for 15 years in case of Telengana, but in case of Himachal Pradesh it is only three years So the officers who come there on deputation are entitled for residence certificates after the expiry of three years and thereafter they become eligible for appointment in Himachal Pradesh. In this way the local people of Himachal are deprived of the opportunities of employment. The Central Government should look into this matter and as it is directly cancerned with it.

The safeguards have been provided only in case of non-gazetted posts. The gazetted officers who belong to other States, have no sympathy for the local population of Himachal Pradesh. They give preference to their own people in the matter of new appointments.

So far as the Gazetted post of provincial level are concerned, there is a combined cadre for Himachal Pradesh and Delhi. The recruitment is made through U. P. S. C. Delhi is the most advanced area, whereas Himachal Pradesh is the most backward one. The people of Himachal Pradesh are unable to compete with the people of Delhi and the result is that they are deprived of their due representation on gazetted posts. Moreover 12½% officers are sent on deputation, who have no sympathy with Himachal Pradesh. In this way the Central Government have turned Himachal Pradesh into a colony. All the high officers are outsiders who have no interest in Himachal Pradesh. They do not select the local people of Himachal Pradesh for junior pasts also. In this way injustice is being done to the people of Himachal Pradesh I strongly recommend that there should be a separate Services Selection Board for Himachal Pradesh. They should have their own Public Service Commission, so that they may appoint there own people.

Next I want to submit that the allowances which are paid to these officers, burden on us. Apart from this there are nearly six thousand employees belonging to Punjab and Haryana in Himachal Pradesh. They want to go back to their respective States, but they are not being allowed to do so. Moreover nearly one thousand employees belonging to Punjab and Haryana are not being allowed to come back to Himachal Pradesh.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

I demand that the people of Punjab and Haryana should be sent back. The Home Minister often says that Himachal Pradesh cannot be given the status of a State, because it is not a viable unit. If Himachal Pradesh is not a viable unit, why we are asked to bear this extra expenditure.

While supporting this bill, I want to submit that the safeguards which are being given for 5 years, should be for 10 years.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ जब तक सरकार यह सुनिश्चित न करे कि जो कुछ पारित किया गया है उस को प्रभावी ढग से क्रियान्वित किया जाये. तब तक नये विधेयक पास करने अथवा वर्तमान विधेयक की कालावधि को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा । यह विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा कई वर्ष पूर्व पारित किया गया था,

परन्तु इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। तेलंगाना क्षेत्रीय समिति ने हाल में अपने प्रतिवेदन में बताया है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सम्मिलित ग्रेड सूचियों को तैयार करने सम्बन्धी हिदायतों की जानबूझ कर अवहेलना की है। मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में अब तक क्या करती रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? अतः मैं समझता हूं कि आन्ध्र के वर्तमान उपद्रव के लिये राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अधिक दोषी है।

यह प्रश्न केवल तेलंगाना का प्रश्न नहीं है। यह देश के सब पिछड़े क्षेत्रों का प्रश्न है। हम राष्ट्रीय एकता की बातें करते रहते है और इस बारे में लगातार भाषण देते रहते हैं, परन्तु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक देश में क्षेत्रीय विषमता रहेगी, जब तक पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि तेलंगाना में पहले निजाम शाही थी, फिर कांग्रेस शाही आ गई। कांग्रेस शाही ने तेलगाना के पिछड़े क्षेत्र के विकास की पूर्णतया उपेक्षा की है। तेलंगाना के 34 करोड़ अधिशेष धन को आन्ध्र के अन्य भागों में खर्च किया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने अब तक सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों पर 3000 करोड़ से अधिक धन खर्च किया है परन्तु अधिकांश धन बड़े बड़े नगरों जैसा कि कलकत्ता और मद्रास के आस-पास के क्षेत्र का विकास करने के लिये खर्च किया गया है। कुछ राज्यों में या तो बिल्कुल धन खर्च नहीं किया गया और यदि किया गया है, तो बहुत कम। उदाहरण के तौर पर मैसूर में केवल 48 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और यही स्थिति केरल की हैं। यह सरकार ब्रिटिश राज्य की तरह केवल बड़े बड़े नगरों के विकास के लिये धन खर्च कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि देश के विकास में इस की रुची नहीं है। रेलवे को देखिये केवल कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई को ही रेलगाड़ियां जाती हैं और अन्य स्थानों को नहीं जाती। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 22 वर्ष बाद भी यह सरकार वही नीति अपनाये हुए है, जो ब्रिटिश सरकार की थी। अतः मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये अगली पचवर्षीय योजना में विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों में अधिक उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें। पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिये अधिक सरकारी नौकरियां और अन्य रोजगार के अवसर होने चाहियें। उन क्षेत्रों में कृषि का विकास किया जाना चाहिये। अधिक से अधिक सड़कें बनाई जानी चाहिये और अधिक से अधिक औषधालय, अस्पताल तथा स्कूल खोले जाने चाहियें। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता संभव नहीं होगी।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को केवल विधेयकों को पारित ही नहीं करना चाहिये। अपितु उन्हें क्रियान्वित भी करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता हैं, तो इन अधिनियमों का कोई लाभ नहीं होगा। भारत में अधिनियमों की कमी नहीं है। अतः यदि आन्ध्र सरकार इस अधिनियम को लागू नहीं करती है, तो उस के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, अन्यथा इस का कोई लाभ नहीं होगा।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद–विवाद में भाग लिया है, उन सब ने इस विधेयक का समर्थन किया है। आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों ने भी चाहे वे आन्ध्र क्षेत्र के हैं अथवा तेलंगाना क्षेत्र के, इस विधेयक का समर्थन किया है। इससे पता चलता है कि सब चाहते हैं कि तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को दिये गये संरक्षणों के बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये और किसी को भी तेलंगाना क्षेत्र के प्रति ईर्ष्या नहीं है।

महोदय, विगत भूलों के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता और स्वयं आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकार किया है कि विधेयक के उपबन्धों को जितनी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिये था, उन्हे उतनी अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है। वास्तव में हमारे लिये यह एक खेद का विषय है कि इन क्षेत्रीय विषमताओं के कारण आन्ध्र प्रदेश में कुछ हिंसात्मक घटनायें हुई हैं।

यह विधेयक प्रस्तुत करते समय मैं ने माननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी कि वे इस वाद विवाद में गर्मी न लायें, क्योंकि उस से कोई लाभ नहीं होगा। हमने इस मामले पर दलगत हितों को छोड़ कर निष्पक्षता से विचार करना है। मैं समझता हूं कि हर राजनीतिक दल इस बात का इच्छुक है कि वहां सामान्य स्थिति कायम की जाये। आज वहां स्थिति ऊपर से तो शांत है, परन्तु उस के पुनः भड़क उठने का भय है। अतः मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के दूसरे तथा तीसरे वाचन के समय कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो आपत्तिजनक हों।

मेरे से पूर्ववक्ता माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिये और सरकार की नीति यही होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही नहीं अपितु आरम्भ से ही अर्थात् प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही सरकार की यही नीति रही है। नीति सम्बन्धी निर्णय के बारे में यह घोषणा की गई है कि सरकार न केवल आन्ध्र प्रदेश के अपितु अन्य स्थानों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देगी।

जहां तक केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी का प्रश्न है, मैं केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी इन्कार नहीं करता, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक एक सक्षम व्यवस्था है। इस में प्रत्येक बात पर विचार करने और कृत अथवा अकृत बातों का हिसाब रखने की सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर नहीं डाली जा सकती। इस विधेयक में केवल आरक्षण किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा आरक्षण करना और उसे क्रियान्वित करना स्थानीय सरकार का काम है। परन्तु चूंकि इस विधेयक पर केन्द्रीय संसद द्वारा विचार किया गया है, इस लिये हम इस पर नजर रखेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि संसद की भावनाओं का आदर किया जाय तथापि इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश सरकार की ही है।

श्री हेम राज ने हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उन पर विचार किया जायेगा।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री एस० एम० जोशी : क्षेत्रीय समिति को सांविधिक दर्जा देने के बारे में आप का क्या विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य की इस बात का उत्तर देना भूल ही गया हूं। उन्हों ने कहा था कि क्षेत्रीय समिति को सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिये। इसे पहले ही सांविधिक दर्जा प्राप्त है। जिस अधिनियम का हम विस्तार कर रहे हैं उस अधिनियम में प्रदत्त अधिकार के अधीन यह समिति बनाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है:–

'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

Clause 3

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो विधेयक हम पारित कर रहे हैं, वह असंवैधानिक है। मन्त्री महोदय तर्क पेश करेंगे कि पहले ही एक ऐसा विधेयक है, परन्तु मेरा कथन है कि हम ने पहले जो गलती की है, उसे दोहराया नहीं जाना चाहिये। अनुच्छेद 16(3) इस प्रकार है:–

"इस अनुच्छेद में किसी बात से संसद को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उस राज्य क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।'

यह छूट एक मूल अधिकार के बारे में दी गई है। क्या इस का अर्थ यह है कि संसद इस बारे में विधि अथवा नियम बनाने की शक्ति का मन्त्रालय को प्रत्यायोजन कर सकती है। यह शक्तियों का एक सामान्य प्रत्यायोजन नहीं है तथा असामान्य प्रत्यायोजन है तथा यह संसद की शक्तियों को सरकार को सौंपा जाना है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उठाया गया था तथा न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय दिया था कि यह शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन है और इस में कोई असामान्यता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए आप का व्यवस्था का प्रश्न अमान्य है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

अधिनियम, सूत्र, खण्ड 1 तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula, Clause 1 and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

Shri J Rampathi Rao (Karimnagar) : Sir, I want to know the reasons for bringing this bill for a second time. We should see how far the earlier bill has proved effective. What has been done for the advancement of Telengana, which is a backward region, has not come up to the aspirations of the people of that region. In the White Paper on Telengana and in the journal, named 'Andhra Pradesh' Telengana is said to be 'an annexed territory' which is not receiving a fare deal which is its due.'

Secondly, the advisory committee, set up in the Home Ministry on the integration of services, have not performed its duties properly so far as Telengana is concerned. The case relating to the engineers referred to by the department of P.W.D. has also been unnecessarily delayed. The agitation being launched by the students there is not engineered by certain political parties but it is a struggle against educated-unemployment and against the regional imbalances. In fact it is a search for self respect. I therefore suggest that in order to remove all the above grievances a commission be set up immediately.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटे) : 1964 में योजना आयोग का दल उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गया था तथा उसने यह सिफारिश भी की थी देश के प्रत्येक पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का भी है। सरकार ने उस सिफारिश को पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। अतः अब मंत्री महोदय का यह कहना सरकार के निर्णय से मुख मोड़ना है कि पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने का भार राज्य सरकारों के ऊपर है।

आयोग के दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद पुद्दूकोटे के पिछड़ेपन को लेकर एक प्रश्न उठाया गया था तथा उसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी थी। तभी मैंने यह प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार उस क्षेत्र के विकास के लिए भी अनुदान देगी। इस पर श्री भगत ने उत्तर दिया था कि जैसे ही उस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ मान लिया जाएगा हम उसके लिए अनुदान देंगे। उसके बाद मैंने योजना मंत्री को पत्र लिखा जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ तो मान लिया गया है किन्तु उसके विकास का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर नहीं है। अतः अब मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि योजना आयोग के दल की सिफारिश को मानने के बावजूद भी क्या वह पिछड़े क्षेत्रों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं अथवा वह अपने निर्णय से पीछे हटते हैं।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : क्या इस अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव होगा ?

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : यह विधेयक तेलंगाना में चल रहे आंदोलन को देखते हुए लाया गया है। निधि और सेवाओं आदि के बारे में भूलें हुई हैं। तेलंगाना और आंध्र की एकता रखने के लिए न्याय से काम लिया जाना चाहिए जिससे कि तेलंगाना के लोग समझ सकें कि उनको आंध्र के लोगों के समान समझा जा रहा है। कुछ राज्यों में विशिष्ट जातियों के लोगों को ऊंचे पदों से वंचित रखा जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का आंदोलन करना स्वाभाविक है।

यह सब केवल क्षेत्रीय असमता और बेरोजगारी के कारण ही नहीं हो रहा है। इसके साथ होने वाला अन्याय भी सम्मिलित है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन सभी करारों को कार्य रूप देंगे तथा जो विद्यार्थी शांतिपूर्वक तथा न्याय संगत आंदोलन चला रहे हैं उनकी रक्षा करेंगे। यदि महाराष्ट्र की भांति आंध्र प्रदेश में भी कार्य किया जाय तो वहां भी एकता स्थापित हो सकती है।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : केवल तेलंगाना ही नहीं अपितु हमारे देश में अन्य बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। सुरक्षित स्थानों की अवधि को पांच पांच वर्ष के लिए बढ़ाते

रहने के बजाय मन्त्री महोदय को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके लिए अमुक समय के बाद सुरक्षित स्थान देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियालगुडा) : क्या यह सच है कि मुलकी नियमों के अन्तर्गत मगंल परगना के गांव नहीं आते ? ये गांव पिछले बारह वर्षों में तेलगाना में मिला दिए गए थे किन्तु अब ये गांव न तेलगाना में आते हैं और न आंध्र में । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन गांवों को वर्तमान विधान के अन्तर्गत लाया जायेगा कि नहीं ।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : बारह वर्ष की लम्बी अवधि के बाद भी तेलगाना के वासियों को नागरिकता नहीं मिली ।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : आय और रोज़गार सम्बन्धी क्षेत्रीय असंतुलन इस सीमा तक पहुंच गया है कि लोग शांत नहीं रह सकते । लगभग 20 वर्ष पहले के करार को केन्द्र और राज्य सरकार कार्यान्वित करने में असफल रही हैं । इस विधेयक को पारित करने के अतिरिक्त क्या मन्त्री महोदय, न केवल आंध्र प्रदेश के अपितु सारे देश को, ऐसी समस्याओं से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : May I know whether this Bill will not create a new problem of regionalism like those of casteism and linguism in the country because it envisages giving of specific facilities and rights to a particular region ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे दुःख है कि श्री रमापति राव तथा श्री उमानाथ ने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिये एक आयोग नियुक्त करने की मांग की । मेरा निवेदन था कि इस विधेयक में जो व्यवस्था की जा रही है उसको कार्यान्वित किया जाएगा । क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में मैंने कहा था कि सरकार की यह नीति है कि उनको मिटाया जाय किन्तु तेलंगाना और आंध्र क्षेत्र की पारस्परिक असमता को दूर करने का उत्तरदायित्व केन्द्र का नहीं है । सम्पूर्ण देश के असंतुलन के भार से केन्द्र मुंह नहीं मोड़ता ।

डा० मेलकोटे के प्रश्न का उत्तर मेरे पहले उत्तर में आ गया है । शान्तिपूर्वक आन्दोलन करने वालों की सुरक्षा की जा रही है । श्री नारायण राव ने मामले को निपटान की बात कही । मेरा उत्तर है कि आवश्यकता की समाप्ति के साथ ही मामला समाप्त हो जाएगा । श्री रेड्डी द्वारा उठाए गए गावों की समस्या के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली । मैं आंध्र प्रदेश सरकार से इस मामले में कहूंगा । जहां तक श्री सोमानी द्वारा उल्लेख किये गये परिमाणों का प्रश्न है संसदीय कानून ही सबसे बड़ा परिमाण है । हम क्षेत्रीयतावाद की भावना को समाप्त करने के लिए ही यह सब कुछ कह रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

———

बजट के समय से पूर्व पता लगने के बारे में

RE : ALLEGED LEAKAGE OF BUDGET

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sri, I want to make certain personal clarifications to remove the misunderstandings that might be created about me in the House

Regarding the budget leakage I have got seven evidences which I want to mention in brief.

As regards first evidence, a trunk-call was received from Bombay at the residence of Shri Somani in the noon of the budget day and it was found that the proposal of imposing duty on fertilizers and sugar was leaked out in Bombay.

Secondly the taxtile industrialists of Bombay knew all about the proposed ad volarum duty on taxtile from an officers who went there to discuss the issue. There was rise in the share market because of.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें उस दिन कहा था कि सदन में ऐसे आरोप लगाने से सदन की प्रतिष्ठा नहीं बनती । फिर भी यदि उनको कोई विशिष्ट सूचना मिली है तो वह माननीय अध्यक्ष महोदय से निवदेन करें, तथा उनसे अनुमति प्राप्त करें, और तभी वह इस प्रश्न को उठा सकते हैं । मैं समझता हू कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है जो कि विचाराधीन है ।

Shri Madhu Limaye : I am not talking of that motion. I merely want to prove myself responsible man in a precise manner.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपके पर्याप्त साक्ष्य हैं । किन्तु आपको सभी आरोपों को बताने की आवश्यकता नहीं है । आपने प्रस्ताव रखकर सही मार्ग अपनाया है और आपको उसका उत्तर मिलेगा । आपने संकेत कर दिया है यही पर्याप्त है ।

Shri Madhu Limaye : I am satisfied, you have acceeded to my request,

---

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1969-70

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1969-70

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 1969-70 के लिये आयव्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी । इस के लिये 7 घंटे का समय रखा गया है ।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दिखाते हुए पर्चियां भेज दें । यदि वे ग्राह्य हुए तो उन्हें प्रस्तुत किया गया माना जायेगा ।

रेलवे सम्बन्धी अनुदानों की वर्ष 1969-70 के लिये निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रूपये
1.	रैलवे बोर्ड	1,42,20,000
2.	विविध व्यय	6,11.29,000
3.	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	17,58,000
4.	साधारण संचालन व्यय-प्रशासन	75,60,35,000
5.	साधारण संचालन व्यय-मरम्मत और अनुरक्षण	2,41,82,94,000
6.	साधारण संचालन व्यय-परिचालन कर्मचारी	1,56,23,32,000
7.	साधारण संचालन व्यय-परिचालन (ईधन)	1,56,36,83,000
8.	साधारण संचालन व्यय-परिचालन (कर्मचारी और ईधन को छोड़कर)	46,15,72,000
9.	साधारण सचालन व्यय-विविध व्यय	35,45,86,000
10.	साधारण संचालन व्यय-कर्मचारी कल्याण	24,57,06,000
11.	(क) साधारण संचालन व्यय-मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोजन	95,00,00,000
11.	साधारण संचालन व्यय-पेंशन निधि में विनियोजन	10,00,00,000
12.	सामान्य राजस्व को लाभांश	1,59 01,19,000
13.	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	8,40,52 000
14.	नई लाइनों का निर्माण	29,48,50,000
15.	चालू लाइन निर्माण-पूजी, मूल्यह्रास, राजस्व निधि तथा विकास निधि	5,16,15,62,000
16.	पेंशन प्रभार-पेंशन निधि	6,34,59,000
17	सामान्य राजस्व से ऋण तथा उस पर ब्याज का भुगतान	1,59,53,000
18.	विकास निधि में विनियोजन	1,91,51,000
20.	अति-पूजीकरण का परिशोधन करने के लिये भुगतान	28,26,000

वर्ष 1969-70 के लिये रेलवे सम्बन्धी अनुदानों की मागों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1. 1	श्री रामावतार शास्त्री		रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए
1. 2	,,	,,	रेलवे बोर्ड पर अत्यधिक व्यय	,,
1. 3	,,	,,	रेलवे बोर्ड की नौकरशाही तथा कर्मचारी विरोधी नीति	,,
1. 4	,,	,,	रेलवे बोर्ड की अकर्मण्यता, अनुपयोगिता तथा इसके द्वारा पक्षपात	,,
1. 5	डा० रानेन सेन		रानाघाट-बनगांव सैक्शन पर अकाईपुर को, (पूर्व-रेलवे के सियालदह डिविजन में माझेर-ग्राम और गोपालनगर स्टेशनों के बीच) फ्लैग स्टेशन हाल्ट बनाने में असफलता ।	,,
1. 6	,,	,,	पूर्व रेलवे के सियालदाह डिविजन में दक्षिण और उत्तर काजीपाड़ा के बीच, (बारासत स्टेशन से परे) एक फ्लैग स्टेशन हाल्ट बनाने में असफलता ।	,,
1. 7	,,	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिविजन के बनगांव सैक्शन और बारासत-हसनाबाद सैक्शन पर रेल-गाड़ियों की सख्या बढ़ाने में असफलता ।	,,
1. 10	श्री के० रमानी		एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले बहुत से श्रमिकों का उत्पीड़न ।	,,
1. 11	,,	,,	19 सितम्बर, 1968 की एक दिन की हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिक संघों की मान्यता रद्द करना ।	,,
1. 12	,,	,,	बहुत से कठपुतली श्रमिक संघों की रचना तथा उसके कार्यचालन का समर्थन करना ।	,,

1	2	3	4	5
1.	13	श्री के० रमानी	रेलवे बोर्ड तथा श्रमिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम रखने के लिये वास्तविक प्रतिनतिधित्व करने वाले श्रमिक संघों को मान्यता देने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1.	14	श्री पी० विश्वम्भरन	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण रेलवे कर्मचारियों का उत्पीड़न ।	,,
1.	15	महन्त दिग्विजय नाथ	रेलवे दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को पूर्णतया लागू करने में असफलता ।	,,
1.	16	,, ,,	श्रमिकों के काम के घंटों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ सम्मेलन की सिफारिशें लागू करने में असफलता ।	,,
1.	17	,, ,,	तीसरे जेंद के यात्रियों को अधिक सुविधायें देने में असफलता ।	,,
1.	18	,, ,,	रेलवे में बचत आन्दोलन ।	,,
1.	19	,, ,,	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करके बचत करना ।	,,
1.	20	,, ,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों का किराया बढ़ाया जाना ।	,,
1.	21	,, ,,	रेलवे बोर्ड समाप्त करने में असफलता ।	,,
1.	22	,, ,,	तथाकथित अलाभप्रद लाइनें बन्द करने का निर्णय ।	,,
1.	23	,, ,,	रेलवे प्रशासन पर हो रहे अधिक खर्च की दृष्टि में वरिष्ठ तथा उच्च अधिकारियों की परिलब्धियों में कमी करने की आवश्यकता ।	,,
1.	24	,, ,,	चलती हुई गाड़ियों में रेलवे कर्मचारियों की, जिन पर कि गाड़ियों पर काम करते हुए हमला किया जाता है अथवा हत्या कर दी जाती है, जीवन-रक्षा करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1.	25	महंत दिग्विजय नाथ	रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लिये जाने वाले बड़े-बड़े वेतन तथा उनको मिलने वाली सुविधाओं में कमी करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1.	26	,, ,,	रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे कर्मचारियों से दुर्व्यवहार ।	,,
1.	27	,, ,,	सरकार द्वारा बोर्ड में चल रहे भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1.	28	,, ,,	विभिन्न रेलवे में रेलवे सुरक्षा अधिकारियों तथा सतर्कता निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड में पक्षपात ।	,,
1.	29	,, ,,	जनता को सुविधायें देने की ओर ध्यान देने में असफलता ।	,,
1.	30	,, ,,	रेलवे बोर्ड में धन का अपव्यय ।	,,
1.	31	,,	संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों की ओर ध्यान देने में असफलता ।	,,
1.	32	,, ,,	रेलवे बोर्ड में अनियमितताओं तथा उनकी मनमानी कार्यवाही रोकने में असफलता ।	,,
1.	33	,, ,,	रेलवे बोर्ड का नौकरशाही रवैया रोकने में असफलता ।	,,
1.	34	,, ,,	रेलवे के साधारण कर्मचारियों को अधिक सुविधायें देने में असफलता ।	,,
1.	35	,, ,,	रेलवे बोर्ड के सदस्यों के वेतन 1000 रुपये से अनधिक निर्धारित करने में असफलता ।	,,
1.	36	,, ,,	वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक का नया पद बनाया जाना ।	,,
1.	37	,, ,,	रेलवे स्टेशनों तथा भोजन-डिब्बों में खान-पान की असंतोषजनक व्यवस्था ।	,,

1	2	3	4	5
1. 38	महंत दिग्विजय नाथ		प्रशासन के उच्च अधिकारियों पर भारी व्यय ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1. 39	,,	,,	सड़क परिवहन के साथ स्पर्धा करने के ख्याल से सामान लाने–जे–जाने के लिए प्रभावी उपाय सुझाने तथा प्रभावी कदम उठाने में असफलता ।	,,
1. 40	,,	,,	रेलवे में तीसरी श्रेणी के सभी कर्मचारियों के वेतन–मान तथा उनकी वेतन–वृद्धियों की दर समान करने में असफलता ।	,,
1. 41	,,	,,	इस समय गोरखपुर रेलवे वर्कशाप में काम कर रहे पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह को रोकने में असफलता ।	,,
1. 42	,,	,,	गोरखपुर–गोंडा लूप लाइन के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल तथा एक और प्लेटफार्म बनाने में असफलता ।	,,
1. 43	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिये प्रतीक्षालय बनाने में असफलता ।	,,
1. 44	,,	,,	रेलवे द्वारा लाने–जाने के लिये अधिक सामान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रचार करने तथा यह समान प्राप्त करने में असफलता ।	,,
1. 45	,,	,,	रेलवे में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में आने–जाने का रास्ता, जो इतना तंग है कि प्रतिकूल दिशाओं से आने वाले यात्रियों के निकलने में कठिनाई होती है, चौड़ा करने में असफलता ।	,,
1. 46	,,	,,	विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में शौचालयों का पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 47		महन्त दिग्विजय नाथ	रेलवे में विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे में दूसरी श्रेणी के डिब्बों में शौचालयों का पर्याप्त प्रबन्ध करने में सरकार की असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1. 48	,,	,,	घर्मशाला बाजार (गोरखपुर), ठूठी बाडी, सीमान्त शहर (नेपाल) तथा गोरखपुर-लखनऊ रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) के धर्मशाला-नौतनवां सड़क पर ऊपरी पुल बनाने में सरकार की असफलता ।	,,
1. 49	,,	,,	नये प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा प्रशिक्षण स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने के शीघ्र बाद सहायक स्टेशन मास्टर नियुक्त करने की नीति को बदलने तथा उन्हें न्यूनतम दस वर्षों तक ट्रैफिक सिगनलर नियुक्त करने की पुरानी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता ।	,,
1. 50	,,	,,	दिल्ली तथा गोरखपुर के बीच एक डिलक्स सुपर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने में सरकार की असफलता ।	,,
1. 51	,,	,,	प्रतिरक्षा की दृष्टि से गोरखपुर के महत्व को ध्यान में रखते हुये गोरखपुर से बाराबंकी तथा गोरखपुर से वाराणसी तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में विलम्ब ।	,,
1. 59	श्री के० एम० अब्राहम		रेलवे कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने में विलम्ब ।	,,
1. 60	,,	,,	रेलवे प्रतिष्ठानों में ठेका प्रणाली ।	,,
1. 61	,,	,,	एरणाकुलम से बम्बई तक सीधी ट्रेन चलाने में असफलता ।	,,
1. 62	,,	,,	एरणाकुलम से नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन चलाने में असफलता ।	,,
1. 63	,,	,,	एरणाकुलम से कलकत्ता तक सीधी गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 72	श्री भगवान दास :		चित्तरंजन लोको वर्क्स श्रमिक संघ को मान्यता न देना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1. 73	,,	,,	राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सेंलूनों का प्रयोग ।	,,
1. 74	श्री के० रमानी :		दक्षिण रेलवे में मेट्टुपलायम-ऊटकमंड पर्वतीय रेलवे मार्ग को तोड़ देने का प्रस्ताव ।	,,
1. 75	,,	,,	दक्षिण रेलवे के तंजोर जिले में तीन रेल-मार्गों को तोड़ देने का प्रस्ताव ।	,,
1. 76	श्री मुहम्मद इस्माइल :		सभी भारतीय रेलवे में कार्मिक संघों को मतदान द्वारा मान्यता न देना ।	,,
1. 96	श्री सं० कुन्दू :		सैलूनों और वातानुकूलित डिब्बों के रख रखाव संबंधी नीति ।	,,
1. 103	श्री रामावतार शास्त्री :		रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन आदि की अधिकतम सीमा 1000 रुपये प्रति मास निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1. 104	,,	,,	रेलवे बोर्ड की कर्मचारी-विरोधी नीति बदलने की आवश्यकता ।	,,
1. 105	,,	,,	रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का वेतन कम करने की आवश्यकता ।	,,
1. 106	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने तथा उनकी कठिनाइयों को समझने में रेलवे बोर्ड की असफलता ।	,,
1. 107	,,	,,	रेलवे बोर्ड के कम आय पाने वाले कर्मचारियों के लिये सुविधायें बढ़ाने में असफलता ।	,,
1. 108	डा० रामन सेन ।		पूर्व-रेलवे के सियालदह डिविजन में बनगांव सैक्शन पर बनगांव और चांदपाड़ा स्टेशनों के बीच कालोपुर के निकट एक फ्लैग स्टेशन/हाल्ट बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 109	डा० रानेन सेन :		पूर्व रेलवे के सियालदह डिविजन के बनगांव सैक्शन में मछलंदपुर और गोबरडंगा स्टेशनों के बीच रेलवे पुल के साथ लकड़ी का एक पैदल ऊारी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1. 110	,,	,,	समय सारणी में विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्यों के नाम प्रकाशित करने की आवश्यकता ।	,,
1. 111	,,	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिविजन में बारासत के रास्ते सियालदह से हसनाबाद तक सीधी गाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	,,
1. 113	श्री के० रमानी :		दक्षिण रेलवे में फायरमैनों की बहुत समय से चली आ रही है । शिकायतों पर विचार न करना ।	,,
1. 114	,,	,,	सभी भारतीय रेलों पर फायरमैनों की शिकायतों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार न करना ।	,,
1. 115	,,	,,	रेलवे बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद ।	,,
1. 116	,,	,,	रेलवे बोर्ड द्वारा श्रमिकों की शिकायतों पर विचार करते समय श्रम-विरोधी नीति अपनाना ।	,,
1. 117	,,	,,	रेलवे दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन पर प्रभावी कार्यवाही न करना ।	,,
1. 118	,,	,,	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों को बहाल न करना ।	,,
1. 119	,,	,,	भारतीय रेलवे में इलैक्ट्रोनिक कम्प्युटर लगाने पर रोक लगाने की आवश्यकता ।	,,
1. 120	,,	,,	रेलवे लेखा विभाग में अधिक वेतन-क्रम प्रदत्त लिपिकों के लिये पदोन्नति के अवसरों का अभाव ।	,,

1	2	3	4	5
1. 121	श्री के० रमानी		भोजन–यान में काम करने वालों को सर्दियों में ऊनी वर्दी दिये जाने की मांग पर विचार न करना ।	100 रुपये
1. 122	,,	,,	भोजन-यान कर्मचारियों की पर्याप्त विश्राम तथा अवकाश सम्बन्धी शिकायतों पर विचार न करना ।	,,
1. 123	,,	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिये कार्यवाही न करना ।	,,
1. 124	,,	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों को सभी स्टेशनों पर सस्ते मूल्य पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने के लिये कार्यवाही न करना ।	,,
1. 125	,,	,,	सभी एक्सप्रैस गाड़ियों में तीसरे दर्जे का अधिक स्थान जुटाने में असफलता ।	,,
1. 126	,,	,,	यात्रियों के लिये सुविधाओं में सुधार हेतु रेल-यात्री संगठनों द्वारा दिये जाने वाले अच्छे सुझावों को मानने से इन्कार ।	,,
1. 128	महन्त दिविजय नाथ :		तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधाओं का अभाव ।	,,
1. 129	,,	,,	रेलों में खानपान व्यवस्था का अभाव ।	,,
1. 130	,,	,,	रेल मार्गों पर चोरियां और माल डिब्बों की तोड़फोड़ बन्द करने में असफलता ।	,,
1. 131	,,	,,	सड़क यातायात साधनों की प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये प्रभावी उपाय न करना ।	,,
1. 132	,,	,,	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति ।	,,
1. 133	,,	,,	माल व यात्री यातायात को परिवहन के अन्य साधन अपनाने से रोकने में प्रबन्धकों की अदक्षता ।	,,
1. 134	,,	,,	क्षेत्रीय (जोनल) प्रशासन की अदक्षता ।	,,
1. 135	,,	,,	रेलवे बोर्ड में रेलवे कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 136	महंत दिग्विजय नाथ		तीसरे दर्जे के डिब्बों में पेय जल उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1. 137	,,	,,	रेलवे अस्पतालों में सुधारों की आवश्यकता ।	,,
1. 138	,,	,,	रात्रि में काम करने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों को रात्रि में कार्य करने का भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
1. 139	,,	,,	रेलवे भोजन-यानों में सभी काम करने वालों को स्थायी आधार पर और नियमित वेतन तथा अन्य सुविधाएं दे कर नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
1. 140	,,	,,	भोजन विभाग के कर्मचारियों की मांगे स्वीकार करने की आवश्यकता ।	,,
1. 141	,,	,,	रेल दुर्घटनाएं रोकने में असफलता ।	,,
1. 142	,,	,,	कनिष्ठ रेलवे कर्मचारियों को पर्याप्त सख्या में वरिष्ठ वेतन-क्रमों में पदोन्नति न देना ।	,,
1. 143	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट करने में अनियमितताएं ।	,,
1. 144	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1. 145	,,	,,	रेलवे में ठेका-प्रणाली समाप्त करने में असफलता ।	,,
1. 146	,,	,,	रेलवे के लिए एक पृथक वेतन आयोग स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
1. 147	,,	,,	रेलवे के सभी लाइन स्टाफ को बर्दी देने में असफलता ।	,,
1. 148	,,	,,	चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के समान सेवा निवृत्ति पास देने में असफलता ।	,,
1. 149	,,	,,	डाक्टर द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के	,,

1	2	3	4	5
			वेतन मत्तें और पदोन्नति के अवसरों की रक्षा करने में असफलता ।	
1. 150	महंत	दिग्विजय नाथ	सभी अस्थायी पदों को स्थायी बनाने तथा सभी कर्मचारियों को एक साल की सेवा के बाद स्थायी बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1. 151	,,	,,	रेलवे में अनाज की दुकान की पुरानी प्रणाली चालू करने में असफलता ।	,,
1. 152	,,	,,	कन्डक्टर के पदों को गार्डों की श्रेणी में रखने में असफलता ।	,,
1. 153	,,	,,	अपने सेवाकाल में व्यावसायिक रोग से पीड़ित हुए कर्मचारियों के कुल वेतन की रक्षा करने में असफलता ।	,,
1. 154	,,	,,	19–9–1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण सताये गये सभी रेलवे कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	,,
1. 155	,,	,,	डाक गाड़ियों की अपर्याप्त सप्लाई जिसके फलस्वरूप डाक ले जाने के लिए तीसरी श्रेणी के रेल डिब्बों का प्रयोग किया जा रहा है ।	,,
1. 156	,,	,,	चलती गाड़ियों में विशेषकर तीसरी श्रेणी के डिब्बों में रोशनी की अपर्याप्त व्यवस्था ।	,,
1. 157	,,	,,	महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे डाक सेवा के लिए भवन, बनवाने की आवश्यकता ।	,,
1. 158	,,	,,	दिल्ली से वृत्ताकार रेलवे के निर्माण को पूरा करने में असफलता ।	,,
1. 159	,,	,,	यात्रियों के यातायात को बढ़ाने के लिए और पुराने डिब्बों को हटाने के लिए आवश्यक नये डिब्बों का निर्माण करने में असफलता ।	,,
1. 160	,,	,,	पुराने और बेकार माल-डिब्बों को हटाने तथा माल को लादने और उतारने के	,,

1	2	3	4	5
			लिये आवश्यक नये माल-डिब्बे बनाने में असफलता ।	
1. 161		महन्त दिग्विजय नाथ	बाहर के देशों से प्राप्त ऋणों से इंजिनों का निर्माण करने में असफलता ।	100 रुपये
1. 162	,,	,,	यात्री टिकट निरीक्षक को रनिंग स्टाफ मानने की आवश्यकता ।	,,
1. 163	,,	,,	बन्द होने वाली रेल सेवाओं को बन्द न करने की वांछनीयता ।	,,
1. 164	,,	,,	तीसरी श्रेणी के डिब्बों में भीड़ कम करने के लिये और अधिक जनता गाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
1 165	,,	,,	रेलवे की आय को बढ़ाने के लिये खाली माल डिब्बों को वापस किया जाना बन्द करने में असफलता ।	,,
1. 166	,,	,,	जिन शाखा-लाइनों में घाटा हुआ है उन्हें उचित रूप से कुशलतापूर्वक चलाने में असफलता ।	,,
1. 167	,,	,,	रेलवे में बिना टिकट यात्रा रोकने में असफलता ।	,,
1. 168	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
1. 169	,,	,,	डाक्टरी सेवाओं की ओर उचित ध्यान देने असफलता ।	,,
1. 170	,,	,,	कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर किये जा रहे व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1. 171	,,	,,	रेलगाड़ियों के डकैती, चोरी तथा हत्या की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1. 172	,,	,,	प्रथम श्रेणी के प्रत्येक डिब्बे में परिचारक (अटेन्डेन्ट) की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1. 173	श्री के० एम० अब्राहम :		रेलवे बोर्ड की श्रम-विरोधी नीति ।	,,

1	2	3	4	5
1. 174	श्री के० एम० अब्राहम		रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिये निः - शुल्क सैलून सुविधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1. 175	,,	,,	रेलवे बोर्ड की अत्यधिक अधिकारी बोझिल प्रशासनिक व्यवस्था ।	,,
1. 176	,,	,,	केरल राज्य में कोट्टायम एर्णाकुलम लाइन पर नीलिमगलम और कडुथिरुट्टी स्थानों पर रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1. 177	श्री भगवान दास :		गैर–सरकारी और निजी यात्रियों के लिये उच्चाधिकारियों को नि.शुल्क यात्रा संबंधी सुविधायें बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
1. 178	,,	,,	रेलवे प्रशासन के कार्यसंचालन में सुधार करने की दृष्टि से सभी विभागों में उच्च अधिकारियों की संख्या में भारी कमी करने की आवश्यकता ।	,,
1. 179	,,	,,	रेलवे के सभी छोटे तथा बड़े कार्यों में ठेका प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1. 180	,,	,,	क्षेत्रीय प्रणाली के कार्यचालन की देख-रेख करने तथा सार्वजनिक संबंधों को बनाये रखने के लिये संसद सदस्यों तथा विधान-सभाओं के सदस्यों की समितियां नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
1. 182	,,		आसनसोल में एक सिटी टिकट बुकिंग आफिस खोलने की आवश्यकता ।	,,
1. 183	,,	,,	हावड़ा और दुर्गापुर के बीच बिजली से चलने वाली लोकल रेलगाड़ियां चालू करने की आवश्यकता ।	,,
1. 184	,,	,,	श्रीरामपुर ग्राम और आन्डाल के बीच सड़क बनाने की आवश्यकता ।	,,
1. 185	श्री मुहम्मद इस्माइल :		नोआमारा (पश्चिम बंगाल) में एक फ्लैग स्टेशन खोलने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1.	203	श्री क० मि० "मधुकर"	सत्कार भत्ते के नाम पर फिजूल खर्चों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
1.	204	,, ,,	राजपत्रित अधिकारियों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के नाम पर धन के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	,,
1.	205	,, ,,	नागरिक सुरक्षा के बारें में की गई बिलकुल बेकार व्यवस्था को समाप्त करने में असफलता ।	,,
2.	206	श्री के० एम० अब्राहम :	केरल में एरणाकुलम-क्लिोन नटीय रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने के लिए धन की व्यवस्था न किया जाना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
2.	207	,, ,,	एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए धन की व्यवस्था न किया जाना ।	,,
2.	212	श्री रामावतार शास्त्री :	उत्तर बिहार (उत्तर पूर्व रेलवे) में एक नयी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2.	213	,, ,,	उत्तर बिहार (पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में नैरोगेज लाइनों को ब्राड गेज लाइनों में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
2.	214	,, ,,	उत्तर बिहार (पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे) में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
2.	215	,, ,,	दक्षिण बिहार, विशेषकर छोटा नागपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
2	221	श्री के० एम० अब्राहम :	कोट्टायम से मदुराई तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने में असफलता ।	,,
2.	223	श्री पं० गोपालन :	कुट्टीपुरम-पोन्ननी-नाट्टिका-क्कुन्नूर और एरणाकुलम के बीच नयी लाइनों के	,,

1	2	3	4	5
			निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने में असफलता ।	
2. 224	श्री पं० गोपालन		एरणाकुलम और एलेप्पी के बीच नयी लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने में असफलता ।	100 रुपये
2. 225	,,	,,	एलेप्पी और कोट्टायम के बीच नयी लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने में असफलता ।	,,
2. 226	,,	,,	श्रीकृष्णपुरम-चेरपुलेस्सरी-शोरनूर के बीच नयी लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने में असफलता ।	,,
2. 227	,,	,,	निराम्बूर-मन्नरघाट-ओलावक्कट के बीच नयी लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने में असफलता ।	,,
2. 228	,,	,,	फेरोक-मन्जेरी के बीच, बरास्ता मेलात्तूर नयी लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने में असफलता ।	,,
2. 229	श्री के० रमानी :		सत्यमंगलम और चामराजनगर के बीच एक नयी लाइन के निर्माण के लिए किये गये सर्वेक्षण को अन्तिम रूप देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
2. 230	,,	,,	कोयम्बतूर-पोल्लाची लाइन जो कि इस समय बरास्ता चेट्टिपलायम है उसको उसके स्थान पर बरास्ता वेल्लालोर बनाने के लिए सर्वेक्षण करने में असफलता ।	,,

---

(नीति निरनुमोदन)

3. 231	श्री पी० विश्वम्भरन :	गैर-सरकारी रेलों का बने रहना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए
3. 234	श्री रामावतार शास्त्री :	सभी गैर-सरकारी रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
4. 237		श्री रामावतार शास्त्री :	अधिकारी बोझिल प्रशासन और उस पर अपव्यय ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए
4. 238		,, ,,	रेलवे सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपयों का व्यर्थ व्यय ।	,,
4. 239		श्री के० एम० अब्राहम :	रेलवे सुरक्षा संगठन में समाज-विरोधी तत्वों की भर्ती ।	,,
4. 240		,, ,,	रेलवे कर्मचारियों को दी गई सहायता की मात्रा की तुलना में चिकित्सा विभाग के प्रशासन पर अधिक व्यय ।	,,
4. 242		श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे सुरक्षा बल के नाम पर किये जा रहे फ़ज़ूलखर्च को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
4. 243		,, ,,	रेलवे सुरक्षा बल की चोरी की घटनायें रोकने में असफलता ।	,,
4. 244		,, ,,	रेलवे सुरक्षा बल में भ्रष्टाचार तथा उनकी चोरों के साथ सांठ-गांठ को रोकने में असफलता ।	,,
4. 245		,, ,,	रेलवे इंजनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अपेक्षित सामान की कमी और घटिया दर्जे के सामान का दिया जाना ।	,,
4. 249		श्री पी० विश्वम्भरन :	एरणाकुलम्-त्रिवेन्द्रम मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,
4. 250		महन्त दिग्विजय नाथ :	अन्न तथा अन्य नाशवान वस्तुओं का खुले माल डिब्बों में लाना-ले जाना जिस से कि भारी हानि होती है ।	,,
4. 251		,, ,,	अनावृष्टि की अवधि के दौरान अनाज को ले जाने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई के लिए राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर उनको सहयोग देने में केन्द्रीय सरकार की असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4. 252	महन्त दिग्विजय नाथ :		अति व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सुरक्षा संगठन की असफलता ।	100 रुपये
4. 253	,,	,,	रेलवे प्रशासन के विभिन्न विभागों में वरिष्ट अधिकारियों की अधिक संख्या में नियुक्ति ।	,,
4. 254	,,	,,	जिम्मेदारी वाले पदों पर अकुशल और अनिपुण अधिकारियों की नियुक्ति, जो कि दुर्घटनाओं को नही रोक पाते हैं ।	,,
4. 255	,,	,,	रेलगाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए रेलगाड़ियों में और डिब्बे न जोड़ने और अतिरिक्त रेलगाड़ियां न चलाने के बारे में वरिष्ट अधिकारियों द्वारा उपेक्षा का बरता जाना ।	
4. 256	,,	,,	वरिष्ट अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी पर उपस्थित न होने के परिणामस्वरूप रेलगाड़ियों का अक्सर देरी से चलना ।	,,
4. 257	,,	,,	कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को ध्यान देकर सुनने में प्रशासन की असफलता ।	,,
4. 258	,,	,,	उच्च रेलवे अधिकारियों को दी जा रही 'सेलून' सुविधाओं को बन्द करने और सेलूनों को नियमित डिब्बों में बदलने की आवश्यकता ।	,,
4. 259	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों के लिए वर्दियां तैयार करने का काम ठेकेदारों को देने के बजाय वर्दियों को क्षेत्रीय आधार पर विभागीय रूप से तैयार कराने की आवश्यकता ।	,,
4. 260	,,	,,	अधिकारियों के लिए विशेष पदों के सृजन को बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
4. 261	,,	,,	भारत में रेलवे सेवा आयोगों के अधिकारियों के उच्च वेतनों को कम करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
4. 262		महन्त दिग्विजय नाथ :	दिल्ली से गोरखपुर तक सीधी मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की व्यवस्था करने में प्रशासन की असफलता ।	100 रुपये
4. 263		श्री के० एम० अब्राहम :	सामान्य प्रबन्ध, सिविल इंजीनियरो, मेकनीकल, यातायात, विद्युत, सिगनल और दूर संचार विभागों में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की अधिक संख्या में भर्ती ।	,,
4. 264		श्री प० गोपालन :	दक्षिण रेलवे के ओलवोकोट डिविजन में पट्टमबि पर एक्सप्रेस और मेल रेल गाड़ियों को रोकने की आवश्यकता ।	,,
4. 265		श्री पी० पी० एस्थोस :	19 सितम्बर, 1968 को की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में मुअत्तिल और उत्पीड़ित किये गये सभी कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	,,
4. 266		श्री भगवान दास ।	मुगलसराय जंकशन के इन्क्वारी आफिस में एक टेलीफोन कनेक्शन देने की आवश्यकता ।	,,
4. 267		,, ,,	पर्याप्त संख्या में रेलवे वैगनों की आवश्यकता ।	,,
4. 268		,, ,,	उपनगरीय क्षेत्र में ऊपर लगे हुए बिजली के तार की चोरी को रोकने की आवश्यकता ।	,,
4. 269		,, ,,	तीसरी श्रेणी के टिकटों के किराये को कम करने की आवश्यकता ।	,,
4. 270		,, ,,	यात्रियों के लिये पर्याप्त रेलगाड़ियों को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
4. 271		श्री मुहम्मद इस्माइल :	पूर्व रेलवे में दम दम जंकशन और बेल-धरिया स्टेशन के बीच नौवापाड़ा पर फ्लेगा स्टेशन खोलने में असफलता ।	,,
4. 272		श्री क० मि० "मधुकर" :	यात्रियों के जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा करने में रेलवे पुलिस की असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4. 273	श्री क० मि० "मधुकर" :		प्रशासकीय उपेक्षाभाव और गैर-जिम्मेवारी के कारण रेलवे सम्पत्ति और नकदी के बार-बार लूटे जाने के मामलों को कारगर रूप से रोकने में असफलता ।	100 रुपये
4. 274	,,	,,	रेलवे पुलिस की सांठ-गांठ में हो रही नेपाल को चीनी की तस्करी को रोकने में असफलता ।	,,
4. 275	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता ।	,,
4. 276	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे पुलिस फोर्स को प्रभावी और जनता की सेवा के भाव से सम्पन्न बनाने में असफलता ।	,,
4. 277	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन में लाल फीताशाही का उन्मूलन करने में असफलता ।	,,
4. 278	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे पुलिस फोर्स के कर्मचारियों के भत्तों और सेवा की शर्तों में सुधार करने में असफलता ।	,,
4. 279	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और उनकी कुशलता में सुधार करने में असफलता ।	,,
4. 280	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के मेहसी और चकिया स्टेशनों के बीच रेलवे के खजाने की लूट की जांच करने में असफलता ।	,,
4. 281	,,	,,	नरकटिया गंज में आने वाली लगभग सभी रेल गाड़ियों को कुप्रबन्ध के कारण मुजफ्फरपुर के पश्चिमी सिगनल पर रोके जाने के परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में असफलता ।	,,
5. 282	श्री रामावतार शास्त्री :		रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों की समय पर मरम्मत कराने में असफलता ।	,,
5. 283	,,	,,	मरम्मत के नाम में किये जा रहे लाखों रुपये के गबन को रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
5. 284	श्री रामावतार शास्त्री :		रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली की सप्लाई की असंतोषजनक व्यवस्था ।	100 रुपये
5. 285	,,	,,	रेलवे आस्तियों की चोरियों को रोकने में असफलता ।	,,
5. 287	श्री पी० विश्वम्भरन :		दक्षिण रेलवे की एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन में विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिये मार्ग बनाने की आवश्यकता ।	,,
5. 288	श्री महन्त दिग्विजय नाथ :		गोरखपुर में रेलवे क्वार्टर और सड़कों की उचित मरम्मत और रख-रखाव करने में असफलता ।	,,
5. 289	,,	,,	रेलवे की इमारतों और लाइनों की मरम्मत के नाम पर धन की बरबादी को रोकने की आवश्यकता ।	,,
5, 290	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों में मरम्मत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
5. 291	,,	,,	रेल मार्गों तक जाने वाली सड़कों पर तारकोल बिछाने की आवश्यकता ।	,,
5. 292	,,	,,	उत्तर तथा उत्तर-पूर्व रेलवे में चलने वाली डीजल गाड़ियों के डिब्बों की मरम्मत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
5. 293	,,	,,	रेल मार्ग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये रात्रि में गश्त लगाने की ड्यूटी पर अधिक व्यक्तियों के लिये मंजूरी देने की आवश्यकता ।	,,
5. 294	,,	,,	आसनसोल और काली पहाड़ी के बीच लेवल क्रासिंग के निकल एक भूमिगत सड़क बनाने की आवश्यकता ।	,,
5. 295	श्री भगवान दास :		आसनसोल और अन्डाल पर रेलवे स्टेशनों के निकट सुरंगों का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
5. 296	,,	,,	दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त शैडों के निर्माण की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
5. 297	श्री भगवान दास :		दुर्गापुर में बस स्टैंड के निकट, रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर ही, शेड का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5. 298	,,	,,	पट्टाम्बी के रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने में असफलता ।	,,
5. 299	,,	,,	दक्षिण रेलवे के त्रिचुर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने में असफलता ।	,,
5. 300	,,	,,	दक्षिण रेलवे के मुत्लु रक्करा रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने में असफलता ।	,,
5. 308	श्री क० मि० "मधुकर" :		पूर्वोत्तर रेलवे में चकिया स्टेशन के प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षा-गृह की दशा को सुधारने की आवश्यकता ।	,,
5. 309	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के चकिया स्टेशन के निकट रेलवे की सड़क का सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
5. 310	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में मोतिहारी स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षा-गृह में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
5. 311	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में चकिया, मेहसी और पिपरा स्टेशनों के कर्मचारियों के क्वार्टरों में मरम्मत करने की आवश्यकता ।	,,
5. 312	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में पिपरा स्टेशन पर बाजार के निकट वाली गुमटी पर गेट कीपर नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
5. 313	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर नरकटिया गंज लाइन पर मोतीपुर स्टेशन की इमारत को नया रूप देने की आवश्यकता ।	,,
6. 319	श्री के० एम० अब्राहम :		यातायात लेखा विभाग में क्लर्क कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की सुविधाओं का अभाव ।	,,
6. 320	श्री प० गोपालन :		दक्षिण रेलवे में ओलवाक्कोट डिवीजन के चेरुकारा रेलवे फाटक पर चौकीदार रखने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
6. 321	श्री भगवान दास :		महंगाई भत्ते का हिसाब लगाने के लिए रेलगाड़ियों पर चलने वाले कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा के मीलों को सम्मिलित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6. 322	,,	,,	रेलगाड़ियों पर चलने वाले कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते का हिसाब पाक्षिक आधार के स्थान पर दैनिक आधार पर लगाने की आवश्यकता ।	,,
6. 323	,,	,,	रेलवे ड्राइवरों और फायरमैनों का वर्गीकरण "इन्टेंसिव" करने की आवश्यकता क्योंकि इस प्रकार के वर्गीकरणों के लिये निर्धारित शर्तें रेलगाड़ियों पर चलने वाली ड्यूटी के प्रकार की है जिसे कि वे करते हैं ।	,,
6. 324	,,	,,	सप्ताह में एक गारंटीकृत विश्राम देने और विश्राम वाले दिन कार्य करने के लिए दुगुना भुगतान करने की आवश्यकता ।	,,
6 325	,,	,,	लोको और ट्रेफिक के गाड़ियों पर चलने वाले कर्मचारियों के कार्य के घंटों को उनके "आ कर हस्ताक्षर करने" के समय से लेकर "जाते हुए हस्ताक्षर करने" के समय तक गिनने की आवश्यकता ।	
6. 326	,,	,,	दूसरे वेतन आयोग द्वारा उत्पन्न किये गये रेलवे कर्मचारियों के वेतन ढांचे में असमानता को दूर करना ।	,,
6. 327	,,	,,	चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में काम करने वाले टाइपिस्ट क्लर्कों सहित सभी कर्मचारियों के लिए बोनस स्कीम लागू करने की आवश्यकता ।	,,
6. 328	,,	,,	चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में काम करने वाले जिन कर्मचारियों को रहने के लिए मकान नहीं दिये गये हैं, उनको राज सहायता देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
6.	329	श्री भगवान दास :	चित्तरंजन में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को, कलकत्ता और अन्य नगरों की तुलना में वहां के ऊंचे निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6.	330	,, ,,	रेलवे इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को रेलवे के कर्मचारियों के रूप में मानने की आवश्यकता ।	,,
6.	331	श्री रामावतार शास्त्री :	19 सितम्बर को हुई हड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये रेलवे कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमों को वापस लेने में असफलता ।	,,
6.	332	,, ,,	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ को पुन: मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता ।	,,
6.	333	,, ,,	इंडियन लोको-मैकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
6.	334	,, ,,	रेलवे के नैमित्तिक और स्थानापन्न कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध में किये जा रहे घोटाले, पक्षपात और भेदभाव को रोकने में असफलता ।	,,
6.	335	,, ,,	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ की 6 सूत्री मांग को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
6.	336	,, ,,	रेलवे गार्डों के बहुमुखी कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन मान में संशोधन करने में असफलता ।	,,
6.	337	,, ,,	लोको शेडों में काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
6.	338	,, ,,	रेलवे रनिंग स्टाफ की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता ।	,,
6.	339	,, ,,	रेलवे कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
6.	340	श्री रामावतार शास्त्री :	लोको-मैकेनिकल कर्मचारियों के वेतन मानों का उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करने में असफलता ।	100 रुपये
6.	341	,, ,,	इन्डियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
6.	342	,, ,,	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स संघ को मान्यता प्रदान करने में असफलता ।	,,
6.	343	,, ,,	रेलवे के रनिंग स्टाफ के कार्य के घन्टों को कम करने में असफलता ।	,,
6.	344	,, ,,	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ से सम्बद्ध संघों, जिनकी मान्यता वापस ले ली गई थी, को पुनः मान्यता प्रदान करने में असफलता ।	,,
6.	345	,, ,,	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा द्वारा पेश की गई मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
6.	346	,, ,,	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा को मान्यता प्रदान करने में असफलता ।	,,
6	347	,, ,,	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा पेश की गई 28 सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
6.	348	,, ,,	ट्रेन क्लर्कों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
6.	349	,,	ट्रेन क्लर्कों की संख्या में की जा रही कमी को रोकने की आवश्यकता ।	,,
6.	350	,, ,,	दानापुर (पूर्व रेलवे) के ट्रेन क्लर्कों की संख्या में की गई कमी को पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
6.	351	,,	सभी रेलवे श्रमिकों को क्वार्टर देने में असफलता ।	,,
6.	352	,, ,,	रेलवे क्वार्टरों में पंखों की असंतोषजनक व्यवस्था को ठीक करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
6.	353	श्री रामावतार शास्त्री :	दानापुर डिवीजन के नौ बी० टी० एम० की लगातार 35 महीनों तक काम करने के बावजूद फिटरों के पद पर पदावनति कर देने के गलत निर्णय को रद्द करने में असफलता ।	100 रुपये
6.	354	,, ,,	तीन वर्षों की सेवा के बाद फिटर खलासियों तथा बी० टी० एम० को पदोन्नति देने की नीति के बावजूद पन्द्रह-पन्द्रह वर्षों तक उन्हें पदोन्नति नहीं देना ।	,,
6.	355	,, ,,	प्रशिक्षण समाप्त कर लेने के बाद भी पेड अप्रन्टिसों को फिटर के पद पर बहाल करने में असफलता ।	,,
6.	356	,, ,,	गत 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के क्रम में गिरफ्तार लोको कर्मचारियों के मुकदमों को वापस लेने में असफलता ।	,,
6.	357	,, ,,	गत 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के क्रम में मुअत्तल, बर्खास्त तथा सेवा से मुक्त किये गये लोको कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने में असफलता ।	,,
6.	358	,, ,,	गत 20-21 जनवरी को अण्डाल में आयोजित इंडियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन के पूर्वी जोनल संगठन के द्वितीय सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
6.	359	,, ,,	लोको मेकेनिकल स्टाफ के कार्य-भार की जांच करने तथा उनके कामों का उचित मूल्यांकन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति में असफलता ।	,,
6.	360	,, ,,	हावड़ा डिवीजन के लोको मेकेनिकल स्टाफ को सी० एम० ई० सी० सी० के 7-5-64 के जमालपुर निर्णय के बावजूद 25 फी सदी अपग्रेडेशन देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
6. 361	श्री रामावतार शास्त्री :		लोको मेकेनिकल स्टाफ को ओवरटाइम की गलत गणना प्रणाली के कारण होने वाली हानि को दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
6. 362	,,	,,	मेकेनिकल स्टाफ को डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ट्रेनिंग देने तथा उसके बारे में उन्हे ऐबजौर्व करने में असफलता।	,,
6. 363	,,	,,	जमालपुर के लोको फोरमैन के विरुद्ध आंदोलन करने के कारण वहां के लोको मेकेनिकल स्टाफ के दो दिनों के काटे गये वेतन को चुकाने में असफलता ।	,,
6. 364	,,	,,	रानाघाट लोको शेड के एल० एफ० की घांघली को रोकने तथा उसके विरुद्ध आवाज़ लगाने के फलस्वरूप मेकेनिकल कर्मचारियों की बदली तथा गैर-कानूनी सज़ाओं को रद्द करने में असफलता ।	
6. 365	,,	,,	लोको शेडों में काम कर रहे कर्मचारियों पर कारखाना अधिनियम लागू करने में असफलता ।	,,
6. 366	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों की मागों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उत्पीड़न के मार्ग का अनुसरण न करते हुए उनके असंतोष को दूर करने की आवश्यकता ।	,,
6. 367	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों के लिये अवकाश आरक्षियों (लीव रिजर्व्स) की सख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
6. 368	,,	,,	नेशनल रेलवे मेन फेडेरेशन जैसे जाली कर्मचारी संघ को दी गई मान्यता को वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
6. 369	,,	,,	रेलव कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिये एजेंट यूनियनों का गठन करने की नीति की निन्दा करने में असफलता ।	,,

1 2	3	4	5
6.370	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संघों की शक्ति परीक्षा करने के लिये गुप्त मतदान करने के लिये व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
6.371	श्री मुहम्मद इस्माइल :	मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, पूर्व रेलवे, कलकत्ता, के क्लेम्स ब्रांच की क्लर्क श्रेणी की पदोन्नति के लिये पर्याप्त क्षेत्र का अभाव ।	,,
6.372	,, ,,	मुख्य वाणिज्यिक अध्यक्ष, क्लेम्स ब्रांच, पूर्व रेलवे, के अधीन 200 कर्मचारियों का 15–20 वर्षों से 110–180 रुपये के निम्नतम ग्रेड में पड़े रहना ।	,,
6.373	,, ,,	आसनसोल के सिग्नल विभाग में विभागीय अधीक्षक द्वारा कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक अनिवार्य रूप से कार्य लेना ।	,,
6.374	श्री क० मि० "मधुकर" :	स्टेशनों पर चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निवास-स्थान की कमी को दूर करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।	,,
6.375	,, ,,	स्टेशनों पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को उचित वेतन देने के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।	,,
6.376	,, ,,	कांटा बदलने वाले कर्मचारियों (प्वाइंट मैन) के लिए मनुष्यों के रहने योग्य निवास-स्थान की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता ।	,,
6.377	,, ,,	चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्दियां, विशेषकर गर्म वर्दियां, देने में असफलता ।	,,
6.378	,, ,,	बढ़ते हुए मूल्यों के इन दिनों में रनिंग स्टाफ को पर्याप्त भत्ते देने में असफलता ।	,,
6.379	,, ,,	स्टेशनों पर काम करने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में वेतन में महंगाई भत्ता मिलाये जाने के बाद भी निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को निष्प्रभावी करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
7. 380	महन्त दिग्विजय नाथ :		तीसरी श्रेणी के कोयले की प्रथम श्रेणी के कोयले के रूप में गलत खरीद ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए
7. 381	महन्त दिग्विजय नाथ :		डीज़लीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ईंधन आयोग की नियुक्ति करने में असफलता ।	100 रुपये
7. 382	,,	,,	सभी रेल-गाड़ियों में बिजली से चलने वाले रेलवे इंजन और डीज़ल इंजन लगाने में असफलता ।	,,
7. 383	,,	,,	रेलवे में मितव्ययता रोकने में असफलता ।	,,
7. 384	,,	,,	कर्मचारियों को सस्ती दरों पर कोयले का पूरा कोटा देने की आवश्यकता ।	,,
7. 385	,,	,,	सभी रेलवे स्टेशनों पर कोयले की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,
7. 386	,,	,,	माल-परिवहन पर्यवेक्षकों की पदोन्नति की समस्या ।	,,
7. 387	,,	,,	सम्पूर्ण अपेक्षित कोयले को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से खरीदने में असफलता ।	,,
7. 388	,,	,,	गैर-सरकारी कोयला खानों से ऊंची दरों पर कोयला खरीदना बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
7. 389	,,	,,	डीज़ल तेल की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,
7. 390	,,	,,	कोयले की खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
7. 391	,,	,,	इंजन के लिए निर्धारित चार इंच वाले कोयले को खरीदने में असफलता ।	,,
7. 392	,,	,,	ठेकेदारों को कोयला और राख को बहुत ही मामूली मूल्य पर बेचने की प्रथा को बन्द करने में असफलता ।	,,
7. 393	श्री रामावतार शास्त्री :		कोयले पर होने वाले व्यय को और कम करने की आवश्यकता ।	,,

1 2	3	4	5
7. 394	श्री रामावतार शास्त्री :	कोयले की उठाईगीरी को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7. 395	,, ,,	कोयला सप्लाई करने वालों की सांठ-गांठ में घटिया किस्म के कोयले पर होने वाले अधिक व्यय को रोकने में असफलता ।	,,
7. 396	,, ,,	कोयले की खरीद के नाम पर उच्च अधिकारियों की धांधली को रोकने में असफलता ।	,,
7. 397	,, ,,	चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को कोयले की चोरी के मामले में फंसा कर उनको तंग करने की कार्यवाही को रोकने की आवश्यकता ।	,,
7. 398	,, ,,	कोयले की बेकार राख के रूप में बेचकर घाटे को बढ़ाने से रोकने में असफलता ।	,,
7. 399	,, ,,	इंजनों के लिये निर्धारित आकार से बड़े आकार के कोयले की सप्लाई को रोकने की आवश्यकता ।	,,
7. 400	,, ,,	कोयले की निर्धारित आकार के अनुसार सप्लाई करने की आवश्यकता ।	,,
7. 401	,, ,,	पूर्व रेलवे के डीजल इंजनों के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
7. 402	,, ,,	पूर्वोत्तर रेलवे में डीजल इंजनों के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
7. 403	,, ,,	पूर्व रेलवे में विद्युतीकरण करने की आवश्यकता, जो कि अभी तक नहीं किया गया ।	,,
7. 404	श्री क० मि० "मधुकर" :	पूर्वोत्तर रेलवे में डीजल इंजन चलाने में असफलता ।	,,
7. 405	,, ,,	पूर्वोत्तर रेलवे में माल ले जाने के लिये डीजल इंजन चालू करने में असफलता ।	,,
8. 406	महन्त दिग्विजय नाथ :	रेलवे में इलेक्ट्रानिक संगणकों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए

1	2	3	4	5
8.410	श्री पी० विश्वम्भरन :		रेलवे विश्रामगृहों (रिटायरिंग रूम्स) के किराये को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8.411	महन्त दिग्विजय नाथ :		लाइनों पर काम करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जूते देने की आवश्यकता ।	,,
8.412	,,	,,	लेखन सामग्री और प्रपत्रों की बरबादी रोकने में असफलता ।	,,
8.413	,,	,,	सामान के लदान और उसे उतारने में आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता ।	,,
8.414	,,	,,	खोये हुऐ अथवा क्षतिग्रस्त माल के लिये प्रतिकर देने के नाम पर धन के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता ।	,,
8.415	,,	,,	वर्दियों की सप्लाई में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
8.416	,,	,,	कर्मचारियों की बनी बनाई वर्दियां देने के स्थान पर उनके लिये अपेक्षित कपड़ा देने की आवश्यकता ।	,,
8.417	,,	,,	भण्डारों में रखी हुई सामान की भारी मात्रा का उपयोग करने और विदेशों से और सामान के आयात को बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
8.418	,,	,,	खरीद और वितरण का उचित लेखा-जोखा न रखना ।	,,
8.419	श्री रामावतार शास्त्री :		लेखन-सामग्री के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	,,
8.420	श्री कमला मिश्र "मधुकर"		रेलवे प्रशासन में कुप्रबंध के कारण सामान को पहुंचने वाली क्षति के लिये प्रतिकर देने पर होने वाले व्यय को कम करने में असफलता ।	,,
8.421	,,	,,	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समय पर अच्छी वर्दियां देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
9. 423	महन्त दिग्विजय नाथ :		तीसरे दर्जे के डिब्बों के निर्माण में वृद्धि ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
9. 424	,,	,,	संचालन व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता बरतने में रेलवे प्रशासन की असफलता ।	100 रुपये
9. 425	,,	,,	लेविल क्रासिंग पर दुर्घटना रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
9. 426	,,	,,	भोजन यान में निरन्तर होने वाले घाटे को रोकने में असफलता ।	,,
9. 427	,,	,,	रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को पूरा मुआवजा देने की आवश्यकता ।	,,
9. 428	,,	,,	रेलवे दुर्घटनाओं के कारण घायल हुए यात्रियों को दिये जाने वाले मुआवजे की रकम में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
9. 429	श्री क० मिश्र 'मधुकर'		दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को न रोक सकने के फलस्वरूप हताहतों को दिये जाने वाले मुआवजे पर खर्च होने वाली बढ़ती हुई रकम को कम करने की आवश्यकता ।	,,
9. 430	,,	,,	रेल यात्रियों की जान तथा माल की क्षति सम्बन्धी घटनाओं को रोकने में असफलता ।	,,
10. 433	श्री पी० पी० एस्थोस		तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिये पर्याप्त सख्या में क्वार्टरों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
10. 444	श्री के० एम० अब्राहम		रेलवे कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
10. 445	श्री प० गोपालन :		उत्तर की ओर जाने वाली दक्षिणी रेलवे की जी० टी० एक्सप्रेस तथा दक्षिण एक्सप्रेस के भोजन यान में काम करने वाले रेलवे खान-पान व्यवस्था कर्मचारियों	,,

1	2	3	4	5
			के लिये सर्दियों की वर्दी सप्लाई करने की आवश्यकता ।	
10. 446	श्री प० गोपालन :		दक्षिण रेलवे में ओट्टाप्पालम में रेलवे कर्मचारियों के लिए और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
10. 447	,,	,,	दक्षिण रेलवे में त्रिचूर स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 448	,,	,,	दक्षिण रेलवे में इरिञ्जालकुड स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 449	,,	,,	दक्षिणी रेलवे में एरणाकुलम स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 450	,,	,,	दक्षिणी रेलवे में पालक्कंचेरी स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 451	,,	,,	दक्षिणी रेलवे में कालीकट स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 452	,,	,,	दक्षिणी रेलवे में ओलवक्कोड डिविजन में शोरनूर स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10, 453	,,	,,	दक्षिण रेलवे में ओलवक्कोड स्थान पर रेलवे कमचारियों के लिए और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 454	,,	,,	दक्षिण रेलवे में पट्टाम्बी में रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	
10. 455	,,	,,	दक्षिण रेलवे में तेल्लिचेरी स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
10. 456	श्री प० गोपालन :		दक्षिण रेलवे में त्रिवेन्द्रम स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
10. 457	,,	,,	दक्षिण रेलवे में क्विलोन स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 458	,,	,,	दक्षिण रेलवे में कोट्टायम स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 459	,,	,,	दक्षिण रेलवे में कुट्टिप्पुरम स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 460	,,	,,	दक्षिण रेलवे में ओलवाक्कोट डिविजन में मुल्लुरक्करा स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10. 461	,,	,,	दक्षिण रेलवे में शोरनूर स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव ।	,,
10. 462	,,	,,	दक्षिण रेलवे में ओलवक्कोट स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के लिये पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव ।	,,
10. 463	श्री मुहम्मद इस्माइल :		चित्तरजन में आवास क्षेत्र को दिया गया सुरक्षित क्षेत्र का दर्जा हटाने की आवश्यकता ।	,,
10. 464	,,	,,	चित्तरंजन में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने में असफलना ।	,,
10. 465	श्री भगवान दास :		चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्कस के कर्मचारियों के बच्चों व आश्रितों के लिये चित्तरंजन में अतिरिक्त बंगाली और हिन्दी माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
10. 466	श्री भगवान दास :		आसनसोल स्थित रेलवे स्कूल में उर्दू विषय का पढ़ाया जाना बन्द किया जाना ।	100 रुपये
10. 467	,,	,,	चित्तरंजन में तृतीय श्रेणी के शतप्रतिशत कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट करने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वित न करना ।	,,
10. 485	,,	,,	मुगलसराय जंकशन पर यात्रियों को भीषण गर्मी और ठंडी हवाओं से बचाने के लिये शेड और बिजली जैसी न्यूनतम मूल सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	,,
10. 486	,,	,,	रेलवे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को रेलवे के नियमित कर्मचारी मानने की आवश्यकता ।	,,
10. 487	,,	,,	अत्यधिक कार्यभार संभालने के लिए मुगल सरायछावनी स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मचारी रखने की आवश्यकता ।	,,
10. 489	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'		तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी अत्यावश्यक आवश्यकताएं पूरी करने में असफलता ।	,,
10. 490	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाओं का अपर्याप्त होना ।	,,
10. 491	,,	,,	'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों पर तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कैन्टीन सुविधाओं की अपर्याप्तता दूर करने में असफलता ।	,,
10. 492	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों, विशेषकर अराजपत्रित कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने में असफलता ।	,,
10. 493	,,	,,	अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को मनोरंजन की सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
13. 495	श्री प० गोपालन :		दक्षिण रेलवे में त्रिचुरा स्थान पर विश्राम-ग्रहों के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपये
13. 496	श्री क० मि० 'मधुकर" :		जंकशन स्टेशनों के अलावा अन्य स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बस्तियों से गन्दगी दूर करने में असफलता ।	,,
13. 497	,,	,,	छोटे स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये सांस्कृतिक काम के लिये साधन उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
13. 498	,,	,,	कम-वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये खेलकूद की तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
13. 499	श्री चन्द्र शेखर सिंह :		जहानाबाद में रेलवे कर्मचारियों के लिये शीघ्र एक अस्पताल बनाने की आवश्यकता ।	,,
13. 500	,,	,,	जहानाबाद में रेलवे कर्मचारियों को तुरंत क्वार्टर दिलाने की आवश्यकता ।	,,
13. 501	,,	,,	मुथेर के निकट एक रेलवे फाटक बनाने तथा वहां एक चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता ।	,,
13. 502	,,	,,	जहानाबाद स्टेशन के नजदीक क्रासिंग न० 1 की मरम्मत करने तथा वहां एक चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता ।	,,
13. 503	,,	,,	जहानाबाद स्टेशन पर पानी ठंडा करने की 4-5 मशीनों की व्यवस्था करने तथा वहां पर पानी की टंकी को बदलने की आवश्यकता ।	,,
13. 504	,,	,,	जहानाबाद कोट स्टेशन पर पानी ठंडा करने की एक मशीन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
13. 505	,,	,,	जहानाबाद स्टेशन पर पहली और दूसरी श्रेणियों के यात्रियों के लिए एक नया प्रतिक्षालय बनाने की आवश्यकता ।	

1 2	3	4	5
13. 506	श्री चन्द्र शेखर सिंह :	मखदूमपुर स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13. 507	,, ,,	वारसलीगंज स्टेशन पर पहली और दूसरी श्रेणियों के यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता ।	,,
13. 508	,, ,,	वारसलीगंज स्टेशन के निकट रेलवे विभाग की भूमि पर एक रेलवे फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
13. 509	,, ,,	जहानाबाद स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
13. 510	,, ,,	जहानाबाद स्टेशन पर पुरुषों तथा महिलाओं के लिये अलग-अलग स्नानगृह तथा शौचालय खोलने की आवश्यकता ।	,,
13. 511	,, ,,	जहानाबाद स्टेशन के प्लेटफार्मों पर शेड बनाने की आवश्यकता ।	
13. 512	,, ,,	मखदूमपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर शेड बनाने की आवश्यकता ।	,,
13. 513	,, ,,	तेहटा स्टेशन के प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिये शेड बनाने की आवश्कता ।	,,
13. 514	,, ,,	वारसलीगंज स्टेशन के प्लेटफार्मों पर शेड बनाने की आवश्यकता ।	,,
14. 516	श्री के० एम० अब्राह्म :	बम्बई और एर्णाकुलम को मिलाने वाली तटीय रेलवे लाइन को चौथी योजना में शामिल करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
14. 519	श्री स० कुण्डू :	पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक लाइनों का निर्माण करने में असफलता ।	,,
14. 520	,, ,,	तलचेर-निमलगढ़ रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	,,
14. 521		रुप्सा-बांजिरिपोषि छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर जमशेदपुर से आने वाली बड़ी लाइन से मिलाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
14.	522	श्री स० कुन्दू :	दक्षिण-पूर्व रेलवे के बालासोर स्टेशन पर विश्रामगृह की सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
14.	523	,, ,,	जालेश्वर स्टेशन पर महिलाओं और पुरुषों के लिये दूसरी श्रेणी के विश्रामगृहों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
14.	534	श्री पी० विश्वम्भरन :	त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी–तिनानवेल्लि लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14.	535	श्री पी० पी० एस्थोस :	दक्षिण रेलवे में कोठामगलम और मुन्नार होते हुए एर्णाकुलम् से मुदुरै तक एक नई रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	,,
14.	536	,, ,,	दक्षिण रेलवे में अलेप्पी होते हुए एर्णाकुलम और कायनकुलम के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	,,
14.	537	,, ,,	दक्षिण रेलवे में एर्णाकुलम् से त्रिवेन्द्रम तक वर्तमान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता ।	
14.	538	,, ,,	दक्षिण रेलवे में एर्णाकुलम और मद्रास के बीच लाइन को दोहरा करने के कोम को पूरा करने में असफलता ।	,,
14.	540	श्री क० मि० 'मधुकर'	पूर्वोत्तर रेलवे में केवल एक भी नई लाइन का निर्माण करने में असफलता ।	,,
14.	541	,, ,,	पूर्वोत्तर रेलवे के हाजीपुर स्टेशन से भेंसालोटन तक बरास्ता, लालगज, साहबगंज तथा केसरिया एक शाखा लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14.	542	,, ,,	पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर से नरकटियागंज तक पुनः सीधा सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
14.	543	,, ,,	समस्तीपुर से नरकटियागंज, पूर्वोत्तर रेलवे तक बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
14. 544	श्री क० गि० "मधुकर" :		पूर्वोत्तर रेलवे में सीतामढ़ी से मेहसी तक रेलवे लाइन बनाने के लिये होने वाले लाभ अथवा हानि का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14. 545	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर से रक्सौल तक समारिक महत्व की बड़ी लाइन तत्काल बनाने की आवश्यकता ।	,,
14. 546	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में छपरा जंकशन से मोतिहारी तक सीधी रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14. 547	,,	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर-नरकटिया-गंज के मोतीपुर तथा कांटी स्टेशनों के बीच नारयार ग्राम में हाल्ट बनाने की आवश्यकता ।	,,
14. 548	श्री चन्द्रशेखर सिंह :		गया जंकशन को बरास्ता शेरघाटी बोकारों स्टील प्लांट से मिलने की आवश्यकता ।	,,
14. 549	,,	,,	डेहरी-आन-सोन की बरास्ता नशरीगंज तथा नारायणपुर आरा जंकशन से मिलाने की आवश्यकता ।	,,
14. 550	,,	,,	पटना जंकशन तथा गया के बीच दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14. 551	,,	,,	गया जंकशन के दक्षिण की ओर रेलवे फाटक के निकट ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
14. 552	,,	,,	पटना तथा गया के बीच मुथेर ग्राम के निकट रेलवे फाटक बनाने की आवश्यकता ।	,,
14. 553	,,	,,	टेहरा स्टेशन के निकट रेलवे फाटक को हटाने की आवश्यकता क्योंकि पहले ही नजदीक में एक रेलवे फाटक है ।	,,
14. 554	,,	,,	बखदी से बरुन लाइन को बढ़ाकर बरुन को बरास्ता दौदनगर, अरवल तथा	,,

1	2	3	4	5
			पालिगज विसराम बिहटा से मिलाने की आवश्यकता ।	
14.	555	श्री चन्द्र शेखर सिंह :	बिहार शरीफ, बन्धुगज तथा जहानाबाद को जकशन बनाकर नई लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14.	556	,, ,,	गया जकशन से दौदनगर तक बरास्ता टेकरी शहर, गोह, देवहारा, नई लाइन बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
14.	557	,, ,,	राजगृह को बेलागंज से, बरास्ता कुर्था तथा मरपी, मिलाने की आवश्यकता ।	,,
14.	558	,, ,,	रफीगंज को बिहटा से, बरास्ता टेकरी शहर, कुर्था अतुला तथा पालीगंज, मिलाने की आवश्यकता ।	,,
14.	559	,, ,,	राजगृह को कौचकौल शहर से, बरास्ता नवदा, मिलाने की आवश्यकता ।	,,
15.	561	श्री पी० पी० एस्थोस :	भारतीय रेलों में तीसरे दर्जे के यात्रियों को पर्याप्त सुविधा देने की उपेक्षा ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
15.	563	श्री प० गोपालन :	दक्षिण रेलवे के इरिंजालाकुडा स्थान पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
15.	564	,, ,,	दक्षिण रेलवे में मदुकौरै तथा कांझिकोडे के बीच दोहरी रेलवे लाइन के लिये पर्याप्त राशि देने में असफलता ।	,, 100 रुपये
15.	565	,, ,,	आलवे तथा एरणाकुलम के बीच लाइनें दोहरी करने के लिए पर्याप्त राशि देने में असफलता ।	,,
15.	566		मोराप्पुर और दासम्पट्टी के बीच दोहरी लाइन के लिये पर्याप्त राशि देने में असफलता ।	,,
15.	567	श्री के० रमानी ।	कोयम्बतूर जंकशन पर काम करने वाले मेहतरों के लिये मकान बनाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
15. 568	श्री के० रमानी :		कोयम्बतूर शहर के अवनाशि रोड रेलवे फाटक पर ऊारी पुल बनाने में असफलता ।	100 रुपये
15. 569	,,	,,	उत्तरी कोयम्बतूर रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
15. 570	,,	,,	कोयम्बतूर जिले में सोमानुर तथा वजीपालयम के बीच रेलवे फाटक को अधिक चौड़ा बनाने में, ताकि वहां से बसें भी गुजर सकें, असफलता ।	,,
15. 571	,,	,,	दक्षिण रेलवे के तिरुप्पुर स्टेशन पर भी केरल एक्सप्रेस रोकने की आवश्यकता ।	,,
15. 572	,,	,,	कोयम्बतूर जंकशन में तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में पीने के पानी की सुविधाओं के साथ पर्याप्त स्थान उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	,,
15. 573	,,	,,	रेलवे जलपान गृहों में खाद्य पदार्थों के मूल्य कम करने में असफलता ।	,,
15. 574	,,	,,	रेलवे जलपान गृहों में यात्रियों को अधिक भोजन उपलब्ध कराने तथा इस भोजन की किस्म में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
15. 575	,,	,,	ठेकेदारों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक मूल्यों पर खाद्य पदार्थ बेचा जाना रोकने में असफलता ।	,,
15. 576	,,	,,	दक्षिण रेलवे में कोयम्बतूर के निकट सलूर में पक्का रेलवे स्टेशन जिसमें पीने के पानी तथा शौचालय की व्यवस्था भी हो, बनाने में असफलता ।	,,
15. 577	श्री पी० पी० एस्थोस :		दक्षिण रेलवे में एर्णाकुलम स्टेशन पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए शौचालय बनाने की आवश्यकता ।	,,
15. 586	श्री क० मि० "मधुकर"		पूर्वोत्तर रेलवे के मुजफ्फरपुर जंकशन के पश्चिम में मधिपुर मुहल्ले में ऊारी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
15.	587	श्री क० मि० "मधुकर" :	पूर्वोत्तर रेलवे में चकिया स्टेशन के निकट रेलवे लाइन पर एक पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1.	588	श्री लो० बो० प्रभु :	स्वच्छ, नियमित और कम भीड़ भाड़ वाली रेलों के सम्बन्ध में जन हित की ओर ध्यान न देना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1.	589	श्री राम सिंह अयरवाल :	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने और एक रेलवे निगम स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
2.	599	श्री लोबो प्रभु :	क्रेनों, रेल के इंजनों के पुर्जों के अधिक निर्माण, बाक्स बैगनों के लिए विशेष फिटिंग पर बेकार का व्यय ।	,,
4.	605	श्री स० कुन्दू ।	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन तथा उससे सम्बद्ध संघों की मान्यता बहाल करने में असफलता ।	,,
4.	606	,, ,,	केवल रेल कर्मचारियों के लिए एक अलग मजदूरी बोर्ड नियुक्त करने में असफलता ।	,,
4.	607	,, ,,	रेल कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने और 30 रुपये की तुरन्त अन्तरिम सहायता देने में असफलता ।	,,
4.	608	,, ,,	नैमित्तिक तथा ठेका श्रमिक प्रथा को समाप्त करने में असफलता ।	,,
4.	609	,, ,,	"स्वचल" के सभी साधनों को वापस लेने में असफलता ।	,,
4.	610	,, ,,	रेलवे कर्मचारियों को पूरे मजदूर संघीय अधिकार देने और हड़ताल के शिकार हुए कर्मचारियों को बहाल करने तथा जहां कहीं भी उनकी सेवा में व्यवधान आया है उसे क्षमा करने में असफलता ।	,,
4.	611	,, ,,	"1949 के शिल्पी वर्गीकरण पंचाट" का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में चतुर्थ	,,

1	2	3	4	5
			श्रेणी के कर्मचारियों के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त करने में असफलता ।	
4.612	श्री स० कून्दू :		सचालन कर्मचारियों के सम्बन्ध में काम पर उपस्थित होने से काम समाप्त करके जाने तक की वर्तमाग 14 घंटों की सीमा के मुकाबले 8 घण्टे की ड्यूटी लागू करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
4.613	,,	,,	तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की तरह चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद पास देने में असफलता ।	,,
4.614.	,,	,,	स्थायी वार्ता मशीनरी व्यवस्था के अनुसार उन सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में जिन पर अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ और रेलवे बोर्ड के बीच, स्थायी वार्ता मशीनरी के कार्यवाही सारांशों में असहमति रिकार्ड की गयी है न्यायाधीकरण की तत्काल नियुक्ति में असफलता ।	,,
4.615	,,	,,	सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता देने में असफलता ।	,,
4.616	,,	,,	"नियोजन विनियमों के अनुसार ड्यूटी घण्टे" में, बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के सम्बन्ध में उसका पुनर्परीक्षण करने तथा उसमें सुधार करने के लिए सिफारिश करने हेतु एक संयुक्त समिति नियुक्त करने में असफलता ।	
4 617	,,	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के, 19 सितम्बर 1968 की हड़ताल के परिणाम स्वरूप मुअतिल उन कर्मचारियों को, जिन पर हड़ताल में केवल भाग लेने का आरोप लगाया गया था, बहाल करने में असफलता ।	,,
5.622	श्री लोबो प्रभु :		रेल के डिब्बों के स्टाक और बिजली सेवा के अन्तर्गत कर्मचारियों में वृद्धि ।	,,
5.623	श्री स० कून्दू :		राउरकेला से पुरी तक एक तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे की व्यवस्था की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
5. 624	श्री स० कून्दू :		बालासोर स्टेशन पर एक तीसरे दर्जे के प्रतीक्षागृह की व्यवस्था करना तथा वर्तमान पहले तथा दूसरे दर्जे के प्रतीक्षा-गृहों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5. 625	,,	,,	बालासोर और जालेश्वर स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षागृहों का विस्तार करने और उन पर छत डालने की आव-श्यकता ।	,,
5. 626	,,	,,	कटक रेलवे स्टेशन के अनाउन्सरों को अतिरिक्त भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
5. 627	,,	,,	खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के लिए बनाये गये मकानों के, जिन पर रेल कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, किराये में होने वाली हानि के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
5. 628	,,	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के बस्ता और रुपसा स्टेशनों के बीच नवगांव में एक पैसेन्जर हाल्ट की व्यवस्था करने की आव-श्यकता ।	,,
5. 629	,,	,,	जालेश्वर स्टेशन पर दूसरे दर्जे के प्रतिक्षा-गृह की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
7. 645	श्री लोबो प्रभु :		डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण पर अधिक व्यय ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
8. 646	,,	,,	खोये गये और क्षतिग्रस्त माल के संबंध में देय क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि ।	,,
9. 647	,,	,,	दुर्घटनाओं के सम्बन्ध मे क्षतिपूर्ति ।	,,
9. 648	,,	,,	विभागीय भोजन-व्यवस्था सम्बन्धी व्यय में वृद्धि ।	,,
10. 649	,,	,,	कल्याण कार्यों सम्बन्धी व्यय में वृद्धि ।	,,

1	2	3	4	5
14. 668	श्री लोबो प्रभु :		नई लाइनों का निर्माण और अधिक खर्चीली होने के कारण मौजूदा लाइनों को बन्द करना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
14. 669	श्री रामसिंह अयरवाल :		बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की दृष्टि से नरसिंहपुर–छत्तरपुर-पन्ना-रीवा लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14. 670	,,	,,	जबलपुर-दमोह-हाटा-पन्ना-रीवा-सतना नई रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
15. 688	श्री लोबो प्रभु :		रेल के डिब्बों के स्टाक और सामग्री की अनुचित खरीद के लिए अधिक व्यवस्था ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1. 700	श्री नम्बियार :		सामान के भाड़े में हाल ही में की गई वृद्धि ।	100 रुपये
1. 701	,,	,,	रेलवे की वास्तविक प्रदत्त पूंजी और कितनी पूंजी अधिक लगाई गई है इसका पता लगाने के लिए "कैपिटल-एट-चार्ज" का पुन: आवंटन करने की आवश्यकता ।	,,
1 702	,,	,,	बोर्ड से उसकी नीति–निर्धारण करने की शक्ति वापस ले कर उसे माननीय मन्त्री का एक 'सलाहकार निकाय' बनाने की आवश्यकता ।	,,
1. 703	,,	,,	19 सितम्बर को हुई सांकेतिक हड़ताल के पश्चात् कर्मचारियों के उत्पीड़न को समाप्त करने में रेलवे बोर्ड की असफलता ।	,,
1. 704	,,	,,	4 फरवरी, 1969 को तामिलनाडु के स्वर्गीय मुख्य मन्त्री श्री सी० एन० अन्नादुरै की शव–यात्रा में भाग लेने के लिए रेलगाड़ी में जा रहे यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करने में दक्षिण रेलवे प्रशासन और विशेषकर तिरुचिरापल्लि के प्रभागीय अधीक्षक की असफलता जिसके परिणामस्वरूप 36 यात्रियों की मृत्यु हुई ।	,,

1	2	3	4	5
1. 705	श्री नम्बियार :		तामिलनाडु के स्वर्गीय मुख्य मन्त्री की शव-यात्रा के अवसर पर अतिरिक्त रेल-गाड़ियों की व्यवस्था करने में असफलता जिसके कारण 4-2-1969 को दक्षिण रेलवे में यातायात बुरी तरह से रुक गया ।	100 रुपये
1. 706	,,	,,	वांचू समिति की सिफारिशों के पश्चात् भी प्रत्येक फायरमैन, ड्राइवर और दूसरे रनिंग स्टाफ' के लिए प्रतिदिन कार्य के 12 घंटे लागू करने में असफलता ।	,,
1. 707	,,	,,	जुलाई, 1968 में दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलवे में जिन फायरमैनों ने विरोध प्रदर्शित करने की कार्यवाही में भाग लिया उनको लगातार तंग तथा उत्पीड़ित करते जाना ।	,,
1. 708	,,	,,	जुलाई, 1968 में दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलवे में जिन फायरमैनों ने छुट्टी के लिए आवेदन-पत्र दिये थे, उनकी छुट्टी मंजूर करने में असफलता ।	,,
1. 709	,,	,,	रेलवे में आवश्यक परिचालन कर्मचारियों, जैसे कि स्टेशन-मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, क्लर्क आदि, की व्यवस्था करने में असफलता और उस सम्बन्ध में वांचू समिति के प्रतिवेदन को लागू न करना ।	,,
4. 710	,,	,,	जिन कर्मचारियों के विरुद्ध 19 सितम्बर की हड़ताल के बाद न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है, उनका निरन्तर उत्पीड़न करते रहने की कार्य-वाही द्वारा दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदर्शित घोर अनादर ।	,,
4. 711	,,	,,	दक्षिण रेलवे में कर्मचारियों का उत्पीड़न, अर्थात् 19 सितम्बर, 1968 को हुई सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के बहाने से तिरुचिरापल्लि में 137 नैमित्तिक	,,

1	2	3	4	5
			श्रमिकों को और 104 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से हटाना और सभी कर्मचारी संघों से सम्बन्धित 120 कर्मचारियों को मुअत्तिल किये रखना ।	
4. 712	श्री नम्बियार :		12 घटे के कार्यकाल की मांग करते हुए जुलाई, 1968 में किए गए आन्दोलन में भाग लेने के लिए दक्षिण रेलवे में 5 फायरमैनों को नौकरी से हटाना ।	100 रुपये
4. 713	,,	,,	तिरूचिरापल्ली के प्रभागीय अधीक्षक के समक्ष 400 कर्मचारियों की याचिका प्रस्तुत करने के लिए दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों का उत्पीड़न–अधीक्षक ने पहले तो याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया था परन्तु बाद में संघ के सदस्यों पर चार्ज-शीट लगा दी ।	,,
4. 714	,,	,,	तिरूचिरापल्लि, मदुरै और ओलावाक्कोट के प्रभागीय अधीक्षकों के उत्पीड़क व्यवहार के कारण दक्षिण रेलवे के श्रमिकों में इस समय व्याप्त गम्भीर असन्तोष ।	,,
4. 715	,,	,,	गोल्डन राक (दक्षिण रेलवे) के कर्मचारी संघों के 14 नेताओं के लिए जारी किये गए मुअत्तिली के आदेशों को रद्द करने में अनुचित विलम्ब, जबकि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई ठोस अपराध प्रमाणित नहीं किया जा सका ।	,,
6. 719	श्री रामावतार शास्त्री :		आल इंडिया मिनिस्टीरियल स्टाफ ऐसोसिएशन की दानापुर शाखा की चार सूत्री मांगों को तत्काल पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
6. 720	,,		पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के कार्यालय कर्मचारी वर्ग की मांगों के सम्बन्ध में भेजे गये ज्ञापन को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
6	721	श्री रामावतार शास्त्री :	पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन के साबरमती लोकोशैड के कर्मचारियों के लिए बनी कैन्टीन को ठेकेदार मे लेने और उसके नियन्त्रण को कर्मचारियों को सौंपने में असफलता ।	100 रुपये
6.	722	,, ,,	पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन के साबरमती लोकोशैड में जो ठेकेदार कैन्टीन चला रहा है, उससे किराये के 60,000 रुपये वसूल करने में असफलता ।	,,
6.	723	,, ,,	19 दिसम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण दानापुर डिवीजन के अन्तगत आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों को वापस लेने में असफलता ।	,,
6.	724	,, ,,	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्तर-पूर्व रेलवे के जो कर्मचारी पदच्युत, मुअत्तिल अथवा सेवा–मुक्त कर दिए गए हैं उन्हें बहाल करने में असफलता ।	,,
14.	725	श्री जगेश्वर यादव :	केन्द्रीय रेलवे में ललितपुर को बड़गढ़ स्टेशन से, बरास्ता खुजराहो हवाई अड्डा, अजयगढ़, नरायनी, अट्टार, बाबेरू कमसिन और राजपुर, मिलाने में असफलता ।	,,
14.	726	,, ,,	केन्द्रीय रेलवे के बांदा जंक्शन पर एक उपरि-पुल और एक आइलैंड प्लेटफार्म बनाने और पहले मंजूर किये जा चुके 2. 49 लाख रुपये की राशि का उपयोग करने और आरम्भ किए गए कार्य को पूरा करने में असफलता ।	,,
14.	727	,, ,,	बांदा जंक्शन पर एक उपरि-पुल और एक आइलैंड प्लेटफार्म के निर्माण कार्य को बन्द करने का आदेश देने के लिए केन्द्रीय रेलवे के महाप्रबन्धक के जन-विरोधी व्यवहार की निन्दा करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 730	श्री ओम प्रकाश त्यागी :		तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
1. 731	,,	,,	तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के प्रति दिखाई जाने वाली उपेक्षा ।	,,
1. 732	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ हिन्दी को भी माध्यम बनाने में असफलता ।	,,
1. 733	,,	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1. 734	,,	,,	सभी रेलवे कर्मचारियों को सरकारी मकान अलाट करने में असफलता ।	,,
1. 735	श्री मीठा लाल मीना		गंगापुर सिटी स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर प्लेटफार्म पर शेड बनाने की आवश्यकता ।	,,
1. 736	,,	,,	सवाई माधोपुर जंकशन से शहर को जाने वाली सड़क पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
1. 737	,,	,,	सवाई माधोपुर शहर में एक टिकट-घर खोलने की आवश्यकता ।	,,
1. 738	,,	,,	गंगापुर शहर में स्कूल का एक भवन शीघ्र बनाने की आवश्यकता ।	,,
1. 739	,,	,,	गंगापुर नगर में सैकन्डरी रेलवे स्कूल को शीघ्र हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की आवश्यकता ।	,,
1. 740	,,	,,	गंगापुर नगर में एक रेलवे डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता ।	,,
1. 741	,,	,,	धौलपुर–गंगापुर डगर, बरास्ता करौली, रेलवे लाइन पर शीघ्र कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
1. 742	,,	,,	सवाई माधोपुर–जयपुर मीटर गेज लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता ।	,,

1 2	3	4	5
1. 743	श्री मीठा लाल मीना :	गंगापुर नगर को डौसा स्टेशन से बरास्ता बामनवास और लालसोट, मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1. 744	,, ,,	सवाई माधोपुर से शिवपुरी तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1. 745	,, ,,	सवाई माधोपुर को डौसा से, बरास्ता लालसोट, मिलाने की आवश्यकता ।	,,
1. 746	,, ,,	गंगापुर को जयपुर से, बरास्ता बामनवास, लालसोट, रामगढ़ और कोट खावडा, मिलाने की आवश्यकता ।	,,
4. 747	श्री ओम प्रकाश त्यागी :	रेलवे दुर्घटनायें रोकने में असफलता ।	,,
4. 748	,, ,,	रेलगाड़ी के डिब्बों में गन्दगी और प्रायः बिजली का फेल हो जाना ।	,,
4. 749	,, ,,	स्टोर विभाग में चोरियां रोकने में असफलता ।	,,
4. 750	,, ,,	यात्रियों की रक्षा करने में असफलता ।	,,
4. 751	,, ,,	गाड़ियां चलाने में हो रही अनियमितता को रोकने में असफलता ।	,,
4. 752	,, ,,	रेलवे विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त करने में असफलता ।	,,
4. 753	,, ,,	बिना–टिकट यात्रा को रोकने में असफलता ।	,,
8. 754		माल यातायात में कुप्रबन्ध ।	,,
9 755	,, ,	भोजन विभाग द्वारा बहुत ही खराब भोजन दिया जाना ।	,,
9. 756	,, ,,	भोजन विभाग को लाभ पर चलाने में असफलता ।	,,
14. 757	,, ,,	गजरौला (उत्तर रेलवे) से सम्भल–चन्दौसी तक रेल लाइनों का निर्माण करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
14.	758	श्री ओम प्रकाश त्यागी :	एक नई रेल लाइन अर्थात् बुलन्दशहर-अनूपशहर-राजघाट (उत्तर रेलवे) के निर्माण में असफलता ।	100 रुपये
14.	759	,, ,,	कन्या कुमारी जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान तक एक नयी रेल लाइन के निर्माण में असफलता ।	,,
15.	760	,, ,,	मुरादाबाद-चन्दौसी सड़क पर रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल के निर्माण में असफलता ।	,,
1.	770	श्री कंवर लाल गुप्त :	दिल्ली में रेलवे बस्तियों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1.	771	,, ,,	दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे मार्ग और भूमिगत रेलवे मार्ग की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1.	772	,, ,,	दिल्ली में, विशेषकर शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पर, अधिक हाल्टिक स्टेशनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1.	773	,, ,,	दिल्ली के स्टेशनों पर और अधिक प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1.	774	,, ,,	दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का अभाव ।	,,
1.	775	,, ,,	रेलवे फाटकों पर, विशेषकर शक्तिनगर और सराय रोहिल्ला के निकट, उपरिपुलों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1.	776	,, ,,	दिल्ली से बिजली की रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	,,
1.	777	,, ,,	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये और रेलवे क्वार्टरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1.	778	,, ,,	सम्पत्ति की चोरी और खो जाने को रोकने और माल को क्षति से बचाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 779	श्री कंवर लाल गुप्त :		रेलवे कर्मचारियों के विभाग के साथ विवाद को हल करने के लिये एक स्थायी तन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रु ये
1. 788	श्रीमती सुशीला गोपालन :		एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या का उत्पीड़न ।	,,
1. 789	,,	,,	एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी संघों की मान्यता को रद्द किया जाना ।	,,
1. 816	श्री किरुतिनन :		दक्षिण रेलवे में रामेश्वरम के लिये अधिक गाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
1. 817	,,	,,	19 सितम्बर, 1968 की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुनः काम पर न लगाना ।	,,
1. 818	,,	,,	दक्षिण रेलवे में शिवगगा आर्टस कालेज के निकट एक फ्लैग स्टेशन/हाल्ट न बनाना ।	,,
1. 819	,,	,,	दक्षिण रेलवे में नई गाड़ियां न चलाना ।	,,
1. 820	,,	,,	दक्षिण रेलवे में कथित अलाभदायक लाइनें बन्द करने का निर्णय रद्द न करना ।	,,
1. 821	,,	,,	रेलवे विभाग में सभी संगठित श्रमिक संघों को मान्यता न देना ।	,,
1. 822	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों को एक महासंघ न बनाना ।	,,
1. 823	,,	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधायें न देना ।	,,
1. 824	,,	,,	दक्षिण रेलवे में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या घटा कर की गई मितव्ययता ।	,,
1. 825	,,	,,	रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ की मांगों पर विचार न करना ।	,,

1	2	3	4	5
1. 826	श्री किरुष्णिनन :		रेलवे एस० ए० एस० कर्मचारियों की मांगों पर विचार न करना ।	100 रुपये
1. 827	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने में असफलता ।	,,
1. 828	,,	,,	जुलाई, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले दक्षिण रेलवे के फायरमैनों के विरुद्ध मामलों को वापस लेने में असफलता ।	,,
1. 829	,,	,,	दक्षिण रेलवे के तिरुचिरापल्ली डिविजन में फायरमैनों के सताये जाने को रोकने तथा हस्तक्षेप करने में रेलवे बोर्ड की असफलता ।	,,
1. 830	,,	,,	दक्षिण रेलवे के फायरमैनों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में असफलता ।	,,
1. 831	,,	,,	रेलवे विभाग में फायरमैनों की शिकायतों को दूर करने में बोर्ड की असफलता ।	,,
1. 832	,,	,,	दक्षिण रेलवे में विशेषकर छंटाई सेक्शन 143 और 144 में पर्याप्त डाक डिब्बों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
2. 843	,,	,,	दक्षिण रेलवे में अरनयनाई-सिरुवायल स्टेशनों पर भवन बनाने की आवश्यकता ।	,,
2. 844	,,	,,	करूर-डिन्डीगुल-मदुरै-और-तूतीकोरिन लाइन को नई बड़ी लाइन बनाने के लिये जांच तथा सर्वेक्षण करने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
2. 845	,,	,,	आरनकांकी और ठांडी और ठांडी और मनामदुरै के बीच रेलवे लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
2. 846	,,	,,	मदुरै और कराईकुडी के बीच रेलवे लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
5	891	श्रीमती सुशीला गोपालन :	कोचीन और बम्बई के बीच एक सीधी रेल सेवा चालू करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
5.	892	,, ,,	मंगलौर और बम्बई के बीच एक सीधी रेल सेवा चालू करने में सरकार की असफलता ।	,,
5.	902	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे में मनमादुरै-विरुधु नगर लाइन पर मनमादुरै के निकट ऊपरी पुल शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
5.	903	,, ,,	विरुधु नगर से तुनिकोरिन, तिरुन्मलवेलि और त्रिवेन्द्रम् की लाइन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
9.	904	श्रीमती सुशीला गोपालन :	क्विलोन रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान के समय की घोषणा करने की सुविधा की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
9.	905	,, ,,	मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन पर तीसरी श्रेणी की महिला यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षा-गृह बनाने में सरकार की असफलता ।	,,
9.	906	,, ,,	क्विलोन जिले में पारावूर रेलवे स्टेशन पर एक ऊंचे प्लेटफार्म का निर्माण करने में सरकार की असफलता ।	,,
14.	907	श्रीमती सुशीला गोपालन :	एरणाकुलम से क्विलोन तक, बरास्ता अलप्पी, एक नई रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	,,
14.	908	,, ,,	तेल्लिचेरी-मैसूर रेलवे लाइन का निर्माण करने में सरकार की असफलता ।	,,
14.	909	,, ,,	एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम् रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में सरकार की असफलता ।	,,
14.	910	,, ,,	शोरनूर-कोयम्बतूर रेलवे लाइन पर दुहरा रेल मार्ग बनाने में सरकार की असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
4.	949	श्री किरुतिनन :	दक्षिण रेलवे के मदुरै और त्रिची डिवीजनों में 60 वाणिज्यिक क्लर्कों को कम करने के निर्णय को वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9.	950	,, ,,	दक्षिण रेलवे में तिरुप्पुवनम और तिरुप्पाचेरी के बीच पप्पन-कुलम गांव के निकट बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
10.	951	,, ,,	दक्षिण रेलवे में मनमदुरै में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
10.	952	,, ,,	दक्षिण रेलवे में मनमदुरै में महिला डाक्टर की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
10.	953	,, ,,	राज्यों में निशुल्क शिक्षा० की नीति का अनुसरण करते हुये रेलवे स्कूलों में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल की फीस की प्रतिपूर्ति करने और स्कूल फीस वसूल न करने की आवश्यकता ।	,,
10.	954	,, ,,	दक्षिण रेलवे में मदुरै में रेलवे के मिश्रित स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं और कक्षाओं के लिये अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
10.	955	,, ,,	कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये कला विद्यालय (आर्ट्स कालेज) खोलने की आवश्यकता ।	,,
1.	956	श्री सूरज भान :	कालका रेलवे वर्कशाप (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों की संख्या में कटौती ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
1.	957	,, ,,	कालका रेलवे वर्कशाप (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों के बिना सोचे समझे किये गये स्थानान्तरण ।	,,

1	2	3	4	5
1.958	श्री सूरज भान :		अंबाला छावनी और दुखेरी (उत्तर रेलवे) के बीच चौनाला पर पुल को चौड़ा करने में असफलता ।	100 रुपये
1.959	,,	,,	रेलवे स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने में असफलता ।	,,
1.960	,,	,,	रेलवे में भर्ती और पदोन्नति करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों को सरक्षण देने सम्बन्धी हिदायतों का पालन न करना ।	,,
1.961	,,	,,	उत्तर रेलवे के उन कर्मचारियों को, जिन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है, पुनः सेवा में न रखना ।	,,
1.962	,,	,,	उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता न देना ।	,,
1.963	,,	,,	मध्य रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता न देना ।	,,
1.964	,,	,,	लालडु रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर बिजली न लगाना ।	,,
1.965	,,	,,	अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर (उत्तर रेलवे) के बीच एक स्टेशन न बनाना ।	,,
1.966	,,	,,	अम्बाला छावनी रेलवे कालोनी के निकट कर्मचारियों की कच्ची झुग्गियों में जल और बिजली जैसी अत्यावश्यक आवश्यकताओं की व्यवस्था न करना ।	,,
1.967	,,	,,	जगाधरी रेलवे वर्कशाप (उत्तर रेलवे) में विभिन्न विभागों में सफाई की स्थिति न सुधारना ।	,,
1.968	,,	,,	जगाधरी रेलवे वर्कशाप (उत्तर रेलवे) के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को क्वार्टर न देना ।	,,

1	2	3	4	5
1. 969	श्री सूरज भान :		जगाधरी रेलवे वर्कशाप (उत्तर रेलवे) में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सम्बन्ध न सुधारना ।	100 रुपये
1. 970	,,	,,	अम्बाला शहर और सहारनपुर (उत्तर रेलवे) के बीच प्रातः और सांयकाल यात्रियों की भारी संख्या को ले जाने के लिये एक नई यात्री गाड़ी न चलाना ।	,,
1. 971	,,	,,	अम्बाला और सहारनपुर (उत्तर रेलवे) के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों में और डिब्बे न जोड़ना ।	,,
1. 972	,,	,,	सरस्वती चीनी मिल, यमुना नगर (जगाधरी) के निकट रेल मार्ग पर एक ऊपरी पुल न बनाना ।	,,
1. 973	,,	,,	मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर एक ऊपरी पुल न बनाना ।	,,
1. 974	,,	,,	कलानौर स्टेशन (उत्तर रेलवे) और वहां के रेलवे क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था न करना ।	,,
1. 975	,,	,,	जगाधरी (उत्तर रेलवे) में माल गोदामों की दशा सुधारने में असफलता ।	,,
1. 976	,,	,,	कालका (उत्तर रेलवे) की रेलवे कालोनी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अत्यन्त अस्वास्थ्यप्रद क्वार्टर तोड़ कर वहां नये क्वार्टर बनाने में असफलता ।	,,
1. 977	,,	,,	कालका (उत्तर रेलवे) की रेलवे कालोनी में सड़कें बनाने में असफलता ।	,,
1. 978	,,	,,	जगाधरी रेलवे वर्कशाप (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतें, जिनकी संख्या बढ़ रही है और जो अधिकतर इन कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों से सम्बन्धित हैं, दूर करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 979	श्री सूरज भान :		19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में जिन रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, अथवा मुअत्तल किया गया था, उन्हें सेवा में वापिस लेने में असफलता ।	100 रुपये
1. 980	,,	,,	सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में उन कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापस लेने में असफलता, जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया था ।	,,
1. 981	श्री यशपाल सिंह :		रेलवे कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने में विलम्ब ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
1. 982	,,	,,	राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सैलूनों का प्रयोग ।	,,
1. 983	,,	,,	रेलवे बोर्ड पर अत्यधिक व्यय ।	,,
1. 984	,,	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1. 985	,,	,,	रेलवे प्रशासन में बढ़े हुये खर्च को देखते हुये उच्च अधिकारियों के वेतनों को कम करने में असफलता ।	,,
1. 986	,,	,,	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हडताल में भाग लेने के लिये रेलवे कर्मचारियों का उत्पीड़न ।	,,
1. 987	,,	,,	तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	,,
1. 988	,,	,,	रेलवे में मितव्ययता आन्दोलन ।	,,
1. 989	,,	,,	रेलवे बोर्ड पर फिजूलखर्ची ।	,,
1. 990	,,	,,	जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति ध्यान देने में असफलता ।	,,

1	3	4	5
1. 991	श्री यशपाल सिंह :	रेलवे बोर्ड के साधारण कर्मचारियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1. 992	,, ,,	प्रशासन पर बहुत भारी व्यय ।	,,
1. 993	,, ,,	दुर्घटनायें रोकने के लिये कारगर कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
1. 994	,, ,,	तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालयों की हालत को सुधारने में असफलता ।	,,
1. 995	,, ,,	रेलवे स्टेशनों पर और डाइनिंग कारों में असन्तोषजनक भोजन व्यवस्था ।	,,
1. 996	,, ,,	नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर लगाना ।	,,
1. 997	श्री शिवचन्द्र झा :	बड़ी लाइन के समस्तीपुर से नरकटियागंज तक, बरास्ता दरभंगा विस्तार के कार्य को शीघ्र पूरा करने में असफलता ।	,,
1. 998	,, ,,	निर्मली और तरविलिया स्टेशनों को रेल सड़कों से जोड़ने में असफलता ।	,,
1. 999	,, ,,	दरभंगा–जयनगर लाइन पर एक और रेलगाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
1. 1000	,, ,,	सायंकालीन रेलगाड़ी में जयनगर–पालेजाघाट डिब्बे को फिर से चलाने की आवश्यकता ।	,,
1. 1001	,, ,,	सकरी स्टेशन पर टीन की छत को बढ़ाने में असफलता ।	,,
1. 1002	,, ,,	सकरी स्टेशन पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की दशा सुधारने में असफलता ।	
1. 1003	,, ,,	मधुबनी में उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में पानी का नल लगाने में असफलता ।	,,
1. 1004	,, ,,	उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिये घोघरडीह स्टेशन पर श्रेणी प्रतीक्षालय का निर्माण करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 1005	श्री शिवचन्द्र झा :		झझरपुर और घोघरडीह स्टेशनों के बीच फिरोजगढ़ और दोप स्थानों पर हाल्ट बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1. 1006	,,	,,	तमुरिया और घोघरडीह स्टेशनों पर बिजली लगाने में असफलता ।	,,
1. 1007	,,	,,	आसाम मेल में दिल्ली समस्तीपुर डिब्बे में रखरखाव की तुरन्त कार्य करने वाली और नियमित व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1. 1008	,,	,,	घोघरडीह स्टेशन पर पुनः गुमटी खोलने में असफलता ।	,,
1. 1009	,,	,,	रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी करने में असफलता ।	,,
1. 1013	श्री यशपाल सिंह :		रेलवे में ठेका प्रथा समाप्त न करना ।	100 रुपये
1. 1014	,,	,,	रेलवे में बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता ।	,,
1. 1015	,,	,,	रेलवे अस्पतालों में सुधार की आवश्यकता ।	,,
1. 1016	,,	,,	रेल दुर्घटनायें रोकने में असफलता ।	,,
1. 1017	,,	,,	जोनल प्रशासन की अदक्षता ।	,,
1. 1018	,,	,,	तीसरे दर्जे के डिब्बों में पेय जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1. 1019	,,	,,	रेलवे में भोजन की व्यवस्था का अभाव ।	,,
1. 1020	,,	,,	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद की स्थिति ।	,,
1. 1021	,,	,,	रेलवे लेखा विभाग में बिना श्रेणी वाले लिपिकों के लिये पदोन्नति की सुविधाओं का अभाव ।	,,
1. 1022	,,	,,	भोजन–यान के कर्मचारियों की पर्याप्त विश्राम और अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं की मांग पर विचार न करना ।	,,

1	2	3	4	5
1.	1023	श्री यशपाल सिंह :	पार्ली स्टेशन (ओलवाक्कोट डिवीजन) के केवल क्रासिंग पर उपरि-पुल के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपये
1.	1024	,, ,,	तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये सुविधाओं का अभाव ।	,,
1.	1025	,, ,,	रेलवे बोर्ड की कर्मचारी-विरोधी नीति को बदलने की आवश्यकता ।	,,
1.	1026	,, ,,	रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के वेतन में कमी करने की आवश्यकता ।	,,
1.	1027	श्री सूरज भान :	डाक के डिब्बों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1.	1028	,, ,,	अधिकारियों को दी जाने वाली सेलूनों की सुविधा को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1.	1029	,, ,,	ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनरों को रनिंग स्टाफ के रूप में मानने की असफलता ।	,,
1.	1030	,, ,,	प्रत्येक ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर को अनिवार्यत: एक विशेष राशि अर्जित करने के लिये बाध्य करने के सम्बन्ध में दिये जाने वाले दण्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1.	1031	,, ,,	रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों के वेतन-मानों में संशोधन करने मे असफलता ।	,,
1.	1032	,, ,,	रेलवे में ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को समाप्त करने में सरकार की असफलता ।	,,
1.	1033	,, ,,	मकान किराया भत्ते और बच्चों की शिक्षा भत्ते के प्रयोजन के लिये मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन माने जाने के सम्बन्ध में हाल के आदेशों के परिणाम-स्वरूप रेलवे कर्मचारियों को होने वाली 75 रुपये तक की मासिक हानि के सम्बन्ध में उनके हित की रक्षा करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 1034	श्री सूरज भान :		लोकोशडों में काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	100 रुपये
1. 1035	,,	,,	नेमित्तिक और प्रतिस्थापित कर्मचारियों को बहाल करने में बरते जाने वाले पक्षपात और भेदभाव को रोकने में असफलता ।	,,
1. 1036	,,	,,	रेलवे वाणिज्यिक कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने में असफलता ।	,,
1. 1037	,,	,,	रेलवे विभाग के फायरमैनों की शिकायतों को दूर करने में असफलता ।	,,
1. 1038	,,	,,	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों की पूर्ति में असफलता ।	,,
1. 1039	,,	,,	वाणिज्यिक पक्ष के कर्मचारियों की वर्दी की किस्म और बनावट को सुधारने में असफलता ।	,,
1. 1040	,,	,,	दुखेरी स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर अधिक यात्री गाड़ियां रोकने में असफलता ।	,,
1. 1041	,,	,,	रेलवे अस्पतालों के कार्यचालन में सुधार करने में असफलता ।	,,
1. 1042	,,	,,	रेलवे कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा प्रदान करने में असफलता ।	,,
1. 1043	,,	,,	शिमला से आने और जाने वाली गाड़ियों में तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बे जोड़ने में असफलता ।	,,
1. 1048	श्री नन्दकुमार सोमानी :		भारतीय रेल व्यवस्था की दक्षता तथा इसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
1.	1049	श्री नन्दकुमार सोमानी :	"इनवेंटरी" प्रबन्ध, परिचालन अनुसधान, पी० ई० आर० टी०/सी० पी० एम० पूंजी विनियोजन पर आय और माल तथा यात्री आवागमन की स्थिति के सम्बन्ध में प्रबन्ध की आधुनिक तकनीक लागू करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।
1.	1050	,, ,,	गाड़ियों से फिटिंग्ज पखों तथा अन्य रेलवे सामान की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,
1.	1051	,, ,,	रेलवे बोर्ड के कार्यक्रम में सुधार करने में असफलता ।	,,
1.	1052	,, ,,	चलती गाड़ियों से माल की विशेषकर कोयले की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,
1.	1053	,, ,,	विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पेय जल, स्वच्छ विश्रामगृह, स्वच्छ शौचालय और स्नानगृह, तथा अन्य मानवीय सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1.	1054	,, ,,	यात्री गाड़ियों में, आरक्षण की व्यवस्था में, जिसके कारण सीटों अथवा बर्थों के आरक्षण की पुष्टी के लिये यात्रियों की कई दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सुधार करने में असफलता ।	,,
1.	1055	,, ,,	यात्रियों, विशेषकर महिलाओं वृद्ध व्यक्तियों तथा बच्चों, की सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1.	1061	श्री जय सिंह :	रोपड़ जिले (उत्तर रेलवे) के कीरतपुर, फेरी, नूरपुर बेदी के समीप की सड़कों पर बिना चौकीदार के रेल के फाटकों की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
1.	1062	,, ,,	उत्तर रेलवे के दसूया रेलवे स्टेशन बुदा बार्केट, (उछीवासी रेलवे स्टेशन के नजदीक) के बीच की सड़क पर	,,

1	2	3	4	5
			बिना चौकीदार के रेलवे क्रासिंगों की व्यवस्था करने में असफलता ।	
1. 1063	श्री जयसिंह :		उत्तर रेलवे के भंगला रेलवे स्टेशन (मुकरियां के समीप) डाक गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
1. 1064	,,	,,	होशियारपुर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के रेलवे प्लेटफाम पर यात्रियों के लिये पर्याप्त पनाहघरों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1. 1065	श्री प्र० न० सोलंकी :		गुजरात राज्य में मीटर गेज सेक्शन में कपड़वंज को मोदासा से मिलाने के लिये नई रेलवे लाइनों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1. 1066	,,	,,	गुजरात राज्य में छोटी लाइन के सम्बन्धी नीति का स्पष्टीकरण करने में असमर्थता ।	,,
1. 1067	,,	,,	गुजरात राज्य में छोटी लाइन के वासो और पिहिज रेलवे स्टेशनो को पूरे रेलवे स्टेशनों के रूप में जारी रखने में असमर्थता ।	,,
1. 1068	,,	,,	गुजरात राज्य में वालासिनार को दूसरी बड़ी लाइनों के साथ जोड़ने के लिये नई बड़ी रेलवे लाइनों को आरम्भ करने में असमर्थता ।	
1. 1069	,,	,,	गुजरात राज्य में नये फ्लैग स्टेशन खोलने में असमर्थता ।	,,
1. 1070	,,	,,	भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारियों की शिकायतें दूर न करना ।	,,
1. 1071	,,	,,	किसान स्पेशल गाड़ियों के लिये पर्याप्त सुविधायें न देना ।	,,
1. 1072	,,	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों को उचित तथा पर्याप्त सुविधायें न देना ।	,,
1. 1073	,,	,,	गुजरात राज्य में जिला मुख्यालय कैरा से रेल सम्बन्ध स्थापित न करना ।	,,

1	2	3	4	5
1.	1074	श्री प्र० न० सोलंकी :	अहमदाबाद और दिल्ली के बीच अधिक तेज चलने वाली गाड़ी न चलाना ।	100 रुपये
1.	1075	,, ,,	गुजरात जिले में छोटी लाइनों को मीटर-गेज लाइनों में न बदलना ।	,,
1.	1076	श्री जगेश्वर यादव :	बांदा जिले के चित्रकुट के पर्यटन महत्व को ध्यान में रखते हुये लखनऊ–बांदा एक्सप्रस को मनिकपुर जंकशन तक ले जाने की आवश्यकता ।	,,
1.	1077	,, ,,	बांदा जंक्शन के विश्रामलयों की असंतोष-जनक सफाई ।	,,
1.	1078	,, ,,	बांदा स्टेशन के पास स्थित पानी निकास के रेलवे नाले की सफाई की आव-श्यकता ।	,,
1.	1079	,, ,,	झांसी–मनिकपुर पैसेंजर का मनिकपुर से विलम्ब से आगमन और प्रस्थान ।	,,
1.	1080	,, ,,	बांदा लोको शेड में काम करने वालों से 8 घण्टे की ड्यूटी के बदले 12 घंटे की ड्यूटी लेना ।	,,
1.	1087	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वी रेलवे के गिरीडीह स्टेशन पर शेड बनवाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1.	1088	,, ,,	भारतीय रेलवे में सैलून व्यवस्था का अन्त करने की आवश्यकता ।	,,
1.	1089	,, ,,	भारतीय रेलवे के भोजनालयों की व्य-वस्था को सुधारने की आवश्यकता ।	,,
1.	1090	,, ,,	भारतीय रेलवे के भोजनालयों में मिलने वाला खराब भोजन ।	,,
1.	1091	,, ,,	पूर्वी रेलवे के जमालपुर वर्कशाप से हर साल करोड़ों रुपये के माल की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,
1.	1092	,, ,,	जमालपुर वर्कशाप तथा शेड में पुराने इंजिनों को बेचने के नाम पर कीमती पीतल की चोरी को रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1.	1093	श्री रामावतार शास्त्री :	दक्षिण-पूर्वी रेलवे के आदित्यपुर स्थित टाटा रेलवे शेड में काम करने वाले करीब पांच सौ कर्मचारियों के लिए साफ पानी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1.	1094	,, ,,	आदित्यपुर शेड में सवारी पास करने के लिए ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
1.	1095	,, ,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे मेन्स कांग्रेस, सीनी की ओर से एक रेलवे कर्मचारी द्वारा गत् मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील ।	,,
1.	1096	,, ,,	पूर्वोत्तर रेलवे में डिविजनल व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने में असफलता ।	,,
1.	0197	,, ,,	रेलवे मजदूरों के बीच कांग्रेसी पक्षी एवं दलाल यूनियनों को प्रोत्साहन देना ।	,,
1.	1098	,, ,,	पूर्वी रेलवे के दानापुर में रिटायरिंग रूम बनवाने की आवश्यकता ।	,,
1.	1099	,, ,,	आरा-सहसराम लाइट रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने में असफलता ।	,,
1.	1100	,, ,,	फतुहा-इसलामपुर लाइट रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने में असफलता ।	,,
1.	1101	,, ,,	पूर्वी रेलवे के टपना-गया लाइन को दोहरी लाइन में बदलने में असफलता ।	,,
1.	1102	,, ,,	पूर्वी रेलवे के मीठापुर (पटना) में ऊपरी पुल का निर्माण करने में असफलता ।	,,
1	1103	,, ,,	पूर्वी रेलवे के पटना सिटी स्टेशन का नाम बदल कर पटना साहिब करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1.	1104	श्री राजावतार शास्त्री :	पूर्वी रेलवे के पटना सिटी स्टेशन का विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
1.	1105	,, ,,	पूर्वी रेलवे के पटना सिटी स्टेशन पर टाटा एक्सप्रेस को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1.	1106	,, ,,	बिहटा स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर तूफान एक्सप्रेस और बनारस एक्सप्रेस को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1.	1107	,, ,,	पूर्वी रेलवे के पटना-गया लाइन में पटना जंक्शन से जहानाबाद स्टेशन तक शटल गाडी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1.	1108	,, ,,	भोजपुर-शटल को पटना से बढ़ा कर आरा स्टेशन तक ले जाने की आवश्यकता ।	,,
1.	1109	,, ,,	नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली तूफान एक्सप्रेस में पटना के लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बों में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1.	1110	,, ,,	पूर्वी रेलवे के पटना-गया लाइन के तारेगना स्टेशन पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा वहां पर शेड बनवाने की आवश्यकता ।	,,
4	1111	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	आल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्ज एसोसिएशन द्वारा राज्य मत्री के समक्ष रखी गई मांगों पर प्रशासन द्वारा विचार न किया जाना ।	,,
4.	1112	,, ,,	पुरी से हावड़ा जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में कमी पर चर्चा करने की आवश्यकता ।	,,
6.	1113	,, ,,	रेलवे में (मुख्य तथा उप-मुख्य) ट्रेन नियंत्रकों के पदों के स्तर को बढ़ाना ।	,,
8.	1114	,, ,,	दूसरे वेतन आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार सैक्शन नियंत्रकों के दो पदक्रमों को मिलाकर एक करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
8.	1115	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :	ट्रेन नियन्त्रकों के भत्तों तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में विभिन्न रेलों में रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन न किया जाना ।	100 रुपये
8.	1116	,, ,,	ट्रेन नियंत्रकों को "लाउड स्पीकर" भत्ता देने की आवश्यकता ।	
8.	1117	,, ,,	ट्रेन नियंत्रकों को रविवार की तथा अन्य राष्ट्रीय छुट्टियां देने की आवश्यकता ।	,,
8.	1118	,, ,,	दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
8.	1119	,, ,,	राऊरकेला से बरहमपुर (गंजम) तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
8.	1120	,, ,,	राऊरकेला से पुरी तक किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी में विशेष डिब्बे लगाने की आवश्यकता ।	,,
9.	1121	,, ,,	कटक रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
9.	1122	,, ,,	रूप्सा रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में सामान लाने ले जाने के लिये श्रमिक सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता ।	
14.	1123	,, ,,	तालचेर तथा विमलगढ के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाली रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ करने की कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
14.	1124	,, ,,	कटक-परादीप लाइन का निर्माण शीघ्र करने की आवश्यकता ।	,,
1.	1131	श्री रामावतार शास्त्री :	पूर्वी रेलवे के दानापुर, झाझा, मुगलसराय आदि के रनिंग स्टाफ द्वारा सन् 1968 के अप्रैल, मई महीने में हड़ताल करने के कारण दी गई सजाओं को समझौते के बावजूद रद्द करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 1132	श्री रामावतार शास्त्री :		पूर्वी रेलवे के दानापुर और सियालदह डिवीजनों के रनिंग स्टाफ की मांगों को पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये
1. 1133	,,	,,	भारतीय रेलवे में आटोमेशन प्रणाली चालू करने की नीति को रद्द करने की आवश्यकता ।	,,
1. 1134	,,	,,	भारतीय रेलें के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अटेन्डेन्ट का काम करने वाले कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान के स्थान पर 110-180 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान तै करने में असफलता ।	,,
1. 1135	श्री सूरज भान		सरकारी दौरों पर जाने वाले रेलवे अधिकारियों को अपने परिवारों को साथ ले जाने की सुविधा, जिसके कारण सरकार का अनावश्यक व्यय होता है तथा कार्य भी ठीक प्रकार नहीं हो पाता, वापस लेने में असफलता ।	,,
1. 1136	,,	,,	लेखापालों के पद बनाने के सम्बन्ध में रेलवे लेखा विभाग को ए० जी० सी० आर० जैसे असैनिक लेखा कार्यालयों के समान बनाने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप दक्षता के स्तर में गिरावट आ रही है ।	,,
1. 1137	,,	,,	रेलवे के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का स्तर इसी प्रकार ऊंचा करने में असफलता जिस प्रकार हाल में अधिकारियों के पदों का स्तर ऊंचा किया गया है ।	,,
1. 1138	,,	,,	अम्बाला शहर रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) के निकट सडक पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता ।	,,
1. 1139	,,	,,	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के बाद भारतीय रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के नियम 149 के	,,

1	2	3	4	5
			अन्तर्गत जिन रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था उनको बहाल करने में असफलता ।	
1.	1140	श्री सूरज भान :	रेलवे मुद्रणालयों में नियोजित कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भारत सरकार मुद्रणालयों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के समान बनाने में असफलता ।	100 रुपये
4.	1143	श्री स० कुन्दू :	मंहगाई भत्ते के वेतन में मिलाये जाने के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बढ़ता हुआ मकान भत्ता और 1-4-64 और 1-4-66 से बकाया राशि की वसूली ।	,,
9.	1144	श्री रामावतार शास्त्री :	रेल-दुर्घटनाओं के लिए रेलवे बोर्ड को दोषी ठहराने में विफलता ।	,,
9.	1145	,, ,,	रेलवे दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों को दोषी ठहराने की नीति बदलने की आवश्यकता ।	,,
9.	1146	,, ,,	रेल-दुर्घटनाओं में मारे गये तथा घायलों के परिवार के लोगों को पूरा मुआवजा देने में विफलता ।	,,
9.	1147	,, ,,	रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स असोसिएशन द्वारा बताये गये उपायों की क्रियान्विति में असफलता ।	,,
9.	1148	,, ,,	रेल-डिब्बों में होने वाली चोरियों तथा डकैतियों को रोकने तथा यात्रियों के जान-माल की रक्षा करने में विफलता ।	,,
10.	1149	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे में ठेका प्रथा समाप्त करने में असफलता ।	,,
10	1150	,, ,,	रेलवे कर्मचारियों के लिए तुरन्त एक वेतन आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
10.	1151	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे कर्मचारियों के लिए राजसहायता-प्राप्त राशन की दुकानें फिर से खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15.	1152	,, ,,	पूर्व रेलवे के बिहटा रेलवे स्टेशन से विक्रम–पालीगंज–अरवल– कर्था होते हुए जहाना बाद जक्शन में मिलने वाली लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,, ,,
15.	1153	,, ,,	पूर्व रेलवे के दानापुर में वर्तमान ऊपरी पुल से पश्चिम की ओर एक और ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
15.	1154	,, ,,	पटना के राजेन्द्रनगर रेलवे क्रासिंग के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
15.	1155	,, ,,	पूर्व रेलवे के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन से पश्चिम स्थित रेलवे क्रासिंग स्थल पर सड़क ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता।	,,
15.	1156	,, ,,	सदीसोपुर स्टेशन (पूर्व रेलवे) के विकास तथा वहां लाइन के दोनों ओर के प्लेटफार्मों पर शेड बनाने की आवश्यकता ।	,,
15.	1157	,, ,,	पटना से रांची जाने वाली गाड़ी डाल-टेनगंज के लिए जाने वाली बोगी में स्लीपर की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1.	1158	श्री रा०की० अमीन :	रेलवे कर्मचारियों के लिए वर्तमान राशि घटा कर आवश्यकताओं के अनुसार यात्रा एक रुपया कर सुविधाओं की व्यवस्था करने में दी जाए असफलता ।	
1.	1159	,, ,,	अहमदाबाद-भावनगर लाइन पर विभिन्न स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म बनाने में सरकार की असफलता ।	,,
1.	1160	,, ,,	रेलवे लाइनों के चारों ओर की परती भूमि का कृषि विकास कार्यों के लिए उपयोग करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1. 1161	श्री रा० की० अमीन :		सम्पूर्ण देश में बड़ी लाइनों का जाल बिछाने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।
1. 1162	,,	,,	अहमदाबाद और हावड़ा के बीच, बरास्ता सूरत-भुगाबद, सीधी यात्रा के लिए पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	,,
1. 1163	,,	,,	पश्चिम रेलवे में बोताद-वीरंगम लाइन पर रानापुर स्टेशन पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1. 1164	,,	,,	पश्चिम रेलवे में भावनगर और तारापुर के बीच एक नयी लाइन खोलने में असफलता ।	,,
1. 1165	,,	,,	अहमदाबाद और दिल्ली के बीच मीटर गेज लाइन पर 18 घटे में यात्रा पूरा करने के लिए डीजल इंजन वाली मेल गाड़ी चलाने में असफलता ।	,, ,,
1. 1166	,,	,,	पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से अहमदाबाद ले जाने में असफलता ।	,,
1. 1167	,,	,,	भावनगर और अहमदाबाद के बीच एक ऐसी अतिरिक्त गाड़ी का न चलाया जाना जो कि रात्रि के समय सभी स्टेशनों पर रूकती हो ।	,,
1. 1168	,,	,,	जाशदान-राजकोट लाइन को पूरा करके बोताद-राजकोट मीटर गेज लाइन को पूरा करने में असफलता ।	,,
1. 1171	श्री मीठा लाल मीना :		सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच नई मुसाफिर गाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	,,
1. 1 72	,,	,,	लालसोट और बामनवास (पश्चिम रेलवे) की आउट-एजेन्सियों को आरम्भ करने की आवश्यकता जिसके लिए मजूरी दी जा चुकी है ।	,,

1	2	3	4	5
1. 1173	श्री रा० की० अमीन		बीरमगंज से ओखा तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1. 1174	,,	,,	अहमदाबाद नगर के चारों ओर 20 मील के क्षेत्र में स्टेशनों को मिलाने वाली लाइनों का दोहरा करने की आवश्यकता ।	,,
1. 1175	,,	,,	अहमदाबाद और सूरत के बीच रात्रि में चलने वाली यात्री गाड़ियों में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का न होना ।	,,
1. 1176	,,	,,	दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली डी-लक्स गाड़ी में । प्रथम श्रेणी के दो डिब्बे लगाने की आवश्यकता ।	,,
1. 1177	,,	,,	वीरगम—खरगोदा लाइन पर नमक ले जाने के लिए पत्री को, विशेषकर छोटे निर्माताओं को नमक ले जाने के लिये पर्याप्त संख्या में माल-डिब्बे देने की आवश्यकता ।	,,
1. 1178	,,	,,	व्यस्त मौसम में पश्चिम रेलवे के ऊंझा, हरीज, पत्री, बारला, धन्दुका और बोताद स्टेशनों के लिए पर्याप्त संख्या में माल-डिब्बे देने में असफलता ।	,,
1. 1179	श्री मीठा लाल मीना :		कोटा और मथुरा (पश्चिम रेलवे) तथा सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच सभी स्टेशनों पर बिजली लगाने की आवश्यकता ।	,,
1. 1180	,,	,,	कोटा से मथुरा तक के और सवाई माधोपुर से जयपुर तक के सभी स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड बनवाने में सरकार की असफलता ।	,,
1. 1181	,,	,,	खांडिया स्टेशन (पश्चिम रेलवे) का विस्तार और विकास करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1.	1182	श्री मीठा लाल मीना :	गंगापुर सिटी में नये फोरमैन कार्यालय की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1.	1183	,, ,,	गंगापुर सिटी स्टेशन पर प्रतीक्षालय को बड़ा बनाने की आवश्यकता ।	,,
1.	1184	,, ,,	सवाई माधोपुर स्टेशन पर डी-लक्स और वेस्टर्न एक्सप्रैस गाड़ियों के लिए हाल्ट बनाने की आवश्यकता ।	,,

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमारे पास कटौती प्रस्तावों के लिये 7 घंटे हैं । उन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये जिन्होंने सामान्य चर्चा में भाग नहीं लिया है क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रदेशों के सदस्यों को अपने अपने प्रदेशों के बारे में शिकायतों की अभिव्यक्ति करनी होती है । इस सम्बन्ध में क्या सभा यह चाहती है कि एक एक मांग को लेकर चर्चा की जाये ?

अतः मेरा सुझाव है कि सभी मांगों पर पहले एक एक करके विचार करने के बाद उन्हें एक साथ मतदान के लिए रख दिया जाय ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा निवेदन है कि रेलवे सुविधाओं और श्रम कल्याण के लिए मांगों को अलग रखा जाय ।

श्री अ० सि० सहगल (बिलासपुर) : सभी मांगों पर एक साथ विचार होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की राय सभी मांगों पर एक साथ विचार करने के पक्ष में है ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा निवेदन है कि कटौती प्रस्ताव के लिए भी कुछ समय दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहली मांग रेलवे-बोर्ड के सम्बन्ध में है जिस पर बहुत से प्रश्न उठाए जाने की सम्भावना है । अतः सभी कटौती प्रस्तावों के बारे में आप अपनी बात कह सकते हैं । अब हमें रेलवे बोर्ड के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए । बाद में मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : कटौती प्रस्ताव के लिए हमें काफी श्रम करना पड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहली कठिनाई तो समय की है दूसरे मैं पिछड़े क्षेत्र के सदस्यों को भी समय देना चाहता हूं क्योंकि उन्हें रेलवे सुविधाएं नहीं मिली हैं । सभी अनुदान की मांगें और कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं और इनमें से कई अनुदानों पर कटौती प्रस्ताव के

आधार पर विचार करेंगे। साथ ही मैं प्रवक्ताओं के अतिरिक्त उन को भी बोलने का अवसर देना चाहता हूं जिन्हें कभी ऐसा अवसर नहीं मिला।

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : नए रेलवे मंत्री डा० राम सुभग सिंह को बधाई देने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के बदलने के साथ साथ रेलवे प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं आता। पिछले पांच छः वर्ष में जो कठिनाइयां सदन में उठाई गई थी उनको दूर नहीं किया गया। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह कम से कम पिछले एक या दो वर्ष में हुई दुर्घटनाओं के बारे देखें कि उन पर क्या कदम उठाए गए हैं। मैं रेलवे बोर्ड की आवश्यकता को स्वीकार करता हूं क्योंकि कोई मंत्री बिना कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता के रेलवे प्रशासन को नहीं चला सकता। किन्तु आवश्यकता इस बात की भी अधिक है कि रेलवे बोर्ड तथा अन्य विभागों में परस्पर सम्बन्ध ठीक रहे। रेलवे प्रशासन के आकार में अधिक वृद्धि के कारण उसके सभी श्रेणी के कर्मचारियों में पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रहा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी अनसुनी करदी जाती है। आशा है मंत्री महोदय तथा रेलवे के उच्च श्रेणी के कर्मचारी छोटी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ अच्छी भावना पैदा करेंगे जिससे कि भविष्य में हड़ताल और हिंसा आदि की समस्याएं समाप्त हो सकेगी।

गुजरात राज्य में अहमदाबाद में रेलवे का पश्चिमी जोन मुख्यालय होना चाहिए जिससे कि प्रशासन और लोगों दोनों को सुविधा रहे। हमें छोटी छोटी बातों के लिए भी बम्बई भागना पड़ता है जिससे समय और पैसा दोनों नष्ट होते हैं।

डिवीजनल सुपरिनटेन्डेन्टों को स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए शक्ति मिलनी चाहिए। संसद सदस्य या जनता के प्रतिनिधि यदि उनके पास जाते हैं तो वे उनकी बात नहीं सुनकर केवल आवेदन पत्र लिख देने को कहते हैं जिसे वह महा प्रबन्धक के पास भेज देते हैं।

गुजरात की छोटी रेलवे लाइन घाटे में चल रही है किन्तु इसका कारण यह नहीं है उस पर यात्रा नहीं होती। कारण यह है कि प्रशासन बुरा है तथा विभागों मे भ्रष्टाचार है। नित्य 200 यात्रियों में से 190 यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। यह सब कुछ खुले आम होता है और रेलवे अधिकारी पैसा खाते हैं। किन्तु इसकी उपेक्षा की जा रही है।

बम्बई की भांति इस लाइन पर भी विद्यार्थियों और अन्य इमानदार व्यक्तियों से टिकट रहित व्यक्तियों का पता लगाने का कार्य लेना चाहिये। इस बारे में मैनें मुख्याध्यापकों से बात चीत की है तथा वे विद्यार्थियों को इस कार्य के लिए देने को तैयार हैं। यदि हम इस नई योजना को कुछ और क्षेत्रों में लागू करें तो प्रशासन को काफी सहायता मिलेगी तथा सुधार भी होगा।

मैं माननीय मत्री से विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि छोटी लाइन को बन्द कर दिया जाएगा अथवा चलने दिया जाएगा। हर 10 या 15 दिन के बाद यह घोषणा करदी जाती है कि इस लाइन को बन्द किया जा रहा है। किन्तु जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो वह इन्कार कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं इस प्रकार के वक्तव्य कौन प्रकाशित करता है। आप इस के बारे कोई निश्चित नीति क्यों नहीं बनाते ?

वर्गीकरण पद्धति को तोड़ने के बारे में भारी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया। मंत्री महोदय इस बात का भी विशिष्ट रूप से उत्तर दें कि हम नीति के बारे में उनका निश्चित निर्णय क्या है। जिससे कि हिंसा आदि की स्थिति पैदा न होती रहे।

कोपरगंज से मोडसा क्षेत्र को मीटर लाइन में बदलने की मांग बहुत दिनों से हो रही है। ऐसा करने से यह अहमदाबाद-उदयपुर लाइन से मिल जाएगा तथा इससे रेलवे राजस्व में भी बहुत वृद्धि होगी। इस कार्य पर धन लगाने से भविष्य में पर्याप्त मात्रा में राजस्व की पर्याप्त प्राप्ति होगी।

पिछली हड़ताल में अन्य बहुत से वर्गों के साथ रेलवे के कामर्सियल स्टाफ ने भाग नहीं लिया था किन्तु इन वफादार कर्मचारियों के साथ और भी बुरा व्यवहार हुआ। सरकार ब्रिटिश नीति को समाप्त करना चाहती है किन्तु इन कर्मचारियों के साथ वही नीति अपनाई जा रही है। विचित्र बात है कि इन कर्मचारियों को अनावश्यक समझा जाता है जबकि रेलवे का सारा राजस्व इन्हीं के हाथों आता है। आशा है मंत्री महोदय इन विश्वासपात्र कर्मचारियों की कठिनाइयों को तुरन्त दूर करेंगे।

तीसरी श्रेणी के यात्रियों को कुछ और सुविधाएं देनी चाहिएं क्योंकि उनको पशुओं की तरह यात्रा करनी पड़ती है। मथुरा में किसान स्पैशल के यात्रियों को कितनी विकट कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह मैंने स्वय अपनी आंखों से देखा। मैं उसकी लिखित रूप से शिकायत करना चाहता था किन्तु इसमें किसी दल का सम्बन्ध था इसलिए मैं शिकायत नहीं कर पाया।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह हमारे लिए अहमदाबाद से दिल्ली तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस कब चला रहे है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही एक डीज़ल इंजन उपलब्ध हो सकेगा हम इस क्षेत्र के लिए द्रुतगामी रेलगाड़ी चला देंगे। मेरा अनुरोध है कि यदि उन्हें डीज़ल इंजन उपलब्ध नहीं हुआ तो वह पहले प्राप्त इंजनों में से एक दे दें।

गुजरात और अन्य कई राज्यों में औद्योगीकरण होने के कारण यातायात में अधिक वृद्धि हुई है। बहुत से कर्मचारी नित्य उपनगरों से नगरों में कार्य करने जाते हैं तथा संध्या को लौटते हैं। अतः इस कारण हुई यातायात वृद्धि को देखते हुए गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए अथवा उनमें अधिक डिब्बे लगाने चाहिए जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

Shri M. A Khan (Kasganj) : Sir, it augurs well that Dr. Ram Subhag Singh has been assigned the portfolio of Railway. I feel he will be able to remove the unbearable difficulties experienced by the passengers on account of the trains not running to schedule and make the railway travelling safe and secure since at present the train journey is most unsafe. It is primarily atributable to the inefficiency of the Railway administration.

Two trains, namely, De-Lux and Upper India, are said to be more competent, but my personal experience constrains me to mention that they never reach Delhi in time. I do not know what are the functions and the duties of the Railway Board. It is understood

that the Railway Minister has issued the instructions regarding the perishable goods saying that these goods should reach their destination within seven days period I do not think there orders would be adhered to. At present the fact is that the goods are not even moved from one place to the other without greasing the railway officers' palm. At Hatharas station, while shifting the goods from N.I.R. to N.R. and vice versa, I am told, the goods are stocked in the godowns and nothing is done unless the customers come and bribe the clerk.

I experienced great inconvenience while I was travelling by train Bareilly to Delhi. In the compartment in which I got a seat only one fan out of four was in working order. It was a reserved compartment with a capacity of four passangers it was attached to the train from the starting point of the train.

So far as the proposal of closing down the unremunerative railway lines is concerned it is based on the unrealistic approach to the problem. For instance, Etah-Barhan line is said to be unremunerative bu what are the factors which make it so ? The large scale pilferage of coal and ticketless travelling are the major causes which render this line in profitable.

May I suggest that this line should be extended upto Kasganj which is a big business centre ? The State Government have also recommended this plan. I can assure that this would be profitable. Mere framing of policies would not be of any help. I feel it would be more beneficial to extend this line than to close it down. Simultaneously it would be in the interest of the people.

श्री दीवीकन (कल्लाकुरिच्चि) : महोदय ! दक्षिणी प्रान्तों की आवश्यकताओं की जान बूझकर उपेक्षा की जा रही है तथा उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ।

मद्रास में यातायात बहुत बढ़ गया है तथा विद्युत चालित रेलगाड़ियों में यात्रा करना बहुत असुविधाजनक हो गया है । मन्त्री महोदय इस तथ्य से अवगत होते हुए भी मद्रास के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की बात नहीं करते ।

बम्बई से दिल्ली तक 'कन्टेनर' सेवा चालू की गई, कलकत्ता से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रैस चलाई गई किन्तु मद्रास के लिए कुछ नहीं किया गया । मद्रास के लिए सुना जाता है ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में कुछ अधिक समय लेगी ।

'कर्मचारी कल्याण' मद के अन्तर्गत पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तरी रेलवे के लिए प्रत्येक को लगभग 350 लाख रुपये दिए गए हैं किन्तु दक्षिण रेलवे को केवल 222 लाख रुपये दिए गए हैं । इसी प्रकार अन्य मदों में भी इसी प्रकार का अन्तर रखा जा रहा है ।

रेलवे से माल की चोरी को रोकना चाहिए । सामान की बुकिंग तथा उसकी सुपुर्दगी आदि कार्यों में कार्यकुशलता लाने के उपाय किए जाने चाहिए ।

पिछले वर्ष पंजाब में बहुत अच्छी फसल हुई किन्तु रेलें माल ढ़ोने में असफल रहीं तथा बहुत सी बोरियां पड़ी-पड़ी सड़ गईं ।

मुझे पता चला है कि मंत्री महोदय ने बहुत से अधिकारियों के पदों का दरजा बढ़ाया है किन्तु मंत्रालय उसमें ढ़ील ढाल रहा है। वृंदावन एक्स्प्रैस तथा ताज एक्स्प्रैस की तरह सरकार को मद्रास से तिरुची के लिए भी गाड़ी चलानी चाहिए।

रेलवे मंत्रालय ने निःशुल्क सामान भत्तों में वृद्धि की है किन्तु साथ ही रेलवे बोर्ड ने निर्णय किया है कि इस सामान में बिस्तर भी गिना जाएगा। रेलवे बजट के प्रस्तुत होने से पहले विभागीय स्तर पर ऐसा निर्णय करके संसद का अपमान किया है। रेलवे बोर्ड का यह कार्य अनुचित है।

मद्रास–दिल्ल राजधानी ऐक्स्प्रैस चलाने से 5 राज्यों को लाभ मिल सकता है।

डालमियापुरम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कल्लाकुडि रखने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। मंत्री महोदय इस मांग को टालने से बचाने का प्रयत्न न करें तथा गृह-कार्य मंत्रालय की सहमति से इसका नाम बदल दें जिससे केन्द्र और राज्य सरकार के बीच सद्-भावना बढ़े।

पिछले वर्ष मैंने चिंगलेपुट से चिन्नासलम तक रेलवे लाइन बनाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने बहुत पहले इसकी स्वीकृत दे दी थी। 1964 में श्री अलगेसन, जो उस समय मंत्री थे, ने कहा था कि यह लाइन बनेगी किन्तु अभी तक वह लाइन नहीं बनी। आशा है मंत्री महोदय वहां के लोगों की कठिनाइयों को समझेंगे और इस विषय में उन्हें विश्वास दिलाएंगें अन्यथा मैं अपने स्वभाव के प्रतिकूल उनके निवास स्थान पर भूख हड़ताल करूंगा।

श्री मालजीभाई परमार (दोहद) : मंत्री महोदय ने रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों के संवर्गों में सामंजस्य लाकर तथा जिन कर्मचारियों को वेतन मान पूरे हो चुके थे उनको कुछ सुविधा देकर सराहनीय कार्य किया है।

अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी संस्था की मांगों को ध्यान में रखते हुए ऊंचे दरजे के पदों के अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। इस बारे में भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने भी आश्वासन दिया था।

दूसरे सभी रेलवे कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु भी 58 वर्ष होनी चाहिए। पहले कम्पनी कर्मचारियों की सेवाओं को 55 वर्ष की आयु के बाद 58 तक पहुंचने के लिए एक-एक वर्ष करके बढ़ाया जाता है जो उचित नहीं है।

बेरोजगार की समस्या को हल करने के लिए नई भर्ती पर लगाए प्रतिबन्ध को हटा देना चाहिए। इससे वर्तमान कर्मचारियों पर पड़ा अनावश्यक भार भी कम होगा।

दोहाद रेलवे स्टेशन के पास प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान प्रतीक्षालय अपर्याप्त है और दोहाद आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

देखा गया है कि रेलवे के प्रतीक्षालयों में रेलवे के न्यायाधीश अपनी कचहरी लगाते हैं जिससे वास्तविक यात्रियों को स्थान नहीं रहता। दोहाद रेलवे स्टेशन पर पूंछताछ के लिए और स्थान सुरक्षित कराने के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए।

दोहाद झालोद सड़क पर दोहद के रेलवे फाटक पर उपरिपुल बनाना आवश्यक है क्योंकि बिना इसके सड़क यातायात को बड़ी असुविधा रहती है। मैंने इस बारे में 1967 में भी प्रश्न रखा था।

मैं निवेदन करता हूँ कि गुजरात राज्य की छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में बदल देना चाहिए इससे जनता का हित होगा और उसे अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

अन्त में मैं श्री देसाई की इस मांग का समर्थन करता हूं कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अहमदाबाद में बनाया जाय क्योंकि गुजरात के औद्योगीकरण में वृद्धि होती जा रही है। तितोरा में हुई रेल-दुघटना की जांच भी होनी चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I invite the attention of the hon. Minister to the cut motions moved by me and the hon. Members and request him to give their written answers.

First of all, I do not think the continuance of the Railway Board at an annual expenditure of Rs. 1.50 crores is at all justifiable. The Railway Board is a glaring example of Bureaucracy.

I want to cite an example which may manifest how the officers of this Board treat the public representatives. Once I was invited by the Chairman of Railway Board. As I reached there I was started to know that he was unable to meet me because he had some other man to meet. Parliamentarians are treated most shabbily by the mandarins of office. I wonder what sort of treatment would be meted out to the lower staff of this Board. Therefore I request that this Board may be scropped as soon as possible.

I appreciate the sympathetic view taken by the Home Ministry towards the persons who were dismissed or suspended for their taking part in the strike on 19th September. It was announced, a few days back, that most of them would be reinstated. I think the Ministry of Railways and the Ministry of Home Affairs would deserve true appreciation only when if we will not find any Railway employee, who participated in that strike, out of service all over the country. Doing so the sense of resistence in the workers will be eliminated.

The recognition should also be given to the unions which were derecognised to gain their goodwill

The Government should sympathetically consider the demands of the Railway employees of all the categories and especially of those who work as attendants to the first class officers. Their pay scale should be raised from Rs. 75 or 80 to Rs. 110-180, so that the sense of confidence can be instilled in them and they might feel that Government is doing something for them.

An enquiry should also be instituted to look into the large scale pilferage of brass which is done in collusion with the members of the Railway Board and the officers of

Railway Department The brass is passed off as an adjunct to the unservicable locomotives while it is disposed of. I will give you enough evidence in corroboration of my point

The management of the canteen of sabarmati in Rajkot Division should immediately be handed over to the staff for running the same on no profit no loss basis. In view of the fact a sum of Rs. 60,000 is still outstanding against the present contractor of the canteen, he should be debarred from having any contract

Railway accidents are attributed to the human failure. May I know the reasons for human failure ? I can emphatically say that big officers are responsible for this human failure. When the running-staff and the other employees are made to work for ten or twelve hours continuously, it is difficult to rule out the possibility of accidents due to human failure.

All India Station Master's Association have submitted a memorandum in this regard but the Kunjru Committee and the Government have paid no attention towards this.

Indian Railways Loco Mechnical Staff Association have demanded revision of the pay scale as per the responsibility and work load and implementation of Factory Act. The Government should sympathetically consider their all genuine demands. The four-point demand placed by the Ministerial Staff Association of Danapur should also be accepted by the Government.

To avoid any sort of disturbances in Assam and Bihar Government should reconsider the matter of introducing the divisional system in North-Eastern Railways

The Patna Junction station and the Patna city station should be renamed as Pataliputra and Patna Sahib, respectively. The development of Patna city station is also necessitated. A shuttle train from Patna to Jahanabad should be introduced, the Toofan and Banaras Express trains should be halted at Bihta railway station. Bhojpur shuttle should be extended to Ara which is a big city. The narrow gauge lines of eastern Bihar should be converted into broad gauge lines. The problems of the Marine workers should also be solved. They should be provided alternative employment An enquiry is also necessitated into the misappropriation by certain officers at Mahendraghat.

Dr. A. G. Sonar (Ramtek) : First of all, the narrow gauge lines from Murtijapur Achalpur and from Murtijapur to Yavatmal should be taken over by the Government. These lines should also be converted into broad gauge lines and the ticket-less travel in these trains should be checked to minimise.

{ श्री हेम बरुआ पीठासीन हुए
Shri Hem Barua *in the Chair.* }

In the Nagpur section consigners are very much perturbed due to the uncertainty and non-availability of the wagons for exporting oranges. In spite of the instructions issued by the hon Minister Railway Board did not pay any attention towards this thing. Due to unpredictable availability of the wagons prices of oranges etc. in Delhi fluctuate very often.

The contracts of the catering in the trains should not be given to any person without calling traders. The departmental catering system is being condemned by the Railway officers because that affords far less chances of corruption. This tendency should be

curbed. The practice of giving contract to private caterers would further widen the gulf between the rich and the poor.

Suitable steps should also be taken to remove the hardships of the casual labour.

Complaints on the various matters are registered by the Members of the Parliament and the other persons but no action seems to be taken by the Railway Department.

I feel the hon. Minister is the true representative of the agriculturists and he has much sympathy towards them but so far as the ministerial staff is concerned they do not recognise the difficulties of the common people. They treat even the members of the Parliament with the same shabbiness as any man in the street.

I want some radical changes to be brought in our budget. May I know the tributes which Government propose to pay to the loyal servants who did not participate in the strike because without getting any sort of incentives nobody would like to be faithful and honest towards the Government in such cases of strikes etc If this is not done the leaders of the strikers may create a feeling among the other employees that the former can very well organise a strike and can get their followers reinstated to their posts.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : Sir, I come from an area which is backward and which adjoins Nepal. That area is in constant danger of aggression by China. The armies of the enemy can reach Gorakhpur very soon. We should improve over communications in such a manner that our armies should also be able to reach Gorakhpur in a matter of moments. It is a matter of satisfaction that B. G. Lime has been surveyed in that area. It should be completed without delay and the construction work should start immediately.

There are no means of communication in the eastern part of Gorakhpur district which adjoin Nepal. There is a small road in the jungle. It should be connected with Siswa Bazar and Siswa Bazar should be connected with Anand Nagar. The railway line is already there. If those roads are constructed, the railways will be able to earn through goods transport. These roads will prove beneficial from security point of view.

A fair called 'Deviputan' is held on the Nepal border. The fair is held for a fortnight. There should be atleast two platforms on Tulsipur station. One more plat form and an overbridge should be provided there. An overbridge should also be provided at Gorakhpur, both from strategic point of view and to avoid obstruction of road by collection of rain water.

The railways should encourage the employees doing good work. The employees promoted on recommendations cannot work efficiently and the railways are incuring loss as a result thereof.

The railway property is stolen with the connivance of railway employees. Road operators give better facilities than railways. Necessary improvements should be made in railway transportation.

The railways are the biggest commercial understanding and if the railway employees unions keep the interest of the country in view, and work honestly railways will not incur losses. The unions should be given recognition but they should be told to work with honesty.

Class III and IV employees should be transferred like Class II and I employees. The transfers will help to increase the income of railways.

The Station Masters are given independent charge of the station inspite of their lacking in experience and that is one of the reasons of railway accidents. Other reasons of accidents are negligence of the pointsmen and more work-load on the employees. These matters should be considered carefully.

Narrow guage lines should be converted into Broad Guage lines. The railways do not manufacture engines and wagons for those lines nor do they import them.

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, I would like to draw the attention of the Minister of Railways to Paragraph 14 of his speech in which he said that he was not proposing any increase in the railway fares and freight. But the Railway Board has circulated a circular to the railways on 25th January for increase in freight. The hon. Minister should explain the position.

The Minister has been congratulated for presenting surplus budget. The financial position of railways is not good and therefore there is no justification to congratulate the Minister. The development fund has been depleted. The railways have taken a loan of Rs. 45 crores from general revenue. The railways did not suffer loss in a single year during British regime.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

*माल डिब्बा उद्योग के बारे में

**RE : WAGON INDUSTRY

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बढ़) : इस विषय का सम्बन्ध देश के समूचे इंजीनियरी उद्योग से है । देश में विभिन्न एककों में माल डिब्बे बनाने जा रहे हैं । इस उद्योग को अपना अस्तित्व बनाये रखने में कुछ वर्षों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इंजीनियरी सामान उद्योग तथा माल डिब्बा निर्माण उद्योग को मंदी के कारण सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है । इस उद्योग की निर्माण क्षमता लगभग 26,000 माल डिब्बे प्रति वर्ष है परन्तु इसकी तुलना में मांग बहुत कम है । यह सन्तोष की बात है कि वर्ष 1969-70 के लिये रेलवे की मांग 9,000 माल डिब्बों से बढ़ाकर 16,000 माल डिब्बे हो गई है ।

न केवल रेलवे को बल्कि समूचे देश को इस बात की आशा थी कि जब रूस माल डिब्बे खरीदने लगेगा तो यह समस्या हल हो जायेगी । इस बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जा रहा है कि रूस बड़े पैमाने पर हमारे माल डिब्बे खरीदेगा । अनुमान लगाया गया था कि रूस 15,000 माल डिब्बे खरीदेगा तथा इससे माल डिब्बे बनाने वालों के मन में आशा उत्पन्न हुई थी । परन्तु यह आशायें पूरी नहीं हो रही हैं । अतः सरकार को एक कठिन स्थिति का सामना

---

*आधे घटे की चर्चा

**Half an-hour discussion

करना पड़ रहा है। मैं रेलवे मंत्री के साथ इस बात में सहमत नहीं हूं कि माल डिब्बों के निर्माता सामान सप्लाई नहीं कर सके हैं। यदि वे सप्लाई पूरी नहीं कर सके हैं तो सरकार भी आवश्यकताओं के बारे में निश्चित रूपसे नहीं बता सकी है,न ही वह यह बता सकी है कि उन्हें कितने मूल्य का भुगतान किया जायेगा। अतः यह कहना उचित नहीं कि इसमें कौन दोषी है। दोनों पक्ष समान रूप से दोषी हैं।

मैं समझती हूं कि जहां तक रूसी क्रयादेश का सम्बन्ध है, रूस को उस मूल्य पर माल डिब्बे खरीदने में कठिनाई हो रही जिस मूल्य पर हमने उन्हें माल डिब्बे सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है। एक डिब्बे का मूल्य एक लाख बीस हजार रुपये हैं जबकि उन्होंने अस्सी हजार रुपये प्रति डिब्बा हिसाब से डिब्बे खरीदने का प्रस्ताव किया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को चालीस हजार रुपये प्रति डिब्बा की दर से सहायता देनी होगी। यह प्रस्ताव बहुत ही महंगा पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा।

मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि जब हमारे दोनों देशों के बीच इतनी मित्रता है तो भारत सरकार को इस मित्रता का उपयोग रूस के साथ यह सौदा करने के लिये भी करना चाहिये। हमें यह बताया गया है कि रूस अब तक हमारी सहायता करता रहा है परन्तु दान के तौर पर नहीं। किन्तु रूस के साथ सौदा करने के लिये सरकार मैत्री का लाभ उठा सकती है। हमें रूस को स्पष्ट बता देना चाहिये कि उसे हमारे साथ ठीक शर्तों पर समझौता करना होगा। हमें प्रत्येक माल डिब्बे पर 35,000 रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है क्योंकि उनके माल डिब्बों के लिये एक विशेष मिश्रित धातु की आवश्यकता है और उसका आयात करना पड़ता है। यह सौदा हमारे लिये बहुत महंगा है। एक डिब्बे पर चालीस हजार रुपये की प्रत्यक्ष हानि तथा पुर्जों के सम्बन्ध में 35,000 रुपये की विदेशी मुद्रा की अप्रत्यक्ष हानि से बचने के लिये मंत्री महोदय को यह मामला स्पष्ट कर देना चाहिये कि उसे अपना वचन पूरा करना चाहिये।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सभा का ध्यान माल डिब्बों के निर्माताओं की ओर दिलाने के लिये मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का आभारी हूं। यह ठीक है कि माल डिब्बा उद्योग की क्षमता लगभग 26,000 माल डिब्बे हैं। 1964–65 में 27,000 से कुछ अधिक डिब्बे बनाये गये थे। 1963 से अब तक इस उद्योग को 26,000 से कुछ अधिक डिब्बों के क्रयादेश दिये गये थे। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा है कि मंत्रालय 1969–70 के क्रयादेशों के बारे में अभी सोच रहा है। हमारा प्रयत्न यह होगा कि क्रयादेश न होने के कारण इस उद्योग को कोई कठिनाई न हो। हम उद्योग की यथासम्भव सहायता करेंगे।

जहां तक रूस के क्रयादेश का सम्बन्ध है, यह बहुत अच्छी बात है कि रूस के प्रधान मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है। अभी इस प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। यदि इस प्रस्ताव पर अमल हुआ तो वह हमारे माल डिब्बा उद्योग के लिये एक वरदान होगा क्योंकि चतुर्थ योजना के अन्त तक उनका उत्पादन 1970–71 में लगभग 25 00 से आरम्भ होकर 54,000 तक पहुंच जायेगा। परन्तु मूल्य पर भी विचार करना होगा। इस बारे में बातचीत हो रही है और हर सम्भव सावधानी बरती जायेगी।

हम अन्य देशों को माल डिब्बों के निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगा रहे हैं। श्रीलंका, बर्मा, पोलैण्ड तथा पूर्वी अफ्रीका ने भी माल डिब्बों के लिये पर्याप्त संख्या में क्रय-देश दिये हैं।

मै माल डिब्बों के निर्माताओं की आवश्यकता के बारे में भी पूरी तरह जानता हूँ। निर्माता यह अनुभव करते हैं कि विदेशों से मिलने वाले मूल्यों की तुलना में उन्हें कम मूल्य मिल रहे हैं। हम इन मामलों पर विचार कर सकते हैं और कोई समझौता किया जा सकता है। हम निर्माताओं की कठिनाइयों के प्रति जागरुक हैं और हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Shiv Chander Jha (Madhubani) : I would like to know the number of wagons sent to U.S.S.R. and communist countries and also non-communist countries and the amount of foreign exchange earned thereby. I would also like to know whether any assessment has been made regarding full utilization of the capacity of wagon making industry. May I also know whether the demand for wagons within the country has been met and if not, the total requirement of the country for domestic use and the deficiency therein.

Dr. Ram Subhag Singh : A number of wagons were exported to Korea previously but the exports did not exceed Rs. two crores in any year.

The wagons to U.S S.R. have not been exported so far and the comparative of prices cannot, therefore, be made.

The order of the railways for wagons remain pending. The wagons are manufactured according to the capacity and the remaining orders remain pending We try to see that no difficulty is experienced by the industry.

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 18 मार्च, 1969/27 फाल्गुन, 1890 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 18th March, 1969/Phalguna 27, 1890 (Saka).